खण्ड-361, अंक-6
शुक्रवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(11 मार्च, 1983 ई0)

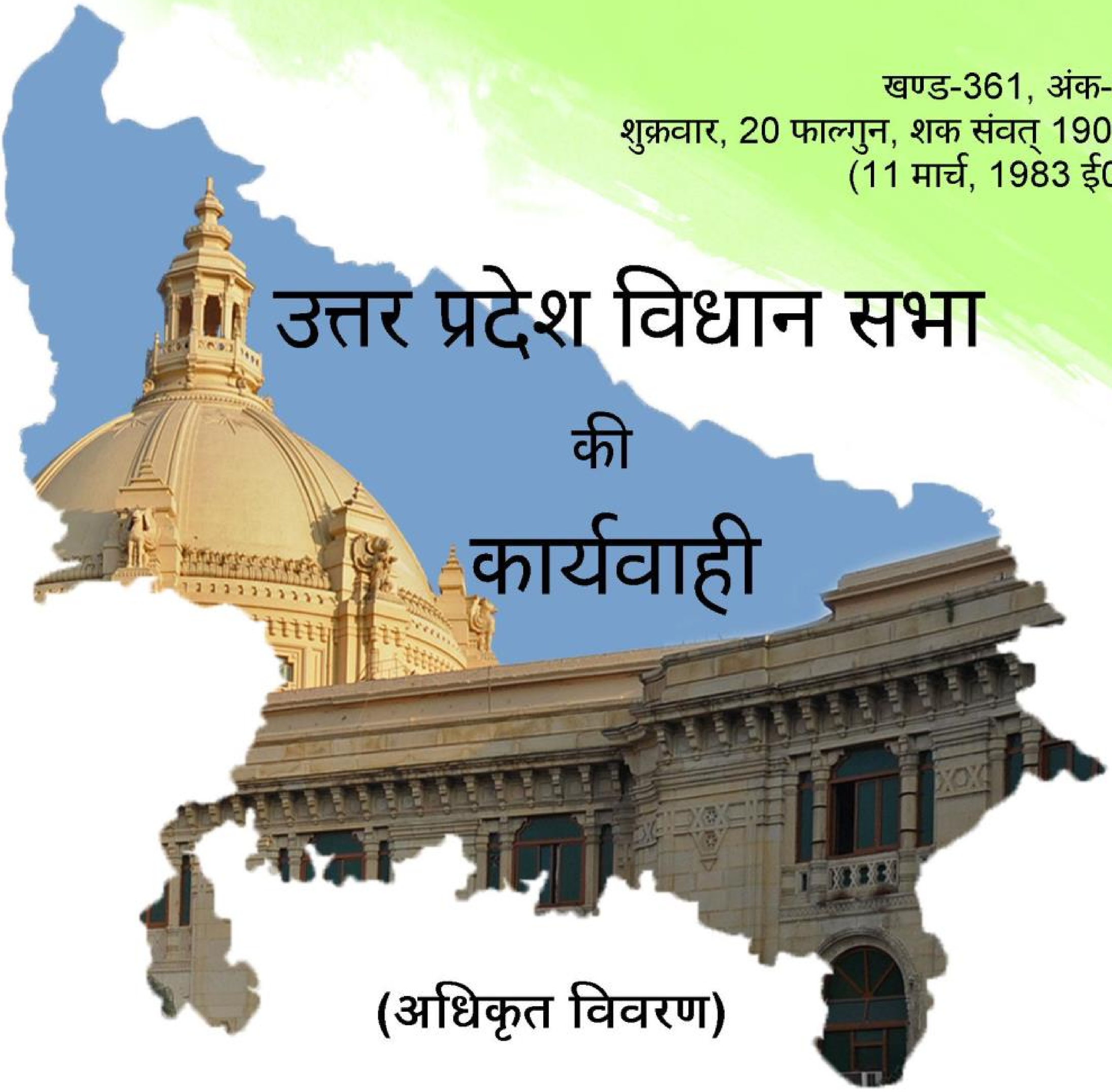

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 361 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	843
प्रश्नोत्तर	...	849
सहारनपुर नगर के बीच से होकर बहने वाली दामोला नदी के कटान से नगर में आवासीय भवनों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	919
मथुरा जनपद की बृज संस्कृति की ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वन सम्पदा आदि का नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अतर्गत सूचना	...	920
थानाध्यक्ष गाजीपुर (लखनऊ) द्वारा श्री ओमप्रकाश विज की भूमि पर स्थगनादेश के बाद भी जबरन मकान बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	920
सरकारी सेवा में आयु सीमा 28 से 30 वर्ष बढ़ा देने के बाद भी लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही सचिवालय की प्रतियोगात्मक परीक्षा में छूट न दिये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	921
श्री राधारमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फफूंद के अध्यापकों को वेतन न सिलने एवं अवैधानिक रूप से सेवायें समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	921
श्री जसवन्तसिंह विष्ठ द्वारा अपनी नियम 301 की सूचना के पढ़े जाने का प्रयास	....	922
प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों के छात्रों के हड़ताल विषयक आज होने वाले वक्तव्य के स्थगन के सम्बन्ध से व्यवस्था क प्रश्न	...	923
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 1983 (विधान परिषद से वापिसी की सूचना)	....	926
फतेपुर जिले की कोतवाली और मलवा थाने की पुलिस द्वारा एक नवयुवक की कथित हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	...	926
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के एक्स अप्रेन्टिस डिप्लोमा इंजोनियर्स द्वारा आमरण अनशन किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	....	930
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी)	...	934
कार्य स्थगन तथा प्रश्नों आदि के सम्बन्ध में होने वाली बैठक के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	...	944

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 945

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान अनुदान संख्या 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ... 946

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय तथा संजय गांधी स्नातकोतर आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान/सभा बोर्ड के कार्य करने हेतु निर्वाचन के लिये अभ्यर्थियों के नामों की सूचना 990

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... 992

आगरा से लखनऊ आ रही 14 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन को शसस्त्र डाकुओं द्वारा लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 993

नत्थियाँ ... 998

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—353

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथसिंह,श्री(उर्फ अनिल सिंह)(फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री(फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित)
आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर, सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)

गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली बह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री(मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौढ़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूँ)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूँ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)

बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झाँसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोतीलाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूँ)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झाँसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन सिंह (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)

राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लट्टूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)

हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्री वास्तव, श्री (कानपुर)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

संसद पुस्तकालय सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 11 मार्च, 1983 ई०

[3 रे शुक्रवार (दिनांक 4-3-83) के माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित तारांकित प्रश्न]

जिला निबंधक का कार्यभार पुनः जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के अधीन करने की मांग

*1—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला निबन्धक का कार्यभार वर्ष 1975 से पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सम्पादित होता था और इसके बाद अब वर्तमान समय में भी अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा सम्पादित हो रहा है ? फलस्वरूप विभाग में भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं कार्य में लापरवाही बढ़ गयी है ? यदि हां, तो क्या पुनः जिला निबन्धक का कार्यभार 1975 के पूर्व की स्थिति के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के अधीन करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) —

यह सही है कि जिला निबन्धक का कार्य वर्ष 1975 से पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सम्पादित होता था और इसके बाद अब वर्तमान समय में अतिरिक्त जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा सम्पादित किया जाता है परन्तु यह सही नहीं है कि इस व्यवस्था के फलस्वरूप विभाग में भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं कार्य में लापरवाही बढ़ गयी है। अतः जिला निबन्धक का कार्य पुनः जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के अधीन करने का कोई विचार नहीं है।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, निबन्धन हेतु विवादास्पद मामले भी आते हैं, जिसका निपटना न्यायिक मामला होता है, तो क्या सरकार अपने निर्णय पर दुबारा विचार करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मन्त्री जी का उत्तर भ्रामक और सत्य से परे है। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूँ, मेरे जिले मेरठ के कार्यालय में ही रोज एक प्रतिशत रिश्वत में लिया जाता है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अकेले मेरठ जिले में एक लाख से डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत रोजाना रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में एकत्र की जाती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह इतनी खुली लूट हो रही है, पुनः रजिस्ट्रार आफिस को जिला न्यायाधीश के अन्तर्गत रखने की वह कृपा करेंगे या कोई अन्य दूसरा प्रबन्ध करेंगे, जिससे रजिस्ट्रार आफिस की खुली लूट को समाप्त किया जा सके ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि जिला न्यायाधीश के अन्तर्गत कर देने से यह

सब कुरीतियां दूर हो जायेंगी । इनको दूर करने के लिए मैं दूसरी व्यवस्था कर रहा हूँ, इसे सुदृढ़ बना रहा हूँ और निगरानी कर रहा हूँ ।

श्रीमती गौरी देवी—

मंत्री जी के इस कथन का क्या आधार है कि भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है, जबकि आए दिन गैर कानूनी कार्य किये जाने की शिकायतें सरकार को मिलती हैं ? तो इस पर आप जवाब तो दे दें ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जब कोई शिकायत मिलती है तो जांच कराते हैं और कार्यवाही करते हैं ।

श्री मारकण्डेय चन्द—

मैं माननीय मंत्री जी के ऊपर के दूसरे भाग के संबंध में, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि जब से यह व्यवस्था हुई है, तब से विभाग में भ्रष्टाचार, अनियमितता और लापरवाही नहीं बढ़ी है, जानना चाहता हूँ, क्योंकि अनियमितता का मेरे पास एक ठोस प्रमाण है···(व्यवधान) इस विभाग के अन्तर्गत गोरखपुर में जो प्रोन्नतियां हुई हैं लिपिकों में··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपका क्या प्रश्न है, आप क्या पूछ रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैंने ऐसा नहीं कहा····(व्यवधान), यह प्रश्न इस बात से संबंधित था कि जिला न्यायाधीश के पास से यह पद हटने के बाद से भ्रष्टाचार बढ़ा है ।

श्री मारकण्डेय चन्द—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि इस व्यवस्था से अनियमितता नहीं बढ़ी है । मेरे पास यह प्रमाण है कि जो वरिष्ठता के क्रम संख्या 405 पर है, वह सहायक संयुक्त निबंधक के पद पर स्थानीय व्यवस्था से कार्यरत है, जबकि वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 170 तक प्रोन्नतियां विभाग द्वारा की गयी हैं और 170 और 404 तक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जाँच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री मारकण्डेय चन्द—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, जब से डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का पद डिस्ट्रिक्ट जज से छीनकर डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ए० डी० एम० को अख्तियारात

दे दिये हैं, उस समय से अब तक 5,767 नियुक्तियाँ उत्तर प्रदेश में क्लास थ्री की की गयी हैं और इन नियुक्तियों में हर एक से कम से कम 10-10, 15-15 हजार रुपये रिश्वत के लिये गये। तो मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की पोस्ट दुबारा डिस्ट्रिक्ट जज को दिये जाने में सरकार को क्या परेशानी हो रही है ? इसमें डिपार्टमेंटल क्या कठिनाई है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट जज के पास खुद इतना काम है कि इसको वह नहीं कर सकते हैं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, क्या कभी किसी डिस्ट्रिक्ट जज ने शासन को यह लिखा कि मेरे पास खुद इतना ज्यादा काम है कि उन्हें जिला निबंधक का कार्य इस रोशनी में नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, निबंधक कार्यालय में मोटेतौर पर रिश्वत चलती है। आप इसकी जांच करा लीजिए। इस परिपेक्ष में क्या अब से पुनः जिला निबंधक का पद जिला जज के अन्तर्गत करने के लिये शासन विचार करेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

नहीं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यन्त्र हेतु दिया गया ऋण

***2—श्री हुकम सिंह—**

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ट्रैक्टरों एवं अन्य कृषि यंत्रों के क्रय हेतु ऋण देना बन्द कर देने के कारण जो प्रदेश के कृषकों को अभूतपूर्व कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इस संबंध में प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से ऋण देने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यन्त्र क्रय हेतु ऋण अब दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से ऋण सुविधा देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, 7-10-82 का मेरा पत्र है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब दिया जा जा रहा है, 1981-82 में तमाम जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, किसी ने कोई ऋण किसानों को नहीं दिया, ट्रैक्टर के लिए या अन्य उपकरणों के लिए, आपके एल०डी०बी० या सहकारी बैंक ने ऋण नहीं दिया। क्या सरकार अपने संसाधनों से ऋण देने की किसी योजना पर विचार करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, यथासम्भव इसके लिए प्रयास किया गया, कोआपरेटिव और एल.डी.बी. के जरिये, इनके पैसे की मान्यवर कमी थी, लेकिन फिर भी यथासम्भव कोशिश की गयी।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, जो यथा संभव आप कोशिश की बात बता रहे हैं तो मेरी सुनिश्चित जानकारी के आधार पर कि जब राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋण देना बंद कर दिया तो सहकारी बैंक ने तथा भूमि विकास बैंक ने भी ऋण नहीं दिया। तो क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि इस बीच में जब राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋण देना बंद कर दिया तो भूमि विकास बैंक तथा सहकारी बैंक ने कितना ऋण दिया ?

श्री ब्रह्म दत्त—

यह आँकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बता दूँगा कि 80-81 में राष्ट्रीय बैंकों ने, भूमि विकास बैंक ने तथा सहकारी बैंक ने कितना ऋण दिया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार अपने संसाधनों से किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिये ऋण दिलाने में असमर्थ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि वह असमर्थ हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस बारे में लिखेगी या उनसे अनुरोध करेगी कि वह उत्तर प्रदेश के किसानों को ट्रैक्टर या अन्य कृषि यन्त्र खरीदने के लिये पैसा देना प्रारम्भ करे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, 81-82 में प्रारम्भ हो गया है। अब भी जारी है।

श्री रियासत हुसैन—

यह नेशनलाइज्ड बैंक और एल०डी०बी० जो हैं वह सरकार की पालिसीज हैं उन पर डिपेंड करती हैं। उन्होंने देना बंद कर दिया है तो क्या उन्होंने आपको सूचित किया है कि क्रेडिट स्कवीज की वजह से ट्रैक्टर्स वगैरह के लिये ऋण नहीं दे सकेंगे। यदि उन्होंने कोई सूचना दी तो आपने आल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या किया ?

श्री ब्रह्म दत्त—

80-81 में रिजर्व बैंक की नीति के कारण कुछ कठिनाई आयी। यह तो समय-समय पर हमें संस्थागत वित्त समिति में सूचित करते हैं। हमने उस समय एल०डी०बी० तथा कोआपरेटिव बैंक से कहा कि यथा संभव ऋण दीजिये।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मंत्री जी ने क्रेडिट स्कवीज मुख्य कारण बताया। तो मेरी जानकारी को सही मानते हुये कि केवल उत्तर प्रदेश में क्रेडिट स्कवीज की गयी जबकि दक्षिण भारत में सीमा में बढ़ोत्तरी की गयी। क्रेडित स्कवीज का उत्तर प्रदेश में क्या कारण था यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यह केवल उत्तर प्रदेश में किया गया। मान्यवर, इस संबंध में राष्ट्रीय बैंकों के लिये जो पालिसी आयी उसमें कुछ बातें थीं। जैसे बैंक कैश रिजर्व का अनुपात 6 परसेंट से बढ़ाकर 7.50 परसेंट कर दिया। दूसरे स्टेट्यूटरी

लिक्विड का अनुपात बढ़ाकर 34 परसेंट से 35 परसेंट कर दिया गया। तीसरे बैंक रेट 9 परसेंट से बढ़ाकर 10 परसेंट कर दिया गया। तथा अखाद्य ऋणों पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया। इसलिए सारे देश पर प्रभाव पड़ा था।

श्री नरेन्द्र सिंह—

यह जो नेशनलाइज्ड बैंक ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिये ऋण देते हैं उस पर सरकार का सेल्स टैक्स लगता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हरियाणा से खरीदते हैं तो सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो मेरठ की मुझे जानकारी है, एक 32 फार्म होता है उसको जो किसान पैदा देते हैं उनको ईशू होता है। जो किसान पैसा नहीं देते हैं उनको नहीं ईशू होता है। तो हर किसान जो लेना चाहता है उसको यह ईशू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, यह जो नीति है तो उसके नियमानुसार यह दिया जाता है। यदि कोई शिकायत माननीय सदस्य की होगी तो मैं देख लूँगा।

श्री नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मेरठ के 5-6 किसान माननीय मंत्री जी से मिले थे। हमारी पार्टी के महामंत्री जगत सिंह जी से मिले थे और मंत्री जी से शिकायत की थी कि उनको पी फार्म नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि डिप्टी रजिस्टार पी० फार्म ईशू कर देंगे। चूँकि उन्होंने पैसा नहीं दिया इसलिये पी फार्म ईशू नहीं किया गया। तो मेरठ में कितने लोगों को पी० फार्म ईशू किये गये हैं और किनको ईशू नहीं किये गये हैं इसकी जांच करायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, कुछ किसान मेरे पास आये तो मैंने स्पष्ट आदेश कर दिये थे। उनको कोई कठिनाई हो तो मुझको बताना चाहिये था। मैं सख्त कार्यवाही करूँगा।

जिला तथा मण्डल स्तर पर जिला योजनाओं की स्वीकृति हेतु गठित समिति

***3—श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डलीय मन्त्रियों की समाप्ति के बाद विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत जिलों से प्राप्त योजनाओं की स्वीकृति के लिए क्या प्राविधान किया गया है ? क्या यह सही है कि 1982-83 के लिए जिलों से प्राप्त योजनाओं की स्वीकृति अब तक न हो सकने के कारण विकेन्द्रीकृत योजना अनिश्चितता की स्थिति में पड़ गयी हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जिला तथा मण्डल स्तर पर जिला योजनाओं की स्वीकृति हेतु गठित समितियों की अध्ययता हेतु मंत्रिमंडल के सदस्यों को नामित कर दिया गया है।

जी नहीं। वर्ष 1982-83 की विकेन्द्रित जिला योजनाओं का अनिश्चितता में पड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

(ता०प्र०सं०-3 पुकारे जाने तथा श्री राम आसरे वर्मा के अनुपस्थित होने पर)

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 3 श्री रियासत हुसैन द्वारा पूछा गया।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इसमें मेरी दिलचस्पी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में कोई मीटिंग हुई जिला स्तर पर मुझे तो नहीं मालूम कि कोई मीटिंग हुई। विशेषकर मुरादाबाद की बात मैं कहता हूँ कि वहाँ पर कोई मीटिंग नहीं हुई।

श्री ब्रह्म दत्त—

मुरादाबाद में तो मीटिंग मैंने स्वयं की है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिले में जो भी मीटिंग होती है उसकी सूचना उस जिले के एम०पी०, एम०एल०ए० और एम०एल०सी० को भी दी जाती है। अगर इस का कोई पत्र ज़िलाधिकारी या माननीय मंत्री जी की ओर से भेजा गया है तो क्या उसको सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

उसको सदन के पटल पर रखने की तो आवश्यकता नहीं है, परन्तु इस प्रकार की सूचना जिलाधिकारी दे देंगे और मैं भी दे दूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि मा० सदस्य आवें।

(शुक्रवार, 11 मार्च, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न)

निबंधन महानिरीक्षक, द्वारा निबंधक लिपिकों की कोटिक्रम सूची मौलिक नियुक्ति से अवधारित करने का प्राविधान

***1—श्रीमती गौरी देवी—**

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1978 के बाद महानिरीक्षक निबन्धक, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा निबन्धन लिपिकों की कोटिक्रम सूची तैयार करने का आधार स्थायीकरण की ही तिथि नहीं माना गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार कोटिक्रम सूची लिपिकों के स्थायीकरण की तिथि के आधार पर तैयार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हाँ। वर्ष 1978 के बाद निबंधन महानिरीक्षक, द्वारा निबंधन लिपिकों की कोटिक्रम सूची, स्थाईकरण की तिथि से नहीं बनाई गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण विभाग (जिला अधिष्ठान) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1978, जो दिनाँक 12-5-78 से लागू हुई, के नियम 22 के अनुसार सेवा में किसी श्रेणी में श्रेष्ठता मौलिक नियुक्ति से अवधारित करने का प्राविधान है। इसके आधार पर ही महानिरीक्षक, निबंधन द्वारा निबंधन लिपिकों की प्रादेशिक स्तर पर कोटिक्रम सूची, नियमित नियुक्ति से, जो तदर्थ नियुक्ति न हो, निरंतर सेवा को आधार मानकर बनाई गई है। चूंकि उक्त सूची नियमानुसार बदाई गई है, अतः स्थायीकरण की तिथि से कोटिक्रम सूची बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि नियुक्ति की तिथि से ही मानना है, तो तदर्थ नियुक्ति की लगातारता को न मानने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, तदर्थ नियुक्ति से तो स्थायी नियुक्ति अलग होती है ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, मेरी इस शिकायत को सही मानकर कि सूची बनाने में भी अनियमितता बरती गई है, क्या माननीय मंत्री जी उसका दुबारा परीक्षण करा लेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्या का आदर करता हूँ । यदि कोई शिकायत लिखकर भेज देंगी, तो जरूर करायेंगे, यही मेरा काम है ।

ग्राम इसरहा, जनपद आजगढ़ में अग्निकांड से व्यक्तियों को क्षति

***2—श्री पंचानन राय—**

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इसरहा, विकास खण्ड अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ में 30 मार्च, 1982 को अग्निकांड के कारण मकानों के जलने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का प्रश्न दि० 14-4-82 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

जी हाँ, माननीय विधायक का प्रश्नगत पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी, आजमगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी थी । इस सम्बन्ध में सुपरवाइजर कानूनगो एवं नायब तहसीलदार द्वारा जाँच करायी गयी थी । जाँच के अनुसार अग्निकाँड की घटना एक व्यक्ति के नलकूप से विद्युत की चिनगारी निकलने के कारण हुई थी । उक्त अग्निकाँड में दो व्यक्तियों को क्षति पहुंची जो नियमानुसार सहायता के पात्र नहीं पाये गये अतः उन्हें कोई सहायता नहीं दी गयी ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, शिकायत विधायक ने की, जाँच सुपरवाइजर कानूनगो ने की, विधायक से उसने पूछने का कष्ट तक नहीं किया, मैं घटनास्थल पर स्वयं गया था····

श्री अध्यक्ष—

पिछले समय भी मैंने यह हिदायत दी थी कि जो शिकायत हो, तो उस शिकायत करने वाले माननीय सदस्य से भी पूछताछ की जाया करे ।

क्या इस मामले में माननीय विधायक से कोई जानकारी की गयी ?

(कोई उत्तर नहीं आया)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, शिकायत मैंने यह की थी कि ट्रांसफारमर को बिजली विभाग ने लगाया वह गलत लगाया और उसे आबादी से एक निश्चित दूरी पर न लगाकर, आबादी में ही उसे लगाया गया और जैसे ही बिजली आन की गयी, वह उसको रिजीस्ट नहीं कर सका और आग लग गयी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो पत्र है इसमें और जो जाँच रिपोर्ट है, उसमें आग लगने का कारण क्या बनाया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

मान्यवर, जाँच रिपोर्ट में तो यह बताया गया है कि जो विद्युत चालित नलकूप है, उसमें चिंगारी निकलने से आग लग गई। माननीय सदस्य ने जो लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है निजी नलकूप, आटे की चक्की और पूरा खलिहान जल गया ट्रांसफारमर के जल जाने की वजह से और वह ट्रांसफारमर जिस दिन लगाया गया, उसके दूसरे दिन यह घटना हो गयी।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, यह तो सिद्ध हो गया कि ट्रांसफारमर दूसरे दिन जल गया। ट्रांसफारमर जब स्टाल किया गया, और जैसे ही बिजली आन की गई, उसमें करंट आया, उसमें आग लग गयी, मैं खुद घटना स्थल पर गया था, मैंने तत्काल आकर चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी से मिला। तो, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ट्रांसफारमर में आग लगने के कारण जो यह अग्निकांड हुआ है, क्या पूरे काण्ड की जांच करा लेंगे और इस सम्बन्ध में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, इस मामले को मैं विद्युत विभाग में भेजकर पूरी घटना की जांच करा लूँगा।

श्री अध्यक्ष—

जिस वक्त जांच करायी जाय, माननीय सदस्य से भी पूछा जाय, यह परिपाटी आप लोग बना लीजिये।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि वह पात्र व्यक्ति नहीं थे जिनका घर जला और अधिकांश रिपोर्ट इसी तरह की आ जाती है जिनकी हम लोगों को जानकारी नहीं रहती है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने पात्रता सूची के लिये कौन सा आधार बनाया है जिसके आधार पर अग्निकांड से हुई क्षति के लिये लोगों को राहत देते हैं या आर्थिक मदद करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री पंचानन राय—

(× × ×)

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई चीज नहीं लिखी जायेगी । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

चीनी मिलों में बकाया गन्ने का सर्वेक्षण कराकर पेराई का कार्य

***3—श्री चेतराम गंगवार (अनुपस्थित)—**

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया गन्ने का सर्वेक्षण कराकर उनको अगले वर्ष प्राथमिकता के आधार पर बचे हुए गन्ने को क्रय करने हेतु पर्ची देने का और 500 रुपये प्रति एकड़ हर्जाना देने का निर्णय अभी हाल में ही लिया गया है ? यदि हां, तो सारी योजना क्या है और यह प्रदेश की किन-किन मिलों पर लागू होगा ?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

विगत पेराई सत्र 1981-82 में प्रदेश की जिन चीनी मिलों में पेराई हेतु गन्ना रह गया था, सर्वेक्षण उपरान्त प्राथमिकता के आधार पर उसकी पेराई इस वर्ष में मिल चालू होने के 30 दिन के भीतर कर दी गई है । 500/-रु० प्रति एकड़ हर्जाना दिये जाने के कोई निर्देश नहीं दिये गये । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

सीतापुर जनपद में गन्ना कृषकों से स्वैच्छिक रूप में कृषि निवेश निधि में जमा करायी गयी धनराशि

***4—श्री हरगोविन्द वर्मा—**

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन कमिश्नर या केन यूनियन द्वारा किसानों से गन्ने पर सीतापुर जनपद में वर्ष 1981-82 में किसानों से पूल फण्ड के नाम से कोई कटौती की गई ? यदि हाँ, तो बिसवाँ यूनियन द्वारा कितना पैसा पूल फण्ड में किस हिसाब से काटा गया ? क्या यह कटौती ऐक्ट और नियम के अन्तर्गत है ? यदि नहीं, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सीतापुर जनपद में वर्ष 1981-82 मे किसानों से पूल फंड के नाम से कोई कटौती नहीं की गई वरन् गन्ना किसानों से स्वेच्छिक रूप में कृषि निवेश निधि में रुपया जमा कराया गया है ।

उपर्युक्त निधि में बिसवाँ केन यूनियन को नकद रु० 79 हजार एवं 50 पैसे प्रति कुन्तल की दर से पर्चियों के माध्यम से रु० 10.21 लाख प्राप्त हुआ । यह धन उ० प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि०, लखनऊ की प्रबन्ध कमेटी के प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 31-10-81 (प्रतिलिपि परिशिष्ट † (एक) एवं गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र संख्या 65/पेड दिनाँक 2-12-81 (परिशिष्ट)† (दो) द्वारा निहित सुझाव के अन्तर्गत जमा कराया गया है ।

चूँकि योजना स्वैच्छिक है तथा किसानों के हित में क्रियान्वित की जा रही है, अतः शासन द्वारा किसी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता ।

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ मान्यवर जैसी जानकारी है, प्रदेश भर की सभी केन यूनियन भंग है। जो किसानों से पैसा काटा गया है यह किस आधार पर काटा गया है। इसकी जनरल बाडी बुलाई गई थी या किसानों से लिखकर लिया गया था उसके आधार पर 50 पैसे प्रति कुन्तल की कटौती की गयी है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गन्ना समिति संघ उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव के आधार पर यह पैसा काटा गया और किसानों की स्वेच्छा पर यह लिखा गया है। उनको सस्ते दर पर खाद दिलाने के लिये।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

जो यूनियन्स सारे प्रदेश में है वह सारी यूनियन्स यहाँ की यूनियन के अन्तर्गत है या अपना सेल्फ बाडी है और स्वयं पैसा ले सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो स्थानीय केन यूनियन की क्या आवश्यकता है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

किसानों के तात्कालिक हित को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और आयुक्त ने इसमें निर्देश दिया है कि इस पर जनरल बाडी की स्वीकृति प्राप्त की जाय।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या जनरल बाडी को बुलाकर स्वीकृति प्राप्त की गयी है। अगर प्राप्त की गई तो बताने की कृपा करें और नहीं की गई, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गन्ना समिति संघ का स्वयं का फैसला है।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

यह तात्कालिता का नहीं था दो साल हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री रामकुमार भार्गव—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में वहां के किसानों का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जो गन्ना सचिव को दिया गया था। जो खाद उपलब्ध कराई जा रही है वह बाजार के भाव से ज्यादा दाम पर है। और खराब भी है। मन्त्री जी ने उत्तर में कहा कि सस्ते दर पर खाद उपलब्ध कराने के लिये कटौती की जा रही। जबकि किसानों को ज्यादा दाम पर मिल रही है। तो क्या इसको समाप्त कराने की कृपा करेंगे किसानों के ज्ञापन के आधार पर ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, यह तो स्वेच्छिक था, जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई किसान नहीं देना चाहते तो नहीं करायेंगे।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

क्या माननीय मंत्री की जानकारी में है कि इसके खिलाफ वहां प्रदर्शन हुए, स्ट्राइक की गई, मेरी निश्चित जानकारी है कि सरैंया, बिसवाँ, महोली में प्रदर्शन हुए और लोग जेल भी गये ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, इनका प्रदर्शन तो पार्टी के आधार पर हुआ, उसका कोई अन्य कारण था, यह कहना मुश्किल है।

श्री रियासत हुसैन—

गन्ना किसान को इसका पता उस वक्त चलता है जब वह लेने जाता है और उस समय डिडक्शन हो जाता है। पूरे प्रदेश में कटौती हो रही है, इस चीज को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी, जो सोसाइटीज हैं उनका आडिट अपने उस से करायेंगे कि उस पैसे का मिस एप्रोप्रियेशन न हो ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

आडिट की एक व्यवस्था निश्चित तौर पर करायेंगे। उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। जो किसानों का पैसा जमा है नकद, उस पर 10 प्रतिशत और कटौती जो हुई है उस पर 8 प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज की व्यवस्था है और 5 साल में वापस करने की।

श्री धम्मन सिंह गहलोत—

गन्ना समिति के प्रतिनिधियों की वार्षिक साधारण सभा होती है और उसके प्रस्ताव द्वारा कटौती हो सकती है या रजिस्ट्रार-कम-केन कमिश्नर अपनी आज्ञा द्वारा भी कटौती करा सकता है। तो जब समस्त गन्ना समितियाँ भंग हैं, डेलीगेट्स नहीं हैं, उस स्थिति में कटौती कैसे हो रही है और जो गन्ना संघ का प्रस्ताव भेज रहे हैं, वह किस नियम के अनुसार लागू होता है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गन्ना समिति संघ और कमिश्नर के आदेश पर ही कटौती की गई है।

न्यू कालोनी, देवरिया स्थित गन्ना रक्षा भण्डार में रखी गयी मशीनें

*5 - **श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र** (अनुपस्थित) --

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के न्यू कालोनी देवरिया में स्थित गन्ना रक्षा भण्डार के अधिकांश भाग में मन्त्री, गन्ना विकास परिषद्, देवरिया द्वारा अपना आवास बनाया गया है ? यदि हां, तो कैसे ? क्या उक्त गोदाम से उनको हटाकर उनसे किराए की धनराशि वसूल कीयी म ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

देवरिया जनपद में न्यू कालोनी देवरिया में स्थित गन्ना विकास परिषद् देवरिया का आवास नहीं है। उक्त भंडार में, अनुबन्ध के अनुसार, गन्ना रक्षा की मशीनें रखी गयी हैं।

अतः किराया वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता है।

निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के बंगले एवं उसके साथ लगे गेस्ट हाउस की मरम्मत हेतु दी गयी धनराशि तथा स्टैन्डर्ड रेन्ट के पुनरीक्षण हेतु निर्देश

*6—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि डा० एच०एन० सिंह द्वारा निदेशक, उ०प्र० गन्ना शोध परिषद् का पद भार ग्रहण करते ही उनके बंगले के नवीनीकरण हेतु लगभग 60 हजार रुपये का व्यय किया गया जबकि इससे पूर्व के निदेशक उसी बंगले में रहते आये थे ? यदि हाँ, तो इतनी बड़ी धनराशि व्यय करने के बाद भी उस बंगले का स्टैंडर्ड रेन्ट पुरानी दर से ही क्यों वसूल किया जा रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के बंगले एवं उसके साथ ही लगे गेस्ट हाउस की मरम्मत के लिए ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से प्राप्त प्राक्कलन की कुल धनराशि 63,474 रुपये परिषद् द्वारा अग्रिम के रूप में उपलब्ध करा दी गई थी। वास्तविक व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा शाहजहाँपुर से अभी तक प्रतीक्षित है। जहां तक पुराने स्टैन्डर्ड रेन्ट लिये जाने का प्रश्न है, राजकीय भवनों के स्टैन्डर्ड रेन्ट के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश के परिपेक्ष्य में, शोध संगठन के अन्तर्गत बने भवनों के स्टैन्डर्ड रेन्ट के पुनरीक्षण हेतु अपेक्षित निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह—

डाक्टर एच०एन० सिंह, जिस बंगले में रह रहे हैं उससे मिला हुआ गेस्ट हाउस है। उसमें लगभग 6-7 कमरे हैं और 22 कमरों का उनका भवन है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो 63-64 हजार रुपया खर्च कर दिया गया है नवीनीकरण के नाम पर, तो उसकी क्या आवश्यकता थी, क्या कारण था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

पुरानी इमारत थी, उसकी मरम्मत के लिए, रख-रखाव के लिए, और मरम्मत तो अनिवार्य होती है। और जो मरम्मत हुई है वह ग्रामीण अभियन्त्रण की रिपोर्ट के आधार पर करायी गयी।

श्री सत्यपाल सिंह—

64 हजार रुपया खर्च किया गया है, इसमें कितना पैसा नया पोर्शन बनवाने में और कितना पैसा मरम्मत में खर्च किया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यह तो प्रश्न के उत्तर में ही है कि ग्रामीण अभियंत्रण से उसकी रिपोर्ट मांगी गई है ?

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से तो जो टोटल खर्च हुआ है उसके विषय में आपने मांगा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो रुपया खर्च किया गया है इसमें कितना रुपया मरम्मत में खर्च किया गया है और कितना रुपया और कमरों के बनाने में खर्च किया गया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यह खर्च तो एक साथ मिला हुआ है। बाकी साइज में जो बरामदे दे उनको कवर करने के लिये खर्च किया गया।

श्री मोहन सिंह—

कल इसी आदरणीय सदन में इतने बड़ें प्रदेश में मुख्य मन्त्री के बंगले की साज सज्जा पर सरकार ने एक लाख नौ हजार रुपये खर्च किया, यह बात आयी थी। मुझे खुशी है कि 1,09,000 रुपया मुख्यमंत्री जी के बंगले पर खर्च हो रहा है फिर 68 हजार संस्थान के निदेशक के बंगले पर खर्च हुआ। इसकी क्या आवश्यकता है ? क्या इस प्रदेश के संस्थानों के निदेशक किसी छोटे रेजीडेन्स में नहीं रह सकते ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यह पुरानी इमारत है। सन् 77 का खर्चा है। आज का नहीं है। उन परिस्थियों में जब कि बंगले कीं स्थिति खराब हो गई थी, यह कराया गया।

श्री पंचानन राय—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि आर० ई० एस० ने मरम्मत की प्रपोजल तो इनके विभाग ने भेजा होगा। बंगले का कांस्ट्रक्टेड एरिया कितना है, कुल कितने कमरे हैं। स्वीकृत जो किया गया 68 हजार रुपया उसमें कितना और कांस्ट्रशन कराया तथा मरम्मत के लिये कितने रुपये का प्रस्ताव आर० ई० एस० को भेजा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

एरिया 9,157 वर्ग फीट है। मैंने जिक्र किया कि मिला जुला खर्च हुआ है। गेस्ट हाउस और बंगले की मरम्मत का खर्च एक साथ है। यह भी जिक्र करना चाहूँगा कि गेस्ट हाउस सामान रखने के लिये गो-डाउन बना था। उसके बाद गेस्ट हाउस में परिवर्तित किया गया।

श्री फकरे आलम—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से मालूम हो गया है कि इस बड़े बंगले, सफेद हाथी के लिये आर० ई० एस० के द्वारा 68 हजार रुपया खर्च कर दिया गया। इस बंगले की जो मरम्मत की गयी, जो कान्स्ट्रक्शन कराया गया, यह पी० डब्लू० डी० से न कराकर आर० ई० एस० से क्यों कराया गया।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यह भी सरकारी विभाग है, व्यक्ति विशेष का तो नहीं ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, इस बंगले का किराया प्रति माह एच० एन० सिंह का देते है । आपने लिखा है कि इसके निर्वीनीकरण के लिये । इसलिये किराये के पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव कर दिया गया । पुनरीक्षण हेतु जो लिखा है, कितने किराये की मांग की है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

किराया 63 रुपये 50 पैसे है ।

(शोर)

श्री मोहनसिंह—

यह प्रदेश के मंत्री हैं । समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं । इस तरह के उत्तर देने में इनको शर्म आनी चाहिये ।

ग्राम गदन खेड़ा, जिला उन्नाव के निवासियों के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

***7—श्री भोखा लाल—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दि० 20-10-82 का उनके ग्राम गदन खेड़ा, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के निवासियों के शिकायती प्रार्थना-पत्र दि० 19-6-75 के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि श्री ज्ञान चन्द्र जैन, उप आयुक्त, राजस्व परिषद् ने जांच की और शिकायत सही पाई ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों को दंडित करने और फर्जी इन्दराज सही करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रुद्र विलास सहकारी चीनी मिल में घाटा तथा स्थिति को सुधारने हेतु उपाय

***8—श्री जयदीप सिंह बरार—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुद्र विलास सहकारी चीनी मिल को इसके स्थापित होने से पिराई सीजन 1981-82 के अन्त तक लगभग साढ़े 4 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है ? क्या इस संबंध मे प्रश्नकर्त्ता की ओर से शासन को 1981-82 में कोई जानकारी प्राप्त हुई क्षी ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस मिल की स्थिति को सुधारने हेतु क्या-क्या उपाय विचाराधीन हैं और कब तक उन्हें कर्यान्वित कर दिया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

घाटे की स्थिति सही है । इस संबंध में प्रश्नकर्ता बिधायक महोदय का पत्र अगस्त, 1982 में प्राप्त हुआ था । विशेषज्ञों के परापर्श के अनुसार चीनी मिल क्षेत्र में बी० ओ०-

70 किस्म के गन्ने के प्रतिशत को क्रय करने तथा विकसित प्रकार के गन्ने के क्षेत्रफल को बढ़ाने, क्षेत्र के कृषकों को प्रशिक्षित करने, चीनी मिल की तकनीकी कमियों को दूर करने तथा उसकी पेराई क्षमता बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है जिसका परिणाम दो तीन वर्षों में परिलक्षित होगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, प्रश्न करने के समय साढ़े 4 करोड़ रुपये के घाटे की बात कही गई है और अब वह साढ़े चार करोड़ से ज्यादा हो गई है । इस प्रकार के घाटे की स्थिति उससे और ज्यादा हो गई । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि इसमें मुख्य कारण बी० ओ०-70 किस्म के गन्ने के प्रतिशत को क्रय करने तथा विकसित प्रकार के गन्ने के क्षेत्रफल को बढ़ाने, क्षेत्र के कृषकों को प्रशिक्षित करने के मुख्य कारण रखे हैं । तो श्रीमन् मेरी जानकारी को सही मानकर बी० ओ०-70 किस्म का गन्ना आस पास की फैक्ट्रियों में से, इसी गन्ने से एक प्रतिशत की रिकवरी मिली है और विकसित प्रकार के गन्ने को सरकार ने उसे क्षेत्र के लिये दिया है.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य आप (एक सदस्य द्वारा सदन का फ्लोर क्रास करने पर) इस प्रकार से फ्लोर क्रास करके न जायें ।

श्री जयदीप सिंह बरार

और उस क्षेत्र के कृषकों की सबसे अधिक यील्ड है । तो इस प्रकार प्रदेश के अन्य कृषकों के साथ अनादर का भाव नहीं होना चाहिये । तो क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल में तकनीकी कमियां कौन सी हैं और उनको दूर करने के लिये अभी तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, पूर्व भी ठीक इसी प्रकार का प्रश्न आया था माननीय सदस्य का । तो मैंने निवेदन किया था कि त्रुटियों को दूर करने के लिये हम प्रयास कर रहे हैं और इस संबंध में अधिकारियों से भी बात चीत हुई हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ उन्होंने आश्वासन दिया और मुझे विश्वास है कि कमियाँ दूर होंगी । श्रीमन् सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा जो तकनीकी कमी है वह बहुत कम खर्च पर ठीक हो सकती है । 9, 10 फरवरी को 49.15 और 49.3 प्रतिशत निकला रस गुड़वत का, उसकी रिकवरी 8.28 आयी जबकि यह 64-65 प्रतिशत आना चाहिये था और रिकवरी 12 प्रतिशत । और आज जो आपको घाटा हुआ है 2 करोड़ का तो उसमें से कम से कम डेड़ करोड़ का घाटा हुआ है वह 80 हजार चीनी के बोरों के लेप्स हो जाने के कारण हुआ है जोकि आपको आवंटित किये गये थे । इस प्रकार दो सौ रुपये बोरे के हिसाब से 80 बोरों का आपको डेढ़ करोड़ रुपये का और घाटा हो गया । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि भविष्य में इस प्रकार की गलती न हो, कोई ऐसी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि जो उसमें त्रुटियाँ हैं उसकी जाँच करायेंगे और तदोपरान्त उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री मेंहदी असगर—

मान्यवर, करोड़ों रुपए नुकसान की बात है। क्या माननीय मंत्री लखनऊ से कुछ अधिकारी जो इसके एक्सपर्ट हैं इस मामले को देखने के लिए भेजेगें ताकि भविष्य में ऐसा कार्य न हो ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, यह जो विशेषज्ञ की बात आयी है तो इसमें भारत सरकार व चीनी मिल संघ के लोग जाँच कर रहे थे और उनमें कुछ तकनीकी सुधार भी किया गया था। और अब उसमें जो त्रुटियाँ रह गई हैं उनको दूर करने का जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, 4 करोड़ रुपये का घाटा 1981-82 का है और माननीय मंत्री जी ने इसके रीजन भी बता दिये। तो माननीय मंत्री जी इस सदन में बतायेंगे कि जो 1982-83 का सीजन चल रहा है उसमें यह घाटा नहीं होगा और सिक को टेक ओवर नहीं करेंगे।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, इसके लिये यह कहना कि मुनाफा होगा या घाटा यह मुश्किल है। जो भी स्थिति उस समय आयेगी उसका मुकाबला किया जायेगा।

ग्राम मलेपुर कटरी, जिला उन्नाव के नागरिकों द्वारा बन्दोबस्त में सर्वे कानूनगों द्वारा की गई गड़बड़ी सम्बन्धी शिकायती पत्र की जांच

***9—श्री भगवती सिंह विशारद—**

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें उन्नाव जनपद के किसी विधायक का दिनाँक 3-11-82 का भेजा हुआ ऐसा पत्र मिला है जिसके साथ ग्राम मलेपुर (मलेपुर कटरी) परगना डौड़िया खेरा, तह० पुरवा जिला उन्नाव के नागरिकों के हस्ताक्षरों युक्त कटरी में होने वाले बन्दोबस्त में सर्वे कानुनगो द्वारा की गई गड़बड़ी सम्बन्धी एक शिकायती-पत्र संलग्न है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

प्रश्नकर्त्ता विधायक का पत्र दिनाँक 3-11-82 तथा उससे संलग्न ग्राम भलेपुर कटरी में नागरिकों का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायती पत्र में बन्दोबस्त में सर्वे कानूनगो द्वारा की गई गड़बड़ी की जाँच कराई गई। जाँच में सर्वेकानूनगो [श्री कुतुबुद्दीन] को दोषी पाया गया उक्त दोषी कानूनगो के निलम्बित कराने के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

***10—श्री राम आसरे वर्मा—**

[20 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय तथा अन्य प्रदेशों की तुलना में स्थान

*11—श्री रेवती रमण सिंह तथा
श्री मुख्तार अनीस —

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या है ? अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारा प्रदेश किस नम्बर पर आता है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

वर्ष 1980-81 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1970-71 के स्थिर भावों पर 515/- रु० तथा प्रचलित भावों पर 1272/- रु० है। इन्ही भावों पर 1981-82 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 522/- रु० एवं 1309/- रु० अनुमानित है।

अधुनान्त सूचनाओं के अनुसार वर्ष 1980-81 में प्रचलित भावों पर तथा स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से 16 प्रमुख राज्यों की तुलना में यह प्रदेश क्रमशः 10वें तथा 14वें स्थान पर है।

श्री रेवती रमण सिंह -

मान्यवर, जैसा कि मा० मंत्री जी ने बताया, जो आंकड़ें उन्होंने दिये हैं, उससे लगातार हमारा प्रदेश पीछे पिछड़ता जा रहा है। छटी पंचवर्षीय योजना में क्या प्राविधान आपने किया है जिससे हमारा प्रदेश लगातार पिछड़ने के बजाय आगे बढ़ सके और 4-5 प्रदेशों की तुलना में आगे आ सके ?

श्री ब्रह्म दत्त—

इसके लिये प्रयास कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय विकास की दर रखी गई 5 प्रतिशत, उससे ज्यादा यानी 6-1/2 प्रतिशत करें। उसके लिये विशेष तौर से पूँजी नियोजन की व्यवस्था हर प्रकार से हर स्रोत से कर रहे हैं।

श्री रेवती रमण सिंह—

क्या वर्ष 81-82 में उस लक्ष्य को प्राप्त किया है, जिसके बारे में बता रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

पिछले वर्षों में सूखा और बाढ़ से हानि हुई है, फिर भी कई क्षेत्रों में किया है।

श्री हरि गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि 82 में 83 में जो सूखा और बाढ़ से दिक्कत आयी है, तो क्या 83-84 में यह सम्भव है कि बाढ़ और सूखा नहीं आयगा ? क्या ऐसा कोई अनुमान मा० मंत्री जी ने लगाया है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, आप बैठें।

ग्राम पठाकरका तथा भदरवारा में सीलिंग भूमि के पट्टेदारों को कब्जा न मिलने के संबंध में कार्यवाही

*12—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के मऊरानीपुर तह० में ग्राम पठाकरका तथा भदरवारा में 5 वर्ष पहले सीलिंग भूमि के हरिजनों को पट्टे दिये गये थे तथा पट्टेदारों के नाम चक भी बने हैं एवं पट्टेदारों से लगान भी वसूल किया जाता है ? यदि हाँ, यो क्या कारण है कि पट्टेदारों को कब्जा भी अब तक नहीं दिलाया गया है ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

प्राप्त सूचना से शासन सन्तुष्ट नहीं हैं । अतः पूर्ण सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मा० मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सूचना आयी है, उससे वे सन्तुष्ट नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप सन्तुष्ट होकर किस तिथि को इस प्रश्न से अवगत कराने की कृपा करेंगे ? दूसरी बात, जिन किसानों को आपके ही माध्यम से पट्टे दिये गये हैं, जिसका वह लगान देते हैं और चकबन्दी में उनके नाम पट्टे काट दिये गये हैं, उसमें बाद भी वह अपनी फसल को नहीं बो पाते हैं और फसल को काट नहीं पाते हैं, इसके बाद भी लगान ले लिया जाता है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जब तक आप सन्तुष्ट नहीं हो जाते हैं उस समय तक उनको फसल बोने का अधिकार देने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह सारा ही प्रकरण फिर से जाँच में है, जल्द से जल्द सूचना आ जायगी ।

श्री मित्रसेन—

मा० मंत्री जी स्वयं सन्तुष्ट नहीं हैं उत्तर से, तो क्या मा० मंत्री जी उस गड़बड़ी को समझते हुये जिन लोगों ने सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो अभी छानबीन कर रहे हैं । मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

हरिजनों को पट्टे प्रदेश में दिये गये और ऐसे भी पट्टेदार मौजूद हैं जिनको आज भी कब्जा नहीं मिला है, लेकिन वे लगान दे रहे हैं । इस स्थिति को देखते हुये क्या मा० मंत्री जी अपने विभाग द्वारा कोई ऐसे आदेश जारी करेंगे कि जिन क्षेत्रों में, जिन तहसीलों में आज भी ऐसे लोग हैं, जिनको पट्टे का कब्जा नहीं मिला और वे लगान दे रहे हैं, तो इसमें ऐसी व्यवस्था करेंगे कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके ताकि वे पट्टेदार अपनी जमीनों पर कब्जा पा सकें ? यदि नहीं. तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

इस सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं और सख्त नियम बनाये गये हैं, अगर आवंटी की जमीन पर कोई जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, तो जबरदस्ती निकाल दिया जायेगा पुलिस फोर्स के जरिये और फिर अगर कब्जा करता है तो जघन्य अपराध माना जायेगा, जिसमें जमानत भी नहीं होगी और दो माह की कड़ी सजा होगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, हमारी सूचना को सही मानते हुए अकबरपुर तहसील फैजाबाद में आज भी गाँव मजीसा, नँगवा तथा जमालपुर आदि में पट्टे हो गये हैं, लेकिन पट्टेदारों को अभी कब्जे नहीं मिले हैं, तो उन कब्जों को दिलवाने तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न कीइजाजत नहीं देता।

श्री कुँवर सिंह नेगी—

आवंटित भूमि पर जिन आवंटियों या हरिजनों को अभी कब्जे नहीं हैं, ऐसी भूमि का निरीक्षण परगना मजिस्ट्रेट क्षेत्रीय विधायकों को लेकर करेंगे, ऐसे आदेश थे, क्या इन आदेशों के परिपालन हो रहे हैं यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह आदेश हैं और अभी भी पूर्ण रूप से लागू हैं और यह निर्भर करता है हमारे जो माननीय सदस्य हैं, उन पर।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, यह प्रश्न मऊरानीपुर या फैजाबाद से ही संबंधित नहीं है, सारे प्रदेश से संबंधित है। हर जिले में इस तरह की घटनायें हो रही हैं। यह भी सही है, एस०डी०एम० निरीक्षण को जाते हैं और निरीक्षण क्षेत्रीय विधायक के साथ करते भी हैं और गलती भी निकलती है, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन जब तक जमानत जब्त और दो माह वाली सजा इम्लीमेंट नहीं होगी, तब तक ऐसे मामलों पर काबू पाना संभव नहीं है, क्या इसे अब जल्दी ही लागू करने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे तहसील मऊरानीपुर जनपद झाँसी, जिनमें कुछ हरिजनों को पट्टे दे दिये गये हैं और वह लगान भी देते हैं और जो फसल उस भूमि पर खड़ी हुई है तो क्या वह फसल काटने के अधिकार जब तक नहीं देंगे, जब तक विवादित मामलों के अन्तिम फैसले नहीं हो जायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

अगर फसल पट्टेदारों ने बोई है तो उन्हें अधिकार दिये जायेंगे कि वह अपनी फसल को काटें।

श्री मीखा लाल—

क्या यह बात सही है कि एस०डी०एम० मौके पर जायं और क्षेत्रीय विधायकों को ले जाएं और एस०डी०एम्स० जाते हैं तथा क्षेत्रीय विधायक को ले भी जाते हैं। और नाजायज जो व्यक्ति कब्जा किये हैं, उनका निरीक्षण कर सही व्यक्ति को उसका हक दिलाएं, यदि वह व्यक्ति उस विधायक पर मुकदमा कर दे तो ऐसे स्थिति में आप कोई संरक्षण दिलायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मुकदमा दायर करने में किसी को हम रोक नहीं सकते हैं।

क्रय केन्द्रों से मिलों तक गन्ना ले जाने का यातायात व्यय

***13— श्री हुकम सिंह—**

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981-82 में सरकारी आदेशों निर्देशों के प्रतिकूल कृषकों से गन्ना क्रय केन्द्रों से फैक्ट्री गेट तक का किराया एक रुपया प्रति कुंतल वसूल किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अधिक वसूल किये गये धन को कृषकों को वापिस दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

क्रय केन्द्रों से मिलों तक गन्ना ले जाने का यातायात व्यय अधिक होने के बावजूद राज्य सरकार से वर्ष 1981-82 में राज्य चीनी निगम, सहकारी क्षेत्र तथा शासन के नियन्त्रणाधीन अन्य मिलों को यह निर्देश दिये कि बाह्य क्रय केन्द्रों पर आपूर्ति करने वाले गन्ना किसानों को पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र में 21 रु० प्रति कुंतल तथा पूर्वी क्षेत्र 20 रु० प्रति कुंतल की दर से गन्ना मूल्य दिया जाय। अन्य मिलों से भी इन्हीं दरों पर गन्ना मूल्य भुगतान की अपेक्षा की गयी थी परन्तु निजी क्षेत्र की अधिकांश चीनी मिलों ने यातायात के मद में अपेक्षाकृत अधिक कटौती की। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1958-59 में क्रय केन्द्रों पर 32 पैसे यातायात व्यय कटौती अनुमन्य की गयी थी। इस दर को 1979 में शेरवानी शुगर सिन्डीकेट बनाम यूनियन आफ इन्डिया में चुनौती दी गयी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने केन्द्र सरकार द्वारा तत्सम्बन्धी 1-10-79 को जारी की गयी अधिसूचना को निरस्त करते हुए यह निर्देश दिया कि बढ़े हुए दरों एवं दूरी को ध्यान में रखते हुये वे पुनः यह दरें निर्धारित करें। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया यह ज्ञात नहीं है। इसी स्थिति का लाभ उठाकर निजी क्षेत्र की अधिकांश चीनी मिलों में बढ़े हुए व्यय को सुनियोजित करने के उद्देश्य से क्रय केन्द्र पर अधिक कटौती की है। इस विषय में निर्णय लेने के लिए केन्द्र सरकार ही सक्षम है।

वर्णित परिस्थितियों में प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, यह विवशताओं से भरा हुआ मन्त्री जी का जो उत्तर आया है तो इसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ओर तो आपने निर्देशित कर दिया मिलों में गन्ना के भाव के बारे में तो इसमें आपको कौन सी रुकावट है कि आप यह तय कर दें कि क्या क्या कटौती की जायेगी क्योंकि मनमाने ढंग से कटौती जो हो रही है इसको रोकने के लिये आपके सामने क्या रुकावट है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की वजह से भारत सरकार ही निर्णय लेने के लिये अधिकृत है ।

श्री हुकम सिंह—

1979 में न्यायालय ने कहा कि इसे आप दुबारा तय करें परन्तु उसके बाद से आप इसे तय नहीं कर पाये हैं । और भारत सरकार ने क्या नीति अपनायी है और क्या नहीं, इसकी जानकारी आपको है नहीं । तो क्या फायदा आपका इतना बड़ा अधिष्ठान जो है और अधिकारियों की सेना जो है उससे क्या आप निर्णय नहीं ले सकते कि मिल वालों के लिये जो आउट साईड से सेन्टर तक ढुलाई का क्या किराया देना पड़ेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इसका निर्णय भारत सरकार लेगी, हम नहीं ।

श्री हुकम सिंह—

किस नियम के अन्तर्गत भारत सरकार को यह अधिकार है और प्रदेश की सरकार को यह अधिकार नहीं है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गन्ने का न्यूनतम मूल्य का निर्धारण भारत सरकार ही करती है, यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है ।

श्री सोमांश प्रकाश—

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जो सरकार की मिलें हैं वह उनको पैसा दे रही हैं और उनकी कटौती भी पिछले वर्ष के हिसाब से ही की जा रही है परन्तु जो प्राईवेट मिलें हैं उनको अब आप जो सुविधा देंगे तो क्या उसमें से कुछ पैसा किसानों को भी दिला देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप अनुमान लगा रहे हैं । आप स्पेसिफिक बात करें तो वह विचार भी करें ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, प्रदेश में गन्ने के बारे में तीन नीतियां हैं । एक तो जो केन्द्र द्वारा चलाई जा रही हैं, दूसरी प्राइवेट हैं, तीसरी वे जिसमें प्रदेश की सरकार डेढ़ रुपये के हिसाब से काट रही है और जिसमें गन्ने का किराया कम दे रही है। तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि डेढ़ रुपये की दर से किराया भुगतान करायेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इसके लिये विधिक राय ले रहा हूं और भारत सरकार से भी सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, किराये के रूप में एक रुपया प्रति कुन्तल वसूल किया जा रहा है। तो इस सम्बन्ध में आपने केन्द्रीय सरकार को कोई सूचना दी, या कोई रिपोर्ट भेजी है, अगर कोई रिपोर्ट भेजी है तो उसकी क्या तारीख है और उसमें क्या डिमाण्ड की गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यह तो जनहित में नहीं मुनासिब होगा। हम विधिक राय लेकर हर संभव कदम उठायेंगे।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी ने कभी इस बात की जानकारी की कि किराये के रूप में एक रुपया अधिक लिया जा रहा है। तो इस सम्बन्ध में क्या आपने केन्द्रीय सरकार को लिखा, कि यह अवैध रूप से वसूल किया जा रहा है। अगर आपने लिखा है तो किस तारीख को लिखा और क्या लिखा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यह तो विधिक राय के उपरांत ही किया जा सकता है।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि अनूपशहर में गन्ना सहकारी मिल है। मैं 5-6 दिन पूर्व वहां पर गया था तो मुझे बताया गया कि 200 रुपया की वसूली की जा रही है, तो वह किस सम्बन्ध में है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, मूल प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि मिलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिलों को दिया जायेगा और अन्य जो मिले हैं उनसे यह अपेक्षा की गयी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह अपेक्षा शब्द मैण्डेटरी है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप बैठिए।

चकबन्दी क्षेत्र फरीदाबाद के ग्राम पूरा कोदई के गाटा संख्या 149/150 के सम्बन्ध में लम्बित मुकदमा

*14—**श्री दीनानाथ**—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के चकबन्दी क्षेत्र फरीदाबाद (सुजानगंज) के ग्राम पूरा कोदई के गाटा संख्या 149/150 का मामला एस० ओ०सी० स्टेज पर वर्ष 1970 से विचाराधीन पड़ा है जबकि डी०डी०सी० स्तर से ग्राम की चकबन्दी एक वर्ष पूर्व हो भी चुकी है ? यदि हां, तो इस शिथिलता के कारण ग्रामवासियों को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

गाटा संख्या 149/150 का कोई भी मामला एस०ओ०सी० स्टेज पर वर्ष 1970 से विचाराधीन नहीं है। गाटा संख्या 149(–02 एकड़) चकबन्दी क्रियाओं से मुक्त ग्राम सभा बंजर है तथा इससे सम्बन्धित कोई विवाद नहीं है। गाटा सं० 150 (–50 एकड़ बाग है जिसके सम्बन्ध में विवाद न्यायालय में लम्बित है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

श्री दीनानाथ—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि गाटा सं० 149 और 150 के संबंध में सन् 70 से एस०ओ०सी० की कोर्ट में मुकदमा लम्बित है। आपने जो उत्तर दिया उससे प्रतीत होता है कि 149 के बारे में मुकदमा लम्बित नहीं है परन्तु आपने स्वीकार किया है कि 150 के बारे में मुकदमा लम्बित है। तो माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह किस कोर्ट में लम्बित है और कब से लम्बित है और क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील —

इस गांव की चकबन्दी के लिए नोटीफिकेशन 4-8-1974 को हुआ तो सन् 1970 से लम्बित होने का प्रश्न नहीं उठता है। यह मुकदमा चकबन्दी अधिकारी के स्तर पर 30-9-1978 को फैसला हुआ और 18-10-1978 की अपील है, और यह एस०ओ०सी० कोर्ट में लम्बित है।

गन्ना किसान प्रतिनिधि के शिष्ट मंडल का विदेश जाने का उद्देश्य, प्रतिनिधियों का चयन तथा यात्रा हेतु धनराशि का प्राविधान

*15—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ना किसान प्रतिनिधि की हैसियत से करीब एक दर्जन लोगों का कोई शिष्ट मण्डल विदेश जा रहा है ? यदि हां, तो जाने का उद्देश्य क्या है ? किन-किन देशों में लोग जा रहे हैं तथा इन तथाकथित गन्ना–किसान प्रतिनिधियों के चयन का आधार क्या है ? इस यात्रा के लिए कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा —

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*16—श्री सरदार सिंह—

[20 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न सं०–11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*17—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[15 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न सं०–20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

चीनी मिलों को चलाने से पहिले बकाया गन्ने के मूल्य का भुगतान

*18—श्री नन्दकिशोर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1982-83 में चीनी मिलों को चलाने से पहले वर्ष 1981-82 का बकाया गन्ने का मूल्य दिलाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वर्ष 1982-83 में चीनी मिलों के चलाने से पहिले वर्ष 1981-82 के गन्ना मूल्य का 431.84 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा चुका था । केवल 38.97 करोड़ रुपया अवशेष रह गया था । दिनांक 28-2-83 की स्थिति के अनुसार अब केवल 13.48 करोड़ रुपया भुगतान हेतु अवशेष रह गया है । हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है कि इस धनराशि का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कर दिया जाय ।

ग्राम सभा आम्बा, जनपद बहराइच के भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध ग्राम सभा, की सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति का मुकद्दमा

*19—श्री जटाशंकर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 5-10-82 जो ग्राम सभा आम्बा, परगना-धर्मापुर, तह० नानपारा, जनपद बहराइच के भूतपूर्व प्रधान द्वारा ग्राम सभा की सम्पत्ति नाजायज तौर पर क्षतिग्रस्त करके हड़पने से सम्बन्धित शिकायत युक्त पूर्व पत्र पर कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में स्मारक था, परगनाधिकारी नानपारा को प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नकर्त्ता का सम्बन्धित पत्र दिनांक 5-10-82 परगनाधिकारी नानपारा को दिनांक 12-10-82 को प्राप्त हुआ । तहसीलदार नानपारा के न्यायालय में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन नियमावली के रूल 115 सी० के अन्तर्गत ग्राम सभा सम्पत्ति की क्षति-पूर्ति का मुकदमा विचाराधीन है ।

पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण सुविधा संबंधी शासनादेश तथा निबंधन विभाग से उक्त आदेशों का कथित अतिक्रमण

*20—श्रीमती प्रेमवती तिवारी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शासनादेश सं० 5535/40–1–81/15/28/80, दि० 16-11-81 में यह स्पष्ट है कि अवकाश रिक्त अथवा थोड़े समय के लिए

पदोन्नत किए गये कर्मचारियों को छोड़कर पिछड़े वर्ग के जो कर्मचारी 30–9–81 से पूर्व आरक्षण सुविधा में पदोन्नति पा चुके हैं और जिनकी पदोन्नति स्थायी/अस्थायी तदर्थ आधार पर अनिश्चित अथवा लम्बी अवधि के लिए हो चुकी है, उन्हें यथावत चलने दिया जाय ? क्या यह सही है कि उक्त आदेश के प्राविधानों का अतिक्रमण कर निबन्धन विभाग के तदर्थ नियुक्तियों में कार्यरत पिछड़ी जाति के सर्व श्री प्यारेलाल, मेहदी हसन, महेन्द्र कुमार गौड़, प्रकाश चन्द्र, रामकुमार वर्मा, ईश्वरी प्रसाद, शिव कुमार और हरिवंश सिंह स्थानापन्न उप निबंधकों की पदावनति कर निबन्धन लिपिक बनाया गया है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हाँ। शासनादेश दिनाँक 16–11–81 में कथित आशय के आदेश हैं परन्तु यह सही नहीं है कि उक्त आदेशों का अतिक्रमण कर निबंधन विभाग में तदर्थ आधार पर कार्यरत पिछड़ी जाति के उल्लिखित आठ उप निबंधकों की पदावनति की गई। वस्तुतः इन उप निबंधकों की नियुक्तियाँ अनिश्चित अथवा लम्बी अवधि के लिए नहीं की गई थी बल्कि उक्त कर्मचारी, उप निबंधकों की सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के कोटे में तदर्थ रूप से कार्य कर रहे थे जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर प्रत्यावर्तित किया गया अतः इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद खीरी के कस्बा भीरा और मैलानी ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था

****1—श्री छेदालाल चौधरी—**

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कस्बा भीरा तथा मैलानी टाउन एरिया, जनपद खीरी को गत 18–1–83 तक रात दिन में 22 घण्टे आपूर्ति की जाती थी और जब कथित दिनांक के पश्चात् मात्र 7 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने के आदेश कर दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ? क्या पुनः 22 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने पर विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जनपद खीरी के कस्बा भीरा और मैलानी ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं परन्तु इनको अस्थायी रूप से सायंकाल 5 बजे दूसरे दिन प्रातः 5 बजे तक रोशनी हेतु अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था थी।

यह व्यवस्था मैलानी कस्बे को मैलानी रेलवे स्टेशन के पोषक से जुड़े रहने के कारण प्राप्त थी जो कि अब अलग कर दी गई है अतः मैलानी की अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति अब बन्द हो गई है; भीरी को अस्थाई रूप से केवल रोशनी के लिये ही जंगली जानवरों के आतंक के कारण रात को बिजली दी जा रही थी। 19–1–83 से यह सुविधा समाप्त कर दी गई थी किन्तु यह ज्ञात होने पर कि यह सुविधा अभी भी जरूरी है भीरा के लिये यह व्यवस्था 4–3–83 से पुनः उपलब्ध करा दी गई है।

खीरी क्योंकि द्वितीय श्रेणी के नगरों में आता है, अतः इसको यह सुविधा स्थायी रूप से उपलब्ध है।

श्री छेदा लाल चौधरी -

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कस्बा भीरा, खीरी तथा मैलानी पूरी तरह से बीहड़ और पहाड़ी बनों से घिरे हैं। यहाँ पर वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम लागू है, कोई व्यक्ति किसी हिंसक पशु को मार नहीं सकता है। हिंसक पशु घूमते रहते हैं। कई व्यक्तियों को वह खा गये हैं और उनका आतंक जारी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर 22 घंटे की बिजली देने की व्यवस्था करेंगे जिससे लोगों को संरक्षण मिल सके।

श्री ब्रह्म दत्त—

खीरी और भीरा में तो दे रहे हैं, मैलानी में देखना पड़ेगा। इसको भी देख लूँगा कि यह किस प्रकार से हल किया जा सकता है।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 7 घन्टे बिजली की आपूर्ति की जा रही है जब कि बजट में यह घोषणा की गई थी कि देहाती क्षेत्रों में और ग्रामीण अंचलों में 10 घन्टे बिजली दी जा रही है। तो आप यह बतायें कि कौन सी बात सही है। 7 घन्टे आप वहाँ बिजली दे रहे हैं या 10 घन्टे दे रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मैंने 7 घन्टे कहाँ कहा। मैंने तो केवल यह कहा कि जनपद खीरी के कस्बा भीरा और मैलानी ग्रामीण क्षेत्रों में 5 बजे से दूसरे दिन प्रातः 5 बजे तक रोशनी दी गई है और यह व्यवस्था उसके रेलवे स्टेशन के पोषक से जुड़े रहने के कारण की गई थी। 7 घन्टे मैंने नहीं कहा।

श्री रेवती रमण सिंह—

तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने अभी आपको नहीं बुलाया। आप बैठें। माननीय रेवती रमण सिंह।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समय बिजली की कमी से जो रोस्टरिंग हो रही है उसको देखते हुए कितनी बिजली की आपूर्ति आप ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ....

श्री ब्रह्म दत्त -

मान्यवर, नगरों में बिजली की रोस्टरिंग इसलिए कर रहे हैं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बिजली दी जा सके। बिजली का उत्पादन कम होने से उसकी आपूर्ति भी कम हो जाती है। मैंने निवेदन किया कि इस क्षेत्र को केवल रोशनी के लिये ही जंगली जानवरों के आतंक के कारण रात को बिजली दी जा रही थी।

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, मैं अपने माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि भीरा और मैलानी ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। वहाँ पर पलिया और पतवारा के जो क्षेत्र हैं वे भी

देहाती क्षेत्र में आते हैं उनको आप 22 घन्टे बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। तो मेरा जो क्षेत्र है वह भी ग्रामीण क्षेत्र है उनको भी क्या आप समान रूप से 22 घन्टे बिजली देने की व्यवस्था करेंगे ? भीरा और मैलानी में जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है और उन्होंने कई जानवरों और इन्सानों का भक्षण कर लिया है। तो क्या आप वहाँ पर भी 22 घन्टे बिजली देंगे ?··· (व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, भीरा में तो हमने कर दिया है। मैलानी में कुछ टेक्निकल डिफीकल्टी है। उसको हम देखेंगे। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि वे अपने क्षेत्र के ही नहीं पूरे प्रदेश के मालिक हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, यह केवल मैलानी का ही सवाल नहीं है। सभी टाउन एरियाज में कटौती के आदेश भेज दिये हैं। मेरे जनपद में फूलपुर में टाउन एरिया में केवल 5/6 घन्टे ही बिजली दी जा रही है क्या माननीय मंत्री जी मुतवातिर रूप से पूरे प्रदेश को 22 घन्टे बिजली देने की व्यवस्था करेंगे ? अन्यथा क्या 5 बजे से 1 बजे रात तक तो कम से कम वे बिजली देने की व्यवस्था करेंगे और खासकर मेरे जनपद फूलपुर इलाहाबाद में यह व्यवस्था अवश्य करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, फूलपुर इलाहाबाद में ही यह व्यवस्था करना तो मुश्किल है लेकिन जो कटौती की जा रही है वह ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली देने की व्यवस्था के लिए की जा रही है और यह व्यवस्था कर रहे हैं कि टाउन एरियाज में बिजली कम से कम शाम को अवश्य मिले।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया था कि भीरा और मैलानी, ये प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में हैं। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में और टाउन एरिया के लिये बिजली की व्यवस्था की है। जब माननीय प्रश्नकर्ता मन्त्री थे तो उस समय वहां 22 घन्टे बिजली दी जा रही थी और आज जब वे मन्त्री नहीं हैं और उनकी बिजली भी 22 घन्टे से 7 घन्टे कर दी। मुख्य मन्त्री श्रीपति मिश्र ने उनको तो सजा दे दी लेकिन वहां की जनता ने क्या बिगाड़ा है कि उनकी बिजली भी काट दी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री मेंहदी असगर—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर कि फैक्ट्रियों को आप 24 घन्टे बिजली दे रहे हैं और जिनके फीडर्स अलग हैं उनसे किसानों को आप 10 घन्टे भी बिजली नहीं दे रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष —

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूँ। यह टाउन एरिया से ही सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर में बताया कि शहरों में कटौती करके ग्रामीण इलाकों में विद्युत सप्लाई की जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में 10 घन्टे बिजली सप्लाई न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

कम उपलब्धता ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की संस्तुति करेंगे कि इस सदन में पूर्व घोषणा के अनुसार जो टाउन एरिया रूरल फीडर से लगे हुए थे और जिनकी आबादी 71 में 10 हजार से कम थी और अब उनकी आबादी बढ़ गयी है तो उनको अब बिजली दी जायेगी और अपने उस आदेश को फिर भिजवा देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अब तो हमारा आदेश 1981 की जनगणना के आधार पर होगा ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कस्बा भीरा और मैलानी टाउन एरियाज में पहले 22 घन्टा बिजली मिलती थी । जैसा माननीय प्रश्नकर्ता महोदय ने कहा, वहाँ पर खूँखार जानवरों का भय है । तो प्रश्नकर्ता महोदय का राजनीतिक रूप से घाटा हो चुका है अब जंगली जानवरों से भय है । तो क्या माननीय मंत्री जी वहाँ पर पूरे रात भर बिजली देने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री केदार नाथ सिंह—

आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि शासन द्वारा जहाँ यह निश्चित कर दिया गया है कि ग्रामीण अंचलों में टाउन एरियाज को इतने घन्टे बिजली प्रतिदिन दी जायेगी । जहाँ पर निर्धारित घन्टों से कम बिजली सप्लाई की जा रही है उन ग्रामीण अंचलों के किसानों के बिलों में उतनी कमी करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, किसानों के जो फिक्स चार्जेज देने पड़ते हैं वह दो घन्टे बिजली सप्लाई में पूरे हो जाते हैं । फिर भी हमारा प्रयास है कि गेहूँ की फसल को अन्तिम चरण में ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले ।

श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि रिहंद जलाशय का जलस्तर गिरने के कारण विद्युत उत्पादन कम होता जा रहा है और इसीलिए बिजली की कटौती होती जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

क्या उपाय करेंगे यह भी तो पूछिये ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, रिहंद जलाशय भरने का उपाय भगवान करेगा लेकिन ताप विद्युत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि शहरों में आप 22 घण्टे क्या 24 घण्टे बिजली दे रहे हैं। तो क्या शहरों की बिजली में कटौती करके गाँवों में उतनी बिजली देने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, अभी थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य कर रहे थे कि हम होली मिलन कर रहे हैं और 24 घन्टे बिजली दें। अब कह रहे हैं कि कम कर दें। तो उनका मेला खराब हो जायेगा इसलिए मैं कटौती नहीं करूँगा।

श्री छेदालाल चौधरी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ उन्होंने कहा जंगली जानवरों के भय के कारण भीरा और खीरी को बिजली देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। लेकिन मेरी जानकारी है मैं अभी 10 ता० को वहां से आया हूँ वहां उस पर अमल नहीं हो रहा है कृपया इसको फिर से जारी करा देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

ठीक है, मान्यवर।

श्री हरगोविन्द बर्मा—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि 15 ता० से बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है और टाउन एरियाज की बिजली आप काट रहे हैं तो उन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा ? क्या शाम को और सुबह 4 बजे से उनके लिए बिजली की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, निर्देश यह हैं कि टाउन एरियाज की जो बिजली में कटौती की जाय वह दिन में की जाय रात में न की जाय !

श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि पहले भी मंत्री जी ने कहा था कि 2 घण्टे में बिजली पूरी हो जाती है, जो किसान से पैसा लिया जाता है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका आधार क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, औसत पंप 5 हार्स पावर का होता है और एक हार्स पावर में .75यूनिट बिजली खर्च होती है तो 5 हार्स पावर में लगभग 3.5 यूनिट बिजली लगती है जो .50 पैसे के हिसाब से लगभग 2 रुपये की होती है, तो इस प्रकार 2 घन्टे में पूरी हो जाती है।

श्री मुहम्मद आजम खाँ—

मान्यवर, प्रश्नकर्त्ता को जंगली जानवरों का बड़ा खौफ है तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि सत्र बढ़ाने की सिफारिश करेंगे ताकि वहाँ जंगली जानवरों की कमी रहे ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जहाँ पर बाढ़ आयी थी जैसे गोंडा, बस्ती बहराइच आदि जहाँ गेहूँ की फसल बाद में बोई गई है और सप्लाई आपकी कम है ट्यूबवेलों को, तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बिजली सप्लाई क्या मंत्री जी बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, जहाँ-जहाँ गेहूँ की फसल को पानी की आवश्यकता होती है उसके अनुसार सप्लाई को हम सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं।

मण्डल आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से मांगी गयी आख्या

****2—श्री मित्रसेन —**

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार से मण्डल आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के सम्बन्ध में वर्ष 81-82 में कोई पत्र व्यवहार किया है ? यदि हाँ, तो प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी क्या कार्यवाही की है ?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मण्डल आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से आख्या माँगी गई है। आयोग की रिपोर्ट अभी राज्य शासन में विचाराधीन है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मण्डल आयोग की संस्तुतियों के बारे में केन्द्र सरकार ने कब रिपोर्ट मांगी है, किन-किन बिन्दुओं पर आख्या मांगी है और राज्य सरकार ने कब आख्या भेजी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस सिलसिले में कई पत्र आये और सबसे पहला पत्र 15 अप्रैल 1982 को आया था, उसके बाद कई पत्र केन्द्र से आये। जिन मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी उसमें कहना है कि उन्होंने एक क्वैश्चनियर एक प्रश्नावली भेजी थी जिसका जवाब भेजा, उसके बाद वहाँ से पत्र आया तो यहाँ एक कमेटी बना दी गयी जिसमें प्लानिंग सेक्रेटरी, एजूकेशन, हरिजन सोशल वेलफेयर, रेवेन्यू, राष्ट्रीय एकीकरण, लेबर, टेक्नीकल सेक्रेटरीज हैं और यह कमेटी मुख्यसचिव की अध्यक्षता में गठित की गयी थी, उनका जवाब भेजा, तो इस प्रकार सारे प्रश्न शासन में विचाराधीन हैं और प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्र शासन अपना निर्णय केन्द्र सरकार को भेज दें।

श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिये भी संस्तुति किया है ? यदि हां, तो उस बिन्दु पर भी आप विचार कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो वह आरक्षण कब तक प्रदान करने जा रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

पूरी रिपोर्ट जो दो हिस्सों में है उस पर विचार कर रहे हैं, कोई हिस्सा अलग नहीं किया गया है। कब तक पूरी हो जायेगी, तो इस सम्बन्ध में 18-3-83 को एक बैठक लगायी गयी है, इसके बाद मुख्य मन्त्री जी को केन्द्र में बुलाया गया है ताकि इसमें विचार विमर्श हो सके। प्रयास है शीघ्र ही इस पर निर्णय केन्द्र को भेज दिया जाय।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जब 18-3-83 को सवाल गया तब बैठक लगा दी। मैं जानना चाहता हूँ कि जो कमेटी आपने बनायी उसकी कब कब मीटिंग हुई हैं और क्या कोई संस्तुति उसने करके भेजी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

पहली बैठक उसकी 25 जुलाई, 1982 को हुई थी, फिर 13-1-83 को हुई। 18-3-83 को होने जा रही है। यह कहना कि प्रश्न जब किया गया तब बैठक बुलाई गयी, सही नहीं है। प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि शीघ्र उसके ऊपर निर्णय लिया जा सके। जब यह कमेटी अपना निर्णय फाइनल कर देगी, तब वह मंत्रि परिषद् के सामने आयेगा और फिर केन्द्रीय सरकार को भेजा जायेगा।

श्री सत्यपाल सिंह—

आपने आख्या माँगने के लिये जो कमेटी बना दी है, पता नहीं उसकी आख्या कब तक आयेगी। इस बीच क्या मंत्री जी पिछड़े वर्ग के लिये जो 15 प्रतिशत का आरक्षण पहले था और 5 वर्ष की सेवा में छूट रखी गयी थी, क्या वही सुविधायें तत्काल देंगे और अन्य प्रदेशों की भाँति उन्हें यहाँ लागू करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था उसी का उत्तर दिया गया था जो वास्तविकता पर आधारित था। केन्द्र ने यह लिखा कि राज्य सरकार के जो कमेंट्स हों वह

केन्द्रीय सरकार को भेजे जायें। दूसरे राज्यों से भी उसी प्रकार के कमेंट्स मांगे गये हैं। यह इसी प्रदेश का प्रश्न नहीं है, बल्कि सारे देश का प्रश्न है। इसलिये इस पर विचार होकर जब केन्द्र अपनी सहमति दे देगा तभी कोई कार्यवाही सम्भव होगी।

(व्यवधान—शोर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। आप लोग अब कृपया बैठें। (व्यवधान) अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो नियमों के अन्तर्गत और बहस आदि की माँग कर सकते हैं। इस समय आप कृपया बैठें।

अतारांकित प्रश्न

1—3—**श्री राम स्वरूप वर्मा—**

[8 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 134-136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम आदमपुर, जनपद इलाहाबाद में अतिवृष्टि एवं जलप्लावन से क्षति तथा पात्रता के आधार पर गृह अनुदान का वितरण

4—**श्री राधेश्याम पटेल—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आदमपुर उर्फ उपरोड़ा (कैथाना) परगना सिकन्दरा, तह० फूलपुर, जनपद इलाहाबाद के लगभग 50 घर गत भीषण वर्षा एवं जल प्लावन में जमीन धसने के कारण गिर गये ? यदि हाँ, तो इसका सही कारण क्या था ? जिन हरिजनों तथा निर्बल लोगों के घर गिरे हैं उन्हें पुनः गृह निर्माण हेतु क्या सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम आदमपुर उर्फ उपरोड़ा, परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद में 64 मकान अतिवृष्टि एवं जलप्लावन के कारण क्षतिग्रस्त हुए।

उक्त ग्राम की आबादी से मिले धान के खेतों में पानी भरा था। उसी अवधि में दिनांक 10-9-82 से 12-9-82 तक अतिवृष्टि हो गई और आबादी का स्थल नीचा होने के कारण भूमिगत जल का स्तर अचानक ऊपर उठ गया जिससे आबादी स्थल में दलदल हो गया। फलतः मकान धंसे और दीवालें गिरीं। इस प्रकार 14 मकान पूर्ण रूप से तथा 50 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग के प्रभावित परिवारों को पात्रता के आधार पर कुल 6600 रु० गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया।

5—**श्री सरदार सिंह—**

[9 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट:—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

गांव सभा चौखड़ा में क्षेत्रफल 1-51 एकड़ श्री राम लखन पुत्र कन्हई आदि के नाम अंकित भूमि

6—**श्री प्रभू नारायण सिंह**—

क्या राजस्व मंत्री को मालूम है कि जनपद जौनपुर के सदर तहसील के परगना रारी के अन्तर्गत गाँव सभा चौखड़ा की एक एकड़ इक्यावन डिसमिल भूमि पर उसी गाँव के श्री राम लखन पुत्र कन्हई ने गत उन्नीस वर्षों से कब्जा कर रखा है ? यदि हाँ, तो उक्त अनधिकृत कब्जे को खाली कराने की क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

गाटा संख्या 210 क्षेत्रफल 1-51 एकड़ श्री राम लखन पुत्र कन्हई आदि के नाम भूमिधरी अंकित है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम प्रधान पिपरहिया, गोरखपुर के प्रधान के द्वारा बाढ़ से प्रभावित गांवों को सहायता न दिये जाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

7—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम प्रधान पिपरहिया (घोडहिया) ब्लाक नौतनवां, गोरखपुर के प्रधान ने गत 18-11-82 को मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर को इस आशय का पत्र लिखा है कि बुरी तरह बाढ़ प्रभावित होने के बावजूद भी उनके तथा लगभग एक दर्जन गाँवों को सहायता नहीं दी गयी ? क्या आस पास के लोगों ने यह भी माँग किया कि बाढ़ से बचाव के लिए कोई स्थायी प्रबन्ध किया जाय ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आगरा में कुमुद सिनेमा के नाम से नये सिनेमाघर की कथित स्वीकृति

8—**श्री विजय सिंह राना**—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में कुमुद सिनेमा के नाम से किसी नये सिनेमाघर को स्वीकति प्रदान की गयी है ? यदि हाँ, तो सिनेमा घर कहां बनेगा और इसके मालिक कौन हैं ? यदि नहीं, तो सिनेमा के शेयर होल्डर्स किस आधार पर बनाए जा रहे हैं ? क्या शासन इस लोगों के विरुद्ध आई०पी०सी की धारा 420 के अन्तर्गत मुकदमा दायर करेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) रु० 3000/- का भुगतान करने पर शेयर होल्डर बन सकते हैं, इस आशय का व्यापक प्रचार, समाचार पत्रों एवं होरडिंग्स के माध्यम से किया गया था। कौन-कौन और कितने व्यक्ति शेयर होल्डर बने या बनाये गये, इसकी जानकारी नहीं है और न ही

किसी स्तर से इस संबंध में कोई शिकायत ही प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम रामपुर कारखाना-जनपद देवरिया के हरिजनों की आबादी की भूमि आवंटित करने में किये गये घपले की जांच

9—**श्री रुद्रप्रताप सिंह**—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर कारखाना पो० रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया के हरिजनों की आबादी की भूमि आवंटित करने में किए गये घपले के सम्बन्ध में दि० 5 अक्तूबर, 1981 का प्रश्नकर्त्ता का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि० 5 अक्तूबर, 1981 को प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी देवरिया को जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी द्वारा जाँच कराने पर यह पाया गया कि चकबंदी में आबादी हेतु आरक्षित भूमि ही आवंटित की गयी है। हरिजन आबादी हेतु आवंटित भूमि से लगभग 100 गज की दूरी पर है और आसपास के गाटों से लगभग 2 फिट नीची है। जिलाधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित भूमि के स्थान पर आवास स्थल की अन्यत्र व्यवस्था कर दें।

ग्रामों में चकों में सीमांकन स्तम्भ लगाए जाने की कार्यवाही

10—**श्री राधेश्याम पटेल**—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामों में चकबन्दी योजना की समाप्ति की घोषणा के पहले जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52(1) के अन्तर्गत ग्राम के प्रत्येक काश्तकारान के चकों की सीमा निर्धारित करने के लिये सीमा स्तम्भ लगाए जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

चकबन्दी अधिनियम की धारा 52(1) के अन्तर्गत सीमांकन स्तम्भ लगाये जाने का नियम नहीं है। नियम 71(1) के अन्तर्गत सीमांकन स्तम्भ लगाए जाने की कार्यवाही की जाती है।

लार्ड कृष्णा शुगर मिल सहारनपुर में किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान

11—**श्री सुरेन्द्र कपिल**—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि लार्ड कृष्णा शुगर मिल जो शासकीय आदाता के निर्देशन में कार्यरत है 1981-82 के सीजन में किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान रोक कर लगभग 50 लाख रुपया कर्मचारियों के वेतन आदि में उपयोग में ले लिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ? क्या मिल इस धनराशि पर किसानों को बाजार दर पर ब्याज अदा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

पेराई सत्र 1981-82 में लार्ड कृष्णा शुगर मिल, सहारनपुर की वित्तीय स्थिति चीनी के भाव में गिरावट आ जाने तथा चीनी के परते में कमी होने के कारण खराब हो गयी थी। ऐसी दशा में किसानों के गन्ने की पेराई चालू रखने के उद्देश्य से गन्ना मूल्य खाते में बैंक से प्राप्त होने वाले अग्रिम धनराशि की टैगिंग 85 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत की गई तथा मिल को उपर्युक्त खाते से 42 लाख रु० उपलब्ध कराए गए। इस प्रकार से हुई कमी को पूरा करके 1981-82 के गन्ना मूल्य का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

गुड़ खांडसारी तथा गल्ला ले जाने वाले वाहनों के फार्म तथा कागजात की जांच

12—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिक्रीकर जाँच चौकी कैराना, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सभी करयोग्य वाहनों को प्रदेश की सीमा के बाहर जाने पर फार्म एवं कागजात जांच कराना पड़ते हैं ? यदि हाँ, तो बिक्रीकर कानून की किस धारा के अन्तर्गत ? यदि बिक्रीकर कानून के अन्तर्गत यह चेकिंग नहीं की जा रही है तो उसका उद्देश्य क्या है ? क्या सरकार दोषी उच्चाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं। केवल गुड़ खांडसारी तथा गल्ला ले जाने वाले वाहनों के फार्म तथा कागजात की जांच की जाती है। यह जांच चेक पोस्ट पर उ० प्र० बिक्रीकर अधिनियम की धारा-13 तथा 13-क के अन्तर्गत की जा रही है। जांच का प्रमुख उद्देश्य गुड़, खांडसारी तथा गल्ले पर प्राप्त होने वाले बिक्री कर अपवंचन को रोकना है। चूंकि यह जांच विधिक व्यवस्थानुसार की जाती है, अतः किसी अधिकारी के दोषी होने और उसके विरुद्ध किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी में घाघरा नदी के क्षेत्र के मछलियों की नीलामी

13—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 और 1981-82 में तह० फतेहपुर (बाराबंकी) के अन्तर्गत बहने वाली घाघरा नदी के मछलियों के ठेके से कितनी आय हुई ? क्या यह सत्य है कि पंजीकृत निषाद समितियों के अभाव में परगनाधिकारी, फतेहपुर श्री राम नवल सिंह ने कुछ राजनैतिक लोगों की सहायता से मछली व्यापार में काफी घोटाला किया है ? यदि हां, तो शासन परगनाधिकारी पर क्या कार्यवाही करने की सोच रहा है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी में घाघरा नदी के क्षेत्र के मछलियों की नीलामी वर्ष 80-81 में रु० 1,15,100-00 की तथा 81-82 में रु० 1,30,160-00 की गई है।

किसी घोटाले की कोई बात प्रकाश में नहीं आई।

गन्ना बीज एवं विकास निगम लि. देवरिया में हुई अनियमितताओं के विषय में शिकायती पत्र की जांच

14—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि०, देवरिया में हुई अनियमितताओं के विषय में सम्पादक सीमा रेखा समाचार पत्र जलकल रोड, देवरिया का शिकायती-पत्र दि० 9-12-82 को शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां, जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट विचाराधीन है।

15—श्रीमती गौरी देवी—

[10वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहकारी गन्ना विकास समिति लि० बिसवां, जनपद सीतापुर की बैलेन्स शीट, तथा यूनियन को हुआ घाटा और मुनाफा

16—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन यूनियन बिसवां, जनपद सीतापुर की बैलेन्स शीट 1979-80, 1980-81, 1981-82 की बनी ? यदि हां, तो उसमें यूनियन को कितना घाटा और मुनाफा है ? कितने किसान यूनियन के मेम्बर हैं और उनका कितना पैसा शेयरमनी में जमा है ? और उनका कितना पैसा डिपाजिट में है ? तथा कितने किसानों पर कितना पैसा कर्जा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, बिसवां जनपद सीतापुर की वर्ष 79-80, 80-81 तथा 81-82 की बैलेन्स शीटें बनना अभी अवशेष है। अन्तिम बैलेन्स शीट वर्ष 1975-76 की दिनांक 1-11-82 को तैयार हुई जिसके आधार पर वर्ष 1975-76 में बिसवां समिति को अंकन 1,93,534.93 पैसा मुनाफा हुआ। समिति में लगभग 65,000 सदस्य हैं। उनका अंश पूंजी के रूप में अंकन 10,72,810.85 पैसा जमा है। 15,575 कृषकों पर समिति का अंकन 80,29,09 रुपया ऋण के रूप में बकाया है तथा डिपाजिट में रु० 61,482.80 जमा है।

जनपद सीतापुर में किसानों से पूल फंड में काटी गई धनराशि

17—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 1981-82 में जो किसानों से प्रति गाड़ी 5/- पूल फंड में काटा गया है वह कुल कितना रुपया है और क्या सरकार उस रुपये पर किसानों को ब्याज देगी ? यदि ब्याज देगी, तो कितने प्रतिशत ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वर्ष 81-82 में जनपद सीतापुर में किसानों से स्वैच्छिक रूप में कृषि निवेश निधि में नकद 78,900 रुपया एवं गन्ना मूल्य पर्चियों से 50 पैसे प्रति कुन्तल की दर से

रु० 38,11,680 जमा हुआ। नकद जमा की गई धनराशि पर 10 प्रतिशत पर्चियों के माध्यम से जमा हुई धनराशि पर 8 प्रतिशत चक्रवृद्धि की दर से ब्याज दिया जायेगा।

यू०पी० को आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि० लखनऊ में कार्यरत सेवा निवृत अधिकारी एवं उनका कार्यकाल

18—**श्री धर्मवीर सिंह**—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू०पी० कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि०, लखनऊ में इस समय किन-किन पदों पर रिटायर्ड अधिकारी काम कर रहें हैं और वे कब से काम कर रहे हैं? इन पदों पर नियमित नियुक्तियां करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यू०पी०कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि०, लखनऊ में इस समय निम्नलिखित पदों पर उनके सम्मुख इंगित तिथियों से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी कार्य कर रहे हैं :—

1—मुख्य गन्ना विकास परामर्शी 1-11-82

2—विशेष कार्याधिकारी 1-1-80

इन पदों के लिये उपयुक्त व्यवस्था का विषय सहकारी चीनी मिल संघ के विचाराधीन है।

19—**श्री मुन्शीलाल**—

[10 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच, राजस्व ग्राम बरखड़िया में ग्राम समाज की भूमि पर वन विभाग बहराइच द्वारा अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

20—**श्री जटाशंकर सिंह**—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बहराइच, तह० नानपारा परगना धरमापुर के राजस्व ग्राम बरखड़िया के राजस्व अभिलेख खतौनी (फसली 1387 से 1392) तक की खाता संख्या 639 गाटा सं० 1055, 1060 एवं 1061 ख, ग्राम समाज की सम्पत्ति है और उस पर वन विभाग बहराइच (पश्चिम प्रभाग) ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मुरादाबाद की तहसील अमरोहा के कतिपय ग्रामों में चकबन्दी कराने हेतु प्रार्थना पत्र

21—**श्री रामकृष्ण माहेश्वरी**—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम मकरी बुढ़ानपुर फजलाबाद, रहीमाबाद तह० अमरोहा, जनपद मुरादाबाद में अभी तक चकबन्दी नहीं की गयी है?

क्या वहां चकबन्दी कराने हेतु प्रश्नकर्ता ने उन्हें दिनांक 13-7-82 को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो वहां चकबन्दी न कराए जाने का क्या कारण है व कब तक वहां चकबन्दी करा दी जायगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत ग्रामों में अभी तक चकबन्दी कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाँक 13-7-1982 प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नगत ग्राम पुराने मानकों (80 प्रतिशत कृषिक भूमि) के अनुसार चकबन्दी योग्य नहीं थे । पुनः सर्वेक्षण कराये जाने पर नये मानकों (40 प्रतिशत कृषक भूमि) उक्त ग्राम चकबन्दी योग्य पाये गये हैं तथा चकबन्दी कराने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

22—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[पुनराबृत्ति के आधार पर निरस्त]

राजस्व परिषद में लेखाकार तथा मुख्य लेखाकार का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद में कितने लेखाकार तथा मुख्य लेखाकार ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण 1964 से लखनऊ के बाहर मण्डलों में नहीं किया गया ? क्या यह भी सत्य है कि 1980 के मास ट्राँसफर में वर्ष 1964 से लखनऊ में तैनात उक्त लेखाकारों तथा मुख्य लेखाकारों को बाहर मण्डलों में स्थानान्तरित नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों और परिषद ने स्थानान्तरण के लिये क्या नीति अपनाई है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

राजस्व परिषद के लेखा संगठन में एक लेखाकार व दो मुख्य लेखाकार वर्ष 64 से लखनऊ जनपद में कार्यरत हैं। इनमें से लेखाकार तो मार्च 1981 में सेवा निवृत्त हो चुके हैं । एक मुख्य लेखाकार का स्थानान्तरण सहायक लेखाधिकारी, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ मण्डल लखनऊ के कार्यालय से परिषद के मुख्यालय पर वर्ष 1980 में किया गया । दूसरे मुख्य लेखाकार को कार्यहित में मुख्यालय पर रोकना आवश्यक समझा गया । स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर आदेश निर्गत किये जाते हैं । इनका स्थानान्तरण कार्यहित में नहीं किया गया ।

24—श्री प्रभू नारायण सिंह—

[10 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुरादाबाद की तहसील मुरादाबाद में तकाबी का वितरण

25—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री को विदित है कि माह नवम्बर, 1982 में तहसील व जनपद मुरादाबाद में एक्ट 12 के अन्तर्गत तकाबी का वितरण किसानों को किया गया है ? यदि हाँ, तो कितना-कितना रुपया किस किस को दिया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद मुरादाबाद की तहसील मुरादाबाद में तकावी एक्ट 12 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 1982 में केवल 6 व्यक्तियों को तकाबी का वितरण किया गया जिसके विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्र० सं०	नाम काश्तकार	नाम ग्राम	धनराशि
1	श्री रतन लाल	चतुपुर	1000-00
2	श्री सन्तसरन	सिहोराबाजे	1000-00
3	श्री हरि बाबू	भटपुरा	1000-00
4	श्री कन्हैया लाल	सेहल	1000-00
5	श्री प्रकाश चन्द्र	उद्मा वाला	900-00
6	श्री अख्तर हुसैन	कस्बा मुरादाबाद	900-00

लेखा संगठन राजस्व परिषद् में जेष्ठ लेखा लिपिक तथा लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति

26—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखा संगठन राजस्व परिषद् में ज्येष्ठ लेखा लिपिक पद पर सीधी भर्ती के लिये वर्ष 1976 में सभी मंडलायुक्त मुख्यालयों पर परीक्षा ली गयी थी और नियुक्तियों के समय उन्हीं में से कुछ को लेखाकार पदों पर भी नियुक्त किया गया है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यो और इस प्रकार नियुक्त लेखाकारों की संख्या क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ ।

वर्ष 1976 में परिषद् के लेखा संगठन के लिये नियमावली नहीं बनी थी और उस समय ज्येष्ठ लेखा लिपिक/लेखाकार के रिक्त पदों पर भर्ती टंककों/जेष्ठ लेखा लिपिकों से पदोन्नति या सीधी भर्ती से की जाती थी । चूँकि उस समय कोई भी ज्येष्ठ लेखा लिपिक पदोन्नति हेतु शेष नहीं था इस कारण उक्त परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से योग्यता क्रम से 7 स्नातक, 6 स्नातकोत्तर तथा 2 इण्टर की योग्यता वालों को लेखाकार के पद पर नियुक्त किया गया था । इण्टर अर्हता रखने वाले एक कर्मचारी सेना से छटनीशुदा थे और दूसरे को चकबन्दी विभाग में लेखा का दस वर्ष का अनुभव था ।

27—**श्री दीपू—**

[दिनांक 25-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 142 द्वारा उत्तरित]

मौजा हुसैनगंज कला, जिला सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा करके पेड़ लगाने का कथित आरोप

28—**श्री बब्बन सिंह—**

क्या सरकार को जानकारी है कि मौजा हुसैनगंज कला, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान (श्री इजरत) ने उक्त मौजा की नईया नाला समीप स्थित

ग्राम समाज की तीन बीघा जमीन पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर के पेड़ लगवा लिया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत भूमि पर प्रधान श्री इजरत रसूल द्वारा अवैधानिक कब्जा कर पेड़ लगाने की बात सही नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील उतरौला, जनपद गोंडा में गांव सभाओं में निहित तालाब, पोखर, झीलों का मत्स्य पालन हेतु दिया गया पट्टा

29—**श्री सीताराम निषाद—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील उतरौला जनपद गोंडा में गांव सभाओं में निहित कितने तालाब, पोखर, झीलों का मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टा शासनादेश दिनांक 2 मई, 81 राजस्व अनुभाग–2 उ० प्र० शासन के अनुपालन में वर्ष 1982 में किया गया है और उसमें मछुवा समुदाय के व्यक्तियों तथा मछुवा समुदाय की पंजीकृत सहकारी समितियों की कितनी संख्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1982 में तहसील उतरौला जनपद गोण्डा में गांव सभाओं में निहित 69 तालाबों को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर उठाया गया । इनमें से 38 तालाबों के पट्टे सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्र के मछुवा समुदाय (कहार एवं केवट) के व्यक्तियों को, 29 तालाबों के पट्टे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को एवं 2 तालाबों के पट्टे मत्स्य व्यवसाय में वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों को दिये गये ।

ग्राम सभा रसूलपुर व पिपरा याकूब में तालबों के पट्टे पर उठने की कार्यवाही पर विचार

30—**श्री सीताराम निषाद—**

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा रसूलपुर व गांव सभा पिपरा याकूब, तहसील उतरौला, जनपद गोंडा में स्थित तालाब नम्बर 15 का रकबा 118 एकड़ 65 डिसमिल स्थित ग्राम रसूलपुर सूर तथा तालाब नम्बर 989 रकबा 65 एकड़ स्थित ग्राम पिपरा याकूब का मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टा स्थानीय मछुओं की पंजीकृत सहकारी समिति रजि० नम्बर 2792 दिनाँक 7-5-81 मछुवा मत्स्य पालन सहकारी समिति लि० चमरूपुर को न देकर शासनादेश दिनांक 2 मई, 81 राजस्व विभाग उ० प्र० शासन का उल्लंघन किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या पट्टा निरस्त करके मछुओं की सहकारी समिति जो स्थानीय क्षेत्र के मछुओं की है उसे पट्टा दिया जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम सभा पिपरा याकूब के प्रश्नगत तालाब नं० 989 को पट्टे पर उठाने की कार्यवाही अभी विचाराधीन है । गांव सभा रसूलपुर के प्रश्नगत तालाब नं० 15-क के पट्टे का मामला धारा 198(4) जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी, गोण्डा के न्यायालय में विचाराधीन है ।

सीतापुर तहसील के सेवा निवृत तहसीलदार श्री पी० के० दोहरे को जी० पी० एफ०, पेंशन, ग्रेच्युटी का भुगतान

31—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले से सीतापुर तहसील के तहसीलदार जो 31-5-82 को रिटायर्ड हुए उन्हें जी० पी० एफ०, पेंशन तथा ग्रेच्युटी का पैसा अब तक नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सीतापुर जिले के तहसीलदार श्री पी० के० दोहरे दिनांक 31 मई, 1982 को सेवा निवृत्त हुए थे। उनके जी० पी० एफ० का भुगतान 10 फरवरी 1983 को कर दिया गया है। पेंशन व ग्रेच्युटी महालेखाकार के पत्र, दिनांक 18 नवम्बर, 1982 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

बिसवां केन यूनियन द्वारा अतिरिक्त सिक्योरिटी (बांड) के पैसे की कृषकों को वापिसी तथा सचिव, के विरुद्ध शिकायतों की जांच

32—**श्री हरगोविन्द वर्मा**—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिसवां केन्द्र यूनियन, सीतापुर के सचिव 81-82 के सीजन का सिक्योरिटी (बांड) का पैसा किसानों को वापस नहीं कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि पैसा न देकर खाद देने का काम रहे हैं ? क्या उस खाद में मिलावट की गयी है और वह खाद बहुत ही खराब किस्म की है ? क्या केन यूनियन के सचिव बिसवां केन यूनियन के अन्दर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं ? यदि हाँ, तो केन यूनियन के सचिव के कार्यालय की पूरी जांच मंत्री जी करायेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी नहीं।

बिसवां केन यूनियन, सीतापुर द्वारा वर्ष 81-82 के अतिरिक्त सिक्योरिटी (बांड) का हिसाब पूर्ण करने के उपरान्त पैसा किसानों को वापस किया जा रहा है। प्रारम्भ में जो कृषक खाद लेना चाहते थे उनको खाद के रूप में धन वापस किया गया। शेष कृषक जो खाद नहीं लेना चाहते थे, उनको नकद वापस किया जा रहा है। गन्ना समिति बिसवां द्वारा बांटी गयी खाद में किसी प्रकार की मिलावट या खराब किस्म की होने की बात प्रकाश में नहीं आयी है। सचिव, बिसवां केन यूनियन के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जाँच कराई जा रही है।

श्री सुखराम, ग्राम चांदपुर की भूमि पर अनधिकृत कब्जा हटवाने की कार्यवाही

33—**श्री भगवती सिंह विशारद**—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, उन्नाव को प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 30-10-82 के साथ श्री सुखराम पुत्र श्री गयादीन ग्राम चांदपुर परगना पाटन, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें भूमि आवंटन में प्राप्त भूमि नं 154/2 बीघा पर अनाधिकार कब्जा किये जाने की शिकायत की है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ।

जांचोपरांत दिनांक 5-11-81 को ग्राम चाँदपुर में मौके पर प्रार्थी श्री सुखराम को भूमि संख्या 154/रकबा 10 बिसुवा पर नाप करवाकर कब्जा करवा दिया गया तथा उक्त भूखण्ड पर से श्री रमाशंकर व शिव शंकर पुत्रगण बिन्दादीन व श्रीमती महराजा पत्नी बिन्दादीन का अनाधिकृत कब्जा हटवा दिया गया है।

जनपद फैजाबाद, तहसील अकबरपुर में गन्ना काश्तकारों पर बकाया गन्ने का मूल्य

34—**श्री प्रियदर्शी जेतली—**

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद तहसील अकबरपुर में कितने गन्ना काश्तकारों का सन् 1971 का गन्ने का मूल्य बकाया है ? तथा इनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

रत्ना शुगर मिल, शाहगंज ने वर्ष 1978-79 में तहसील अकबरपुर के किसानों द्वारा आपूर्ति किये गये समस्त गन्ने का मूल्य अकबरपुर मिल समिति को भुगतान कर दिया था। परन्तु मिल समिति में गबन हो जाने के कारण लगभग 439 पर्चियों का भुगतान किसानों को नहीं हो पाया है मामले की जाँच पुलिस कर रही है। जाँचोपरान्त देय बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को करा दिया जायेगा। जाँच कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।

35–36—**श्री प्रियदर्शी जेतली—**

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री अब्दुल रसीद, चपरासी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी कार्यालय, राठ की पारिवारिक पेंशन तथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान

37—**श्री किरनपाल सिंह—**

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व० श्री अब्दुल रशीद, चपरासी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कार्यालय राठ जिला हमीरपुर जिनकी मृत्यु दिनांक 17-1-78 को हुई थी की विधवा श्रीमती बशीरन को पारिवारिक पेंशन अभी तक निर्धारित नहीं हुई है तथा पारिवारिक पेंशन तथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ ? यदि हाँ, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

स्वर्गीय श्री अब्दुल रशीद नहीं वरन् स्वर्गीय श्री रशीद अहमद, चपरासी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कार्यालय राठ जिला हमीरपुर में कार्यरत थे जिनकी मृत्यु दिनांक 17-1-1978 के अपरान्ह में हुई थी। पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी सभी कागजात बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कुल पहाड़-हमीरपुर के रजिस्टर्ड पत्र संख्या 1334/पी० एफ० चपरासी/82 दिनांक 23 सितम्बर, 1982 द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजे जा चुके हैं।

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि रुपया 712-00 बिल संख्या 468 दिनांक 4-2-1983 द्वारा आहरित कर लिया गया है। जो तहसील कुलपहाड़ में भुगतान हेतु अवशेष है। श्रीमती बशीरन को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, कुलपहाड़-हमीरपुर के पत्र दिनांक 19-2-1983 द्वारा सूचित किया गया है कि वह कार्यालय उपस्थित होकर उक्त धनराशि प्राप्त करें।

ग्राम गौनारे, जिला बस्ती के भूमिहीनों को आंवटित भूमि पर दिया गया कब्जा

38 --**श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ**—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी बस्ती को दिनांक 3-11-82 को कितने प्रार्थना पत्र ग्राम गौनारे, परगना महुली पश्चिम तप्पा जगरनाथपुर तहसील व जिला बस्ती के ऐसे भूमिहीनों के प्राप्त हुए हैं जिनको ग्राम समाज की भूमि सरकारी नियमानुसार पट्टे पर आंवटित की गई थी और उन्हें उक्त तिथि तक उनकी आंवटित भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया ? उक्त प्रार्थना पत्र में से कितने लोगों को आंवटित भूमि पर कब्जा दिलाया जा चुका है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं, दिनांक 3-11-82 को प्रश्नगत किसी प्रार्थना पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता। प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत गाँव के सभी पट्टेदार आँवटित कृषि भूमि पर काबिज हैं।

39 —**श्री मोतीलाल देहलवी**—

[7वें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बिल्हौर क्षेत्र, कानपुर के ओला पीड़ित किसानों के साथ उत्पीड़क कार्यवाही संबंधी पत्र तथा शासन द्वारा लगान माफ करने के संबंध में कृत कार्यवाही

40—**श्री मोतीलाल देहलवी**—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिल्हौर क्षेत्र कानपुर के ओला पीड़ित किसानों के साथ उत्पीड़क कार्यवाही संबंधी प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 19-5-82 के संदर्भ में श्री रामशरण वार्ष्णेय, उप सचिव राजस्व द्वारा जो उत्तर अ० शा० प० सं० 3448/1-10-82 दिनांक जून 26,82 प्रश्नकर्त्ता को दिया गया है उसके अनुसार जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) को कब व क्या निर्देश दिये गए थे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 19-5-82 की प्रतिलिपि जिलाधिकारी कानपुर को अ०-शा०प०सं० 3448/1-10-82 दिनांक 26 जून, 82 भेजते हुए उसमें उल्लिखित बातों पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर स्थिति से प्रश्नकर्त्ता को भी अवगत कराने के लिए निर्देश दिये गये हैं।

41—**श्री मोतीलाल देहलवी**—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत 1 मार्च 1982 से 1 मई, 1982 के मध्य जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत ब्लाक बिल्हौर व ब्लाक ककवन से सम्बन्धित गाँवों

में ओलों के कारण फसलों की बर्बादी की सूचना टेलीग्राम अथवा पत्रों द्वारा राजस्व मंत्री या मुख्य मंत्री को प्राप्त हुई थी ? यदि हाँ, तो किसकी ओर से तथा शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री बैजनाथ कुरील —

जी हाँ ।

माननीय विधायक (प्रश्नकर्ता) का एक पत्र दिनाँक 26-3-83 जो जनपद कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में 23 व 24 मार्च, 1982 को हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों का लगान माफ करने के संबंध में था, शासन को प्राप्त हुआ । इसके पूर्व प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित नियम 301 के अन्तर्गत तदविषयक एक नोटिस भी प्राप्त हुई, जिस पर जिलाधिकारी कानपुर देहात से आख्या प्राप्त की गई और उसके आधार पर माननीय विधायक (प्रश्न-कर्ता) को शासकीय पत्र दिनांक 17-4-82 द्वारा यह सूचित कर दिया गया था कि जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है, वहाँ कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है तथा इससे कम क्षति वाले क्षेत्रों में वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही रोक दी गयी है । इसके अतिरिक्त तकावी वितरण की भी व्यवस्था की गई है । राजस्व में छूट दिये जाने के संबंध में भी नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

तहसील औरैया तथा विधुना में ओलावृष्टि से प्रभावित ग्राम, क्षति तथा दी गई सहायता का विवरण

42—श्री धनीराम वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा की औरैया एवं विधूना तहसील में ओलावृष्टि से 1387 फसली और 1389 फसली में कितने ग्राम प्रभावित हुए और उन गाँवों की नष्ट हुई फसलों का प्रतिशत क्या था ? क्या उन तहसीलों के ओला प्रभावित गांवों को कोई सहायता दी गयी है ? यदि हाँ, तो कितनी और किस रूप में, क्या प्रभावित ग्रामों के कृषकों के खेतों के लगान में छूट दी गई है ? यदि हाँ, तो किस अनुपात में और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

तहसील औरैया तथा विधुना में रबी 1386 फ० तथा रबी 1389 फ० में ओला-वृष्टि से प्रभावित ग्रामों, क्षति का प्रतिशत, लगान में छूट तथा दी गई सहायता का विवरण संलग्न तालिका में दिया जा रहा है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ····पर)

जनपद इटावा की औरैया और विधुना तहसील में सूखा एवं उपलवृष्टि से क्षति तथा अहेतक-सहायता

43—श्री धनीराम वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद इटावा की औरैया और विधुना तहसील में 1387 फसली 1388 फसली एवं 1389 फसली में बाढ़ सूखा एवं उपलवृष्टि से भीषण तबाही हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने अहेतुक सहायता और गृह अनुदान के रूप में किस तहसील को कितना रुपया वितरित किया है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद इटावा की औरैया और विधुना तहसीलें 1387, 1388 व 1389 फसली में बाढ़, सूखा एवं उपलवृष्टि से प्रभावित हुई तथा उक्त तहसीलों में निम्नलिखित धनराशि अहेतुक सहायता व गृह निर्माण अनुदान के रूप में वितरित की गयी :—

नाम तहसील	अहेतुक सहायता रु०	गृह निर्माण अनुदान रु०
1–औरैया	7,14,534	16,07,800
2–विधुना	19,41,800	17,84,000

जनपद खीरी को तहसीलदार और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार बाढ़ पीड़ितों को वितरित धनराशि

44—**श्री छेदालाल चौधरी—**

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1981-82 में जनपद खीरी की चार तहसीलों में तहसीलवार और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार बाढ़ पीड़ितों के लिये गृह अनुदान या अहेतुक सहायता के रूप में कुल कितना रुपया शासन से स्वीकार हुआ? उनमें से कितना-कितना कब और कहां-कहां बांटा गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वित्तीय वर्ष 1981-82 में जनपद खीरी को तहसीलवार और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार बाढ़ पीड़ितों के लिए गृह अनुदान या अहेतुक सहायता के रूप में धनराशि शासन से स्वीकृत नहीं हुई बल्कि पूरे जनपद के लिये गृह अनुदान के रूप में रु०5,50,000.00 तथा अहेतुक सहायता के रूप में 7,50,000-00 रु० शासन से स्वीकृत हुआ। जिला प्रशासन द्वारा किये गये इस आवंटन के वितरण का ब्यौरा संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ''' पर।)

जनपद खीरी के परगना कुकरा, भूड़ तथा पैला में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन शासन में निहित घोषित अतिरिक्त भूमि पर कब्जा तथा आवंटियों को विवरण

45—**श्री छेदालाल चौधरी—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के परगना कुकरा, भूड़ तथा पैला में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष 1981-82 तक परगनावार कुल कितनी बचत की भूमि घोषित होकर शासन में निहित हुई और कितनी पर शासन को कब्जा मिल गया और उसका वितरण हो गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद खीरी के परगना कुकरा, भूड़ तथा पैला में उत्तर प्रदेश अधिनियम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष 1981-82 तक परगनावार क्रमशः 1281-700 एकड़ 2998-480 एकड़ तथा 308-541 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित होकर शासन में

निहित हुई और क्रमशः 1131-540 एकड़, 2510-604 एकड़ तथा 296-999 एकड़ पर शासन द्वारा कब्जा लिया गया। कब्जे में ली गई भूमि में से क्रमशः 1014-971 एकड़, 2001-110 एकड़ व 281-996 एकड़ भूमि का वितरण किया गया।

46—**श्री छेदालाल चौधरी**—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त उल्लिखित बचत की भूमि जिन आवंटियों में वितरित हुई उनमें कितने हरिजन और निर्बल वर्ग के लोग हैं और अन्य जाति के कितने लोग हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

बचत की भूमि जिन आवंटियों में वितरित की गई उसमें 602 आवंटी हरिजन और 573 आवंटी निर्बल वर्ग के तथा 32 आवंटी अन्य जाति के लोग हैं।

47—**श्री कुबेर भण्डारी**—

[8 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

डा० राम सिंह, ग्राम गोपाली पट्टी, जिला आजमगढ़ द्वारा ग्राम सभा की सार्वजनिक जमीन पर अवैध निर्माण सम्बन्धी शिकायती पत्र

48—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें डा० राम सिंह, ग्राम गोपाली, पट्टी जिला आजमगढ़ द्वारा प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र सं० 582 दि० 13-9-82 जिसमें ग्राम सभा की सार्वजनिक जमीन पर कुछ जबर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किये जाने की शिकायत की गयी, मिली ? यदि हां तो क्या शासन द्वारा उस अवैध कब्जा को हटवाया गया और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है।

बलिया जनपद के भूतपूर्व विधायक श्री शम्भूनाथ चौधरी द्वारा बलिया के तहसीलदार के विरुद्ध दिया गया कथित शिकायती पत्र

49—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में भू०पू०विधायक श्री शम्भूनाथ चौधरी ने सितम्बर, 1982 में बलिया तहसील के तत्कालीन तहसीलदार (श्री रामायण लाल) द्वारा निजी स्वार्थ में गांव सभाओं की सम्पति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए एक शिकायती-पत्र दिया है ? यदि हां, तो वह शिकायती पत्र क्या है अब तक उस पर जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं तथा इन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

झांसी जनपद को अतिवृष्टि तथा सूखा ग्रस्त इलाकों में राहत कार्य हेतु वितरित धनराशि

50—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1981-82 में झाँसी जनपद को अतिवृष्टि तथा सूखा-ग्रस्त इलाकों के हेतु कितना धन राहत कार्य के रूप में प्राप्त हुआ था तथा कितने ऐसे गाँव हैं जिनमें 50 से 90 प्रतिशत तक नुकसान होने पर भी राहत कार्य की धनराशि प्रयोग नहीं की गयी ? यदि हां तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1981-82 में झाँसी जनपद के अतिवृष्टि तथा सूखाग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 4,00,000 रु० उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत देने हेतु अहेतुक सहायता, गृह निर्माण अनुदान तथा आपदा तकावी की मदों में कुल 4,00,000 रु० की धनराशि आवंटित की गई।

ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहाँ 50 से 90 प्रतिशत तक हानि होते हुए राहत कार्य की धनराशि प्रयोग न की गई हो।

बिक्री-कर विभाग में विभिन्न वेतनमानों में स्वीकृत लिपिकों के पदों में स्थायी व अस्थायी पदों की संख्या व अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

51—**श्री हरगोविन्द वर्मा**—

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि बिक्रीकर विभाग उ०प्र० में वेतनमान 515–860, 470–735 एवं 430–685 में (प्रत्येक) में कितने पद स्थायी/अस्थायी रूप में स्वीकृत हैं इन पदों, पर कितने अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं ? क्या इन पदों में निर्धारित 18 प्रतिशत कोटा पूर्ण न होते हुए भी हरिजन कर्मचारियों को दिनांक 6-10-82 एवं 9-11-82 को उक्त पदों से प्रत्यावर्तित कर दिया गया है ? इसकी जाँच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

बिक्रीकर विभाग में संदर्भित वेतनमानों में स्वीकृत लिपिकों के पदों के सम्बन्ध में वाँछित सूचना निम्नवत है :—

वेतनमान	स्थायी पदों की संख्या	अस्थायी पदों की संख्या	अनु०जाति/जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
रु० 515–860	54	4	10
रु० 470–735	85	3	12
रु० 430–685	755	185	94/1

दिनांक 6-10-1982 को वेतनमान रु० 515–860 में तदर्थ रूप से पूर्व पदोन्नत किये गये अनुसूचित जाति के 3 लिपिकों को व वेतनमान रु० 430–685 में तदर्थ रूप से पूर्व में पदोन्नत किये गये 2 अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति के लिपिक को प्रत्यावर्तित किया गया। दिनांक 9-11-1982 को वेतनमान 430–685 में पूर्व में तदर्थ रूप से पदोन्नत किये गये 4 अनुसूचित जाति के लिपिकों को प्रत्यावर्तित किया गया। जिन अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन दिनांक 6-10-1982 व 9-11-1982 को किया गया वे तदर्थ रूप से इन वरिष्ठ पदो पर उस समय तक के लिये पदोन्नत किये गये थे जबतक इन पदों पर नियमित रूप से चयन के उपरान्त पदोन्नतियाँ नहीं हो जाती। इन पदों पर नियमित रूप से चयनित करके पदोन्नतियाँ किए जाने के परिणाम स्वरूप तदर्थ रूप से पदोन्नत अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रश्नगत कर्मचारियों को शासनादेश संख्या भा-स-50/चालीस–1, 81-13/203-79 दि० 3-9-1982 के अनुसार प्रत्यावर्तित किया गया है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

यू०पी० कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन लि० लखनऊ में नई नियुक्तियां तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोटा एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी

52—**श्री अम्बिका सिंह**—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू०पी० कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन लि०. लखनऊ में वर्ष 1982 से अब तक कितनी नई भर्ती मुख्यालय पर की गयी है ? इस सम्बन्ध में रोजगार कार्यालय से मांगे जाने वाले नाम और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कितने लोग रखे गए हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यू०पी० कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन लि०, लखनऊ में वर्ष 1982 से अब तक पांच आशुलिपिक तथा एक चौकीदार की नई भर्ती की गई है। आशुलिपिक पद के लिये रोजगार कार्यालय से व विज्ञापन द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर परीक्षा व साक्षात्कार लेकर चयन किया गया था। रोजगार कार्यालय में सर्वश्री रामदयाल, महीपाल कुरील, रामेश्वर प्रसाद, हरीकृष्ण व श्रीकान्त प्रसाद के नाम भेजे, जिनमें से केवल एक व्यक्ति परीक्षा में सम्मिलित हुआ और वह उपयुक्त नहीं पाया गया। नियुक्त किये गये पाँच आशुलिपिकों में से एक अनुसूचित जाति का है तथा अनुसूचित जनजाति का कोई नहीं है। सीधे प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर चौकीदार के पद पर एक भूतपूर्व सैनिक को तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया है।

53—**श्री अम्बिका सिंह**—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू०पी० कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन लि० लखनऊ में इस समय कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं इनको बुलाए जाने का क्या कारण है ? इन लोगों को कब तक उनके मूल विभाग में वापस कर दिया जायगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यू०पी० कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि., लखनऊ में 19 अधिकारी व कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। संघ द्वारा सम्पादित किये जा रहे विभिन्न कार्यों की महत्ता एवं आवश्यकता के अनुसार उनको प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था। संघ को इनकी

सेवाओं की आवश्यकता न रहने पर अथवा शासन द्वारा उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि और न बढ़ाये जाने पर उन्हें उनके मूल विभाग को वापस किया जा सकेगा।

यू०पी० कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन में राजकीय सेवा से सेवा निवृत होने के बाद दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी

54—**श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय**—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू०पी० कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन लि०, लखनऊ में कितने कर्मचारी/अधिकारी ऐसे हैं जिनको सरकारी कर्मचारी के पद से अवकाश प्राप्त करने के बाद दैनिक वेतन पर रखा गया है ? इसका क्या औचित्य है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यू०पी० कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन लि०, लखनऊ में तीन सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें राजकीय सेवा से सेवा-निवृत्त होने के बाद दैनिक वेतन पर रखा गया है। बराबर चेष्टा करने के उपरान्त भी इन पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सके हैं, अतः इन्हें दैनिक वेतन पर बनाये रखा गया है। शासन के नवीनतम आदेशों के परिपेक्ष्य में इन व्यक्तियों को कार्यमुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

55—**श्री हरगोविन्द वर्मा तथा**
श्री राम करन—

[5 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शासन द्वारा जनपद गोरखपुर के लिए अहेतुक सहायता

56—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1979-80 में जो अहेतुक सहायता के लिए 80 लाख रुपया शासन ने गोरखपुर जनपद के लिए भेजा था इसके सम्बन्ध में श्री संकठा प्रसाद यादव की शिकायत पर जाँच होने पर करीब 28 लाख रुपए का घपला प्रकाश में आया ? यदि हां, तो इस प्रकरण से सम्बन्धित अधिकारियों एवं जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1979-80 में शासन द्वारा जनपद गोरखपुर के लिए अहेतुक सहायता के अन्तर्गत न तो 80 लाख रु० आवंटित किया गया है और न ही श्री संकटा प्रसाद यादव का कोई शिकायती पत्र ही प्राप्त होना पाया जाता है। उक्त वर्ष में किसी प्रकार के घपले का मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, इसलिए किसी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के ग्राम पुरुषोत्तमपुर में सार्वजनिक मार्ग के अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में पत्र

57—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के ग्राम पुरुषोत्तमपुर, डा० लक्ष्मीपुर में एक दंगा से सम्बन्धित सार्वजनिक मार्ग के अवरुद्ध

होने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि० 20-8-82 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में बाढ़ से क्षति तथा राहत कार्य

58 —**श्री हरिवंश सहाय—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में बाढ़ से 1 जुलाई, 1982 से 30 सितम्बर, 82 के बीच कितनी क्षति हुई ? कितने लोग मरे तथा राहत कार्य क्या किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद चमोली में तहसील व उप तहसील खोलने का प्रस्ताव तथा निर्णय

59 —**श्री कुंवर सिंह नेगी**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में कितनी तहसील एवं उप तहसील खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? इन पर कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रदेश में तहसीलों के पुनर्गठन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु दिनांक 18 मई, 1982 को अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा चुका है । उक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी तथा शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

श्री मिट्ठू लाल, भांग व्यापारी, लखनऊ को दिया गया ठेका

60 —**श्री यदुनाथ सिंह—**

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के 2 रे शुक्रवार, दिनांक 27-8-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या -21 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विभाग की जानकारी में यह बात होने के बावजूद भी आबकारी ठेकेदार फर्जी नामों से अथवा नौकरों के नाम से ठेका लेते हैं ? क्या अधिकारी ने कर-निर्धारण से पूर्व इस बात की जाँच की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त —

विधान सभा के वित्तीय सत्र 82 के दूसरे शुक्रवार दिनाँक 27-8-82 का अतारांकित प्रश्न संख्या 21 सर्व श्री मिट्ठू लाल, भाँग व्यापारी, लखनऊ से सम्बन्धित था । श्री मिट्ठू लाल पुत्र श्री बिहारी लाल स्वयं कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनाँक 28-1-78 को उपस्थित हुए थे और वर्ष 76-77 में ठेका लेना स्वीकार किया था । अतः ठेका फर्जी नाम से अथवा नौकरों के नाम से लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

व्यापारी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कर-निर्धारण की कार्यवाही में भाग लेने के कारण जाँच की आवश्यकता नहीं पड़ी।

61—**श्री राजकुमार राय—**

[9 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अवैतनिक विधि परामर्शदाता की नियुक्ति के बाद से उनकी कार्य अवधि के दौरान यात्रा भत्ता तथा विधिक भत्ता फैक्ट्री से सम्बन्धित मामलों में पैरवी तथा सम्पादित किये गये कार्य

62—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा**
श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1 ले शुक्रवार के अता० प्र० सं० 111 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि नियुक्ति के बाद सन्दर्भित विविध परामर्शदाता को प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि टी० ए०, डी० ए० आदि मद में दी गयी ? कितने मुकदमे में वे किस-किस अदालत में प्रबन्धाधिकरण की ओर से पैरवी किए ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वर्ष 1977 में अवैतनिक विधि परामर्शदाता की नियुक्ति के बाद से वर्ष 1982 में लगभग छः वर्ष की उनकी कार्य अवधि के दौरान यात्रा भत्ता तथा विधिक व्यय हेतु कुल रु० 38,177.00 अग्रिम के रूप में दिया गया था, जिसमें से लगभग रु० 24,500 का समायोजन यात्रा भत्ता बिल आदि के रूप में किया गया तथा 10,400 की वसूली विधि परामर्शदाता के मृतक पिता की ग्रेच्युटी के रूप में चीनी मिल से मिलने वाली धनराशि समायोजन द्वारा की गयी। अग्रिम में से लगभग रु० 3,300 की धनराशि का समायोजन अभी नहीं हो सका। अवैतनिक परामर्शदाता द्वारा उक्त अवधि में उच्च न्यायालय, गोरखपुर में श्रम न्यायालय तथा लखनऊ और गोरखपुर स्थित उप श्रमायुक्त, गन्ना आयुक्त तथा जिला गन्ना अधिकारी, गोरखपुर के समक्ष फैक्ट्री से संबंधित मामलों में पैरवी की गई और अन्य प्रशासनिक कार्य सम्पादित किये गये।

63—**प्रो. चन्द्र प्रकाश शर्मा—**

[8 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बुन्देलखण्ड विकास परिषद के गठन की माँग

64—**प्रो. चन्द्र प्रकाश शर्मा—**

क्या नियोजन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि बुन्देलखण्ड के सर्वांगीण विकास हेतु बुन्देलखण्ड विकास परिषद के गठन करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनाँक 2 अगस्त, 1982 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हाँ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त माननीय सदस्य को अवगत कराया गया है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु "उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम", "बुन्देलखण्ड

विकास सलाहकार परिषद" एवं "बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण" पूर्व से ही गठित है। ऐसी स्थिति में नई समानान्तर संस्था के गठन करने के बजाय इन्हीं संस्थाओं को सक्रिय एवं सुदृढ़ बनाना श्रेयस्कर प्रतीत होता है।

पर्वतीय पटवारी एसोसिएशन, कुमाऊं एवं गढ़वाल मण्डल की मांगों पर निर्णय

65—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि० 4 मई, 1982 को मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में पर्वतीय पटवारी एसोसिएशन, कुमाऊं एवं गढ़वाल मण्डल के प्रतिनिधियों के साथ उनकी माँगों के सम्बन्ध में कोई बैठक हुई थी ? यदि हाँ, तो इसमें क्या निर्णय लिये गये हैं और अब तक इन निर्णयों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ, बैठक में पर्वतीय पटवारी एसोसिएशन की माँगों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन की माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के उपरान्त शासन द्वारा उनकी निम्नलिखित माँगों को स्वीकार कर लिया गया है :—

(1) पुलिस और वसूली कार्य हेतु विशेष भत्ता	(1) 50 रु० प्रतिमाह, उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पटवारी पुलिस और वसूली दोनों कार्य करता है।
	(2) 25/- प्रतिमाह उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पटवारी केवल वसूली का कार्य करता है।
(2) स्टेशनरी भत्ता	(3) वर्तमान 5/- रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 10/- प्रति माह।
(3) गोसवारा भत्ता	वर्तमान 15 रु० और 10 रु० प्रति माह के स्थान पर 20/- प्रति माह।
(4)	पटवारी और कानूनगो के साथ चपरासी और चेनमैन को उपयुक्त वर्दी देने की व्यवस्था की जाय।

उपरोक्त मद संख्या (1) से (3) के सम्बन्ध में 1 जून, 1982 से स्वीकृति देने के आदेश दिनाँक 14 जनवरी, 1983 को जारी किये जा चुके हैं। मद संख्या (4) के संबंध में वर्दी की स्वीकृति के आदेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश की विभिन्न वर्गों की चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का बकाया गन्ना मूल्य

66—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना उत्पादकों के चीनी मिल मालिकों की तरफ गन्ने की कीमत 1 दिसम्बर, 1982 को कितनी धनराशि बकाया है ? भुगतान में विलम्ब की क्या वजह है और कब तक पूर्ण भुगतान हो जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रदेश की विभिन्न वर्गों की चीनी मिलों पर दिनाँक 1-12-82 को गन्ना उत्पादकों के गन्ने की कीमत का कुल 43.07 करोड़ रुपया बकाया था जो 28-2-83 को घटाकर 17.87 करोड़ रुपया रह गया है।

वर्ष 1981-82 से पूर्व वर्षों का अवशेष गन्ना मूल्य 4.39 करोड़ रुपया है इसमें अधिकांश धनराशि विवादग्रस्त है। वर्ष 1981-82 के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु हर सम्भव सुविधा भारत सरकार की सहायता से दी जा चुकी है। बैंकों का मार्जिन 25 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत किया गया तथा बफर स्टाक बनाकर भी मार्जिन की कुछ धनराशि मिलों को उपलब्ध करायी गयी। खुले बाजार में चीनी के भाव निरन्तर कम होने के कारण अधिकाँश मिलों के कैश क्रेडिट लेखों में डैफिसिट हो गयी है। फिर भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गत वर्ष के अवशेष गन्ना मूल्य का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करा दिया जाय।

श्री राम शंकर, ग्राम हरसाई जिला बस्ती द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में पत्र

67—**श्री राज किशोर राव**—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम शंकर पुत्र रामआसरे ग्राम हरसाई, तह० खलीलाबाद, जिला बस्ती का प्रार्थनापत्र पट्टे पर दी गयी ग्राम समाज की भूमि सं० 1452 पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में श्री राम आसरे वर्मा, नेता प्रगतिशील विधायक दल के पत्र के साथ दि० 27-8-82 को उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस पर अब तक प्रस्तर वार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ।

प्रश्नगत भूमि के विषय में राम उजागिर आदि तथा गाँव सभा आदि के बीच मुकदमा तहसीलदार खलीलाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद जालौन में नई तहसील बनाने का निर्णय

68—**श्री शंकर सिंह**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन में नई तहसील बनाने की योजना इस समय शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस तहसील का मुख्यालय कहाँ होगा ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी तथा आयुक्त, झाँसी मण्डल ने तहसील मुख्यालय कहाँ बनाने की संस्तुति की है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रदेश में तहसीलों के पुनर्गठन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु शासन द्वारा अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में दिनाँक 18 मई, 1982 को एक समिति का गठन किया जा चुका है। उक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी तथा शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

चकबन्दी विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सारणीयकों के स्थायीकरण की कार्यवाही

69—**श्री सन्त बक्स रावत**—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सारणीयकों (टेबुलेटरों) को अब तक स्थाईकरण की सुविधा क्यों नहीं प्रदान की गयी है जबकि यह पद वर्ष 1960 से सृजित है और अन्य पदों पर स्थायीकरण की सुविधा प्रदान की गयी है ? सारणीयकों की वरिष्ठता सूची तथा स्थायीकरण के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है तथा इन्हें स्थायीकरण की सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

पहले लिपिकों तथा सारणीयकों (टेबुलेटरों) की अलग अलग कोटिक्रम सूची बनी हुई थी लेकिन सारणीयकों एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवा नियमावली 1980 के अनुसार अब जिला अधिष्ठान के लिपिकों तथा सारणीयकों का संवर्ग एक हो गया है। अतः इन्हें अब लिपिकों के साथ कोटिक्रम सूची में सम्मिलित कर वरिष्ठताक्रम के अनुसार स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

श्री सियाराम, ग्राम व पोस्ट मझगवां शरीफ, जनपद बाराबंकी का आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र

70—**श्री जमुना प्रसाद—**

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा संस्तुत श्री सियाराम ग्राम पोस्ट मझगवां शरीफ, तह० फतेहपुर, जनपद बाराबंकी को बाढ़ राहत के सम्बन्ध में माह दिसम्बर, 1982 में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ।

श्री सियाराम, ग्राम व पोस्ट मझगवाँ शरीफ, तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी का प्रार्थना पत्र आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में दिसम्बर, 1982 में प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधिकारी बाराबंकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। जिला प्रशासन द्वारा प्रार्थना पत्र पर जाँच कराई गई। जाँचोपरान्त सहायता पाने के पात्र नहीं पाये गये। अतः कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई।

71—**ब्रज किशोर मिश्र—**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम तपसी पुरवा, तससील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में समुचित चकरोड़ की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कार्यवाही—

72—**श्री विष्णुदयाल वर्मा—**

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तपसी पुरवा, मजरा धमौड़ा, तह० महमूदाबाद, जिला सीतापुर में की गयी चकबन्दी में उक्त गाँव के पूर्व में स्थित गाटा सं० 1221/2 में चक रोड छोड़ा गया था परन्तु उक्त गाँव के कुछ व्यक्तियों ने उक्त चकरोड को निरस्त करवा दिया है ? जिससे उक्त ग्रामवासियों के आने-जाने का रास्ता बिल्कुल बन्द हो गया है और गाँव वालों को असुविधा हो रही है ? क्या मन्त्री जी इस सम्बन्ध में किसी उच्च अधिकारी द्वारा मौके की जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम धमौड़ा तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर के तपसीपुरवा के पूर्व में गाटा संख्या 1221/2 स्थिति नहीं है। यह गाटा मजरा तपसीपुरवा से पश्चिम-उत्तर दिशा में लगभग एक किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह गाटा प्रारम्भ से ही चकबन्दी प्रक्रियाओं

से प्रथक है अतः चकरोड प्रदिष्ट ही नहीं किया गया। चकरोड निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। गाँव में समुचित चकरोड की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच, लखनऊ द्वारा बिक्रीकर कार्यालय लखनऊ के चौकीदार श्री भरत लाल की बहाली तथा वेतन भुगतान

73 —**श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ ने अपने निर्णय दि० 5-8-81 से बिक्रीकर कार्यालय, लखनऊ के चौकीदार भरत लाल के नौकरी से निकालने के आदेश दि० 13-10-67 को रद्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इस चौकीदार को उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सेवा में रख लिया गया है ? क्या इनको सेवा पृथक की तिथि से पुनः रखने की तारीख का वेतन भत्ता सहित मिल गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हाँ।

जी हां।

जी नहीं।

आयुक्त बिक्रीकर को आवश्यक आदेश भेज दिये गये हैं। उनके द्वारा भुगतान वर्तमान वर्ष में कर दिया जायेगा।

लखनऊ में विदेशी मदिरा की दुकानों पर मारे गये छापे व पंजीकृत विदेशी मदिरा के दुकानदारों का विवरण

74—**श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ में ता० 30-12-82 को जिला प्रशासन ने विदेशी मदिरा की दुकानों पर छापा मार करके बिक्री-कर की लाखों रुपए की कर वंचना पकड़ी है ? यदि हां, तो कितने विदेशी मदिरा की दुकानदारों ने वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 में पंजीकरण कराया और कितनों ने नहीं कराया ? क्या बिक्रीकर अधिकारी सचल दल ने अवैध रूप से विदेशी मदिरा को लाते हुए पकड़ा ? यदि हाँ, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

लखनऊ में विदेशी मदिरा की दुकानों पर छापे पुलिस द्वारा मारे गये थे। बिक्रीकर विभाग इसके बारे में छानबीन कर रहा है। बिक्रीकर कार्यालय लखनऊ के अभिलेख पर पंजीकृत व अपंजीकृत विदेशी मदिरा के दुकानदारों का विवरण निम्नवत् है :—

	80-81	81-82	82-83
पंजीकृत	13	10	11
अपंजीकृत	17	13	17

नोट :—वर्ष 81-82 व 82-83 प्रत्येक के लिए दुकानदारों ने पंजीयन के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था किन्तु उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। अतः उनको अपंजीकृत में शामिल किया गया है।

विक्रीकर अधिकारी सचल दल लखनऊ ने बिना प्रपत्र के आयातित 200 कार्टन तियर दिनाँक 12-9-82 को अभिग्रहीत किया था जिस पर रु० 3,200/- अर्थदंड लगाया गया है, जो श्री बाँके बिहारी पुत्र श्री राज बहादुर, चारबाग लखनऊ द्वारा जमा कर दिया गया है ।

सहकारी चीनी मिलों में प्रधान प्रबन्धकों के रिक्त पदों हेतु पी०सी०एस० अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

75—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि सहकारी चीनी मिलों में प्रधान प्रबन्धकों के पदों के लिए चयन जून, 1980 में हो गया था ? यदि हाँ, तो किन-किन अधिकारियों का चयन प्रधान प्रबन्धक के पद पर हुआ तथा चयन किए हुए कितने अधिकारियों की नियुक्ति हो गयी है और कितनों की नियुक्ति शेष है ? क्या यह सही है कि चयन किए हुए अधिकारियों के स्थान पर पी०सी०एस० अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों किया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां ।

सर्वश्री के०के० दीक्षित, श्री एम०जी० पाण्डेय, श्री जे०सी० त्रिपाठी, श्री जे०एस० वेदी, श्री पी०बी० गन्तायत को प्रधान प्रबन्धक के पद हेतु चुना गया था, जिनमें से श्री एम० जी० पाण्डेय तथा श्री पी०बी० गन्तायत की नियुक्ति हो गई है । अवशेष तीन व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई थी, परन्तु उन्होंने नियुक्ति स्वीकार नहीं की । चयनित व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में सहकारी चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धकों के रिक्त पदों पर मिलों के कार्यहित में पी०सी०एस० के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है ।

जनपद गोरखपुर में गृह-अनुदान के रूप में वितरित धनराशि

76—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में वर्ष 82-83 में दिसम्बर, 82 तक गृह अनुदान के रूप में कितने गांवों को कितना अनुदान दिया जा चुका था ? क्या जिन गाँवों में गृह अनुदान नहीं बंटा है उसमें गृह अनुदान बाँटने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद गोरखपुर में वर्ष 1982-83 में दिसम्बर, 1982 तक 107 गांवों में कुल 32,200 रु० गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया तथा अन्य ग्रामों में भी नियमानुसार गृह अनुदान बाँटने की व्यवस्था की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर में भूमिहीन अनुसूचित जाति के परिवारों को दी गयी भूमि

77—श्री राम चरण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981-82 व 82-83 में कितने भूमिहीन अनुसूचित जाति के परिवारों को कितने एकड़ भूमि कहां-कहां दी गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार में गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित गाँव तथा गृह-निर्माण के अनुदान का वितरण

78—**राम चरण सिंह—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार में 1982-83 में गंगा नदी की बाढ़ से कितने गांव प्रभावित हुए ? किन-किन गाँवों में कितने मकान ध्वस्त हुए ? कितने लोगों को मकान गिरने के निमित्त कितना-कितना धन उपलब्ध कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार में वर्ष 1982-83 में गंगा नदी की बाढ़ से 182 गाँव प्रभावित हुए। उनमें से 85 ग्रामों में 294 मकान पूर्ण रूप से तथा 2004 मकान आँशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के 292 गृह स्वामियों में से 284 को रु० 400/- प्रति व्यक्ति तथा 8 को 200/- रु० प्रति व्यक्ति की दर से गृह निर्माण अनुदान दिया गया। 1832 आँशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के गृह स्वामियों को 200/- की दर से तथा 11 को 100/- रु० की दर से गृह निर्माण अनुदान वितरित किया गया। इन ग्रामों की सूची, क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या तथा दी गई सहायता का विवरण संलग्न तालिका में दिया जा रहा है। अब तक कुल रु० 4,82,700 गृह अनुदान वितरित किया गया है। शेष मकानों के सम्बन्ध में वितरण की कार्यवाही चल रही है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ····पर।)

तहसील चुनार में गढ़ई नदी की बाढ़ से प्रभावित गांव, क्षति एवं वितरित सहायता

79—**श्री राम चरण सिंह—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर के तहसील चुनार में वर्ष 82-83 में गढ़ई नदी की बाढ़ से क्या क्षति हुई ? अब तक उनको क्या सुविधा उपलब्ध करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार में 1982 में गड़ई नदी के बाढ़ से 61 ग्राम प्रभावित हुए। इन ग्रामों में धान की फसल को क्षति पहुँची तथा 11 ग्राम के 61 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। फलस्वरूप अनुमानित क्षति रु० 1,64,48,000/- की हुई। बाढ़ से प्रभावित 16 पात्र परिवारों को 100/- रु० प्रति परिवार की दर से 1600/- रु० की धनराशि तत्कालिक सहायता के रूप में वितरित की गई तथा अन्य प्रभावित परिवारों में सहायता के रूप में 23,375 क्विटल गेहूँ 7 बोरा नमक, 6 ड्रम मिट्टी का तेल एवं 720 अदद दियासलाई का भी वितरण किया गया। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के 61 गृह स्वामियों में से 59 गृह स्वामियों को 200/- रु० प्रत्येक की दर से 11,800/- रु० गृह अनुदान वितरित किया जा चुका है। दो व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे। अतः उन्हें उपलब्ध होने पर गृह अनुदान वितरित कर दिया जायेगा।

श्री कैलाश नाथ पाण्डे, नायब तहसीलदार, राबर्ट्सगंज के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

80—**श्री राम चरण सिंह**—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने श्री कैलाश नाथ पाण्डे, नायब तहसीलदार राबर्टस्गंज, मिर्जापुर के भ्रष्टाचार की जाँच के संबंध में दिनाँक 30-10-82 को एक पत्र उन्हें लिखा था ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ ।

नायब तहसीलदार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच राजस्व परिषद् के माध्यम से करायी जा रही है । जाँच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । जाँच शीघ्र पूर्ण करके रिपोर्ट भेजने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

81—**श्री राम चरण सिंह**—

[10 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नाका हिंडोला, लखनऊ के भांग के व्यापारी श्री राम शंकर पर बकाया बिक्री कर एवं उसकी वसूली

82—**श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि नाका हिंडोला, लखनऊ की भांग के व्यापारी राम शंकर पर वर्ष 73-74 के लिए तारीख 28-7-76 को कर आदेश पारित किया खंड 7 के अधिकारी ने और 43,200 रु० बिक्रीकर लगाया था ? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया था और महावारी रूप पत्र 4 भर कर दाखिल किये थे ? यदि नहीं, तो इस संबंध में वर्ष के दौरान क्या कार्यवाही की गयी और कितना बिक्रीकर निर्धारण से पूर्व जमा किया और कितना बिक्रीकर कर निर्धारण के पश्चात् वसूल हुआ और कितनी राजस्व की हानि हुई ? राजस्व की हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हाँ । कर दाता ने पंजीयन नहीं कराया था और रूप पत्र 4 दखिल नहीं किये थे । प्रथम व द्वितीय तिमाहियों के लिये प्रथक्-प्रथक् अस्थायी कर निर्धारण आदेश दिनाँक 13-12-73 को पारित किए गए और क्रमशः 10,800/- व 10,800/- कर आरोपित किया गया था । रु० 21,600/- की रिकवरी दिनाँक 4-3-74 को जारी कर दी गयी । कोई कर जमा नहीं हुआ । तत्पश्चात् अतिम कर निर्धारण आदेश व धारा 21 में कुल मिलाकर रु० 45,000/- की माँग सृजित की गई जिसकी वसूली के लिये प्रयास जारी है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ-कानपुर और इटावा के बिक्रीकर कार्यालयों में करदाताओं की पत्रावलियों में पाये गये फर्जी चालान तथा अर्थदण्ड की कार्यवाही

83—**श्री यदुनाथ सिंह**—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले शुक्र के लिए निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन करदाताओं की पत्रावलियों

में फर्जी चालान पाये गये उनसे कितना ब्याज वसूला गया और कितनी पेनाल्टी वसूली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

कानपुर मण्डल के सम्बन्ध में सूचना शून्य है। आठ व्यापारियों ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, दो लापता है, एक व्यापारी को अपील में कर मुक्त घोषित कर दिया गया, तथा दो मामलों में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।

लखनऊ मण्डल के एक व्यापारी से रुपया 500 ब्याज वसूल कर लिया गया है। दूसरे व्यापारी ने ब्याज की वसूली के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

दोनों व्यापारियों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करा दी गयी थी। पुलिस जाँच के पश्चात अपराध सिद्ध होने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी।

इटावा :

बिक्रीकर कार्यालय इटावा (अब भरथना मण्डल) में 22 व्यापारियों से सम्बन्धित 45 फर्जी चालान पाये गये इनमें से 19 व्यापारियों से रु० 6678-16 ब्याज की वसूली की जा चुकी है। शेष तीन फर्म बन्द हो चुकी हैं और इनसे ब्याज वसूल होने की कोई संभावना नहीं है।

अर्थदण्ड की कार्यवाही :

एक व्यापारी से रु० 600/- अर्थदण्ड की वसूली की जा चुकी है। 14 व्यापारियों के मामले में फर्जी चालान से जमा धनराशि बहुत कम थी, जो मय ब्याज के जमा करा ली गयी है और अर्थदण्ड की कार्यवाही उचित नहीं समझी गयी।

दो व्यापारियों की कर निर्धारण पत्रावलियों मुंसिफ मजिस्ट्रेट इटावा की अदालत में दाखिल करवाली गयी हैं। एक व्यापारी के विरुद्ध मुंसिफ मजिस्ट्रेट इटावा के अदालत में मुकदमा चल रहा है।

गांव हरचन्दपुर, जिला इटावा में भूमिहीन हरिजनों को दिया गया पट्टा व कब्जा

84—**श्री ऊदल—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव हरचन्दपुर, तहसील विधूना, जिला इटावा में सन् 75 से लेकर सन् 78 तक करीब तीन सौ भूमिहीनों, हरिजनों को पट्टा दिया गया है ? यदि हाँ, तो कितने पट्टेदारों को कब्जा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में शीत लहरी से व्यक्तियों की मृत्यु

85—**श्री हरिवंश सहाय—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में ठंड से कितने आदमी दिनाँक 6-1-83 तक मरे हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

दिनांक 6-1-83 तक प्रदेश में शीत लहरी से 54 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

ग्राम पिंगरी पिंगरा में ग्राम समाज की मोहाल खादर की भूमि के अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

86—**श्री सत्यपाल सिंह—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पिंगरी पिंगरा, परगना जमौर, तहसील सदर में ग्राम समाज को मोहाल खादर की भूमि के अवैध कब्जे हटाने के संबंध में ग्राम समाज के सदस्यों एवं श्री बल सिंह प्रधान द्वारा प्रस्ताव पारित करके एक प्रार्थना पत्र राजस्व मंत्री एवं जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को मय प्रस्ताव माह मार्च, 82 में दिया ? यदि हां, तो उन प्रार्थनापत्रों में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम पिंगरी पिंगरा के कुछ निवासियों का प्रश्नगत प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था। यह ग्राम चकबन्दी में है। चकबन्दी पड़ताल के दौरान गाटा–543 तथा 545 पर पाये गये अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी और उनके कब्जे खारिज किये गये।

श्री बसन्त लाल, लेखपाल, तहसील ज्ञानपुर द्वारा रिटायरमेंट आदेश के विरुद्ध दायर की गयी याचिका तथा आदेशों की निरस्ति

87—**श्री ऊदल—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बसंत लाल, लेखपाल, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी को दिनाँक 12-11-75 को रिटायर कर दिया गया ? क्या यह सही है कि अनियमित रिटायरमेंट के खिलाफ लखनऊ ट्रिब्युनल में उक्त लेखपाल ने अपील किया था और ट्रिब्युनल ने 24-3-82 को उसको मय वेतन एवं सारी सुविधा के साथ बहाल कर दिया है ? यदि हाँ, तो अब तक उक्त लेखपाल को जगह क्यों नहीं दी गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ। श्री बसन्त लाल लेखपाल ने रिटायरमेंट आदेश के विरुद्ध ट्रिब्युनल में याचिका दायर की थी। ट्रिब्युनल ने दिनाँक 24-3-82 को अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश को निरस्त कर लेखपाल को समस्त सुविधाओं सहित सेवा में माना।

लेखपाल की जन्मतिथि 27-5-1924 होने के कारण सेवा निवृत्ति की तिथि 31-5-82 थी। सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद जगह पाने के पात्र न होने के कारण इन्हें सेवा में नहीं रखा गया।

अधिकरण के निर्णय दिनाँक 24-3-82 से सेवा निवृत्ति की तिथि 31-5-82 तक अधिकरण के निर्णय का अनुपालन न किये जाने के कारणों की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

फर्म गया प्रसाद राम शंकर पाण्डेय, ठेकेदार भांग, कैसरबाग, लखनऊ पर बिक्री कर के आदेशों की तामीली तथा रिकवरी तथा दुबारा ठेका दिये जाने का औचित्य

88—**श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में फर्म गया प्रसाद रामशंकर पाण्डेय, ठेकेदार भाँग, कैसरबाग पर वर्ष 73-74 के लिए तारीख 11-3-77 को आदेश पारित किया गया और 63,937.50 बिक्री कर लगाया गया ? यदि हां, तब माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस करदाता के ऊपर प्रथम व द्वितीय तिमाही के अस्थायी कर आदेश पारित किये गये थे ? यदि हां, तो तब आदेशों की तामीलों की कौन तारीख थी और रिकवरी किस तारीख को निकाली गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

फर्म गया प्रसाद रामशंकर पाण्डेय, ठेकेदार भांग कैसरबाग पर वर्ष 73-74 के लिए आदेश दिनाँक 11-3-77 द्वारा रु० 63,937-50 कर लगाया गया।

जी हाँ।

(ग) तामीली दिनाँक 21-12-73 को हुई थी। रिकवरी दिनाँक 31-5-74 को निकाली गई।

89 – **श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या यह सही है कि क्या इस करदाता ने इसी वर्ष हुसैनगंज का ठेका 86,000 में इसी नाम से लिया था ? यदि हां, तो इनको दुबारा ठेका किस आधार पर दिया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ के कार्यालय के रजिस्टर पत्र-4 में संकलित सूचनानुसार वर्ष 1982-83 के लिए हुसैनगंज (लखनऊ) की भाँग की दुकान का ठेका श्री गया प्रसाद रामशंकर पाण्डेय, ठेकेदार को नहीं बल्कि श्री श्रीकान्त मिश्रा पुत्र श्री विष्णु शंकर मिश्रा निवासी 66/65-क छितवापुर रोड, के नाम पर है और इसे 1,70,000/–अनुज्ञापन शुल्क पर दिया गया है।

अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति खेरिया शिकमी गोहाना के प्रस्ताव के समस्त पट्टों की निरस्ति

90—**श्री हरगोविन्द वर्मा** —

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के 3 रे शुक्र दिनाँक 19-9-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक किस अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम हुआ ? यदि नहीं, तो विलम्ब के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

अतिरिक्त जिलाधिकारी के निर्णय दिनांक 3-2-1981 द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति खेरिया शिकमी गोहाना के प्रस्ताव दिनाँक 26-6-1980 के समस्त पट्टे निरस्त कर दिये गये।

ग्राम उत्तरी कौलिया, जिला गोरखपुर में राप्ती में विलीन परिवारों को बसने हेतु जमीन तथा आर्थिक सहायता

91—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तरी कोलिया, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के ग्राम प्रधान श्री हुवलाल तथा लालबहादुर ने राप्ती में विलीन 40 परिवारों को बसाने के लिए जमीन व सहायता के संदर्भ में दिनांक 13 दिसम्बर, 82 व 28 दिसम्बर, 82 को जिला अधिकारी, गोरखपुर को पत्र दिया था ? यदि हाँ, तो क्या राप्ती में विलीन परिवारों को बसने के लिये जमीन तथा आर्थिक सहायता दी गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया तथा गोरखपुर में अप्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति

92—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर एवं देवरिया जिले में वर्ष 82 में अप्रशिक्षित लेखपालों को नियुक्ति राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ । वर्ष 1982 में जनपद गोरखपुर में एक तथा जनपद देवरिया में 28 अप्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति की गयी जिसमें से दो अप्रशिक्षित लेखपालों की सेवायें प्रशिक्षित लेखपाल उपलब्ध हो जाने पर समाप्त कर दी गयी हैं । जनपद देवरिया में अप्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति सरकारी कार्य के हित में की गई है । जनपद गोरखपुर में नियुक्त अप्रशिक्षित लेखपाल 4 वर्ष अभिलेख क्रियाओं में कार्य कर चुका है ।

ग्राम सभा सिंहपुर, जिला देवरिया के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

93—**श्री हरिवंश सहाय—**

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा सिंहपुर, पो० घंटी, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया के शिकायती पत्र के साथ प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनाँक 13-10-82 का प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ—

जी हाँ प्राप्त हुआ था तथा प्रश्नकर्त्ता महोदय को शासन के पत्र संख्या-एस० 646/1-8/82 दिनांक 23 नवम्बर, 1982 द्वारा सूचित कर दिया गया था कि मामले में आवश्यक कार्यवाही करने तथा आपको अवगत कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

94—**श्री नन्दकिशोर सिंह तथा**
श्री हरिवंश सहाय—

[10 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-124 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाराबंकी जिलान्तर्गत सहकारी गन्ना समिति बुढवल के अधिकारियों के भ्रष्टाचार व अनियमितता सम्बन्धी शिकायती पत्र

95—**श्री श्याम नारायन तिवारी तथा**
श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिलान्तर्गत सहकारी गन्ना समिति बुढ़वल के अधिकारियों के भ्रष्टाचार अनियमितता से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र दिनाँक 13-7-82 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हाँ, प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है । शिकायतों की जाँच की गई और दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

मकनपुर फेयर कमेटी हायर सेकेण्डरी स्कूल, कानपुर के प्रधानाचार्य चौधरी कमर हुसैन द्वारा मंत्री जी को दिये गये आवेदन पत्र पर कृत कार्यवाही

96—**श्री मोतीलाल देहलवी—**

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत 22-8-80 को जनपद कानपुर के अन्तर्गत मकनपुर फेयर कमेटी हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्रधानाचार्य चौधरी कमर हुसैन ने मेला मकनपुर, कानपुर (देहात) को वार्षिक आमदनी से उक्त स्कूल को 1/4 भाग तथा स्कूल भवन कोष, 1966 से भुगतान न किये जाने विषयक मंत्री जी को जो आवेदन पत्र दिया था क्या उसकी जाँच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच रपट के अनुसार क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बिक्री कर विभाग में प्रदेश के बाहर से लखनऊ में मंगाई गयी विज्ञापन सामग्री तथा फार्म-सी देने के सम्बन्ध में कार्यवाही

97—**श्री यदुनाथ सिंह—**

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 2रे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अधिकारियों के विरुद्ध विज्ञापन सामग्री के लिए सी फार्म और फार्म 31 देने के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तब क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त—

विज्ञापन सामग्री के लिये फार्म-31 देने में कोई अनियमितता नहीं है । फार्म-सी देने के संबंध में एक अधिकारी का स्पष्टीकरण माँगा गया है ।

वाराणसी, कानपुर व लखनऊ में अंग्रेजी शराब, देशी शराब व ताड़ी के अपंजीकृत ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

98—**श्री यदुनाथ सिंह**—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन ठेकेदारों ने पंजीयन नहीं कराया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पंजीयन न कराने वाले ठेकेदारों का कर निर्धारण किया गया ? यदि हां, यो कितना कर लगाया गया और कितना वसूल हुआ ? वर्ष 80-81 में कितना रुपया पंजीकृत व अपंजीकृत ठेकेदारों पर कर के रूप में लगाया गया, कितना वसूल हुआ और कितना शेष है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मालगुजारी के वर्तमान स्वरूप में संशोधन/परिवर्तन के प्रश्न पर विचार

99—**श्री काशीनाथ मिश्र**—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 80 के आम चुनाव में काँग्रेस (आई) के चुनाव घोषणा के माध्यम से राज्य की जनता को घोषणा पत्र के पैरा 64 के खण्ड (11) के अन्तर्गत 5 एकड़ या उससे कम की जोतों पर छोटे किसानों के लगान माफ करने की जो बात कही गयी है उस सम्बन्ध में अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मालगुजारी के वर्तमान स्वरूप में संशोधन/परिवर्तन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

हरदोई जिले की स्वीकृत जिला योजना तथा धन का आबंटन

100—**श्री हरीशंकर**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले की वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजना शासन से किस तारीख को स्वीकृत की गई तथा धन किस तारीख को आबंटित किया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त—

शासन द्वारा जनपद की स्वीकृत जिला योजना दिनांक 25 फरवरी, 1981 के पत्र से सूचित की गई ।

जिला योजना के आधार पर विभिन्न विकास विभागों द्वारा आबंटित परिव्यय के अनुसार आय-व्ययक में प्राविधान कराकर विभिन्न तिथियों में सीधे धनराशि आबंटित की गई ।

श्री जगदीश चन्द्र बुधराजा, निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान को उनके पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित करने के आदेश

101—**श्री रामधनी**—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान के क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त अधिकारी को जुलाई 1979 को उनके पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित करने के आदेश हो गये थे ? यदि हां, तो अब तक इन आदेशों के कार्यान्वित न हो सकने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उन्हें शीघ्र उनके पैतृक विभाग भेजने पर विचार करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

श्री जगदीश चन्द्र बुधराजा, निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान को उनके पैत्रिक विभाग में प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिनांक 5 मई, 1979 को प्रसारित किये गये थे, न कि जुलाई, 1979 को । बाद में शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि उन्हें लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक उक्त पद पर बना रहने दिया जाय । लोक सेवा आयोग से नियमित शीघ्र सम्पन्न कराये जाने हेतु अनुरोध किया जा चुका है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालगंज, लखनऊ में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जांच

102—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री मान्धाता सिंह, एम. एल. सी. के ज्ञापन दिनांक 27-12-82 के साथ परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उ०प्र० के पत्र दिनाँक 4-12-82 की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की, तो उसका क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां । इस बारे में माननीय सदस्य विधान परिषद को उनके पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए यह अवगत कराया गया कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है जिसके प्राप्त होने पर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सकेगा ।

(2) हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से उनके द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत कराने हेतु कहा गया था । उन्होंने इस बारे में निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण से आख्या माँगी मँगायी है जिसके प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा ।

अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति, बालागंज, लखनऊ के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एण्ड चिट्स के ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

103—**श्री राम आसरे वर्मा**—
श्री गोपीनाथ वर्मा तथा
श्री जमुना प्रसाद—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति, बालागंज, लखनऊ के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एण्ड चिट्स उ०प्र०

के पत्रांक 7076 दिनांक 3-8-82 के संदर्भ में प्रश्नकर्त्ता के ज्ञापन दिनांक 16-10-82, 26-11-82 वित्त सचिव, उ.प्र. शासन तथा रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एण्ड चिट्स को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

प्रश्न में उल्लिखित रजिस्ट्रार के पत्र जिसका पत्रांक 7076 के बजाय 7096 है के संदर्भ में माननीय विधायक के ज्ञापन दिनांक 16-10-82 रजिस्ट्रार एवं शासन तथा ज्ञापन दिनांक 26-11-82 शासन को प्राप्त हुए हैं ।

इनके बारे में की गयी कार्यवाही निम्नवत् है :—

ज्ञापन दिनांक 16-10-82 पर की गयी ।

कार्यवाही—

माननीय विधायक को पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से सूचनायें प्राप्त किये जाने एवं रजिस्ट्रार को आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेश दिये जाने से अवगत कराया गया ।

(2) रजिस्ट्रार को यह आदेश निर्गत किये गये कि वे अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति बालागंज लखनऊ तथा उसके द्वारा संचालित प्रगति आश्रम हाई स्कूल के कार्यकलापों आदि की जाँच/निरीक्षण सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत करायें और जाँच/निरीक्षण आख्या के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें । शासन के आदेशों के अनुपालन में रजिस्ट्रार द्वारा अग्रेसर कार्यवाही की जा रही है । हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से भी कहा गया है कि वे संस्था द्वारा अनुदान के उपभोग में अनियमितता बरतने आदि के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने की व्यवस्था करें ।

ज्ञापन दिनांक 26-11-82 पर की गयी कार्यवाही

माननीय विधायक को ज्ञापन दिनांक 16-10-82 पर कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया ।

ग्राम रुद्रपुर, जिला वाराणसी के गाटा संख्या 148 पर फर्जी इन्द्राज करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही

104—श्री भीखा लाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रुद्रपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के गाटा संख्या 148 पर 1370 फ० में लक्ष्मी नाराण का नाम किस सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज किया गया और यदि किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर इन्द्राज किया गया तो उसकी दुरुस्ती के लिए क्या कार्यवाही की गई तथा फर्जी इन्द्राज करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम रुद्रपुर परगना–भदोही, तहसील–ज्ञानपुर जिला वाराणसी के गाटा संख्या 148 पर 1370 फसली में लक्ष्मी नारायण का नाम अंकित नहीं किया गया है ।

1371 फसली में लक्ष्मी नारायण का नाम अंकित है पर पिता का नाम अंकित नहीं है। इन्द्राज बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किया गया है जिसकी दुरस्ती की कार्यवाही इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि यह इन्द्राज अब तक प्रकाश में नहीं आया था और न ही इस संबंध में कोई शिकायत की गयी थी।

1370 फ० तथा 1371 फ० में श्री विश्वनाथ राय लेखपाल वहाँ तैनात थे और उन्हीं के द्वारा खतौनी बनायी गई है। श्री विश्वनाथ राय, लेखपाल के विरुद्ध उपरोक्त अनियमितता के लिए कठोर कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

लखनऊ के ईस्टर्न कन्सट्रक्शन कम्पनी, निशातगंज के बकाया रिकवरी के जारी किये गये आदेश

105—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ के ईस्टर्न कन्सट्रक्शन कम्पनी निशातगंज की वर्ष 74-75 की बकाया 1,28,000 की रिकवरी तारीख 5-5-79 को जारी की गई है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कर आदेश कब पारित किया गया था और पहली रिकवरी कब जारी की गयी थी ? क्या रूपपत्र 4 दाखिल किये गये थे ? यदि हां, तो कितना कर रूपपत्रों के साथ जमा किया गया ? इतना अधिक कर लगाने का क्या औचित्य था ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हाँ। कर निर्धारण आदेश दिनांक 20-12-78 को पारित किया गया था तथा पहली रिकबरी दिनांक 5-5-79 को जारी की गई थी। व्यापारी द्वारा कोई रूपपत्र दाखिल नहीं किये गये। आरोपित के प्रश्न को बिक्रीकर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत अपील आदि में उठाया जा सकता था।

सर्वश्री यदुनन्दन सिंह, गाँजा-भाँग के ठेकेदार पर बकाया बिक्री कर

106—श्री यदुनाथ सिंह

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के 2 रे शुक्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस करदाता के ऊपर कितना कर लगाया गया और कितना वसूल हुआ और कितना कर मारा गया ? राजस्व की हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

(क) सर्वश्री यदुनन्दन सिंह, गाँजा-भाँग ठेकेदार, पर वर्ष 1980-81 के लिए एकपक्षीय आदेश दिनांक 7-.-83 द्वारा रु० 26,500/- बिक्रीकर आरोपित किया गया था। अभी तक कोई कर वसूल नहीं हुआ है। व्यापारी ने दिनांक 2-3-83 को धारा 30 के अन्तर्गत पुनः सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जो विचराधीन है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

भीषण शीत लहर से प्रदेश में मृत व्यक्तियों की संख्या तथा अनुग्रह अनुदान वितरित करने के आदेश

107—**श्री मोहन सिंह तथा**
श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1982 के अन्तिम सप्ताह से लेकर जनवरी, 83 के प्रथम पखवारा के बीच भीषण शीत लहर में उ० प्र० में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और शीतलहरी से बचाने के लिए शासन ने क्या व्यवस्था की ? क्या मृतक परिवार को मुआवजा देने की सरकार सोच रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

दिसम्बर, 1982 के अन्तिम सप्ताह से लेकर जनवरी, 1983 के प्रथम पखवारे के बीच भीषण शीत लहर में प्रदेश के कुल 101 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई ।

शीत लहर से बचाने के लिये समस्त जिलाधिकारियों को उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने, तथा पात्र जरूरतमंद निराश्रित व्यक्तियों को कम्बल बंटवाने के निर्देश भेज दिये थे । समस्त नगर महापालिकाओं एवं समस्त नगर पालिकाओं के प्रशासकों को भी निर्देश दिये गये कि वे रात्रि शरणालयों एवं निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को अलाव जलाने हेतु लकड़ियाँ उपलब्ध करायें ।

शीत लहर से मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं किया गया अपितु रु० 1,000 की सीमा तक अनुग्रह अनुदान वितरित करने के निर्देश जारी किये गए ।

स्वर्गीय श्री हरीराम की पत्नी को फेमिली पेंशन व ग्रेच्युटी देने पर विचार

108—**श्री दिवाकर विक्रम सिंह** —

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र बाबत श्री हरीराम (मृतक) निवासी ग्राम एकडेगंवा, पो० चौरी खुर्द, जिला बस्ती जिनकी मृत्यु वर्ष 1974 में हुई थी और जो देवरिया जनपद के चकबन्दी विभाग में लेखपाल के पद पर कार्य करते थे, की विधवा पत्नी श्रीमती धूपा को पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान के विषय में सचिव, राजस्व विभाग, उ० प्र० शासन को दिनांक 6-8-82 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त विषय में क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ,

महालेखाकार द्वारा स्वर्गीय श्री हरीराम, लेखपाल की मृत्यु की तिथि पर सरकारी सेवा में न होने के कारण पेंशन प्रकरण समाप्त कर दिया गया था । फेमिली पेंशन व ग्रेच्युटी के मामले विचाराधीन हैं ।

जनपद फर्रुखाबाद में निबंधन लिपिकों के सृजित पद

109—**श्री जयदीप सिंह बरार**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद में निबंधन लिपिकों के 11 पद सृजित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि जनपद में केवल 7 निबंधन लिपिकों की

कमी है ? यदि हाँ, तो जिले में आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त पद सृजित कराने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जाँच कराकर उचित आदेश देगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हाँ ।

जनपद फर्रुखाबाद में प्रतिवर्ष 1000 लेखपत्रों पर एक निबंधन लिपिक के निर्धारित मानक पर 1981 में पंजीकृत 24282 लेखपत्रों के आधार पर कुल 24 लिपिकों की आवश्यकता थी परन्तु इसके विपरीत पूर्व स्वीकृत 10 व नये सृजित 11 पदों को मिलाकर कुल 21 पद ही दिये गये हैं जो आवश्यकता से कम हैं । अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

110—**श्री प्रमोद कुमार—**

[7 वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

111—**श्री प्रमोद कुमार—**

[7 वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लक्ष्मी शुगर मिल महोली जिला सीतापुर के ऊपर गन्ना काश्तकारों का बकाया गन्ना मूल्य

112 **श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लक्ष्मी शुगर मिल महोली, जिला सीतापुर के ऊपर गन्ना काश्तकारों का कुल कितना रुपया गन्ना सत्र 1981-82 तक बकाया है ? यह बकाया कब तक अदा कर दिया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

लक्ष्मी शुगर मिल महोली, जिला सीतापुर के ऊपर सत्र 1981-82 तक दिनांक 31-1-83 तक की स्थिति के अनुसार गन्ना काश्तकारों का कुल 145·11 लाख रुपया गन्ना मूल्य का बकाया है जिसमें से 142·32 लाख रुपया पेराई सत्र 1981-82 तथा 2·79 लाख रुपया वर्ष 1977-78 से पूर्व वर्षों का है ।

वर्ष 1981-82 के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु हर सम्भव सुविधा भारत सरकार की सहायता से दी जा चुकी है । बैंकों का मार्जिन 25 प्रतिशत से घटाकर 17·5 प्रतिशत किया गया तथा बफर स्टाक बनाकर भी मार्जिन की कुछ धनराशि मिलों को उपलब्ध करायी गयी । खुले बाजार में चीनी के भाव निरन्तर कम रहने के कारण अधिकांश मिलों के कैश क्रेडिट लेखों में डैफिसिट हो गयी है और अब अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान तभी सम्भव प्रतीत होता है जब जिन मिलों पर बकाया है उनको बाहर से वित्तीय सहायता दी जाय । प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधन बहुत सीमित हैं । भारत सरकार से प्रदेश सरकार को ऋण देने का अनुरोध किया गया है । पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गत वर्ष के अवशेष गन्ना मूल्य का शीघ्रतातिशीघ्र भुगतान करा दिया जाय ।

113—**श्री माधव प्रसाद—**

[दिनांक 18-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 69 द्वारा उत्तरित]

114—श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती,
श्री शेर बहादुर सिंह तथा
श्री प्रियदर्शी जेतली—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

हरदोई जनपद के विकास खण्ड भरावन में अग्निकाण्ड एवं सूखा राहत में की गई अनियमितताओं की कथित शिकायत

115—**श्री रामलाल वर्मा—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि वर्ष 1980 में हरदोई जनपद के विकास खण्ड भरावन के अन्तर्गत भटपुर में अग्निकाण्ड एवं सूखा राहत में की गयी अनियमितताओं की शिकायत के फलस्वरूप विजिलेंस द्वारा कोई जांच भी करायी गयी ? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? उसमें कौन-कौन उत्तरदायी रहे तथा शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार शासन द्वारा प्रश्नगत शिकायतों के संबंध में विजिलेंस द्वारा जाँच के कोई आदेश नहीं दिये गये। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में कार्यरत सहायक वासिल बाकी नवीस के विरुद्ध आरोपों की जांच

116—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—**

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में कार्यरत कितने ए० डब्लू० बी० एन० के विरुद्ध एस० डी० एम० के फर्जी हस्ताक्षर करके नियुक्ति पत्र देने एवं लाखों रुपये अनियमित ढंग से कमाने आदि से सम्बन्धित शासन व जिले के अधिकारियों एवं अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ को माह जुलाई, 82 से माह सितम्बर, 82 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ? क्या इसमें श्री राम कुँवर, सहायक वासिल बाकी नवीस का भी नाम है ? यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में कार्यरत सहायक वासिल बाकी नवीस श्री राम कुँवर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का राजस्व मंत्री जी को संबोधित पत्र दिनांक 11-9-82 शासन में प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराये जाने पर शिकायती पत्र में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये।

ग्राम सभा रसूलपुर विकास खंड शुकुल बाजार के अन्तर्गत पुरवे, नाम व जनसंख्या तथा निजी कुंए तथा सरकारी कुंए

117—**श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत कितने पुरवे हैं ? प्रत्येक का नाम व जनसंख्या क्या

है ? ग्राम सभा के अन्तर्गत कितने निजी कुएं और कितने सरकारी कुए किस भूखंड पर हैं ? निजी कुओं के मालिकान कौन-कौन हैं ? तथा क्या वे गांव के नक्शों में दर्शाये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना अभी एकत्र की जा रही हैं।

जनपद रायबरेली में मोहल्ला जहानाबाद निकट रंगमहल में स्थित मकानात संख्या 516 व 517 की बेदखली सम्बन्धी वाद

118—**श्री राम आसरे वर्मा—**

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 2रे शुक्र के अता० प्र० सं० 33 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मकान की बेदखली आदि का वाद कब से और किस न्यायालय में विचाराधीन है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

इस संदर्भ में नोटिस दिनांक 21-8-82 को जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली, द्वारा जारी किया गया है। सम्प्रति पूरा प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली, के समक्ष विचाराधीन है।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

सहारनपुर नगर के बीच से होकर बहने वाली दामोला नदी के कटान से नगर में आवासीय भवनों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने 5 को स्वीकार किया है और वे हैं—(1) श्री सुरेन्द्र कपिल, (2) श्री सरदार सिंह, (3) श्री सत्यपाल सिंह (4) श्री मुईद अहमद, और (5) श्री धनीराम वर्मा।

***श्री सुरेन्द्र कपिल—**

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में यह लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूँ कि शहर सहारनपुर के मध्य से होकर बहने वाली ढमोला नदी के कई स्थान पर सघन बस्तियों को काटना शुरू कर दिया है तथा यह कटान बेसीबाग मौहल्ला खान आलमपुरा व मौ० नरायनपुरी बस्ती के आवासीय भवनों तक पहुंच गया है जिससे गम्भीर स्थिति पैदा हो चुकी है तथा ऐतिहासिक इमारत शहनशाही मस्जिद के ढ़ह जाने की स्थिति है और गरीब मजदूर पेशा लोगों के बेघर होने की स्थिति हो गयी है।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस लोक महत्व की समस्या का तुरन्त समाधान करें तथा ढ़मोला नदी द्वारा किये गये कटान की रोकथाम के लिये कदम उठायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मथुरा जनपद की बृज संस्कृति की ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वन सम्पदा आदि को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री सरदार सिंह—**

मान्यवर, मथुरा जनपद में बृज संस्कृति के प्राचीन ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वन सम्पदा आदि महत्व की स्मृतियों को सुनियोजित ढंग से नष्ट किया जा रहा है। मंदिरों एवं मकबरों के कीमती पत्थरों एवं देवी देवताओं की मूर्तियों की चोरियां हो रही हैं। प्राचीन पाण्डुलिपियों एवं बृज साहित्य को समाप्त किया जा रहा है। मथुरा के समृद्ध पुरातत्व संग्रहालय में हुई सिक्कों की चोरी का आज तक पता नहीं चला है। हिन्दू मुस्लिम एकता और भाई चारे के लिए प्रेम का मार्ग प्रशस्त करने वाले कवि प्रवर रसखान व उनके भाई बहन की ऐतिहासिक समाधि को नष्ट किया जा रहा है। वहां के वृक्षों, करीलों, कुंजों एवं अन्य वृक्षों का कटान तेजी से हो रहा है। हमारी सम्पूर्ण बृज संस्कृति की प्राचीन एवं समृद्धशाली धरोहर को भारी खतरा है। मथुरा वृन्दावन को शासन ने अभी तक धार्मिक तीर्थ स्थान घोषित नहीं किया है। इस कारण समस्त बृजवासियों में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से शासन से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि शासन शीघ्र बृज संस्कृति को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करें और मथुरा बृन्दावन को तीर्थ स्थान घोषित करने की कृपा करें।

थानाध्यक्ष गाजीपुर (लखनऊ) द्वारा श्री ओमप्रकाश विज की भूमि पर स्थगनादेश बाद भी जबरन मकान बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री सत्यपाल सिंह—**

माननीय अध्यक्ष जी, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।

पुलिस जुर्म की पराकाष्ठा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थानाध्यक्ष गाजीपुर ने प्रारम्भ कर दी है। रामसागर मित्र नगर के निकट (भूमि के मालिक ओमप्रकाश विज पर) गाजीपुर थाने के इंचार्ज पुलिस आतंक के बल पर जबरन अपना मकान बनवा रहे हैं। अदालत से तीन बार स्थगन के आदेश पहुंचे कि निर्माण कार्य को तुरन्त रोक दिया जाय लेकिन स्थानीय पुलिस के इंचार्ज होने के नाते कार्य रुकने के बजाय पुलिस की साया में उपरोक्त थानेदार जनजीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

उपरोक्त थानेदार, आवास विकास परिषद् को निर्माणाधीन कालोनी की चोरी किया गया सीमेंट, ईंटों आदि सामान प्रयोग कर रहा है। भूमि के मालिक श्री विज जब अपनी भूमि की बाउन्डरी खड़ी कर चुके थे, थानेदार ने उनकी बाउन्डरी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से तुड़वा दी। श्री विज को कई सम्भ्रान्त लोगों को झूठे मुकदमें में फंसाना शुरू कर दिया है। इससे रामसागर मिश्र नगर के अन्दर पुलिस के विरुद्ध आतंक, आक्रोश एवं भय व्याप्त है।

अतएव उपरोक्त अवैध निर्माण एवं पुलिस अत्याचार के विरुद्ध थानाध्यक्ष के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकारी सेवा में आयु सीमा 28 से 30 वर्ष बढ़ा देने के बाद भी लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही सचिवालय की प्रतियोगात्मक परीक्षा में छूट न दिये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नियम 301 के अन्तर्गत इस अत्यन्त आवश्यक लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ ।

उत्तर प्रदेश राज्य सेवा की सभी प्रतियोगी परीक्षायें जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाती हैं की आयु सीमा 28 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 1983 के द्वारा कर दी गयी है ।

इसी बीच सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक अवर वर्ग सहायक के पदों के आवेदन पत्र 28 फरवरी 1983 तक स्वीकार किये गये । परन्तु उसमें आयु सीमा 28 वर्ष ही मानी जा रही है जबकि इसके पहले आयु सीमा बढ़ाई जा चुकी है ।

अत: आवेदन पत्र भरे जाने के लिए आयु सीमा में 30 वर्ष तक छूट दी जाय और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की शुद्धि पत्र निर्गत करने का आदेश दिया जाय ।

श्री राधारमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फफूंद के अध्यापकों को वेतन न मिलने एवं अवैधानिक रूप से सेवायें समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री धनीराम वर्मा—**

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि राधारमण उ० मा० वि० फफूंद इटावा के समस्त अध्यापकों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पिछले 20 माह से वेतन नहीं प्राप्त हुआ है । वेतन की मांग करने पर समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवायें प्रबन्ध तंत्र ने अवैधानिक रूप से समाप्त कर दिये हैं । यद्यपि जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह कार्यवाही अवैध घोषित की है, फिर भी प्रबन्धतंत्र ने नियुक्तियाँ करने हेतु इटावा से प्रकाशित दैनिक दिनरात समाचार पत्र के 14 जनवरी 83 के अंक में विज्ञापन प्रकाशित कराकर अवैधानिक रूप से 30 जनवरी, 83 को नयी नियुक्तियां की हैं ।

इस भंयकर उत्पीड़न से त्रस्त और भुखमरी के कगार पर खड़े शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों ने 9 फरवरी, 83 से अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन प्रारम्भ कर दिया है । जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्थिति से प्रशासन को अवगत करा दिया है कि सम्पूर्ण जनपद के शिक्षकों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । स्थिति विस्फोटक हो गई है किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से माँग करता हूँ कि अध्यापकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अविलम्ब वेतन दिलाया जाय और उत्पीड़न रोका जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट द्वारा अपनी नियम 301 की सूचना को पढ़े जाने का प्रयास

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी····(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैंने नियम 301 के अन्तर्गत कल भी सूचना दी थी और आज भी दिया है, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । आप बैठिये ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट व्यवधान के मध्य, खड़े होकर कुछ बोलते रहे, जो सुनाई नहीं पड़ा ।)

यह कुछ भी लिखा नहीं जायगा । मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । कृपया आप अपने स्थान पर बैठें ।

(व्यवधान)

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट व्यवधान के मध्य खड़े होकर बोलते रहे जो सुनाई नहीं पड़ा ।)

मैंने आपसे कहा था कि यह 200 शब्दों से अधिक है, इसको आप ठीक कर दें, लेकिन आपने ठीक नहीं किया । यह आपने पढ़कर, अपना कल का भी मौका खो दिया । आप बैठिये । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । यह कुछ नहीं लिखा जायगा । कृपा करके बैठिए आप ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट व्यवधान के मध्य खड़े होकर बोलते रहे, जो सुनाई नहीं पड़ा ।

यह कोई चीज लिखी नहीं जायगी । आप बैठिए ।

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, विष्ट जी के लिए कोई नियमों का शिथिलीकरण कर दीजिये ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट बिना श्री अध्यक्ष की अनुमति के खड़े होकर व्यवधान के मध्य बोलते रहे, जो सुनाई नहीं पड़ा ।)

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने आपसे कहा था कि 200 शब्दों से यह अधिक है, इसको ठीक करके दे दीजिए, कल उस पर विचार कर लेंगे, तो आपने उसको ठीक करके नहीं दिया और आज तो आपने उसको पढ़कर अपना कल का मौका समाप्त कर दिया । आप बैठिये ।

प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों के छात्रों के हड़ताल विषयक आज होने वाले वक्तव्य के स्थगन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, यह आदरणीय सदन इस बात को जानता है कि इस समय प्रदेश में आयुर्वेदिक छात्र आंदोलन पर हैं। सभी आयुर्वेदिक कालेज पूरे प्रदेश में बन्द हैं। इस समस्या के बारे में इधर और उधर के माननीय सदस्यों ने 301 के अन्तर्गत और कार्य-स्थगन में कितनी सूचनायें दी थीं, पहली मार्च को आपने सूचना स्वीकार की थी, मान्यवर, आपने शासन को निर्देश दिया था कि 11 तारीख को उसका उत्तर दिया जाय, आज 11 तारीख है, मैं इस तैयारी में आया था कि आज इस पर बयान होगा, परन्तु आपके कार्यालय से मालूम हुआ कि यह वक्तव्य आज के बजाय 17 तारीख के लिये बढ़ा दिया गया है। सरकार आज के दिन बयान देने के लिये तैयार नहीं है। मान्यवर, इस सरकार की जितनी निन्दा की जाय, उतनी वह मान्यवर कम है।

मान्यवर, अगले दिन मैंने वीर बहादुर सिंह के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। आपने उनकी अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मन्त्री को वक्तव्य पढ़ने का मौका दिया। तो अगर स्वास्थ्य मन्त्री जी उपस्थित नहीं थे तो राज्य मन्त्री दे सकते थे। तो शासन की यह जो नियत है यह शासन की हृदयहीनता का परिचायक है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लड़कों ने यहाँ पर्चे फेंके थे और जो छात्रायें हैं वह भी आन्दोलन की राह पर हैं। मैं विधान परिषद के मामले को यहाँ नहीं कहना चाहता लेकिन उदाहरण स्वरूप कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर लड़कियों ने प्रदर्शन किया। तो गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। शासन के लिये यह लज्जा की बात है, कलंक की स्थिति है। तो इस प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूँ कि आप ऐसी व्यवस्था दें कि आज सायंकाल तक इस पर बयान दे दिया जाय। मेरी जानकारी है कि छात्रों के प्रतिनिधियों से स्वास्थ्य मंत्री जी की बातें हुयीं हैं। उनका निष्कर्ष निकल रहा है लेकिन वह उसे टाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मैंने आपकी बात सुन ली है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, हमने एक कार्य स्थगन इस पर दिया था और मान्यवर, आपने कहा था कि 11 तारीख को इस पर वक्तव्य आ जायगा। आज मान्यवर, वक्तव्य नहीं आ रहा है तो मैं इनके औचित्य के प्रश्न पर बल देते हुए आपसे आग्रह करता हूँ कि आज ही इस पर वक्तव्य आ जाय। एजेंडे में आप ले सकते हैं।

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

मान्यवर, मैंने 1 मार्च को कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था आयुर्वेदिक एवं यूनानी छात्रों ने जो हड़ताल कर रखी है उस सम्बन्ध में। आपने सरकार को आदेश दिया था। इस पर 11 तारीख को वक्तव्य निश्चित है और आपने यह आदेश देते हुए कार्य स्थगन को अस्वीकार कर दिया था। इस समय स्थिति गम्भीर है। छात्र, छात्रायें विधान सभा के सामने धरना देकर बैठे हैं। उनकी परिस्थिति बड़ी खराब हो रही है। जब हम लोग सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आते हैं तो हम लोगों के सामने परिस्थिति पैदा हो जाती है। स्वास्थ्य मन्त्री जी की उनसे दो बार वार्ता हो चुकी है, उन्होंने मौखिक कुछ शर्तों को स्वीकार भी किया है। तो मान्यवर, स्थिति बड़ी गम्भीर है। हमारे माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय मोहन सिंह जी ने जिन मुद्दों को उठाया है उन पर मैं बल देता हूँ। आप सरकार को बाध्य करें कि सायंकाल तक इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी के वक्तव्य के सम्बन्ध में जो बातें कही गयीं तो स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ सूचना शामिल करने के लिये, कुछ और बातें वह जानना चाहते हैं, तो विस्तृत वक्तव्य वह देना चाहते थे। इस कारण शायद आपको सूचित किया है। यह तो मान्यवर, अधिकार है,आपसे निवेदन करने का अधिकार है उसे स्वीकार करना या न करना आपका अधिकार है। लेकिन जो शासन की कठिनाई है, किसी समय अगर कोई सूचना नहीं मिल पाती है और आपके माध्यम से विस्तृत रूप से वक्तव्य सदन में रखना सम्भव नहीं है तो निवेदन करते हैं। मान्यवर यह पहली बार बल्कि न मालूम कितनी बार हुआ है। इस पक्ष से और उस पक्ष से कि जब ऐसी कठिनाई आयी है तो निवेदन किया गया है और स्थगित किया गया है। तो सब चीजें जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं वह सारी हाउस के सामने आ जांय, मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल न्यायपूर्ण है कि कुछ समय मिलना चाहिये इस सिलसिले में।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस पर सूचना एकत्रित करने का सवाल ही नहीं है। सब सूचनायें सचिवालय स्तर पर उपलब्ध हैं। सरकार इसको टालना चाहती है। मान्यवर डिप्लोमा इंजीनियर्स के सम्बन्ध में कल आपने एक बात कही इसलिये वक्तव्य देना पड़ा। जब कि वह वक्तव्य बिल्कुल बेकार है। लेकिन आपके आदेश का पालन हुआ। तो विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आप शासन को निर्देशित करें कि आज सायंकाल तक बयान जरूर जरूर आ जाय।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आपसे अनुरोध करने का अधिकार है लेकिन मेरा कहना यह है कि यह शासन ऐसे मामलों को कितनी गम्भीरता से लेता है, इसको आप देखें। अधिकार का सवाल है, यह कार्य मंत्रणा समिति में आया और आपने समय निश्चित किया कि 11 ता० को इस पर वक्तव्य दिया जायेगा। मान्यवर, यह छात्रों का मामला है, कितना असंतोष व्याप्त हो रहा है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा और आपको ज्ञात भी होगा कि कल काउंसिल में दो छात्राओं ने दीर्घो से इस प्रश्न पर हुल्लड़ मचाया, आप चाहते हैं कि असेम्बली में भी यही हो। छात्रों में उत्तेजना है, वे भूखों मर रहे हैं और सरकार का उनके प्रति रवैया कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेरा निवेदन है कि आप मजबूर करें कि शाम तक इस पर वक्तव्य अवश्य आ जाय, जितनी भी स्थिति इनको मालूम है, जितनी भी जानकारी है, उस पर सदन को सूचित किया जाय। उनको कुछ आश्वासन देकर उनका अनशन तुड़वाया जाय, नहीं तो छात्रों में जो उत्तेजना फैल रही है, वह बनी रहेगी।

*श्री रियासत हुसैन—

मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने इसे अविलम्बीय लोक महत्व का विषय समझ कर इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया, तारीख निश्चित हो गयी कि 11ता० को इस पर वक्तव्य आयेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठें हुए हैं, यह उनकी तारीख है। तो यह सदन की प्रापर्टी हो गयी, सदन में आ गया कि 11 तारीख को वक्तव्य होगा, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को सूचना चली गयी। अब आप समय लेंगे, तो इसके लिये आपको एक दिन पहले सूचना देनी चाहिये थी, माननीय अध्यक्ष को, कि इन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारणों से वक्तव्य नहीं हो पायेगा, टाइम दे दीजिये, माननीय अध्यक्ष जी सदन में इसकी घोषणा कर देते कि 11 ता को नहीं हो पायेगा, फलां तारीख को होगा, तो वह बात ठीक थी, लेकिन वह आपने नहीं किया। मुझे खेद के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि कल काउंसिल में जो घटना हुई, जिसके द्वारा उन्हें प्रवेश पत्र जारी किये गये, वह भी कांग्रेस के ही थे, उनके जरिये से यह जारी हुए। तो एक तरफ तो उस चीज को इम्पारटेंस को शह दी जा रही है, उनसे वहां व्यवधान कराया जा रहा है और दूसरी तरफ आप इसको लाइट टर्न दे रहे हैं। जब यह प्रोपर्टी हो गयी सदन की कि 11 तारीख को वक्तव्य होगा, अब आपकी इजाजत के बगैर एक आदेश चला गया कि 17 को हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसको गम्भीरता से लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री आज वक्तव्य दे सकेंगे।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसे आज के बजाय सोमवार को करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की यह सूचना है। यह बात सही है कि इस पर 11 तारीख निर्धारित हो गयी थी, पहले से यह तय हो गया था। लेकिन इस दौरान में स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली चले गये। कल शाम को माननीय राज्य मंत्री जी की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री बाहर हैं, और इस पर यहाँ 11 तारीख निर्धारित है, इसलिये उनके बाहर होने के कारण इसे 15 ता० के बाद निर्धारित कर दें। कल मुझे उसकी सूचना प्राप्त हो गयी थी इसलिये मैंने निर्णय किया है कि मंत्री जी हों या न हों, 14 तारीख को इस पर वक्तव्य संभव हो सकेगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी भी नहीं हैं, इसके अलावा जो दूसरे राज्य मंत्री हैं वह भी नहीं हैं, इससे तमाम बातों का जस्टीफिकेशन नहीं हो सकेगा। जो समस्यायें हैं, उनका समाधान पूरी तरह से हो, इसलिये 14 तारीख इसके लिये निर्धारित कर दी है, इसके आगे कोई समय नहीं बढ़ेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपकी व्यवस्था हमें शिरोधार्य है, लेकिन सरकार की जो हृदय हीनता है...

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष जी, जो आपकी व्यवस्था है, उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन शासन का जो रवैया है, इस मामले में जो इनका उपेक्षापूर्ण रवैया है, जिससे उत्तेजना फैलती है, विद्यार्थियों में उत्तेजना फैलती है, यह टालना चाहते हैं, मैं अपने दल के साथ शासन के उपेक्षापूर्ण रवैये के प्रति सदन का 5 मिनट के लिये त्याग करता हूँ।

(श्री भीखा लाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इनका दल आपस में बंटा हुआ है, आंदोलन कराते हैं, और इनकी सरकार समस्याओं को ओझल करती है। मैं अपने दल के साथ सदन का 5 मिनट के लिए त्याग करता हूँ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री खेरूल बशर—

मान्यवर छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है, उनके प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष

यह बात तो समाप्त हो गयी।

श्री खेरूल बशर—

मान्यवर, आपका आदेश था कि इस पर 11 तारीख को सदन में वक्तव्य होगा, लेकिन मुझे खेद है कि आपके आदेशों की अवहेलना की गयी। सदन कल परसों के लिए उठ रहा है। सरकार टालना चाहती है। इसके विरोध में सदन का 5 मिनट के लिये त्याग करता हूँ।

(श्री खेरुल बशर भी सदन त्याग कर चले गये)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 4 मार्च, 1983 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 मार्च, 1983 को वापस प्राप्त हो गया।

फतेहपुर जिले की कोतवाली और मलवां थाने की पुलिस द्वारा एक नवयुवक की कथित हत्या किए जाने के संबंध में वक्तव्य

***हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)**—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना मलवां क्षेत्र के ग्राम रावतपुर निवासी श्री शिव नंदन सिंह के घर दिनांक 11-1-1983 की रात्रि में डकैती हुई जिसमें डकैत कुछ व्यक्तियों को घायल कर आभूषण तथा दोनाली बन्दूक ले गये। इस संबंध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 395/397 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया।

दिनाँक 18-1-83 को चौकी आबूनगर (फतेहपुर) में यह सूचना प्राप्त होने पर कि दो व्यक्ति उक्त डकैती का माल बेचने का प्रयास कर रहे हैं पुलिस द्वारा उक्त संदिग्ध व्यक्तियों, श्री कल्लु सिंह एवं श्री रामचन्द्र सुनार, को गिरफ्तार कर चौकी लाया गया। पूछताछ के दौरान श्री रामचन्द्र सुनार ने बताया कि ग्राम रावतपुर की डकैती का कुछ माल श्री खंभोला सिंह के माध्यम से कल्लू सिंह बेचने के लिये आये थे। इस सूचना पर श्री खंभोला सिंह को भी चौकी पर लाया गया। संदिग्ध खंभोला सिंह से पूछताछ के दौरान श्री कल्लू सिंह को चौकी के ही बगल के कमरे में अलग पूछताछ के लिए एक कानिस्टेबिल की निगरानी में बैठाया गया था। कल्लू सिंह ने सनहाई का उपयोग कर कमरे में रखे हुये स्टोव से मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल लिया और आग लगा ली। कानिस्टेबिल ने आग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुझाने की कोशिश की और खुद भी जल गया। अन्त में जलते हुये कल्लू सिंह पर ब्राउन कोट डालकर आग बुझाई गयी। क्षेत्राधिकारी (नगर) व क्षेत्राधिकारी बिन्दकी और थानाध्यक्ष मलवां की देखरेख में कल्लू सिंह के उपचार की व्यवस्था की गयी। एक डाक्टर सहित कल्लू सिंह को कानपुर मेडिकल कालेज भेजा गया किन्तु उन्हे बचाया न जा सका तथा कल्लू सिंह की मृत्यु लाला लाजपत राय अस्पताल कानपुर, में दिनांक 20/21-1-83 की रात्रि में हो गयी।

अपने मृत्यु कालिक कथन में श्री कल्लू सिंह ने स्वयं आग लगा लेने का उल्लेख किया है।

जिलाधिकारी के आदेशानुसार संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एक अभियोग अन्तर्गत धारा 342/304/323 भा०दं०वि० पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। उपरोक्त मामले में परगनाधिकारी, बिन्दकी द्वारा की जा रही मजिस्ट्रीयल जाँच प्रगति पर है। यह सही नहीं है कि शासन के आदेश से मजिस्ट्रीरियल जाँच स्थगित कर दी गयी है। संबंधित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण शासन के आदेश से निरस्त कर देने की बात भी सही नहीं है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा खंभोला सिंह एवं रामचंद्र को मारने पीटने के आरोप की पुष्टि नहीं हुई है।

इस प्रकरण से जनता में किसी प्रकार का रोष नहीं है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी का वक्तव्य सत्य से परे और पुलिस के कुकर्मो पर पर्दा डालने वाला है। पुलिस कस्टडी में, मान्यवर, कल्लू सिंह पढ़ा लिखा ग्रेजुएट नौजवान था यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। उसकी हत्या के पहले किसी पुराने मुकदमे में उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं है बल्कि निजी झगड़े के कारण उसको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया और गिरफ्तार करके मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया गया। उसकी हत्या कर दी गई। जिलाधिकारी के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। मान्यवर, तब से एक महीना हो गया विवेचना जारी है। सम्बन्धित पुलिसजनों को निलम्बित नहीं किया गया वह उसी जिले में है और दवाब डाल रहे हैं कि सही विवेचना न हो सके। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस सम्पूर्ण मामले की जाँच सी०आई०डी० से करायेंगे और सम्बन्धित पुलिसजनों को तत्काल निलम्बित करने की घोषणा करेंगे ?

श्री गुलाब सिंह—

इसका चेकअप सी०आई०डी० द्वारा हो रहा है।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, प्रदेश के राज्यमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश में यह पहली बार है।

श्री अध्यक्ष—

मुख्यमंत्री थोड़े ही जबाव दे रहे हैं।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, चेकअप करने के लिये सी०आर०पी०सी० में या किसी नियम में प्राविधान है या नहीं है यह बता दें मंत्री जी।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो मुकदमा कायम किया गया है, 395/397 का, इसकी विवेचना कौन कर रहा है ? क्या वही विवेचना अधिकारी पूछ-ताछ कर रहे थे जो पुलिस चौकी पर कायम थे और वही थाने पर थे, तो फिर पुलिस चौकी पर किस लिये उसे लाया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

हुकम सिंह जी शायद पूरे घटनाक्रम को देख नहीं रहे हैं। उसे अलग कोठरी में बिठाया गया और उसने मिट्टी का तेल डालकर स्वयं····

श्री मोहन सिंह—

जी नहीं, पुलिस ने कहा कि हम तुम को मार डालेंगे, मिट्टी का तेल डाल दिया, माचिस लगा दी उन्होंने। मैं यही जानना चाहता हूँ कि पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई तो पुलिस के ऊपर 302 के अन्दर अपराध, पुलिस के खिलाफ बनता है या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा—

उसका डाइंग डिक्लेशन लिया गया····

(व्यवधान)

उसमें उसने कहा, खुद कबूल किया कि मैंने खुद आग लगायी थी। अगर पुलिस कर्मचारियों का नाम लेता तो कोई बात थी।

श्री मेंहदी असगर—

आग लगने से पहले मारा-पीटा भी गया तो पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट अगर हो आपके पास तो बता दें क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है उसमें केवल यही लिखा गया है कि शरीर पर नीले निशान पाये गये जो ठोकर लगने से भी हो सकते हैं····

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

डाइंग डिक्लेरेशन का जिक्र किया गया, तो क्या आप बतायेंगे कि यह किसी मैजिस्ट्रेट को लिखा हुआ है और क्या उसके पहले किसी डाक्टर ने प्रमाण-पत्र दिया है कि यह डाइंग-डिक्लरेशन देने की स्थिति में है ?

श्री गुलाब सेहरा—

डा० बी०के० श्रीवास्तव ने होश हवास में पाकर कहा कि इनका डाइंग डिक्लेरेशन लिया जा सकता है और उस समय उपस्थित तहसीलदार ने लिखा।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मुझे खुशी है किसी लेखपाल ने इसे नहीं लिखा।

(व्यवधान)

***श्री रियासत हुसेन—**

कल्लू सिंह का डाइंग डिक्लेरेशन, जो पुलिस द्वारा मारा गया, सब निश्चित तौर पर हो गया हालांकि इस प्रदेश की सरकारें मर रही हैं और उनका डाइंग डिक्लेरेशन नही होता। चौकी बड़ी छोटी सी जगह होती है, तेल भी दियासलाई भी मौजूद मुल्जिम भी मौजूद, और इन सब की निगरानी करने वाले भी मौजूद और उसमें दरोगा भी होंगे, श्रीमन् क्या इससे स्पष्ट जाहिर नहीं है कि जो जलकर मरा, उसमें चाहे पुलिस वालों ने जलाकर मारा या पुलिस वालों की निग्लीजेंस की वजह से मरा, क्या इस सम्बन्ध में आप न्यायिक जाँच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने कहा मैजिस्टीरियल जाँच चल रही है। पुलिस किसी को ले जाकर पीट-पीट कर मार दे लेकिन आग लगाने की घटना, तेल डाल कर आग लगा दे, यह तो सीधा आक्षेप है, ऐसा कोई नहीं कर सकता.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उत्तर दे रहे हैं, बैठें आप लोग।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन् मैजिस्ट्रीरियल जाँच बैठाई है और चेक-अप सी० आई० डी० द्वारा कराया जा रहा है। इसमें अन्य इन्क्वायरी की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मंत्री जी के इस वक्तव्य में कहा गया कि पुलिस को यह जानकारी मिली कि खंभोला सिंह के माध्यम से कल्लू सिंह सुनार के यहाँ इस डकैती का माल बेचने आये थे। मैं जानना चाहता हूँ कि पुलिस ने कितना माल डकैती का पाया जो अपनी जी०डी० में दर्ज किया। जो दूसरे अभियुक्त थे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई, क्या वे जेल में हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

केवल उनको बुलाकर पूंछतांछ ही की गयी। (व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा—

इस वक्तव्य में यह शब्द प्रयोग किया गया कि तनहाई का फायदा उठाकर कल्लू-सिंह ने आग लगा ली। मान्यवर, तनहाई का क्या आधार है। इसके मायने एक ही व्यक्ति है। यदि कल्लूसिंह के साथ कानेस्टिबिल था तो तनहाई कैसी। इससे स्पष्ट है कि पुलिस ने तेल छिड़ककर आग लगा दी। कानेस्टिबिल यदि था तो तनहाई नहीं हो सकती और यदि तनहाई थी तो कानेस्टिबिल कैसे वहां था।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, वक्तव्य में आप देखे कि आग लगने के बाद कानेस्टिबिल ने बचाने की कोशिश की। कानेस्टिबिल जल गया। उसने अपना कोट फेंक कर आग बुझाने का प्रयत्न किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री धनीराम वर्मा —

मान्यवर, पहले लिखा है कि संदिग्ध खंभोला सिंह से पूँछताँछ के दौरान कल्लूसिंह को चौकी के ही बगल के कमरे में अलग पूँछताँछ के लिये एक कानेस्टिबिल की निगरानी में बैठाया गया था। जब उसकी निगरानी में बैठाया गया था तो तनहाई कैसे। निश्चित है कि या तो कानेस्टिबिल ने या दरोगा ने तेल छिड़ककर आग लगाया। यदि ऐसा नहीं है तो कानेस्टिबिल की उपस्थिति कैसे बतलाई तनहाई में।

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय सदस्य बेकार में गरम हो रहे हैं। सी० आई० डी० का चेक-अप हो रहा है। प्रत्येक बिन्दु पर रिपोर्ट आयेगी।

श्री अध्यक्ष —

सदन की भावना को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी आप सी० आई० डी० की जाँच कराने को तैयार हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने कहा कि सी. आई. डी. का चेक-अप हो रहा है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

चेक-अप क्या होता है ?

(शोर)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

सदन के माननीय सदस्यों का यदि यही विचार है कि सी. आई. डी. अच्छी जाँच कर पायेगी तो सी. आई. डी. से जाँच करा लेंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के एक्स अप्रेन्टिस डिप्लोमा इन्जीनियर्स द्वारा आमरण अनशन किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

राज्य विद्युत परिषद प्रति वर्ष अप्रेन्टिसशिप ऐक्ट 1961 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के ट्रेड में अप्रेन्टिस रखता है। इनके नाम बोर्ड आफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग, कानपुर द्वारा भेजे जाते हैं। नियुक्ति से पूर्व इन अप्रेन्टिसों से एक कान्ट्रेक्ट बाण्ड भराया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष निर्धारित है। इस बाण्ड के अन्तर्गत ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि ट्रेनिंग की समाप्ति पर राज्य विद्युत परिषद द्वारा इन अप्रेंटिसों को सेवा मे नियमित रूप से ले लिया जायेगा। सभी अप्रेन्टिस इस स्थिति से ट्रेनिंग के पूर्व भली-भाँति अवगत होते हैं।

विद्युत परिषद में डिप्लोमाधारियों की नियुक्ति जूनियर इन्जीनियर के पद पर की जाती है। इस पद पर 25% भर्ती आपरेटिंग वर्ग से प्रोन्नति द्वारा की जाती है। पर्याप्त रिक्तियों के अभाव में प्रोन्नति का कोटा अभी तक भरा नहीं जा सका है। विद्युत परिषद में इस समय आवश्यकता से अधिक जूनियर इन्जीनियर्स कार्यरत हैं, अतएव निकट भविष्य

में जूनियर इंजीनियर्स के पद पर अप्रेंटिसों की सीधी भर्ती किए जाने की सम्भावना नहीं है।

[समय 1 बजे अपरान्ह]

मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि माननीय श्री भोला पाण्डेय जी ने बताया कि एप्रेन्टिशिप लोगों की भूख-हड़ताल समाप्त हो गई है। उनके साथ कुछ व्यवस्था की गई है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। जब वह जानकारी मुझे मिल जायेगी तो मैं सदन को उससे अवगत करा दूँगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जो प्रश्न आदरणीय सदन को दिया जाता है उसका जो उत्तर आता है वह शासन की सूचना पर आधारित होता है। हमारे नियमों में यह भी व्यवस्था है कि अगर कोई सूचना गलत होगी तो उसके लिये सूचना देने वाला सचिव जिम्मेदार होगा और उत्पीड़ित होता। माननीय मंत्री जी ने सूचना का आधार माननीय सदस्य को बताया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई सूचना जब सदन को दी जाती है तो शासन की सूचना पर आधारित होती है या माननीय सदस्य की सूचना पर आधारित होती है। इस पर मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह सूचना मुझे श्री भोला पाडेय्य जी ने दी है। वैसे मैं इसकी जानकारी कर रहा हूँ। जानकारी करने के बाद कि वह सही है या गलत तब मैं सदन को सूचित करूँगा।

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय श्री गुप्ता ने कहा कि जब वक्तव्य दिया जाता है तो वह सरकार की सूचना पर आधारित होता है। लेकिन मैं इस सरकार को बधाई देता हूँ उन्होंने डिप्लोमा इन्जीनियर्स की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने मातहत माननीय जेल मंत्री श्री नश्तर जी और विधान परिषद के श्री जगदम्बिका जी और स्वयं मैं, हम तीन लोगों को डिप्लोमा इन्जीनियर्स के पास भेजा जहाँ तक सूचना देने की बात है। मैं मानता हूँ कि सूचना देने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक विश्वास के रूप में मैंने कहा। यह सरकार बधाई की पात्र है कि डिप्लोमा इंजीनियर्स ने अनशन समाप्त कर दिया।

श्री अध्यक्ष—

मैं, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जैसा कि आपकी जानकारी में आया है कि भूख हड़ताल समाप्त हो गई है। मैं चाहूँगा कि आप उसकी जानकारी करके कि भूख हड़ताल समाप्त हुई है या नहीं, उस पूरी जानकारी की सूचना से आप सदन को सूचित करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, यह सूचना मुझे प्राप्त हुई है शासकीय सूचना के माध्यम से। उनसे अपील की गयी कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इस पर उनकी भूख हड़ताल समाप्त हो गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, यह वक्तव्य बिलकुल भ्रमित करने के लिये एक पुलिन्दा बना दिया गया है। मान्यवर, इसके दूसरे पैराग्राफ में लिखा है- विद्युत परिषद में डिप्लोमा धारियों की नियुक्ति जूनियर इंजीनियर के पद पर की जाती है। इस पद पर 25% आपरेटिंग वर्ग से प्रोन्नति द्वारा की जाती है पर्याप्त रिक्तियों के अभाव में प्रोन्नति का कोटा अभी तक भरा नहीं जा सका है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी क्योंकि वे बिजली मंत्री भी रह चुके हैं कि इस बिजली विभाग में इन्जीनियर्स के बहुत से पदों पर नियुक्ति की गई है। 5–6 दिन पहले इण्टरव्यू हुआ है बिजली बोर्ड में इन्जीनियर्स का। जो नियुक्तियाँ हुई हैं, उसमें 25 प्रतिशत का कोटा क्या पूरा किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि आपने इनको कोई आश्वासन दिया हो तो उनकी जानकारी भी दे दें।

श्री ब्रह्म दत्त—

इस सम्बन्ध में इतना ही कहा गया है कि इनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और इससे वह सन्तुष्ट हैं। 25 प्रतिशत का जो प्रोन्नति का कोटा है, वह डिप्लोमा इन्जीनियर्स को नहीं, बल्कि उससे नीचे के पदों पर दिया जाता है, वह डिप्लोमा इन्जीनियर्स के लिये 25 प्रतिशत पद सुरक्षित हैं, वे अभी पूरे नहीं हो पाये हैं।

श्री मित्रसेन—

मैं मा० मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जैसा मा. भोला पाण्डेय ने अभी सूचना दी कि इस तरह से समझौता हो गया। उनके सम्बन्ध में अप्रैल से लेकर अभी तक कितनी बार आश्वासन दिये जा चुके हैं, उनकी पूर्ति क्यों नहीं की गयी। उनकी ट्रेनिंग पर 55 हजार रु. खर्च किया जाता है, तब फिर जहां वे प्रशिक्षण करते हैं वहीं उनको समायोजित क्यों नहीं करते। मा. विद्युत मंत्री, मा. मुख्यमंत्री और मा. मुख्यमंत्री के सचिव श्री योगेन्द्र नारायण जी कई बार आश्वासन दे चुके हैं, फिर उनको अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त—

इस समय तो इनको केवल यही आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। अप्रैन्टिस की ट्रेनिंग देना दूसरी बात है। जूनियर इन्जीनियर ग्रेड के 478 आदमियों को हर साल ट्रेनिंग दी जाती है। अभी हम 77 के बैच को समायोजित नहीं कर पाये हैं। समायोजित करना पदों की संख्या पर निर्भर करता है। वे अपनी ट्रेनिंग का लाभ कहीं भी ले सकते हैं। सहानुभूतिपूर्वक समाधान करना एक बात है, लेकिन पदों के अभाव में समायोजित करना दूसरी बात है।

श्री भोला पान्डेय—

मा. मंत्री जी ने बताया कि समायोजित करना सम्वैधानिक नहीं है। सन् 1977 में इस तरह से डिप्लोमा इन्जीनियर्स को समायोजित करने की व्यवस्था कराई गई....

श्री अध्यक्ष—

आप तो सूचना दे रहे हैं। आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, सूचना नहीं दे रहा हूँ। मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार बोल रहा हूँ। 81 में भी इन्जीनीयरों के साथ एक समझौता हुआ था, 50 प्रतिशित लोगों को समायोजित करने के लिये मांग रखी गयी थी। अभी 11.30 बजे मीटिंग करके तय करके व्यवस्था कर दी थी, तो क्या इसके क्रियान्वयन के लिये कोई कमेटी बनायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, कमेटी तो विद्युत परिषद स्वयं है।

श्री केदार नाथ सिंह—

क्या मा. मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो बेरोजगार अप्रेन्टिस डिप्लोमा इन्जीनियर्स हैं और जिनको समायोजित नहीं किया जा सकता है, जैसा मा. मंत्री जी ने अभी बताया, तो क्या शासन इनकी बेरोजगारी दूर करने के लिये कोई नीति बनायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

नीति तो बनी हुई है। वे प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मा. मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, यह असत्य है। एक तरफ लिखा है कि ज्यादा संख्या है जूनियर इन्जीनियरों की और दूसरी तरफ अभी परिषद में 70 नयी नियुक्तियां की गयी हैं।

अगर 70 नई नियुक्तियां जो की गयी हैं, उनमें 25 प्रतिशत कोटा देने के बाद 45 नये एप्रेन्टिस ले सकते थे, परन्तु बाहर से नये व्यक्ति ले लिये गये और अपने वक्तव्य में यह कहा है कि हम नियमानुसार कोई नये व्यक्ति नहीं ले सकते हैं। हमने जब यह कहा कि यह किस आधार पर 70 नियुक्तियां की गई है, (शोर) इसकी मालूमात करके क्या मा. मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

70 नई नियुक्तियां कैसे हुयीं, इसकी जानकारी हम करायेंगे कि यह कैसे हुयीं फिर इसका उत्तर आपको देंगे।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा कि समायोजना की कोई व्यवस्था नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री जी जो आश्वासन देते हैं इस ओर, वह पूरे नहीं हो रहे हैं तो क्या आज जो आश्वासन इस सम्बन्ध में दिये हैं, क्या वह भी अनर्गल हैं पहले की तरह ?

श्री ब्रह्म दत्त—

आश्वासन तो इसलिए दिये जाते हैं कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जायेंगे और उनको पूरा करने के प्रयास भी करते हैं, इसी तरह यह जो आश्वासन दिये हैं, अनर्गल नहीं हैं।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, अभी जो मा० भोला पाण्डेय जी ने सूचना दी है, उसमें एक सूचना यह नहीं दी है, और वह सूचना यह थी कि अनशनकारी जो वहां पर नारा लगा रहे थे भोला पाण्डेय मुर्दाबाद और जगदम्बिका पाल जिंदाबाद और वह नारे इसलिये लगा रहे थे कि कल मा. भोला पाण्डेय जी ने सदन में यह कह दिया था कि जो एक्स एप्रेन्टिस डिप्लोमा होल्डर द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने भोला पाण्डेय मुर्दाबाद के नारे लगाये ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी हम आज्ञा नहीं दे रहे हैं ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि रायबरेली ऊँचाहार में जो 420 की दो यूनिटें तैयार हो रही हैं उसमें जूनियर इन्जीनियर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस आवश्यकता को देखते हुए क्या वहां पर डिप्लोमा होल्डर जूनियर इन्जीनियर्स को समायोजित करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मेगावाट मान्यवर, जब होता है जब बिजलीघर बन जाए, अभी तो इसकी बिल्डिग बन रही है ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें पहली सूचना सर्वश्री हर गोविन्द वर्मा, माता प्रसाद पाण्डेय, रुद्र प्रताप सिंह, बदन सिंह और संत बक्स रावत की जिला रायबरेली में आई०टी०आई० के कर्मचारियों पर लाठी चार्ज एवं उनकी गिरफ्तारी के संबंध में है । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की कानपुर स्थित ग्वाल टोली मौहल्ले में पुलिस की गोली से दो लोगों के मरने के संबंध में है । उसके आगे श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की उरई नगर में विषाक्त पानी से बीमारियों के फैलने के संबंध में है तथा उसके आगे श्री मोहन सिंह की बाराबंकी के हायर सेकेण्ड्री विद्यालय के सी०टी० ग्रेड के अनशन कारी अध्यापक की मृत्यु के संबंध में । आगे श्री सरदारसिंह की लखीमपुर खीरी में प्रधानों की हत्या के संबंध में । और सर्वश्री कुँवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भंडारी, सत्य पाल सिंह, रियासत हुसैन, अकबर हुसैन तथा श्रीराम गोविन्द की लखीमपुर खीरी में प्रधानों की हत्या के संबंध में हैं । फिर आगे श्री रेवती रमण सिंह की विकास प्राधिकरण कानपुर द्वारा कानपुर के कर्नलगंज में स्थित हरिजन बस्ती को हटाये जाने के संबंध में । तथा सर्वश्री मोती लाल देहलवी व राधेश्याम पटेल की इलाहाबाद के ग्राम कटरा दयाराम में एक युवती के साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में । फिर आगे सर्वश्री राम आसरे वर्मा, मसरुर जाफरी, खैरुल बशर, गोपीनाथ वर्मा, मित्रसेन तथा श्री परमाई लाल की जनपद पीलीभीत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत मिडवाईफ की हत्या के संबंध में, तथा सर्वश्री केदारनाथ सिंह, भीखा लाल, नन्द किशोर सिंह, कुबेर भण्डारी तथा मोहम्मद नबी की वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध भूतपूर्व डी०एफ०ओ० द्वारा अनशन करने के सम्बन्ध में । तथा श्री जसवंत सिंह बिष्ट की गाजीपुर के किसान नेताओं की

रिहाई की माँग के संबंध में और उसके आगे श्री छत्तर सिंह की बुलन्दशहर में किसानों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन दिये जाने के संबंध में है ।

जहाँ तक माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद की सूचना का प्रश्न है जो कि गोरखपुर के बारे में है, इस पर शासन का ध्यान पहले ही आकर्षित किया जा चुका है । श्री केदार सिंह जी की सूचना सुनी जा चुकी है । सर्वश्री मोहन सिंह, सरदार सिंह तथा रेवती रमण सिंह की सूचनायें सुनने के लिए स्वीकार की गयी हैं और इन पर दो-दो मिनट सदन में सुना जायेगा ।

(व्यवधान)

***श्री मोहन सिंह—**

मान्यवर, एक घटना फतेहपुर की हुई जो कि यहाँ चर्चा में आयी और एक घटना बाराबंकी की हुई है, यह कल की ही घटना है कि बाराबंकी में त्रिवेढ़ीगंज में सरस्वती हायर सेकेन्ड्री विद्यालय के एक अध्यापक, श्री शेर बहादुर सिंह जिसको कि वहाँ की प्रबन्ध समिति ने निलम्बित कर दिया था, जिसकी अपील उनके द्वारा की गयी थी और जिला विद्यालय निरीक्षक ने उनको निरस्त कर दिया था, उनको 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था । पहले तो उन्होंने प्रयत्न किया फिर वे 2 मार्च से आमरण अनशन पर बैठ गये । कल उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसी गिरफ्तारी के दौरान उनको पुलिस ने पीटा जिसके कारण कल उनकी मृत्यु हो गयी । उनके परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने उनको पीटा भी । इससे भी निन्दनीय बात यह हुई कि उनकी लाश को यानी स्वर्गीय शेर बहादुर अध्यापक जो कि सी०टी० ग्रेड के अध्यापक थे, बाराबंकी की पुलिस ने उसे लावारिस लाश घोषित कर दिया और जला दिया । इससे बर्बरतापूर्ण कोई दूसरी घटना नहीं हो सकती है क्योंकि पूरे प्रदेश के अध्यापक अपनी जायज माँगों को लेकर प्रबन्ध समिति से क्षुब्ध हैं और वहाँ पर बहुत क्षुब्ध वातावरण व्याप्त है । आज पूरे प्रदेश में इसका असर है इसलिये मान्यवर, आप इस पर चर्चा करा दें ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप सब लोग एक साथ खड़े हैं, हम इस प्रकार से नहीं सुन सकेंगे । (सर्वश्री हरगोविन्द वर्मा, मसरुर जाफरी, सरदार सिंह, सत्यपाल सिंह, मित्रसेन तथा राम गोविन्द बराबर खड़े रहे और अपनी बात कहने के लिये प्रयत्नशील रहे जिसके कारण निरन्तर व्यवधान होता रहा और कुछ सुनाई नहीं पड़ा ।) यह सम्भव नहीं है, कृपया आप लोग बैठें ।

(व्यवधान)

कृपया आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठें, कोई चीज नहीं लिखी जायेगी ।

श्री मित्रसेन—

(× × ×)

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।**

नोट : [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

जिन तीन सूचनाओं के बारे में मैंने निर्णय किया है, पहले उनको मुझे सुनने दीजिये। आपकी कोई चीज नहीं लिखी जायेगी।

***श्री पंचानन राय—**

मान्यवर, इससे नृशंस कोई और घटना नहीं हो सकती है। मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे गम्भीर घटना कोई और नहीं हो सकती है। अनशनकर्त्ता को ही अनशन करते समय मार दिया गया है और उसकी लाश को लावारिस घोषित कर दिया और जला दिया, 6 महीने से उसको वेतन नहीं दिया गया था। लेकिन प्रबन्धाधिकरण उनको वेतन नहीं दे रहा था इसलिये अध्यापक दो तारीख से अनशन पर बैठे हुये थे। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस की हिरासत में ही अनशनकारी मारे गये। इस घटना से अधिक अवलम्बनीय लोक महत्व की कोई और घटना नहीं हो सकती है। पूरे प्रशासन को इसकी जानकारी थी कि वह अध्यापक है फिर भी उसकी लाश को लावारिश कह कर जला दी गई। इससे पूरे बाराबंकी के हजारों अध्यापक सड़कों पर घूम रहे हैं।

यदि मान्यवर, इस घटना पर आप चर्चा नहीं करायेंगे तो आने वाली 15 तारीख से जो बोर्ड की परीक्षायें होने वाली हैं वह नहीं हो सकेंगी। इतने बड़े भ्रष्टाचार और अत्याचार के मामले में सरकार सदन में वक्तव्य नहीं देगी और 1 लाख से अधिक अध्यापकों के सेन्टीमेंट्स को सरकार ठंडा नहीं करेगी उसके लिए कोई उचित कदम नहीं उठायेगी तो निश्चित ही 15 लाख विद्यार्थियों की परीक्षायें इस प्रदेश में होना संदिग्ध हो जायेगा। इसलिये मान्यवर, इस अधिकृत सूचना के आधार पर आप सरकार से वक्तव्य दिला दें।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैंने एक विषय ले रखा है। आप लोग क्यों शोर मचाते हैं? आप नियमों का पालन करें। कृपया बैठें।....(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष जी, बाराबंकी की घटना जिसके बारे में माननीय मोहन सिंह और माननीय पंचानन राय ने प्रश्न उठाया वह प्राइमा फेसी में गम्भीर लगता है। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको कार्य स्थगन में तो नहीं लेकिन वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लें।

(श्री सरदार सिंह का नाम पुकारे जाने पर तथा श्री मसरूर जाफरी के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठें। शान्त रहें।...(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सरदार सिंह —

मान्यवर, जब से ग्राम पंचायतों के चुनाव हुये हैं तब से प्रदेश में 100 ग्राम पंचायतों की हत्या की जा चुकी है। लखीमपुर खीरी में पिछले दिनों में 12 प्रधान दिन दहाड़े पुलिस की मिली भगत से शासन ने मरवा दिये हैं। जो प्रधान शासन के पक्ष में नहीं हैं उनको शासन मरवा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। आज जनप्रतिनिधियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। जनतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। शासन केवल अपने पक्ष के प्रधानों को ही चाहता है और इसलिए वह ब्लाकों के और जिला परिषदों के चुनाव टाल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी गाह्यता पर ही बोलें।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, इनकी जिला परिषदें गठित नहीं हो सकेंगी यदि विरोधी प्रधान चुन लिये जायेंगे, इसलिये यह शासन उनको मरवा रहा है। इसलिये यह बड़े महत्व का प्रश्न है। इस पर आप चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक बार में केवल एक ही माननीय सदस्य को बोलने की आज्ञा दी जा सकती है। चार माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हैं तो यह कैसे संभव है आप ही बतायें ? कृपया बैठें और नियमों का पालन करें।

***श्री सत्यपाल सिंह —**

मान्यवर, लखीमपुर खीरी की कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अभी एक महीने पहले वहाँ पर दिन दहाड़े 4 आदमियों की हत्या की गई और प्रधान जो जन प्रतिनिधि हैं पिछले सप्ताह में 3 प्रधानों की और हत्या की गई। वर्तमान शासन उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं कर पा रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि 12 प्रधान मारे गये हैं और 3 प्रधान और मारे गये हैं जिससे लखीमपुर खीरी की स्थिति भयावह हो गई है इसलिये इस पर आप कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें और चर्चा करा दें। (व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

किसलिये आप लोग एक साथ खड़े हैं ? आपके प्रस्ताव पर सुनने का निर्णय नहीं लिया गया है। वर्मा जी आप बैठें।

***श्री कुंवर सिंह नेगी—**

मान्यवर, यह जो प्रधानों की हत्या के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव आया है। मुझे इसमें निवेदन करना है कि केवल लखीमपुर जिले में 12 प्रधानों की हत्या हो चुकी है। मैंने एक सवाल किया था...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

देखिए, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो बातें तय हो चुकी हैं उसका पालन करिये ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

उत्तर प्रदेश के 57 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार (व्यवधान) 73 नव निर्वाचित प्रधानों की हत्या हो गई है यह सरकार ने बताया है मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के जवाब में । जनवरी माह तक उत्तर प्रदेश में 73 प्रधानों की हत्या हो चुकी है । अकेले खीरी जिले में 12 निर्वाचित प्रधानों की हत्या हो चुकी है तो प्रजातन्त्र में जो उसकी बुनियाद हैं उनकी इस तरह से हत्या हो जायेगी तो प्रजातन्त्र कैसे चलेगा । ऊपर से हत्या होती तो उतना खतरा नहीं था लेकिन नीचे से हत्या हो रही है इससे भयंकर स्थिति पैदा हो गई है ।

जन प्रतिनिधियों की इस प्रकार हत्या होगी तो आप समझ सकते हैं जि हमारी प्रजातंत्रीय व्यवस्था कैसे रह पायेगी । यह गम्भीर मामला है इससे ज्यादा लोक महत्व का दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है जिस पर यहाँ पर चर्चा हो । इसलिये सदन का शेष कार्य स्थगित कर इस पर विस्तार में चर्चा होनी चाहिये । (व्यवधान)

श्री राम गोविन्द—

केवल एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस पर तीन माननीय सदस्यों को सुन लिया है । अब आगे बढ़ना हैं, नहीं तो कैसे काम चलेगा ।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, नजदीक में विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं । तो जहाँ पर विरोधी दलों के प्रधान चुने गये हैं ।[× × ×] और पुनः अपने पक्ष के प्रधानों को जितवा कर विधान परिषद के चुनाव जीत सकें । इसलिये यह एक षडयंत्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानों की हत्या का हो रहा है । इसलिये मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि यह बहुत ही भयंकर मामला है सारे प्रदेश में प्रधानों में आतंक पैदा हो गया है इसलिये निश्चित रूप से इस पर चर्चा कराई जाय इससे महत्वपूर्ण मुद्दा दूसरा नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

मेरा बहुत अदब के साथ निवेदन है यह सदन आपका है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रांट जो सिंचाई विभाग की है वह विचाराधीन है । यदि हाउस यह निर्णय करता है कि सबको सुनना है तो मैं आप सबको सुन लूंगा । मुझे कोई ऐतराज नहीं है (व्यवधान) जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो छत्तर सिंह जी आप बैठिये (व्यवधान) आप बैठिये मैं खड़ा हुआ हूँ (व्यवधान) मसरूर जाफरी साहब आप भी बैठिये ।

यह सदन आपका है अगर आप निर्णय करते हैं कि सबको सुनना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन यह कैसे सम्भव हो सकेगा एक दिन में 17-17 और 20-20

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सूचनायें नियम 56 में आयें और बिना इजाजत के आप लोग खड़े होकर कहने लगे कि मेरा मामला बहुत महत्व का है इसको जरूर सुन लें तो यह कैसे सम्भव हो पायेगा। इसी लिए एक पद्धति यहाँ अपनाई है और जहाँ मैं महसूस करूंगा सुनना जरूरी है तो उसमे जरूर टाइम दूंगा।

श्री छत्तर सिंह—

बुलन्दशहर का मामला है आप भी उसी जिले से आते है। वहाँ किसानों पर लाठी चार्ज हुआ वे बिजली की मांग कर रहे थे (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप सदन में नहीं रहते हैं, यह आपस में तय हुआ था, एक नियम बना हुआ है उसके आधार पर कार्यवाही हो रही है (व्यवधान) आपके नेताओं ने एक पद्धति बनाई है। माननीय छत्तर सिंह, माननीय केदार नाथ सिंह आप बैठें।

श्री केदार नाथ सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने नियम 56 के अन्दर प्राप्त सूचनाओं को पढ़ा उसमें से एक सूचना हमारी भी 5 सदस्यों की हस्ताक्षरित थी जिसका उल्लेख नहीं किया। उसका विषय डी० एफ० ओ० के अनशन के बारे में था···

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का सवाल कहाँ से हो गया।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्ययर, मैं केवल कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कल इसको सुन लिया गया है, तो कल भी दिया था और आज भी नियम 56 में दिया है, दौनों रोज सुना नहीं गया है, आप कहते हैं कि सुन लिया गया है तो इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

यदि ऐसी बात है तो मैं पुनः इसको देख लूँगा।

श्री अम्मार रिजवी—

अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्य स्थगित प्रस्ताव बनता हो तो उसको आप देख सकते हैं। मेरा निवेदन है, विरोधी दलों के नेताओं को आप बुलाकर विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन मा० सदस्य ने जो गम्भीर आरोप लगाया है उसमें कहना चाहता हूं कि जहाँ तक प्रधानों की हत्या का प्रश्न है, तो शासन के समक्ष किसी प्रधान या अन्य जनसाधारण की हत्या की बात हो तो वह महत्वपूर्ण बात है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ शासन कार्यवाही करेगा। लेकिन मा० सदस्य एक दल विशेष की बात करके ला एन्ड आर्डर की जो बात थी उस पर सोचा जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस पर क्रांग्रेस वाले सब यह करवा रहे हैं तो इसका मुझे सख्त विरोध है और इस प्रकार का कहना गैर-जिम्मेदारी की बात है, सदन में कहना उचित नहीं है, चूँकि हम जो यहाँ कहते हैं उसकी बड़ी दूर तक रिप्रकशन होता है, इसलिए जो मामला उठाया गया है, इसको शासन पूरी

तरह से गम्भीरतापूर्वक जांच करेगा लेकिन जो मा० सदस्य ने आरोप लगाया है तो उसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि इसकी कार्यवाही से खारिज किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको देखकर निर्णय करूंगा । श्री रेवती रमण सिंह ।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने कल एक सूचना मिडवाइफ के संबंध में नियम 51 में दिया था और आज नियम 56 में दिया । इस घटना से सारे प्रदेश में रोष व्याप्त है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जांय । मैंने श्री रेवती रमण सिह को बुला लिया है । (व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिह—

मान्यवर, जबसे कांग्रेस की सरकार दुबारा बनी है तबसे पूरे प्रदेश में हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है । अभी कानपुर में फैक्टरी एरिया फजलगंज में दो हजार हरिजन की बस्तियों को विकास प्राधिकरण कानपुर ने बुल डोजर ले जाकर उनकी झोंपड़ों को गिरा दिया, जो पिछले 15 सालों से उन बस्तियों में रह रहे थे और राम दुलारे तथा बनवारी लाल को प्लाटों का मालिक घोषित कर दिया है । वह हरिजन दो दिनों से रात में बाहर पड़े हैं और दिन में धूप में बाहर पड़े हैं । प्राधिकरण इस बात पर अडिग है कि उनको वहां से निष्काषित कर दिया जाये । इसलिये यह गम्भीर अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है, वहां तनाव है, इसलिये मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर चर्चा करा दे, फिर से इस प्रदेश में साढ़ूपुर और दिवली कांड न हों, इसलिये चर्चा करायें और यदि चर्चा न हुई और कार्यवाही न हुई तो यह मामला आगे बढ़ सकता है और कई हरिजनों की इसमें जानें जा सकती हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, कानपुर में जो पुलिस ने फायरिंग की है····

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया अभी बैठें ।

श्री मित्रसेन—

(व्यवधान के बीच) मान्यवर, पूरनपुर की एक श्रीमती राजम्मा मिडवाइफ की हत्या कर दी गयी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, वह 2 हजार रुपये लेकर आ रही थी···

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, आपका नम्बर कहां है ?

***श्री मसरूर जाफरी—**

मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। पूरनपुर में श्रीमती राजम्मा मिडवाइफ थीं और अपने वेतन का 2,000 रुपये लेकर जब आ रही थीं तो शाहगढ़ रेलवे स्टेशन पर अभयपुर के रास्ते में ग्राम करनापुर के पास उनकी लाश मिली, उनकी हत्या कर दी गयी। इस घटना के मुख्य मुल्जिम ओम प्रकाश ग्राम प्रधान जो कांग्रेस (आई०) का कार्यकर्ता है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने ढाई सौ रुपये सरकारी इनाम गजराज सिंह यादव इन्वेस्टीगेटर को दिया, परन्तु स्थानीय विधायक श्री तिवारी ने मुख्य मुल्जिम को छुड़वा दिया और यादव इन्वेस्टीगेटर का ट्रान्सफर करा दिया। आप इस पर चर्चा करा दें। इससे महिला कर्मचारियों में बड़ा रोष है और सारे प्रदेश की मिडवाइफ हड़ताल पर जाने को तैयार बैठी हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसकी जाँच करवा लेंगे और जो भी तथ्य सामने आयेंगे, आपके माध्यम से माननीय सदस्य के पास भेज दिये जायेंगे। उसके बाद आप जैसा चाहें, करें।

(शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शांत रहें।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, मैंने भी कार्यस्थन प्रस्ताव दिया था। कानपुर में जो दर्दनाक और निन्दनीय घटना हुई है उससे निन्दनीय घटना और कोई हो नहीं सकती। रात को साढे 8 बजे पुलिस ने अंधाधुन्ध गोली चलायी जिसके कारण एक 22 वर्षीय नवयुवक संजय शर्मा घटनास्थल पर ही मर गया। वह भोपाल से पढ़ने के लिए आया हुआ था और अपने माता पिता का इकलोता पुत्र था। इसके अलावा एक आलमा बेगम लड़की की पुलिस की गोली से मृत्यु हुई। एक राम सुन्दर नाम का बुड्ढा तथा 20 अन्य लोग गम्भीर रूप से घायल हुए।...

एक सदस्य—

(सत्ता पक्ष से) उसमें एक आलमा बेगम की भी मृत्यु हुई है, आपने शर्मा का नाम लिया, उसका नहीं लिखा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपने सुना ही नहीं। मान्यवर, मैं तर्क दे सकता हूँ, बुद्धि नहीं दे सकता। आश्चर्य यह है कि इस इतनी निर्मम घटना के बाद न तो कोई जांच बिठाई गयी, न ही जो मरे हैं उनको कोई राहत देने की घोषणा सरकार की तरफ से हुई और न ही दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी। इस घटना के बाद कानपुर नगर के सभी स्कूल, कालेज, डिग्री कालेज आदि बन्द हैं। उत्तेजना का वातावरण व्याप्त है। पुलिस ने अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठा यह आरोप लगाया है कि वह छात्र नाजायज हथियार लेकर आया था। इस सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन इतना निकम्मा हो गया है कि आज छात्र हथियार लेकर चलने लगे हैं। स्थिति पर पर्दा डालने के लिए पुलिस ने ऐसी बात कही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

यह घटना कल रात को घटी है, अविलम्बनीय लोक महत्व की भी है, पुलिस द्वारा गोली वर्षा हुई है, मैं समझता हूँ कि इस पर माननीय मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। इनकी पुलिस अनियन्त्रित हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी ग्राह्यता विषयक बात समाप्त करता हूँ। इस पर आप अवश्य चर्चा करवा दें। क्या पुलिस शान्त प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भूनेगी। गोलियाँ चलाकर छात्रों को जान से मारा गया है, जो लड़की सामान खरीदने के लिए आई थी, उसको मारा गया है।

श्री अम्मार रिजवी—

यह घटना कैसे हुई, इस पर दो शब्द मैं कहना चाहता हूँ। जो इन्होंने प्रश्न उठाया था और फिर मुझे कार्यस्थगन के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना है। केन्द्रीय टैक्सटाईल के कुछ लोग ग्वालटोली मौहल्ले में गये थे, वहाँ पर दुकानदारों, वहाँ के लोगों से उनकी कुछ कहासुनी हुई। जिससे पहले तो वह लोग भाग गये, बाद में फिर ज्यादा तादाद में एकत्र होकर आए। दोनों में विवाद हुआ, विवाद ज्यादा बढ़ा और उन्होंने देशी तमंचे और कट्टा आदि निकाल कर उनका इस्तेमाल करना चाहा। इस पर वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने फायरिंग की। वह दो थे और यह लोग बहुत तादाद में थे। इन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में और स्थिति ज्यादा गम्भीर न होने पाये फायरिंग करनी पड़ी। इसमें दो लोगों श्री अजय शर्मा और श्रीमती अलीमा बेगम की अस्पताल में मौतें हो गईं।

गुप्ता जी ने कहा कि कोई जाँच कार्यवाही नहीं हो रही है, तो इसमें मैजिस्ट्रियल इन्क्वायरी के आदेश जा चुके हैं। पुलिस व पी० ए० सी० लगाई जा चुकी है। ऐजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स बन्द कर दिये गये हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि स्थिति बिगड़ने न पाये और इस वक्त सारी स्थिति कन्ट्रोल में है। इसलिए जो गुप्त जी ने दिया है वह स्थिति नियन्त्रण में है, वहाँ कोई ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम नहीं है। घटना जिस परिप्रेक्ष में हुई, वहां पर फाइरिंग न की जाती तो और भी मौतें हो सकती थीं। तो इन्टेशनली किसी को वहाँ मारा नहीं गया। कार्यस्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता, और यदि इनको कोई सूचना चाहिए और यह ऐसा समझते हैं कि सरकार वक्तव्य दें, तो वह दिया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

तो मंत्री जी वक्तव्य दे दें। (व्यवधान)

श्री भीखालाल—

मान्यवर, एक कार्य स्थगन केदारनाथ सिंह और मैंने दिया था...

श्री अध्यक्ष—

वह तो मेरे विचाराधीन है, और क्या चाहिए।

श्री भीखालाल—

आपने उस पर यह कहा कि कल सुना जा चुका है....

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो यह निर्णय दे दिया है कि जो मुझको सूचना अपने कार्यालय से प्राप्त हुई है वह ऐसी बात है, फिर भी मैं उसको देख रहा हूँ और देखवा रहा हूँ। वह अभी पेंडिंग है। उनका मैंने अभी अस्वीकार नहीं किया है, यह मैंने बता दिया था।

श्री मित्रसेन—

सरकारी ड्यूटी पर जो थी, उस केरल की महिला राजम्मा के खिलाफ जो जघन्य अपराध किया गया है...(व्यवधान) वह काँग्रेस पार्टी से सम्बन्धित था। इसलिये यह लोक महत्व का प्रश्न है, जिस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या की गई है, यहाँ पर उसका कोई संरक्षक नहीं है। तन्ख्वाह लेकर जा रही थी, इस मामले में आप सरकार से वक्तव्य दिला दें।.....

(व्यवधान)

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

श्रीमन्, जालोन जनपद में जो उरई नगर है, जिसकी 65 हजार आबादी है।....

श्री अध्यक्ष—

आपने तो वही परिपाटी बनाली कि 17-17 सदस्यों को सुनने की बात हो गई।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

वहाँ पर एक हफ्ते से लोगों को दूषित जल पीने को दिया जा रहा है। वहाँ पर इसके अलावा अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अपने पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जो जल संस्थान द्वारा व्यवस्था की जाती है, वह केवल एकमात्र माध्यम है। एक हफ्ते से लाल और सफेद कीड़े युक्त पानी नलों में आ रहा है। जनता ने जल संस्थान के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन आज तक वह दूषित जल व्यवस्था वहां पर समाप्त नहीं की गई है। बड़ा जन असन्तोष वहाँ पर खड़ा हो गया है। सैकड़ों लोग उसको पीने से बीमार हो रहे हैं। तो यह महत्वपूर्ण है, अविलम्बनीय सूचना है। शासन का इस ओर आप ध्यान आकर्षित करें।

(श्री छत्तर सिंह के खड़े होने और बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष—

श्री छत्तर सिंह जी आप क्यों खड़े हैं, हम आप बैठकर बात कर लेंगे। यह तो हमारा आपका घर का मामला है।

***श्री जसवन्त सिंह विष्ट—**

अध्यक्ष जी, यह आप रोज की कार्यवाही देखने का कष्ट करें। लगभग 20 तो आप तारांकित प्रश्न लेते हैं और इसके अलावा अल्प सूचित तारांकित प्रश्न अलग से लेते हैं और अतारांक्ति प्रश्न 130 से कम नहीं आते हैं और नियम 301 के अन्तर्गत 13-14, और नियम 56 के अन्तर्गत 26. 27 से कम नहीं आते हैं और आपको कष्ट होता हैं, जब हम लोग चिल्लाते हैं। मैं भी मान्यवर, कभी-कभी यह सोचता हूँ कि इससे आपको कष्ट होता है। इसके लिये मान्यवर हमारा दोष नहीं है। इसके लिये सत्ता पक्ष के लोगों का दोष हैं। मान्यवर, इतने प्रश्न इसलिए होते हैं, क्योंकि जो इतने जुल्म होते हैं, अगर सरकार इन जुल्मों को बन्द कर दें, तो यह ऐसा न हो। इसलिये मान्यवर, हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन करने का कष्ट करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

***श्री हरिगोविन्द वर्मा—**

मान्यवर, राय बरेली में 10 फरवरी को आई० टी० आई० के कर्मचारियों ने पुलिस के जुल्म के खिलाफ प्रर्दशन किया और जुलूस भी निकाला। मान्यवर, वहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया और दुर्व्यवहार किया गया। 11 फरवरी को पुलिस वालों ने आई० टी० आई० में जाकर गोली चलाई, लाठी चार्ज किया, एक कर्मचारी मर गया और कई घायल हैं तथा 10 लोग पता नहीं कहाँ पर हैं। मान्यवर, उन कर्मचारियों की साईकिलें, मोटर साईकिलें और वहाँ की दुकानों को भी जो आई.टी.आई. के सामने की थी जला दी हैं। पुलिस वालों आई० टी० आई० के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा। अब उन लोगों को निलंबित किया जा रहा है। मान्यवर, वहाँ के कर्मचारियों ने जो 10 तारीख को प्रदर्शन किया था और जुलूस निकाला था, उसमें श्रीमती इन्दिरागाँधी और काँग्रेस (आई०) के खिलाफ नारे लगाये, इसलिए प्रतिशोध की भावना से वहाँ के अधिकारियों से साजिश करके इन कर्मचारियों पर जुल्म किया हैं और उन कर्मचारियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम 56 के अन्तर्गत सर्वश्री केदारनाथ सिंह, भीखालाल, नन्द किशोर सिंह, कुबेर भंडारी, मोहम्मद नवी का है। इसको मैंने देखा है, मैं इस पर कल विचार करूँगा। हमें सूचना गलत मिली थी, जिसके आधार पर मैंने कह दिया था। आपका मामला स्टैण्ड करता है। श्री मोहन सिंह आदि की सूचना का जहाँ तक संबंध है, उसके विषय को वक्तव्य के लिए मैंने स्वीकार किया है। माननीय रेवती रमण जी की जो सूचना है, उसके विषय को भी वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है, बाकी नियम 56 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं उन्हें स्वीकार किया है, केवल दो को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। जो सरदार सिंह का है, उसके संबंध में शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए शासन के पास भेज दिया है।

कार्य स्थगन तथा प्रश्नों आदि के सम्बन्ध में होने वाली बैठक के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, यह कठिनाई रोज आती है कि 18 और 20 तक कार्य-स्थगन प्रस्ताव रोज आपके सामने आते हैं, और मान्यवर, जो विधायक जिस विषय पर काम रोको प्रस्ताव देता है, उसको अन्य प्रस्तावों के मुकाबिले ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। इसलिये आप से बोलने के लिए इजाजत माँगते हैं। आपने कार्य-मंत्रणा समिति में अनौपचारिक रूप से यह निर्णय लिया था कि रोजाना हम तीन काम रोको प्रस्ताव पर ग्राह्यता पर सुनेंगे।

दूसरी जो एक कठिनाई माननीय सदस्यों के सामने है, वह यह है कि मंत्रीगण प्रश्नों के उत्तर टालू देते हैं, ठीक जवाब नहीं देते हैं। आपको रोज मंत्रियों से इस संबंध में कहना पड़ता है। तो इस सम्बन्ध में आपने एक निर्णय लिया था कि मुख्य मंत्री, संसदीय मंत्री तथा सभी दलों के नेताओं को बुलाकर एक मीटिंग करेंगे और इन दोनों प्रश्नों पर विचार करके निर्णय लेंगे ताकि सदन में ठीक तरह से काम चले। वह मीटिंग अभी तक नहीं बुलाई गयी इसलिए उस मीटिंग को जल्द से जल्द मान्यवर, बुलाया जाना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह निवेदन करता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी से और संसदीय कार्य मंत्री जी से इस पर बात हुई है। इस पर बहुत गहराई से विचार-विमर्श हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ समय का मौका दे दें निर्णय करने जा रहे हैं। आज हम उठ जायेंगे और सोमवार को बैठेंगे तो मैं जल्दी ही कोई तारीख निर्धारित कर दूँगा चाहे वह आयें, या न आयें, कोई तारीख निर्धारित कर दूँगा और आप लोगों को बुलाकर हम कोई प्रथा अपनायें, जिससे आगे कार्य संचालन ठीक हो सके। आप तय कर लीजियेगा।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री जी वक्तव्य के लिये समय बता दीजिये। ऐसा है कि 17 तारीख के लिये माननीय स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य निर्धारित था उसको मैंने 14 को निर्धारित कर दिया है। 17 खाली है तो आज जो वक्तव्य मैंने स्वीकार किया है उसको आप 17 को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जी हाँ।

श्री रियसत हुसैन—

मान्यवर, 15 तारीख को इम्तहान शुरू होने वाले हैं। पंचानन राय जी ने जो कहा है, तो जो अध्यापक की हत्या से संबंधित मामला है उस पर 14 तारीख को वक्तव्य दे दें तो ज्यादा अच्छा हो। बाराबंकी के हायर सेकेंडरी विद्यालय के अध्यापक की अनशन से मृत्यु होने ने सम्बन्ध में वक्तव्य 14 को दे दें।

श्री अध्यक्ष—

14 तारीख को कई वक्तव्य लग चुके हैं आप देखें अगर गुंजाइश हो तो।

श्री अम्मार रिजवी—

उस दिन 4-5 लगे हुये हैं।

श्री रियासत हुसैन—

15 तारीख से इम्तहान होने वाले हैं। अगर 14 तारीख को आप सैटिसफाइड नहीं कर पाये तो बच्चे हमारे भी हैं जो इम्तहान देने जा रहे हैं इसलिये हमको डर लग रहा है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय रियासत साहब इस बात से डरे नहीं। इम्तहान होंगे, समय पर होगें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। उस दिन कई विधेयक लगे हैं जिसके बजाय 15-16 कोई तिथि रख लें।

श्री मित्रसैन—

मान्यवर, मेरी सूचना पर आपको शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये कहा था कि आपको अवगत करा देगें। माननीय मन्त्री जी हम लोगों को कब तक सूचना दे देंगे। कब तक हमको वस्तुस्थिति की जानकारी हो जायेगी कुमारी राजम्मा की हत्या के बारे में।

श्री अध्यक्ष—

वह सूचना के लिये थी। शासन आपको इस बारे में सूचना दे देगा। इसको दिखवा लीजियेगा। इसकी सूचना आपको भिजवा दी जायेगी।

[1 बज कर 54 मिनट]

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्यय में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (क्रमागत)†

***श्री दीनानाथ—**

मान्यवर, कल मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के सम्मुख बता रहा था कि सिंचाई विभाग ने उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिये प्रदेश को 5 भागों में बाँटा है। अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिये, सतही जल, भूगर्भ जल को लेकर प्रथम पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना तक क्रमशः सिंचन क्षमता को विभाग बढ़ाता रहा है। माननीय मोहन सिंह जी ने थोड़े से आरोप लगाये हैं उनका जवाब मैं देना चाहता हूँ।

(इस समय 1 बज कर 53 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए।)

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने प्रथम आरोप यह लगाया कि सिंचाई विभाग की दुर्व्यवस्था के कारण योजना आयोग ने धन को कम कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। आप देखें हमारे सिंचाई का जो बजट 1980-81 में था, 1981-82 में था, 1982-83 में था और जो 1983-84 का है, वह क्रमशः बढ़ता ही गया है, घटा नहीं है। उ० प्र० का सिंचाई विभाग कोई उद्योग नहीं है, राजस्व की कमीं की बात एस० बी० चह्वाण ने कही थी, लेकिन हमारे 23 हजार नलकूप लगाये गये हैं, उन नलकूपों में समुचित बिजली की व्यवस्था न होने के कारण हमारे नलकूप चले नहीं, लेकिन सिंचाई विभाग खेतों में पानी पहुँचाता हैं, जिससे उपज बढ़ती है, गांव के किसानों की गरीबी दूर होती है, तो हमको देखना है कि किसान के घर खुशहाली आयी या नहीं, उ० प्र० का किसान खुशहाल हुआ या नहीं, आप रिकार्ड देख लें, देश आजाद होने पर 27.5 लाख हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश की सिंचित थी और आज छठी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में लगभग 100 लाख हेक्टेयर जमीन सींची जा रही है तो यह कहना है कि सिंचाई विभाग की दुर्व्यवस्था के कारण योजना आयोग ने धन कम किया है, उचित नहीं प्रतीत होता है।

---

† दिनांक 10 मार्च, 1983 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात माननीय मोहन सिंह जी ने कही कि सिंचाई विभाग में 5 परसेंट और 3 परसेंट और 1 परसेंट बंधा हुआ है, जिसके तहत माननीय सिंचाई मंत्री जी ने इन्क्वारी करायी, तो 28 अधिकारी निलम्बित किये गये और 6 अधिकारी डिपार्टमेंट से निकाल दिये गये हैं, यह बात आप पढ़े होगें, अखबार के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी हुई होगी। माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि जो योजनायें बन जाती हैं, वह बहुत विलम्ब से चलती हैं, और उन पर धन ज्यादा अपव्यय होता है। मान्यवर, इस कार्य को ठीक करने के लिये एक हाई पावर कमेटी सिंचाई विभाग में बनायी गयी है, जिसके चेयरमेंन माननीय मोहन सिंह जी हैं, और जिसके सदस्य इस सदन के माननीय विधायकगण लोग हैं, जिसका काम होगा यह देखना कि कौन सी योजनायें विलम्ब से चल रही हैं, और वे किन कारणों से चल रही हैं, उनमें कैसे सुधार लाया जाय, जिससे योजनायें समय से पूरी हो सकें। मान्यवर, एक चार्ज माननीय मोहन सिंह जी ने माननीय सिंचाई मंत्री जी के ऊपर लगाया कि न वे वीर हैं, न बहादुर हैं, सिंह तो हो ही नहीं सकते, तो कौन सा पैमाना माननीय मोहन सिंह के पास है, जिससे वे इसकी वीरता और बहादुरी को मापते हैं। लेकिन हम लोग तो उन्हें वीर, बहादुर और सिंह तीनों समझते हैं। इनकी ससुराल माननीय मोहन सिंह जी के कुल खानदान में हुई है।

श्री मोहन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं माननीय मन्त्री जी की ससुराल मेरे जिले में है, इसका अफसोस तो बहुत पीढ़ी तक रहेगा कि लड़की की शादी लड़की से हो गयी।

श्री दीनानाथ—

मान्यवर, जो यह बात मोहनसिंह जी ने कही, लेकिन वीर बहादुर सिंह जी के पास बच्चे है, लड़कियां हैं, तो वह किसके द्वारा पैदा किये गये ?

श्री हरगोविन्द वर्मा—

पड़ोसियों ने।

श्री अधिष्ठाता—

पाण्डेय जी, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री दीनानाथ

मान्यवर, मुझे अभी अपने क्षेत्र के बारे में कहना है। मैं पूर्वी जिले बस्ती की बांसी तहसील से चुनकर आया हूँ। कहा गया कि उत्तर प्रदेश की इंच-इंच तक जमीन तब तक नहीं सींच सकती, जब तक कि बाढ़ नियंत्रित नहीं की जा सकेगी। बाढ़ नियंत्रण के लिये नहरों का जाल बिछाया जाना परमावश्यक है। आपने नहर बनाने का विरोध किया है कि इससे पूरा प्रदेश दल-दल हो जायेगा तो एक तरफ तो आप सिंचाई की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप दल-दल की बात करते हैं, तो यह तो विरोधाभास मालूम होता है। मान्यवर, जल नियंत्रण के लिये नहरों का जाल बिछाया जाना परमावश्क है।

[समय 2 बजे अपराहन]

[श्री दीनानाथ—]

मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि नेपाल से समझौता करके पंचेश्वर, राप्ती नदी पर बांध बनाकर पानी रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं। जो योजनायें प्रस्तावित हैं उसके लिये मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इस योजना से दो फायदा होगा एक तो सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी और दूसरा विद्युत का उत्पादन भी होगा जिससे हमारी सरकार द्वारा नलकूपों और उद्योग को बिजली दी जायेगी। घाघरा राप्ती नदी के बीच बहराइच से एक नहर निकल रही है जिसका नाम सरजू नहर है। इस पर 2 करोड़ 99-20 लाख का प्राविधान है इसमें से 52-20 लाख खर्च हो चुका है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपको समय नहीं मिलेगा। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री दीनानाथ—

मेरे क्षेत्र में हरी क्रांति के लिये जो नलकूपों का माननीय मंत्री जी से जाल बिछाया है उसके लिये धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री मेंहदी असगर—

मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिंचाई विभाग के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सिंचाई विभाग का ताल्लुक सीधे किसान और गांव के रहने वाले से है। अगर हम सिंचाई विभाग का ...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य एक मिनट। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि सिंचाई बजट पर अधिकांश विधायकगण बोलना चाहते हैं। इसलिये 5 मिनट से ज्यादा समय कोई न लें।

श्री मेंहदी असगर—

सिंचाई का ताल्लुक सीधा गांव से है। मान्यवर, आपने समय बहुत कम कर दिया। मान्यवर पानी जिन्दगी दे रहा है और पानी जिन्दगी ले भी रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर के निर्वाचन क्षेत्र मोरना जहाँ से जनता मुझे चुनकर भेजती है वहाँ का 2/3 हिस्सा हाबड़ा खाबड़ा झील और खादर है। मान्यवर, इस खादर में 95 प्रतिशत आबादी हरिजन और पिछड़े वर्ग की है। हम अपने क्षेत्र में तीन नदियों को पार करके जाते हैं। जब काफी बाढ़ आ जाती है तो हमको हरिद्वार होकर जाना पड़ता है। मान्यवर वहां पर न पुल है न सड़क है और न बिजली है। माननीय मन्त्री जी बैठें हैं मैंने निवेदन किया था कि उन इलाकों पर ज्यादा ध्यान करें जहां पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। मान्यवर अनेकों गांव ऐसे हैं जो गंगा की चपेट में आकर जमीने हस्ती से मिट चुके हैं और गांव रहे ही नहीं।

पिछले दिनों मालुम हुआ कि कोई योजना छोटा मोटा बांध बनाने की है लेकिन वह भी हाई पावर कमेटी में किसी कारण फेल हो गया। मैं आलोचना कम कर रहा हूँ सुझाव ज्यादा दे रहा हूँ। खादर क्षेत्र के लिए आप विशेष ध्यान देकर देखें। मेरे यहां से एक नहर निकल रही है उसके मुतालिक मैं जानकारी देना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों मैं अपने क्षेत्र में गया था बांध बन गया और उसका कहीं फाटक बन्द कर दिया गया जिसके कारण हजारों बीघे जमीन जिस पर गन्ना, मूजी और अनेकों फसलें खड़ी थी डूब गई। मान्यवर उसके तहत ढाई सौ रुपया प्रति एकड़ नुकसान दे रहे हैं। आजकल कितना

रुपया खर्च आता है ढाई सौ रुपया बहुत कम है। दो तरह से सिंचाई होती है एक नहर द्वारा और दूसरा बिजली के ट्यूबवैल द्वारा। मैं स्वयं गांव जौली में पैदा हुआ हूँ। मेरा अनुमान है बावन मील पर गाँव है। उसमें आदमी इधर से उधर चलता हुआ नहर से जा सकता है। अभी तक उसमें 3 हजार क्यूबिक फीट पानी चलता था और अब 10 हजार चलता है।

इसलिये आपसे अनुरोध करता हूँ कि किसी भी समय हो सकता है नहर टूट जाये मील 52-53 के सामने तो जबरदस्त हानि होगी और सैकड़ों घर बह जायेंगे। हर साल सिल्ट आती है। वह बहने के साथ-साथ बैठती भी रहती है इसलिये इस नहर को कुछ गहरा कर दिया जाय ताकि सीपेज की समस्या भी कम होगी और वाटर लेबिल भी ऊँचा हो जायेगा।

ट्यूबवेल आप बनाते जा रहे हैं लेकिन उसके साथ-साथ यह भी देखिये कि 100 में से कितने चालू हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में अनेक ट्यूबवेल ऐसे हैं जिन पर अभी तक नाली नहीं बनी। यदि नाली नहीं बनेगी और ट्यूबवेल आ गया और ठीक से चल रहा है, तो कैसे आप उसे चला पायेंगे। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि उस जमीन में जहाँ भूड़ का जंगल है, कच्ची नाली नहीं बन सकती, पाइप डालकर कुछ ऐसा इंतजाम करें कि, लाखों रुपये में ट्यूबवेल लगता है, कोई साधारण व्यक्ति उसे लगवा नहीं सकता, इन शब्दों के साथ जो मैंने सुझाव दिये हैं, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

***श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया है मान्यवर, उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 3 वर्षों में सिंचाई विभाग द्वारा जो कार्य किये गए हैं सराहनीय हैं। मोहन सिंह जी ने जो कटौती के प्रस्ताव पर भाषण दिया, जिसे मैंने सुना, मुझे दुःख हुआ कि सच को कहने में भी उनको तकलीफ होती है और आलोचना के लिये ही केवल आलोचना की गई है। वह इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि जितना कुछ होना चाहिए, जितना कुछ आवश्यक है, वह नहीं किया गया लेकिन स्वयं वह 3 साल सत्ता में रहे, आज सरकार कामयाब हुई है अधिक संसाधन प्लानिंग कमीशन से लाने के लिये, यहाँ की योजनाओं के लिए लेकिन उनकी सरकार का नमूना यह था कि अपने कार्य काल में योजना बना भी नहीं पाये थे, कार्यान्वित करने या संसाधन जुटाने की बात तो दूर रही, और आज वही उपदेश दे रहे हैं।

मान्यवर, सिंचाई की आवश्यकता इस प्रदेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विकास के लिये, कृषि के विकास के लिये, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये, सिंचाई के साधनों की बड़ी आवश्यकता है और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस सरकार को कि पिछले 3 वर्षों में भागीरथी प्रयास किया गया है इस प्रदेश की सिंचाई सुविधाओं का बढ़ाने के लिये।

203 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिसके लिये सिंचाई साधनों की सुविधायें उपलब्ध करानी हैं। 1947 में, जैसा कि अभी पाण्डे जी कह रहे थे, 27.5 लाख हैक्टेयर भूमि को सुविधायें उपलब्ध थीं और आज 95.18 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। 203 लाख हेक्टेयर भूमि के लिये सिंचाई की सुविधाओं को पूरा करने के लिये कितने संसाधनों की जरूरत होगी, इसको पूरा करने के लिए मोहन सिंह जी कितना सहायक होंगे, उनकी तरफ के बैठे लोग, कितना सहयोग देने को तैयार हैं। जब भी कोई काम आज यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विमल प्रसाद तिवारी—]

सरकार करना चाहती है, उसकी आलोचना होती है, काम की प्रशंसा करने में काफी तकलीफ लोगों को होती है।

वह तो आलोचना विशेषज्ञ हैं। कोई भी अच्छी से अच्छी बात हो, उनके सामने रख दी जाए तो वह निश्चित रूप से उनकी आलोचना करेंगे। अभी माननीय मोहन सिंह जी ने एक व्यक्तिगत जानकारी माननीय मन्त्री जी के बारे में दी। मुझे जानकर गर्व है कि मन्त्री जी की ससुराल उनके क्षेत्र में है।

(हंसी)

भ्रष्टाचार की बात मोहन सिंह जी ने कही। वह स्वयं सत्ता में रहे हैं। क्या वह भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर सके? क्या कदम उन्होंने उठाये बता देते तो एक दिशा मिलती? जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है वह सिंचाई विभाग में है। उतना ही है जितना अन्य विभागों में है, सोसाइटी में है। सरकार की ओर से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कड़े कदम उठाये गये। तीन साल के जनता शासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये जो कार्यवाही न हो सकी वह सिंचाई विभाग में अधिकारियों के खिलाफ की गयी।

एक सदस्य—

फैजाबाद में क्या हो रहा है?

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

आपका समय आयेगा। उस बात को कहें जितना कहना चाहें। मैंने पहले निवेदन किया कि मोहन सिंह जी आलोचना विशेषज्ञ हैं। उनसे आगे आप कुछ कह सकेंगे इसमें मुझे संदेह है।

श्री अधिष्ठाता—

तिवारी जी आप बोलते रहें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

(किसी सदस्य के कुछ कहने पर) जहाँ तक आपके इस आरोप का सवाल है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि चमचागीरी आप लोग करते होंगे। हम लोग सिद्धान्तों से बंधे हैं। अपनी सरकार के अच्छे कामों की प्रसंशा करने में हमें गर्व होता है। लालबत्ती हो गई है इसलिये एक मिनट में समाप्त करता हूँ। हमारे क्षेत्र में एक विकास खंड गंगा और रामगंगा के बीच से बसा है। 34 साल में एक भी राजकीय सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं हुआ। वहाँ के किसानों की दुर्दशा देखकर राजेपुर विकास खंड में जहाँ एक भी सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है, 10 नलकूपों का विशेष कोटा देने का कष्ट करें। कहा जाता रहा है कि इस क्षेत्र मे ट्यूबवेल सफल नहीं होगा। पिछले साल जिला सेक्टर की योजना में दो नलकूप दिये गये दोनों सफल हुए। मेरा निवेदन है कि वहाँ के लिये राजकीय ट्यूबवेल स्वीकार करने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूँ और मन्त्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने विभाग में सराहनीय काम किये।

श्री राजेन्द्र सिंह—

तिवारी जी ने जो बात कही उसका जबाब दूंगा। आपने कहा कि जनता शासन काल में अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया जितना अब लिया जाता है।

मैं सिंचाई मंत्री था कर्तव्य हो जाता है कि तिवारी जी को इस बात से अवगत करा दूं कि जनता सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियन्ता, नलकूप की सेवायें समाप्त की थीं। आपने जिन्दल को सेवा में ले लिया है। फिर कहना चाहता हूँ कि काउन्टर एफीडेविट क्यों नहीं दिया ? हाई कोर्ट का जजमेंट भेज दूंगा। जिन्दल को अपने विभाग में लेने के लिये आप लोग जिम्मेदार हैं। मंत्री जी फाइल को निकालें। आपने फाइल पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों नहीं भेजी।

हमने अपने जमाने में जहाँ पर हानि हुई हानि की रिकवरी संबंधित व्यक्ति की पे में से करने के आदेश दिये। नाम बता सकता हूँ। नाम मा० मंत्री जी मुझसे माँगे। जो आदेश हमने किये उनका परिपालन नहीं हो रहा है। इसके लिये आप दोषी हैं। और आप उनके खिलाफ एक्सन नहीं ले रहे हैं आप दोषी हैं।

***उद्योग एवं सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—**

मान्यवर चूंकि नेता विरोधी दल ने कोई सवाल उठाया था। मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि जो भी नेता विरोधी दल ने अपने कार्यकाल में किया है उसकी जानकारी मेरे सामने आयी है। मैंने एक भी आदमी को छोड़ा नहीं है, हम तो गलत आदमी को ढूँढते हैं कि उसके खिलाफ कार्यवाही करें। हमने किसी भी गलत आदमी को छोड़ा नहीं है। जहाँ तक श्री जिन्दल का सवाल है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसी दिन जवाब दिया था और इसका जवाब मैं शाम को डिटेल में दे दूंगा। न्याय विभाग से राय ली गई। सरकार उसको बहाल करना चाहती तो उसको कम्पलसरी रिटायरमेंट क्यों दे देती ? यह आपने नहीं किया यह हमने ही किया है। उसके बाद वह कोर्ट में चला गया वहाँ से उसको स्टे मिल गया। उसके बाद भी न्याय विभाग से राय ली है उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है। यह कहना कि जानबूझ कर किया गया है गलत है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

काउन्टर एफीडेविट क्यों नहीं दिया गया ?

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय श्री मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह बात कहता हूँ कि यह भ्रष्टाचार केवल सिंचाई विभाग में ही नहीं फैला हुआ है। श्री मोहन सिंह जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव को बहुत ही विस्तारपूर्वक रखा है। मान्यवर, इस सरकार का जन्म ही भ्रष्टाचार में हुआ है इसलिये इस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। मैं समझता हूँ कि कटौती का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के लिये एक बहुत बड़ी चुनौती है और माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दें। अभी माननीय मंत्री जी के एक बड़ी अजीब बात कह दी थी कि आज मध्यप्रदेश की वजह से बुन्देलखण्ड में सिंचाई की व्यवस्था अधूरी रह गई है। श्रीमन्, बड़े दुख की बात है कि दिल्ली में इनकी सरकार बैठी है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बैठी है। ये अपनी नालायकी और कमजोरी तथा इनके अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके कारण ठीक से रपट या सर्वेक्षण नहीं हो पाता है उसी के कारण आज बुन्देलखण्ड सूखे की स्थिति में पड़ा हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—]

श्रीमन्, सरकार कहती है और इसके पहले की भी सरकार ने घोषणायें की है कि बुन्देलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण प्रत्येक वर्ष भुखमरी का सामना करना पड़ता है और अपने पिछड़ेपन की जिन्दगी को व्यतीत करता है और आज भी वहाँ का आधा जीवन गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है। यह शर्म की बात है माननीय सिंचाई मंत्री जी के लिये। आज केन्द्र तथा मध्य प्रदेश में इनकी सरकार होते हुए भी माननीय मंत्री जी हिम्मत के साथ कह रहे हैं कि बुन्देलखंड में पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था न होने का कारण मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ बहुत ही परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है, फलस्वरूप वह बुन्देलखंड की परियोजनायें स्वीकृत नहीं कर पा रहा है।

मान्यवर, आज इस बात को कहा जा सकता है कि सिंचाई की सुविधा प्रकृति के साधनों पर निर्भर रहती है यह या तो पाताल में होती है और या फिर भगवान के पास होती है और इन्हीं दोनों से उन्हें जल प्राप्त होता है मान्यवर, माननीय मंत्री जी को बुन्देलखंड की भौगोलिक स्थिति की जानकारी होनी चाहिये। श्रीमन्, वर्षा के समय जो पानी बरसता है और एकत्रित होता है वह आज खेतों में नहीं पहुँचता है। आज आप बुन्देलखण्ड के चन्देल के तालाबों के इतिहास को देखें जिनसे सिंचाई की व्यवस्था बड़े सुदृढ़ ढंग से होती थी जो कि 400-500 वर्ष पुराने हैं। तो क्या आपने कभी यह विचार किया कि इन चन्देल के तालाबों में कुछ सुधार करें। जिन चन्देल के तालाबों में वर्षा का पानी एकत्रित होकर सिंचाई के काम आता था आज उन्हीं से वर्षा का पानी निकल कर बह जाता है।

आज भी बुन्देलखण्ड के अन्दर कितने नालें और नदियाँ हैं जिससे हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई के लिये पानी प्राप्त करके खेतों को सींचा जा सकता है लेकिन न वहाँ पर बिजली का प्रबन्ध है, न लिफ्ट योजना है और किसी प्रकार की योजना नहीं है।

मैं मा० मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि और खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार बुन्देलखण्ड के साथ सिंचाई साधनों में सौतेला व्यवहार करती है तो सिंचाई मंत्री एक संकल्प लायें और बुन्देलखण्ड को एक प्रान्त बनाने के विषय में घोषणा केन्द्र सरकार से कराने की कृपा करें। बुन्देलखण्ड को एक अलग प्रांत बनाया जाय और इसकी संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजी जाय।

*श्री कुंवर बहादुर मिश्र—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया मैं इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इसलिये विरोध करता हूँ कि रचनात्मक दृष्टिकोण इसमें दिखायी नहीं पड़ता है। केवल आलोचना ही आलोचना है। मैं सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन इसलिये करता हूँ कि प्रदेश के संतुलित विकास का ध्यान इसमें रखा गया है। मैं इसका इसलिये भी समर्थन करता हूँ कि प्रत्येक अंचल में जो भी स्रोत उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करने का प्रयास इस बजट में दिखायी पड़ता है।

मैं इसका इसलिये भी समर्थन करता हूँ कि पूरे प्रदेश में एक चतुर्मुखी विकास लाने की योजनाओं को लेकर वह बजट खड़ा है। वृहद, मध्यम और लघु योजनाओं को लेकर यह बजट खड़ा है, जो बहुत सी परियोजनाओं का अनुसन्धान और निर्माण लेकर आयगा, ऐसा यह बजट है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूँ। इन्हीं प्रयासों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिणाम है और सिंचाई मंत्री जी के प्रयासों का परिणाम है कि 81-82 की तुलना में 82-83 में 3 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई हुई और बहुत सी सूखी भूमि को सिंचाई का लाभ मिला। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि प्रसन्नता की बात है कि प्रदेश सरकार के प्रयास के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण योजना विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय फण्ड फार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई जिससे 2200 नये नलकूपों का निर्माण होगा और 750 नलकूपों को सुधारा जायगा और इसमें 175 करोड़ रु० का व्यय होगा। यह एक बहुत बड़ी योजना प्रदेश के लिये होगी। वैसे तो भारत सरकार ने 7 जिलों को सूखाग्रस्त माना है जिसमें बुन्देलखंड के हमीरपुर, जालौन और बांदा जिले हैं। प्रदेश सरकार का ध्यान बुन्देलखंड की ओर है और वहाँ पर भारत सरकार ने भी ध्यान दिया है। सारे प्रयासों के बावजूद भी बुन्देलखंड की धरती की प्यास नहीं बुझ सकती है। आप 82 तक के आँकड़ों को देखिये तो पश्चिमी क्षेत्र में 9496, पूर्वी क्षेत्र में 8943 और मध्य क्षेत्र में 2755 तथा बुन्देलखंड में 1012 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि बुन्देलखंड की धरती मांग करती है कि वहाँ पर और साधन जुटाये जायं।

प्रदेश में विशाल जलग्रिड योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस योजनाओं के द्वारा बहुत से क्षेत्रों को जल दिया जायगा जहाँ पानी की कमी रहती है और जहाँ सिंचाई कम होती है।

ऐसी महत्वपूर्ण कई जल ग्रेड योजनायें हैं और इन जल ग्रेड योजनाओं में जितनी नदिया हैं यमुना, सिंध, बेतवा आदि में इतना पानी नहीं हैं, जिससे वहाँ पूर्णरूप सिंचाई हो सके और जो पंचनद बाँध की योजना है, वह मात्र एक कल्पना है, यह कोई लाभकारी योजना नहीं रहेगी। मान्यवर, बुन्देलखण्ड की कुल सिंचन क्षमता 25 फीसदी है जब कि पूरे प्रदेश की 52 प्रतिशत सिंचन क्षमता है तथा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे बुन्देलखण्ड को भी प्रदेश सिंचन क्षमता के बराबर ले आयें। मान्यवर बुन्देलखण्ड की जमीन बड़ी ही सुन्दर आकर्षक एवं गुणी है (शोर)

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया, कृपया बैठ जाइये।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ और यह बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और जो देश कृषि प्रधान देश हो तो वहां पर सिंचाई व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के इतने दिनों बाद भी जिस त्वरित गति से सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं हो सकी, परन्तु हमारे सत्ता पक्ष के साथी कहते हैं कि प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था ठीक हो गई है, परन्तु हमारे क्षेत्र में नहीं है और यही बात जब हर मा. सदस्य कह रहा है तो फिर इसके मायने यह हुए है कि सिंचाई व्यवस्था कहीं पर भी ठीक तरह से नहीं है। यानी पूरे प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था अस्त-व्यस्त है।

मान्यवर, समय कम है, इसलिए मैं अपने यहाँ की बात कहूँगा कि आजादी के इतने दिनों के बावजूद भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा जनपद बलिया है। और यह जनपद पूरी तरह कृषि एवं नौकरी पर ही निर्भर है, वहाँ पर कोई औद्योगिक इकाई नहीं है, लेकिन वहाँ कृषि की गति में आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम ब्लयू प्लान के रूप में

[श्री राम गोविन्द—]

आज तक सरकार की ओर से नहीं किये गये हैं। जहाँ पर दोहरी घाट सहायक परियोजना भी है लेकिन उसकी स्थिति भी आज बड़ी दयनीय है, वहाँ पर नहरें तो हैं, परन्तु समय पर वहां पानी नहीं दिया जाता है जब आवश्यकता होती है वहाँ पर तब खाऊ ठेकेदारों को ठेका देकर उसे खुदवाना शुरू करवा देते हैं और जब आवश्यकता नहीं होती है तब पानी छोड़ा जाता है, जिसके नतीजे में हमारे यहां की खरीफ की फसल पूरी तरह सूख जाती है और अब यह फसल पूरी तरह चौपट हो गयी है और यही स्थिति करीब-करीब हर साल की रहती है। दूसरे मान्यवर, बलिया हमारी तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, गंगा, घाघरा और रापती, जिसमें गंगा और घाघरा एक साइड में आकर दोनों मिलती हैं। जिसके कारण एक भयंकर बाढ़ की विभीषिका पैदा हो जाती है यही नदी बलिया जनपद में इन नदियों के अलावा चार ड्रेनेज मुख्य हैं आंवरा लकरा बहेरा और नगरा उनके द्वारा पूरे मेरे बिल कहरे क्षेत्र में बाढ़ सी आ जाती है, जिसके कारण भी खरीफ की फसल नहीं हो पाती है। और जब भी उनके खुदवाने का प्लान जिला मुख्यालय से आता है। उसको यहां निरस्त कर दिया जाती है। मैं कहता हूँ कि कम से कम लकड़ी और अंवला नाले के लिये मैंने जिला मुख्यालय से तीन बार प्रयास किया है कि ड्रेनों को ठीक तरह से खुदवाये जांय तथा उस पर पुलिया का निर्माण किया जाय। जल निकासी की समुचित व्यवस्था के लिये ड्रेनों की व्यवस्था कीजिये, लेकिन आज तक उनकी व्यवस्था नहीं की गई। यह सरकार बहरी और गूंगी सरकार ड्रेनों के निर्माण की दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही है जिससे कि किसानों को खेतों में से पानी निकाला जा सके। बलिया जिले में एक उच्चस्तरीय मीटिंग हुई थी।

हिन्दुस्तान के एक से एक बड़े अफसर उसमें आये थे तथा उसमें योजना आयोग के सदस्य भी आये थे। सारे लोगों की उपस्थिति में यह मीटिंग हुई थी। माननीय चन्द्र शेखर जी ने भी उसमें हिस्सा लिया था और काँग्रेस पार्टी के लोगों ने भी उसमें हिस्सा लिया था उस पर यह विचार-विमर्श किया गया कि जल निकासी की व्यवस्था कैसे की जाय और उसमें यह तय किया गया कि चार बड़े-बड़े पम्प लगा कर यहां का पानी बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन उस योजना को भी लागू नहीं किया गया। सीपेज और जल प्लावन से बलिया जिला बहुत त्रस्त है। वहां की सीपेज को ठीक कराने की व्यवस्था शीघ्र कराने की आवश्यकता है। तथा नहर की पटरियों को पक्की करा दिया जाय। इसके साथ ही नहरों को भी ठीक कराया जाय जिससे कि समय से किसान को आवश्यकता के समय पानी उपलब्ध हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, बड़ी प्रसन्नता की बात है और बहुत ही सन्तोष है कि सिंचाई की क्षमता में वृद्धि हुई है और माननीय मंत्री जी ने जो प्रोग्राम सामने रखा है वह बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है इससे योजनाओं के विस्तार में प्रगति होगी और मेरा विश्वास है कि बहुत ही थोड़े से दिनों में शायद ही कोई खेत ऐसा रहे जहां पानी न पहुँच पाये।

श्री राम गोविन्द—

अभी आप कहेंगे कि लेकिन हमारे क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा कम है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल प्रताप सिंह—

आप मुझे बात तो कहने दीजिये । आप तो बलिया में ही डूब गये । मैं कह रहा था कि मुझे यह भी पूरा विश्वास है कि जहां सारे इन्फ्राइस्ट्रक्चर मजबूत हो जांय तो हमारा जो लक्ष्य है कृषि उत्पादन का, वह तो पूरा होगा ही और हम ऐसी हालत में पहुँच जायेंगे कि हम खाद्यान्न बाहर भेज सकेंगे, अनाज इक्सपोर्ट कर सकेंगे ।

यहां बहुत सी योजनाओं के बारे में जिक्र हुआ कि सब एग्जीक्यूट होने जा रही हैं और सब एग्जीक्यूट हो गयी या होगीं । जमीन के अन्दर का जो पानी है और जमीन के बाहर का जो पानी है उसके यूटीलाईजेशन का सवाल है । यह सवाल बहुत ही टेक्नीकल और टेक्नीलोजिकल है और आज के जमाने में और भी टेक्नोलाजिकल हो गया है । हमारे सिंचाई विभाग के इन्जीनियर्स बहुत ही योग्य हैं उन्होंने इस समस्या पर बहुत सफलता प्राप्त कर ली है । यह तो बहुत बड़ा सवाल है । इस सवाल के साथ ही साथ कुछ दिक्कतें भी हैं जिसे हम माननीय सदन के सामने रखना चाहते हैं ।

सबसे बड़ी समस्या सीपेज की समस्या है । मैं सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर देखने की आवश्यकता है । इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाना चाहिये । इसमें कई बिन्दु आते हैं । एक भराव का है, दूसरा नहरों के कटाव का है, तीसरे उसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि ट्यूबैलों की सिंचाई से उतना सन्तोष नहीं हो पा रहा है जितना कि अपेक्षित है, जितनी कि उम्मीद की जाती है ।...इसका क्या कारण है ? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिजली नहीं मिलती है । माननीय मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करता हूँ और सुझाव देता हूँ कि अगर इसके लिए कोई सेपरेट फीडर बनायी जाय या अन्य कोई सेपरेट इन्तजाम किया जाय तो अच्छा होगा । मान्यवर, इसके रखरखाव की भी आवश्यकता है । मैं मान्यवर, यह महसूस करता हूँ कि प्राइवेट नलकूपों को अगर ठीक प्रकार से और समय से बिजली मिल जाय तो बहुत अच्छा हो । पंजाब और हरियाना में प्राइवेट नलकूप बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं ।

इस सम्बन्ध में, मान्यवर, मैं कुछ चन्द चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ । एक तो नहर विभाग से ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग सहकारिता विभाग, इन सभी का इन चीजों से सम्बन्ध है । मैं महसूस करता हूँ कि विकास के लिए इन सभी विभागों का कौआपरेशन और कोआरडीनेशन होना चाहिए । जब तक यह नहीं किया जायेगा तब तक विकास संभव नहीं होगा । माननीय सिंचाई मन्त्री जी स्वयं अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दें, या और कोई व्यवस्था कर दी जाय तो अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि इस समय इन विभागों में कोई कोआरडीनेशन नहीं है, जिससे कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पाता है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर 2 मिनट मुझे और दे दें । अगर पानी का युटिलाइजेशन कोआपरेटिव के जरिए हो सके, या गांव में एक कमेटी बना दी जाय जो इसके युटिलाइजेशन को देखें और इस बात को भी देखें कि पानी का दुरुपयोग न हो और उसकी सुरक्षा हो सके ।

[श्री लाल प्रताप सिंह—]

मान्यवर, एक सुझाव मैं और देना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर जो जिलेदारी की प्रथा है इसको समाप्त कर दिया जाय और इस के स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था की जाय, जो किसानों को प्रशिक्षित भी करे, खेती के सम्बन्ध में, पानी के युटिलाइजेशन के सम्बन्ध में उनको प्रशिक्षित किया जाय तो बहुत अच्छा होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैंने तो अभी आपने जिले के बारे में कुछ कहा ही नहीं है 2 मिनट और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, आपका समय समाप्त हो गया है ।

***श्री हरगोविन्द वर्मा—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, सिंचाई कृषि के लिये एक प्रमुख और महत्वपूर्ण बिन्दु है । जब तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तब तक अन्न की भी व्यवस्था नहीं हो सकती है और हम भुखमरी से नहीं बच सकते हैं । हर वर्ष हम सिंचाई का बजट पास करते हैं और यह कहा जाता है कि सिंचाई की व्यवस्था ठीक की जायेगी, परन्तु सारा बजट करप्शन में चला जाता है । जो योजनायें बनती हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होता है ।

मान्यवर, मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूँ कि शारदा सहायक नहर के निर्माण कराया गया । यह नहर लखीमपुर से लेकर रायबरेली तक बनायी गयी है । जहां तक मेरी जानकारी है, सभी जगह पर इस नहर के किनारे सीपेज की समस्या उत्पन्न हो गयी है । नहर के किनारे की भूमि दलदली और उसमें सदैव पानी भरा रहता है, जिससे जो अन्न वहाँ पर पैदा होता था वह भी पैदा होना समाप्त हो गया है । जो योजना बनायी जाय वह इस प्रकार की हो कि सभी को लाभ मिले । योजना के लिये पैसा सैक्शन किया जाता है परन्तु वह उसमें लगाया नहीं जाता है, वह अधिकारियों और ठेकेदारों में बंट जाता है । मंत्री और विधायक का भी हिस्सा लगता है ।

एक सदस्य—

मान्यवर, यह सदस्य को कह रहे हैं ।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं आपको नहीं कहता हूँ । मैंने विधायक शब्द कहा है । मैं भी विधायक हूँ । तो मान्यवर, यह स्थिति आज प्रदेश में पैदा हो गयी है कि सिंचाई विभाग से कोई फायदा नहीं हो रहा है । नहरें जो बनाई जाती हैं उनमें सीपज हो रहा है उससे खेती को नुकसान हो रहा है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।**

आपकी किसी नहर का पानी किसी खेत में चला जाता है तो सिंचाई विभाग उससे वसूल करने का काम करता है लेकिन जिस पानी से किसान के खेत खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं तो उसके लिए विभाग किसानों को मुआवजा नहीं देता है। यह बहुत आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप पूरे प्रदेश के किसानों के ऊपर जुर्म करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार हत्यारी है। हमारे लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर के हजारों किसानों की जमीन बरबाद हो गई है, उनकी बिल्कुल भी पैदावार नही हुई है। उनको मुआवजे का एक भी पैसा नहीं दिया गया है और न ही उनका लगान माफ किया गया है।

पिछली बार इसके बारे में यहाँ पर एक वक्तव्य दिया गया था और लगान मुल्तवी करने की बात कही थी किन्तु माफ नहीं किया गया था। मेरा सुझाव है कि जहाँ पर ऐसी स्थिति हो, पूरे प्रदेश के लिये जो योजना बने, उसके लिये जो पैसा सैंक्शन हो उस पर सरकार निगाह रखे और जो योजना बनाई जाय उसे इन्जीनियर लोग पहले ठीक तरह से देख लें जिससे बाद में जो सीपेज होता है वह नहीं होने पाये। मान्यवर, आप पूरे प्रदेश का पिछला इतिहास देखें तो आप पायेंगे कि जो पैसा सैंक्शन किया गया उसका 75 प्रतिशत बर्बाद हुआ है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जो पैसा सैंक्शन किया जाय उसका सही ढंग से उपयोग हो दूसरे सीपेज से जो नुकसान होता है उसका मुआवजा किसानों को दिया जाय। लगान उनका माफ किया जाय, साथ ही करेप्शन रोकने की बात मंत्री जी कहें। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव माननीय मोहन सिंह जी ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

*श्री सुन्दर सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने सिंचाई के बजट के समर्थन में तथा कटौती के विरोध में मुझे बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, हमारे सिंचाई मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हर गाँव में, हर खेत में पानी पहुँचाने का भगीरथ प्रयास किया है। मैं इसके लिये उनको बधाई देता हूँ। यह एक महत्वाकांक्षी बजट रखा गया है और जो बातें माननीय वर्मा जी ने एक विधायक होने के नाते कही हैं और विधायक के लिये ही उन्होंने कहा है तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वे स्वयं एक विधायक हैं। कोई भी जन-प्रतिनिधि जो होता है वह जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब होता है और अपने क्षेत्र की प्रगति के लिये ही कहता है। वर्मा जी ऐसा कहते हैं, हो सकता है उन्होंने ही ऐसा किया हो।

मान्यवर, मैंने माननीय मोहन सिंह जी के भाषण को सुना। उनका भाषण मर्यादित था, बहुत ही सार गर्भित था तथा संतुलित था। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं और यह बताया कि माननीय सिंचाई मंत्री ने कोई महत्वाकांक्षी बजट पेश नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने प्रदेश के बुन्देलखण्ड डिवीजन, पूर्वी प्रदेश और उसके मध्य भाग को बड़ी-बड़ी योजनाओं से वंचित रखा है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सिंचाई मंत्री एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं, केवल महत्वाकांक्षी ही नहीं है। वे किसानों की समस्याओं को जानते हैं। हमारे बहराइच में और गोंडा में, हम जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से जो वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी मंत्री जी ने उन्हें यह सुविधा कर दी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर सिंह—]

वहां पर सरजू नहर परियोजना ऐसी योजना है जो कि घाघरा, सरजू और राप्ती, तीन नदियों से बनी है साथ ही जो बैराज सरजू नदी पर बना है वह बहुत बड़ा है। उसके माध्यम से बहराइच जनपद में सिंचाई की सुविधा जहाँ पहले 8 प्रतिशत ही मिल पाती थी वह अब वहाँ के लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि वहाँ पर किसानों के लिए 30 प्रतिशत तक नहरें हो जायेंगी। सरजू नहर पंप योजना हमारे जनपद में जो बनी है उसके ऊपर 5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है इससे वहाँ करीब 26 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। घाघरा नदी के तट पर जरवल नाले के पास जो बांध बन रहा है वह बहुत बड़ा है।

मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हो सकता है प्रदेश में कुछ ऐसे भी अभागे हों, अभी राम गोविन्द जी बोल रहे थे कि बलिया में पानी नहीं मिल रहा है। गंगा के तट पर रहने वाले भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो पानी के बिना प्यासे मरते हों सुरसरि तीर बिन नीर दुख पाई हों" तो ऐसे अभागे लोग हो सकते हैं। लेकिन काँग्रेस शासन में चाहे सिंचाई मन्त्री हमारे पंडित कमलापति जी रहे हों, या उसी तरह वीर बहादुर सिंह जी सिंचाई मन्त्री रहे हैं उन्होंने सिंचाई के लिए बहुत कुछ किया है, हमारे जिले में उनको लोग जल देवता के रूप में याद करते हैं, वह एक सफल सिंचाई मन्त्री के रूप में हमारे सामने आये है।

एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ सरयू नहर से सीपेज की समस्या हो सकती है। शारदा सहायक परियोजना का जब निर्माण हुआ था उस समय यह अनुमान नहीं था कि सीपेज की इतनी समस्या हो जायेगी इसीलिए मैं शासन को और सिंचाई विभाग को आगाह करना चाहता हूँ इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे जिले में यह बहुत बड़ी महत्वाकाँक्षी योजना है, विशालकाय योजना है उससे हो सकता है जल-भराव की भी समस्या हो जाय। इसके साथ-साथ नलकूप भी बड़ी संख्या में लगाये जाँय इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई के बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती का विरोध करता हूँ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ इधर से काफी संख्या में बोलने वाले हैं। इसलिए इधर से दो और उधर से एक सदस्य को बुलवा लें तो अच्छा रहेगा। (व्यवधान)

श्रीमती पुष्पा चौहान—

मान्यवर, महिलाओं के साथ भी संतुलन बनाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

पहले उनका व्यवस्था का प्रश्न सुन लूँ। (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सिंचाई के मामले में भौगोलिक दृष्टि से देखा जाय इसमें सभी पक्षों को सुना जाय। अभी बरेली मुरादाबाद की तरफ से कोई विचार नहीं आये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

परम्परा यह है कि एक सत्ता पक्ष से और एक विरोध पक्ष से माननीय सदस्य बोलते हैं। अब अधिक संख्या सत्ता पक्ष से बोलने वालों की है तो अभी इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री फखरे आलम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आजादी की लड़ाई जब हो रही थी तो उस वक्त लोग यह सोचते थे कि देश आजाद होने के बाद यहाँ पर परिवार को मकान मिलेगा और हर खेत को पानी मिलेगा मगर आजादी के साढ़े 35 साल गुजर जाने के बाद भी आज हालत यह है कि 3/4 हिस्सा खेती का ऐसा है जहाँ पानी नहीं है।

लोग समझे थे इनकलाब आते ही नज्मे कोहना चमन का बदल जायेगा,
यह खबर किसको थी आतिशेगुल ही से पत्ता पत्ता नशेमन का जल जायेगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी जब बजट रख रहे थे तो हम समझते थे कि उत्तर प्रदेश के किसानों की जो समस्यायें हैं उनका हल बतायेंगे लेकिन वह नहीं हुआ। और यहाँ पर मन्त्री जी की लौबी में लोग बजट की तारीफ के पुल बाँधना शुरू कर दिये। लेकिन इस बात को नहीं देखा कि 3/4 इलाका प्रदेश का ऐसा है जो वगैर सिंचाई के पड़ा हुआ है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज उत्तर प्रदेश में नहरों का इंतजाम कर दिया जाय तो समस्या का हल हो सकता है। नहरों की चेन बना दी जाय और इस बात के लिए कमीशन का गठन किया जाय जो इस बात को देखे कि कितनी नहरें हमारे यहाँ लगाई जा सकती है। लेकिन इसकी तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर आप लिफ्ट इर्रीगेशन से काम नहीं चलाते हैं और टयूबवेलों से पूरी सिंचाई नहीं हो पा रही है तो जरूरत है कि नहरों का जाल उ० प्र० में बिछा दिया जाय जिससे हर खेत को पानी पहुंच सके, तो जो सपना आजादी में देखा था वह पूरा होगा।

मान्यवर, उ० प्र० में टयूबवेंलों के जरिये सिंचाई का प्रवन्ध जो किया गया है वह नाकाफी है। आज जरूरत है कि मौजूदा टयूबवेलों की संख्या में चौगुनी बढ़ोत्तरी की जाय। किसान आज चाहता है कि प्राइवेट टयूबवेलों के अलावा सिंचाई का दूसरा तरीका बढ़ाया जाय लेकिन आप वह नहीं कर पा रहे हैं जिससे सिंचाई पिछड़ती जा रही है।

मान्यवर, अब मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग में जो आपरेटर्स होते हैं वह अपनी डयूटी ठीक से नहीं करते हैं और टयूववेलों पर निर्धारित समय में नहीं जाते हैं इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। इसका कारण है कि पतरौल और उनके ऊपर के अधिकारी जैसे सहायक और इक्ज्यूक्यूटिव इंजीनियर जो हैं वह सब उनसे जुड़े हैं और वह एक विशस सर्किल बनाये हैं जिससे किसान को तकलीफ होती है और वह सिंचाई से महरूम हो जाता है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपरेटर्स का चुनाव किया जाय और उनको मुकर्र किया जाय तो देखें कि वह पोस्टिंग स्थान से दूर का रहने वाला हो और आपने जो तरीका बनाया है उसमें 25-30 किलोमीटर का रहने वाला न हो तो यह ठीक है लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है, इसलिये इस ओर ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती पुष्पा चौहान—

अधिष्ठाता महोदय, मैं सिंचाई मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलना चाहती हूँ। मान्यवर, इस कृषि प्रधान राज्य में, प्रदेश की 86 प्रतिशत जनता के उज्जवल भविष्य की तरफ प्रेरित करने वाला यह बजट सिंचन क्षमता वृद्धि करने वाला अति सक्षम बजट है किसानों को अधिक सुविधायें देने वाला यह बजट है। प्रस्तुत बजट प्रदेश प्रगति की ओर ले जाने वाला एक सफल बजट है। मान्यवर, जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है तो मेरा क्षेत्र विरोधी दलों के हाथों में रहा हुआ क्षेत्र है, इसलिये वहां प्रगति के नाम पर या सिंचाई के प्रगति के नाम पर जहाँ धूल ही उड़ती रही है वहाँ हमारे माननीय मंत्री जी ने जनता की आवाज को सुना, किसानों की आवाज को सुना और समझा। पानी की निकासी के लिये ना-मालूम कितने नाले और ट्यूबवेलों से निकली हुई नालियां वहां के भूगोल को ही बदल रही हैं यह बात मैं मन्त्री जी की तारीफ में नहीं कह रही हूँ बल्कि मैं तो निश्चित स्थान उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। मान्यवर, नेता विरोधी दल के घर से एक घंटे की दूरी का रास्ता है। सन् 81 में जहां वे मेरे क्षेत्र में गये थे तो रास्ता भूल गये थे। जाकर देखलें उस ऊसर में वहाँ भरतपुर में एक नलकूप है, अलहदिमपुर में है, शहबाजपुर में है, पिछड़े लोगों का जो गांव रामपुर है, वहां पर है मिन्तर में दें वहाँ ट्यूबवैलों की श्रंखला सी बिछी हुई है। यह इसी प्रकार सारे क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सुधार माननीय मंत्री जी की देन है। समय कम है, सारी योजनाओं का विस्तार से वर्णन करना सम्भव नहीं है। पर विरोध पक्ष से जो ऊलजलूल बातें की जाती हैं (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मुझे दो मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती पुष्पा चौहान—

मोहन सिंह जी ने जो बातें कहीं, मैं उनका जवाब देना चाहती थी, पर समय नहीं है। इनकी बातों का जवाब दिया भी कहाँ तक जाय। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये कुछ जनप्रतिनिधियों को लगातार छींटाकशी करते हैं और उनके लिए विरोध पक्ष की यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। उनके अवचेतन मन में एक भय बैठा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। कृपया बैठें।

श्रीमती पुष्पा चौहान—

रायबरेली का चुनाव हुआ क्या इन्हें मौका नहीं मिला था ? और चुनाव हुआ क्या इनकों मौका नहीं मिला था ? आप अपने प्रत्याशी को क्यों नहीं जिता लाये। आपको तो हर बात में राजीव गांधी का नाम लेना आता है...

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया बैठें। माननीय मित्रसेन आप कृपया बोलें।

श्रीमती पुष्पा चौहान—

मुझे एक किस्सा याद आता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें (व्यवधान)

श्रीमती पुष्पा चौहान—

एक पुरानी झौपड़ी में एक व्यक्ति रहता था जिसमें बहुत छेद थे बारिश से पहले वह लेटा हुआ कहता था कि मुझे शेर का तो डर लगता ही है पर शेर से भी ज्यादा मुझे टपका का (व्यवधान) लगता है। (व्यवधान) तो इन विरोध पक्ष वालों पर शेर का डर तो डर है ही, टपका का भी डर छा गया है राजीव गांधी से इन्हें भारी डर तथा विशेष विभागों से उन्हें जोड़कर अपनी कमजोरी दिखाते हैं। (व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से क्षेत्र का ध्यान रखने का निवेदन करते हुए मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मुझे ज्यादा आलोचना नहीं करनी है, इतना अवश्य कहना है कि जब इन माननीय मंत्री जी के पास परिवहन विभाग था तो उन्होंने उसका कबाड़ा कर दिया। वही हालत आज इस विभाग की भी है।

हमारे उत्तर प्रदेश में मान्यवर, सिंचाई के दो ही साधन हैं एक नहरों द्वारा और दूसरे नलकूपों द्वारा। हमारे फैजाबाद जनपद में दो मुख्य नदियां है एक तमसा दूसरी विसुई नदी। इन दोनों के बीच में एक नहर प्रस्तावित थी, पर जनता के प्रतिरोध के कारण वह रुक गयी। इनकी उस योजना में किसानों की भूमि आती थी। चकबन्दी होने के बाद अगर किसी के क्षेत्र से रोड आदि निकलती है तो किसान प्रभावित होता है। जहाँ आप नहरें बनवायें वहाँ पर आप सामूहिक रूप से जमीन का अधिग्रहण करें, वरना आपकी योजना सफल नहीं हो पायेगी। एक तरफा अगर जमीन ली जायेगी तो उसका बिरोध होगा, किसान आन्दोलित हो उठेगा।

इसके अलावा जो नहरें निकलती हैं उसके कारण सीपेज की समस्या पैदा हो गयी है, ड्रेनेज की समस्या पैदा हो गयी है। नहरों की ड्रेनेज दूसरे लोग खुदवाते हैं और नलकूपों की ड्रेनेज दूसरे लोग खुदवाते हैं।

[समय 3 बजे अपरान्ह]

जो हमारी सीपेज और ड्रेनेज की दोनों समस्यायें नहरों से पैदा होती हैं, तो उनके बारे में समस्या का समाधान करने का प्रयास भी सिंचाई विभाग को करना चाहिए और उसका उपाय सोचना चाहिए। हमारी नहरों की जो सड़कें हैं, वहाँ पर सार्वजनिक रूप से हमें चलने की इजाजत नहीं मिलती। लेकिन फिर भी सुविधाजनक होने के कारण जनता उन पर चलती है, जिससे बहुत सी समस्यायें पैदा होती हैं। इसलिए नहरों के किनारे के जो रास्ते हैं, सिंचाई विभाग को उनको पक्का करवा देना चाहिये। उससे पी०डब्लू०डी० की समस्या भी हल हो जायेगी और विभाग का काम भी सुविधाजनक ढंग से हो सकेगा, साथ ही जनता को भारी आसानी हो जायेगी। विभाग में बहुत से सींचपाल की आवश्यकता है,

[श्री मित्रसेन—]

और ट्यूबवैल में भी है। लेकिन यह विभाग अभी तक इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सका है। इस बारे में एक सुझाव यह भी था कि ट्यूबवैल में आंशिक आपरेटरों की नियुक्ति की जायेगी, लेकिन वह भी अभी तक नहीं किया गया है। बहुत-सी जगहें खाली पड़ी हैं, जिससे काम में बाधा पैदा हो रही है। नहरों के सींचपाल जो हैं, उनका राजस्व के कर्मचारियों से अच्छा काआर्डिनेशन नहीं है, उससे भी किसानों को बड़ी परेशानी होती है और उसका शोषण भी होता है। सिंचाई के रेट भी बहुत ज्यादा हैं, गेहूँ का सिंचाई रेट 48 रुपया है, धान का भी 48 रुपया है और आलू का उससे भी बढ़कर है....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपका भी समय पांच मिनट ही है, आप समाप्त करें, समय हो गया है।

श्री मित्रसेन—

इनके रेट बहुत ज्यादा हैं, सिंचाई विभाग के रेट पर फिर से गौर करना चाहिए। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ। आप जब नहरों की डिजाइनिंग करने लगे, तो उसमें से ट्यूबवैल के एरिया को अलग न करें, उसको भी उसमें मिलाकर रखें। ऐसा करने से उस समय कठिनाई पैदा हो जाती है जब ट्यूबवैल का एरिया अपने निर्धारित क्षेत्र को पूरा पानी नहीं पहुँचा पाता है। एक बात और है जो हमारे ट्यूबवैल हैं, उसमें जो आप स्पाट पर डिस्चार्ज लेते हैं, उसको खेत में भी लेना चाहिए। आप इनकी नालियों को और खेतों को कितना पानी देते हैं। आप पैसा लेने के हकदार तब होते हैं, जब हमारे पूरे खेत सिंचित हो जायं। इसके साथ मैं मोहन सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री बिशन लाल—

मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार का बजट इन्होंने पेश किया है उससे थोड़े दिनों में हमारे सारे असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई होने लगेगी। इसके साथ मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ, मेरा जनपद बिजनौर है, वहाँ पर पूर्वी गंगा नहर निकाली जा रही है और मध्य गंगा नहर है। नहर में जमीन तो बिजनौर जनपद को जाती है, लेकिन उसका लाभ उस जनपद को नहीं मिलता है। अतः मेरे उस जिले को दूसरे तरीके से लाभान्वित किया जाय। गंगा का पानी और रामगंगा का पानी उसमें से जाएगा, लेकिन उसकी जमीन उससे सिंचित नहीं होगी। एक पाबन्दी और लगाई है, जहाँ पर नहर बनेगी, वहां पर ट्यूबवेल नहीं लगेंगे यह पाबन्दी हटायी जाय।

मैं मानता हूँ कि सिंचाई विभाग के पास बहुत काबिल इन्जीनियर हैं, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे अकर्मण्य भी पड़े हैं जिनको पता नहीं है कि कहाँ पानी है कहां नहीं है। एक इलाका नगीना में है जो मेरे क्षेत्र में है, जो नदी के पार है, जिसे केन्द्र के और प्रान्त के इंजीनियरों ने पानी रहित घोषित कर दिया था, लेकिन रिग मशीन मंगाने से दो ट्यूबवैल कामयाब हो गये। ऐसे क्षेत्र में स्पेशली ट्यूबवैल बनाने चाहिए और उन इंजीनियरों को दण्डित किया जाना चाहिए, जिन्होंने अपनी अनभिज्ञता और अकर्मण्यता के कारण इस प्रकार की रिपोर्ट प्रान्त और केन्द्र को प्रेषित की थी। वह इलाके और वहाँ के किसान आज तक सफरर हैं, उन्हें पुनः लाभान्वित किया जाय और स्पेशल ट्यूबवैल उन्हें दिये जाने चाहिए और ट्यूबवैल का डिस्ट्रीब्युशन प्रान्त के अन्दर कहीं 100 हैं, तो कहीं पर 10 भी नहीं है। इसका बराबर डिस्ट्रीब्युशन होना चाहिए और नहरें जो बनने जा रही हैं, वह तो 10 वर्षों

में बनेंगी और जहाँ ट्यूवैल का बनना है, आज उस पर ट्यूवैल की वंदिश लगाई जा रही है। तो उन्हें न रोका जाय, क्योंकि ट्यूवैल की सारी क्षमता 10-12 साल तक ही होती है, तो यदि ऐसा किया गया, तो वहां किसान तो बिलकुल मर जायगा, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तीसरा प्रश्न यह है कि जो बजट का बंटवारा होता है, कुछ तो बुन्देलखण्ड के नाम से, कुछ पर्वतीय क्षेत्र के नाम से, ज्यादातर बजट चला जाता है।

अगर दस दिन बारिस न हुई, तो सूखे के पैसे मांगने लगते हैं। पिछली फाइलें तैयार रहती हैं और बाढ़ अगर आ जाय, पानी ज्यादा बरस जाय, तो बाढ़ के पैसे मांगने लगते हैं, एक रिवाज बन गया है, कमाता कोई है, खाता कोई है। पैसा बजट का वहीं जायगा, निर्माण भी उन्हीं इलाकों का होगा, जहां पर कोई कमाने वाला नहीं है और वे इलाके सूने रह जाते हैं, जहां के लोग मेहनतकश हैं और साधन उपलब्ध होने पर पैदावार दुगुनी, चौगुनी बढ़ा सकते हैं और शासन का रैवेन्यू भी दुगुना, चौगुना, कर सकते हैं, वहाँ सहायता आप नहीं देना चाहते हैं।

शासन में इन लोगों का कोई रिप्रजेंटेशन नहीं होता, ताकि वह अपनी बातों को मनवा सकें, जैसे मुरादाबाद डिवीजन, आपरेटर जो होता है, वह ताली प्रधान को देकर चला जाता है, हाजिर नहीं होता और प्रधान अपनी मर्जी से पानी देता है, वह मशीन के बारे में जानता नहीं है, इसलिये ट्यूवैल ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसलिए उसको पाबन्द किया जाय कि वह वहां पर गाँव में रहे और उसके रहने का प्रबन्ध गाँव में किया जाय। अमीन लोग जो हैं, वे पानी किसी को देते हैं और लिख किसी के नाम देते हैं। इस प्रथा को भी सख्ती से रोका जाय। इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई मंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं मान्यवर, आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, इस सदन में प्रति वर्ष बाढ़ की विभीषिका और उसकी रोक-थाम की बात चला करती है। आज कई वर्षों से यह बात तय नहीं हो पायी कि इस प्रदेश की योजनाएं जो भी राप्ती, गंडक, घाघरा, व अन्य के सम्बन्ध में बाढ़ के लिये बनाई गयीं, उसका सही स्थल का चयन नहीं हो सका, कभी कहीं तय हो जाता है और कभी कहीं और तय हो जाता है, वार्ता भंग हो जाती है। इस तरह से यह क्रम वर्षों-वर्षों से चला आ रहा है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि भारत सरकार से इस क्रम में बातचीत कर लें कि नैपाल राज्य से बाढ़ की रोक-थाम के लिए नैपाल जो हमारा पड़ौसी देश है, उससे कैसे हम अपने संबंधों का, इस संदर्भ में निर्वाह कर सकते हैं। इस पर बातचीत होनी चाहिए।

मान्यवर, योजनाएं बनती हैं, कभी भालू बांध तय होता है, तो कभी कुछ और तय होता है, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी आप अपने समयों में कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हम बाढ़ विभीषिका को रोकेंगे, लेकिन आपकी योजनाएं पूरी नहीं हो पायीं। मान्यवर, सिंचाई की योजनाएं ऐसी हैं कि वह योजनाएं अपने समय के अन्दर नहीं पूरी हो पाती हैं, तो माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सोच-समझकर योजनाएं बनावें और इस बजट को सोच-समझ कर खर्च किया करें, कहीं ऐसा न हो कि उसकी कोई डिजाइन न हो और कार्य प्रारम्भ करा दें, जिसके अभाव में योजनाएं बीच ही में ठप हो जाती हैं। मान्यवर, जो भी खर्च किया करें उससे संबंधित योजनाएं और नक्शे पहले से स्वीकृत होने चाहिए।

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान गोरखपुर के महाराज गंज की ओर ले जाना चाहता हूँ। मान्यवर, इस क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा हुआ है और नहरों का पानी जो चल रहा है कई जगहों पर रिसता है जिससे जल जमाव हो जाता है। साथ ही साथ जो आपकी नहरें बनी हैं तो दो नहरों के बीच का जो क्षेत्र है वह डूब क्षेत्र बना हुआ है वहां पर जल जमाव हो रहा है। तो महाराजगंज में जहाँ पर सिंचाई के साधन हुए हैं वहाँ पर जल जमाव की समस्या बड़ी भयंकर हो गयी है।

मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वहां पर बलिया एक नाला है जिसके संबंध में आपने सदन में उत्तर दिया है। आप वहां के हैं, पड़ोस के हैं पड़ोसी के घर में क्या पकता है। यह तो गन्ध से ही पता लग जाता है। बलिया, रेहावन नदाव के बारे में आपके इन्जीनियरों ने उत्तर दे दिया कि वहां पानी लगभग 7 दिन रहा उसके बाद पानी निकल गया और फसलों को कोई क्षति नहीं हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह बयान गलत है। आप जांच करायें। मैंने पता किया तो मालुम हुआ कि ए०ई० व जिलेदार से एस.ई. बांगा ने कलम पकड़ कर लिखवा लिया कि लगभग 7 दिन पानी ठहरा। क्योंकि यह विरोधी पार्टी के सदस्य का क्षेत्र है इसलिये मंत्री जी को खुश करने के लिये यह जवाब दे दिया गया। अगर आप महराज गंज से चुनाव लड़ना चाहते हों तो आप क्षेत्र बदलवा दें तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि मैं हट जाता हूँ लेकिन वहां प्रगति करें। उस क्षेत्र का विकास होना चाहिये।

मान्यवर, कटहरा, बेलवा काजी, रेहाव गांव तथा झुनझुनपुर चौराहा के पास पुल बनवाया जाय। माननीय मंत्री जी महाराजगंज के पुल के शिलान्यास के लिये जाने वाले थे लेकिन नहीं गये। इन्जीनियर, ओवर सियर और इन्जीनियर इन चीफ वहां पहुंचे थे। लेकिन आपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आपके नाम का पत्थर वहां लगा हुआ तरस रहा है। आप नहीं गये, पड़ोसी के प्रोग्राम से आपकी बड़ी बदनामी हो रही है। बलिया नाले पर महराज गंज के पास जो पुल है उसके बारे में मुझको आज ही सूचना मिली है कि बलिया के किनारे पर एक आदमी पक्का मकान बना रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस पर ध्यान दें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद ज्ञापित करते हुये मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ आजादी के बाद सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है और वह वृद्धि कई दिशाओं में हुई है जिसको कि शायद मा. मोहन सिंह कटौती प्रस्ताव भाषण में नजर अन्दाज कर गये और वह वृद्धि एक गुने से लेकर पांच गुने तक और एक गुने से लेकर 36 गुने तक हुई है वही यह बात भी जरूरी है कि हमारी नदियों का पानी बाढ़ के बाद समुद्र में चला जा रहा है उसका उपयोग किया जाय आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है उनके अनुरूप उसके लिये संसाधन जुटाकर उसका भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है। इसके लिये शासन प्रयत्नशील है।

अनुदान संख्या 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (क्रमागत)†

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ और साथ ही साथ इस बात को कहता हूँ कि हमें इस दिशा में समन्वित विकास करना पड़ेगा। भूगर्भ जल और सरफेस वाटर दोनों को मिलाकर योजना बनानी पड़ेगी। बड़ी विकास योजनाओं के साथ नलकूपों को लगाने का काम चलाना पड़ेगा। मान्यवर, समय बहुत कम है, मैं 3-4 मुद्दों की ओर आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जहां पर शारदा सहायक योजना जा रही है जैसा कि सीतापुर में दिखायी पड़ा तो इस योजना से जहां पर ग्राउंड वाटर ऊपर आ रहा है वहां पर ट्यूबवेल लगाना अति आवश्यक हो गया है। इसके स्वरूप पर माननीय मन्त्री जी ध्यान देंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की खासकर सिंचाई विभाग की तारीफ करना चाहता हूँ कि उनकी जो निर्माण लागत प्रति हेक्टेयर कम है, हिन्दुस्तान की औसत लागत 16000 रु० आती है जबकि उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्यों पर 8 हजार खर्च होता है इसलिये यह प्रशंसा के पात्र हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके जो इन्जीनियर इन चीफ हैं वह दो या तीन महीने के थोड़े समय के लिये रहते हैं जिससे वह अपने मन के हिसाब से पूरी योजना तैयार नहीं कर पाते हैं। शासन सभी प्रोन्नति के अवसर तो दे लेकिन उनका जो कार्य काल है वह कम से कम 3 वर्ष या ढाई वर्ष अवश्य रहे इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

एक सदस्य—

पांच वर्ष हो जाय।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

पांच वर्ष हो जाय, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इंजीनियर इन चीफ कम से कम ढाई वर्ष की अवधि के लिए अवश्य बनना चाहिए, ताकि वे अपनी पूरी योजना दे सके। लेकिन सरकार की मजबूरी को भी समझता हूँ कि कुछ लोग जिनका सीनियारटी पर ऊपर नाम है और उनके रिटायरमेंट होने में कम अवधि है, तो वे यह फील करेंगे कि उनको प्रोमोशन क्यों नहीं किया गया। तो, ऐसे व्यक्तियों के लिए अलग कोई काम का पूल बना देना चाहिए जिससे उनका सम्मान भी रहे व उनका समुचित उपयोग हो और वे अपने को अपमानित भी न महसूस करें। लेकिन इन्जीनियर इन चीफ के पद पर मेरे सुझाव के अनुसार नियुक्ति करने से, उसे काम करने के लिए पूरी अवधि मिलने पर प्रदेश का लाभ ही होगा।

मान्यवर, आपके माध्यम से नलकूल निगम से सम्बन्धित मैं कहना चाहता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप भी ट्यूबवेल के एरिया से सम्बन्ध रखते हैं, मैं भी ट्यूबवेल एरिया से सम्बन्ध रखता हूँ। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य ट्यूबवेल एरिया से सम्बन्धित होंगे। मान्यवर, ट्यूबवेल की मरम्मत पर जितना खर्च होता है, उसकी लागत का कई गुना उसकी मरम्मत पर खर्च दिखाई पड़ता है, इसमें कही गलती नहीं है। मेरा सुझाव है कि ट्यूबवेल पर उसकी पुस्तिका रखी जानी चाहिए, जिसमें उस पर जितना खर्च हो, वह उसमें अंकित हो जाय कि इस मद में इतना रुपया खर्च किया गया मालूम रहे और ग्राम प्रधान को उस पुस्तक का संरक्षक बना दिया जाय, ताकि बेईमानी का कोई रास्ता पकड़ा जा सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि शारदा सहायक की बड़ी योजनायें चालू हैं, उसमें पूरी जमीन ले ली जाती है, हमारे यहां छोटे काश्तकार हैं, सब जगह जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनकी जमीन इसमें चली जाती है, उनका हल खूँटी पर टग जाता है। माननीय मन्त्री जी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां पर नहरें जा रही हैं वहां पर अगर

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

राजस्व विभाग चकबन्दी दुबारा नहीं करा सकते हैं, तो जितना मुआवजा में रुपया देना चाहते हैं, उतना रुपया चकबन्दी विभाग को दे दें ताकि पुनः चकबन्दी करके सार्वजनिक रूप से उसकी कटौती हो जाय, ताकि यह गरीब किसान के ऊपर बोझ न पड़े। और विभाग आवश्यक मुकदमें में उलझ कर योजना के क्रियान्यवन में देरी के लिये मजबूर न हो। दूसरा सुझाव यह है कि जिसकी जमीन नहर में गयी हो उसके परिवार के सदस्यों का विभाग में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दें।

श्री अधिष्ठाता—

आप बात अपनी समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हंडिया तहसील से ज्ञानपुर पम्प नहर कैनाल निकली हुई है। दुख यह है कि परिपाटी विपरीत, इसका नाम ज्ञानपुर रखा गया, जबकि पानी हंडिया तहसील के ग्राम कीहुनी से गंगा नदी से उठाया जाता है। इसलिए इसका नाम ज्ञानपुर पम्प नेहर के बजाय कीहुनी हंडिया पम्प नहर रखने की कृपा करें, ताकि वहाँ के लोगों को नाम से भी सन्तोष हो सके।

इसके अतिरिक्त, एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि माननीय दीनानाथ पाण्डे जी ने माननीय मंत्री जी को वीराना का प्रमाण पत्र उनकी संतानों के रूप में माननीय मोहन सिंह जी के सम्मुख प्रस्तुत किया, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन माननीय मोहन सिंह जी को वीर बहादुर की वीरता पर शक हो गया, तो मुझे माननीय मंत्री जी से निवेदन करना है कि वे मोन सिंह जी को पानी से तृप्त करें, लेकिन मोहन सिंह जी कमल रोग से पीड़ित रह पायें, बल्कि स्वस्थ हों विकास की तस्वीर देखें कि वीर बहादुर जी ने उन्हीं के नाम का एक व्यक्तित्व सिंचाई विभाग में स्थापित कर दिया है, यह उनकी वीरता व सूझबूझ का परिचायक है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

***श्री जसवन्त सिंह विष्ट—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के इस बजट पर बोलने का समय दिया।

मान्यवर, सारा पानी, जिससे आज तालाब बन रहे हैं, नहर और डाम बन रहे हैं, वह पर्वतीय अंचल से आता है। पर्वतीय अञ्चल से पानी जरूर आ रहा है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र की सारी भूमि लगभग 85 प्रतिशत भूमि असिंचित है। आज के युग में जबकि आप लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से वहाँ पम्प का पानी दे सकते हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा आप पर्वतीय क्षेत्र लिफ्ट सिंचाई की योजनायें चलायें, जिससे कि वहाँ बागवानी हो सके, खेती की अच्छी पैदवार हो सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिंडारी ग्लेशियर के बाबत हम लोगों ने बार बार प्रस्ताव दिया, योजना बनी, माननीय लोकपति त्रिपाठी जब सिंचाई मंत्री थे, उनके कार्यकाल में वह योजना स्वीकृत हुई, लेकिन अभी तक उसमें क्या हो रहा है, अगर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी यह बता दें, तो मैं उनका बड़ा आभारी रहूँगा। मान्यवर, उससे दो तीन लाभ होंगे, एक तो बिजली पैदा होगी, दूसरे अल्मोड़ा जिले के अधिकांश लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा, तीसरा लाभ होगा सिंचाई का। एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ शालडे में एक नहर है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, मान्यवर जो आप लिस्ट पढ़ते हैं ढाई पौने तीन लाख हेक्टेयर की सिंचाई व्यवस्था कर दी है तो मुझे उसको पढ़कर और सुनकर बड़ा दुख होता है कि नहर हमारे गांव में बनी हुई है।

मुझसे स्वयं जबरदस्ती बिना सिंचाई के वसूल किया जाता है। गत वर्ष भी मैंने निवेदन किया था कि हम खरीफ में बिल्कुल सिंचाई नहीं करते हैं न पानी ही आया है लेकिन पैसा वसूल करते हैं। मान्यवर, हमारे स्यालदे ब्लाक में 5 नहरें हैं, ब्लाक सल्ड में भी 5-6 नहर हैं, भिकासन ब्लाक में भी है। हमने बड़ी कोशिश करके एस० डी० ओ० का हैडक्वार्टर स्यालदे ब्लाक में करवाया था लेकिन जैसे ही वहाँ एस० डी० ओ० पहुँचे वह प्रतापगढ़ के थे या कहीं और के किसी एम० पी० से लिखाकर ले आये कि वहाँ एस० डी० ओ० की आवश्यकता नहीं है और मंत्री जी ने उनका हेडक्वार्टर रानी खेत कर दिया। और कहा कि वहाँ पर एस० डी० ओ० की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ कोई काम देखने वाला नहीं है। यह सरकार गरीबों की माई बाप है बड़ी दुहाई देती है गरीबों की। मंत्री जी ने डेढ़ हजार बेलदारों को निकाल दिया जो 75-76 से काम कर रहे थे आज वह दाने-दाने के लिये मोहताज हैं।

मान्यवर, मैंने लोकपति त्रिपाठी जी का एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि धरती के अन्दर पानी की कमी होने जा रही है। मैंने भी बचपन में जितनी बरसात देखी थी उतनी बरसात अब नहीं हो रही है। नतीजा यह है कि नदियाँ सूख रही हैं। माननीय मंत्री जी इस बात की जाँच करायें आपके पास तो विशेषज्ञ हैं। जो पानी 20-21 में बरसता था उसमें कमी क्यों आ रही है। एक सुझाव देना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

***श्री राज कुमार राय—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया था। मान्यवर, यह बजट सुविचारित, प्रगतिशील और महत्वाकांक्षी बजट है। इसमें इस बात की कोशिश की गई है जो कि हरित क्रांति का नारा दिया गया है प्रदेश और देश में अन्न उत्पादन का नारा दिया गया है, किस तरह से हम खेत और नहरों को जो हमारे इस देश की नाड़ियाँ है, कड़ियाँ है, उनको पानी के जरिये जान दें और प्रदेश के अन्दर अन्न का अधिक उत्पादन हो। नहरों को बढ़ाने का, नलकूपों को बढ़ाने और सुदृढ़ करने का और इस बात का ख्याल रखा गया कि इस तरह से हमारे किसानों को समय पर पानी मिले। मान्यवर, आप देखें 82-83 में जहाँ लगभग डेढ़ सौ करोड़ वृहत्त माध्यम योजना पर, 40-50 करोड़ लघु सिंचाई पर और लगभग सौ सवा सौ करोड़ बाढ़ राहत कार्यों पर खर्च किया था। अनुभव यह बताता है जहाँ बाढ़ की विभीषिका है वहीं सिंचाई की मांग बढ़ रही है, नलकूप खराब है। किसानों की माँग को देखते हुए हमने ऐसा बजट रखा है। मान्यवर, खामियाँ हर जगह हैं। भ्रष्टाचार की इधर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजकुमार राय—]

और उधर दोनों तरफ से कही गई। लेकिन ऐसा लगता है इस प्रदेश के आचरण में भ्रष्टाचार शिष्टाचार की तरह अंग बनता जा रहा है।

मान्यवर, जैसा महत्वाकांक्षी बजट है वैसे ही एक शसक्त व्यक्तित्व द्वारा रखा गया है। जैसे चाणक्य ने कहा था कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। उसी तरह से आप को भी निष्ठुर बनाना होगा, कठोर कदम उठाने होंगे, दिक्कतें आयेंगी लेकिन यह उनके प्रति धर्म होगा जिनकी कड़ी कमायी का पैसा खर्च करने का मौका आपको मिला है वह सही तरीके से, ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं। लगभग 150 करोड़ पिछले वर्ष आपने बृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं पर 40 करोड़ लघु सिंचाई योजनाओं पर, सवा सौ-डेढ़ सौ करोड़ बाढ़ पर खर्च कर दिया, लगभग 7 हजार कि० मी० नहरें, 206 नलकूप और 58-60 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करते हैं, यह सब अलग-अलग विभागों को अलग-अलग इंजीनियर्स को, अलग-अलग बांट कर क्षमता बढ़ाने की कोशिश की है, वहीं यह भी कहना चाहता हूँ कि कार्य के बाहुल्य को देखते हुए बहुत सी चीजें आँखों से ओझल हो जाती हैं।

इसलिये मैं चाहूँगा कि एक ऐसा विभाग सिंचाई मंत्री जी कायम करें जो, जो काम होता है, उसका आटोमेटिक सर्वेक्षण, बिना किसी शिकायत के, करें। वह बिना किसी जन-प्रतिनिधि के बिना किसी भुक्तभोगी की शिकायत के यह देखता रहे कि अमुक नहर को खोदने के लिये पैसा दिया गया, वह खुदी या नहीं, मरम्मत के लिये पैसा दिया गया, मरम्मत हुई या नहीं, पतरौल ने पड़ताल की या नहीं, कम से कम 10 प्रतिशत की चेकिंग जरूर किया करें। इस तरह की समस्यायें हैं, इस पर मन्त्री जी को ध्यान देना होगा। हमारे मन्त्री जी प्रशंसा के पात्र हैं, पूर्वांचल के सपूत हैं, जानते हैं, इन क्षेत्रों में कच्चा काम एन० आर० ई० पी० के अन्दर कराया जाता है, इसमें भ्रष्टाचार की सर्वाधिक गुंजाइश है, फर्जी मस्टर रोल से बहुत सा काम हुआ करता है। केन्द्र से सिफारिश करके या अपने स्तर से अगर कर सकते हैं तो, ठीक तरह से होना चाहिए, वर्क आर्डर से हो जितना काम कराना चाहते हैं। जो भी आदेश देते हैं सिंचाई विभाग में लोग, हंस कुमार जैसे प्रमुख इंजीनियर ने काफी पेशेंस पे किया जब मैं वहाँ गया लेकिन जवाब, कितना प्रतिशत काम होता है, लोअर स्टाफ कितना काम करता है, कितनी प्रगति, गति देता है, इसलिये एक ऐसी ऐजेंसी की आवश्यकता है जो इन सब चीजों को देखें और यह देखें किसने काम नहीं किया, टेक्निकल्टी के नाम पर, तो उसे दण्ड देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी अपेक्षायें थीं वह नहीं हो सकतीं, जितनी माँग थी, नहीं हो सकी लेकिन यह कहने में मुझे फक्र है कि जो भी कुछ हुआ आजादी के बाद वह एक कांग्रेस शासन में हुआ, बहुत कुछ हुआ और उसमें सिंचाई विभाग का योगदान सर्वाधिक है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय सिंचाई मन्त्री जी द्वारा रखे इस बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बोलने का अवसर दिया। आज सिंचाई विभाग का संचालन प्रदेश के मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्री द्वारा किया जा रहा है। मन्त्री जी की स्थिति भी बहुत ही मजबूत है लेकिन इनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंचाई विभाग का कार्य जितनी मजबूती से होना चाहिये उतनी मजबूती से नहीं हो रहा है। इनमें एक गुण है कि यह काम किसी के आते नहीं और नाराज किसी को करते नहीं। यह दो गुण हैं इनमें। अभी जब में चर्चा सुन रहा था तो बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं, उन माननीय सदस्यों ने की। प्रत्येक सदस्य को सारे प्रदेश में हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है लेकिन जब उसके क्षेत्र की बात आती है तो सूखा दिखाई देने लगता है। धीरे से कहीं ट्यूबवेल की बात, कहीं भ्रष्टाचार की बात करता है।

प्रत्येक सदस्य चाहे वह रायबरेली का हो, मेरठ का हो, लखनऊ का हो, चाहे जितने प्रगतिशील इलाके का हो, कहता है कि उसका क्षेत्र पिछड़ा हुआ इलाका है। वह अपने क्षेत्र की ही वकालत करता है। सिंचाई विभाग के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक सत्र में कुछ नलकूप, नहर, माइनर स्वीकृत करते हैं। उन ट्यूबवेल को, नहरों को कहाँ लगाना है उसका कोई मापदंड नहीं है। मन्त्री जी या तो बहुत बड़े नेताओं के क्षेत्र में अथवा अपने सहयोगी मंत्रियों के क्षेत्र में अथवा जिन जिलों से मन्त्रिगण चुनकर आते हैं, उन क्षेत्रों में लगाते हैं। मैं कहता हूँ कि शाहजहाँपुर क्षेत्र, जहाँ से मैं आता हूँ, आजादी के बाद से कोई भी डिप्टी मिनिस्टर तक नहीं बना। आपका पार्टी के पांच-पाँच एम० एल० ए० चुनकर आते हैं।

एक सदस्य—

आपको बना दिया जायेगा।

मुझे बनाने की चिन्ता न करें। जो इधर बैठे हैं उनको बनावें। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे अभागे जिले के लिये जो शहीदों का जिला कहा जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल, आसफाक उल्ला का जिला कहा जाता है क्या किया गया। जो मन्त्री हैं वह अपने-अपने क्षेत्र को अपने जिले को आगे बढ़ाते हैं, सारे प्रदेश को समता की दृष्टि से नहीं देख पाते। अगर आप प्रदेश के लिये नलकूप निर्धारित करते हैं तो कम से कम अपने अधिकारियों के माध्यम से यह निश्चित करायें कि कौन सा जिला सिंचाई की दृष्टि से वास्तव में पिछड़ा हुआ है।

कहाँ पर नहर और नलकूप की वास्तव में जरूरत है। जैसे यहां पर कोई सारी की सारी बात गलत हो बहुमत से अपने बजट को पास करा लेते हैं। वैसे ही सिंचाई सलाहकार समिति कायम की है। वहां पर मेरिट से कोई बात तय करके हाथ उठाकर तय की जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सिंचाई सलाहकार समिति में बहुमत से काम करने का क्या औचित्य है। हमने प्रश्न भी उठाया कि हमारे यहां सरजू नाला है, उसकी खुदाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इसकी खुदाई करवा दें जिससे क्षेत्र की बड़ी जनता को राहत मिल जायेगी। मान्यवर, आपके जो अधिकारीगण हैं वह मार्च के महीने में जो बजट का पैसा होता है उससे बहुत सारा सामान खरीदते हैं क्योंकि उससे उनको भारी कमीशन मिलता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वह अधिकारियों को ऐसा निर्देश दें ताकि उस धन का दुरुपयोग न हो।

***श्रीमती कमला साहनी**—

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूँ तथा इस बजट का समर्थन करती हूँ और माननीय श्री मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूँ। मान्यवर, जब सिंचाई की बात आती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती कमला साहनी—]

है तो पानी की बहुत याद आती है। मुझे ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को पानी की याद आती है। मान्यवर, जब 3 वर्ष का अवसर माननीय श्री मोहन सिंह जी को मिला था जो आज उधर बैठे हुए हैं तो उस समय उत्तर प्रदेश को पानी कितना मिला। मान्यवर, यह बजट ही ऐसा बजट है जिससे प्रदेश फल-फूल सकता है और आगे बढ़ सकता है। सिंचाई के द्वारा ही प्रदेश का कल्याण हो सकता है। मान्यवर, आज भी हमें याद है जब सिंचाई के साधनों की कमी थी तो पी०एल०-480 से हम किस तरह से अपने प्रदेश हेतु पानी का गुजारा करना पड़ता था लेकिन आज सिंचाई के साधनों की उपलब्धता के कारण ही हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बना हुआ है पानी के संबंध में। और हम उसके जरिये आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, इस देश और प्रदेश के उत्थान का गुरुत्तर भार हमारे सिंचाई मंत्री जी ने अपने कंधों पर रखा है। और मुझे विश्वास है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे सिंचाई मंत्री वीर हैं, बहादुर हैं और सिंह तो हैं ही। मान्यवर, जब कभी पानी की याद आती है तो मुझे अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात याद आती है यह अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है लेकिन आज वहाँ पर शारदा नहर के जरिये, जिसमें 3 अरब रुपए के खर्च की लागत आयी है, से यह परियोजना चल रही है। निश्चित ही इसके जरिये से सिंचाई के साधन बढ़ेंगे और अपने खेतों में हरियाली दिखाई देगी इसमें कोई सन्देह नहीं है।

मान्यवर, आज विश्व बैंक के द्वारा जगह-जगह पर नलकूल लगाये जा रहे हैं जहाँ पर छोटे-छोटे जोत के किसान हैं, सिंचाई के साधनों की कमी है। मुझे विश्वास है कि इससे भी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ अपने क्षेत्र के बारे में जिस समय से मैं विधायिका हूँ मैंने बार-बार माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया कि हमारे क्षेत्र में एक बाँध बना दें।

मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मंत्री जी ने उस माँग को स्वीकार किया और मेरे क्षेत्र में बाँध बनना शुरू हो गया है। लेकिन इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूँ उस बाँध को बनते देख कर हमारे विरोध के साथी श्री शिवलाल मित्तल ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि यदि यह बाँध बन गया तो आप लोगों की भूमि बर्बाद हो जायेगी और इस प्रकार वे वहाँ पर फौजदारी करने पर आमादा हैं यह सब काम विरोध में बैठे लोग करते हैं, उनकी पार्टी यह काम करती है। जनहित में वह किसी काम को नहीं होने देना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की योजनाओं और ऐसी सुविधायें हों जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश हरा-भरा हो सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश गरीबी में सबसे आगे है यह सब आप जानते ही हैं, और इस बात पर आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका पुनः आभार प्रकट करती हूँ।

*श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं आपके सम्मुख केवल सीतापुर जिले में बाढ़ और सीपेज की जो स्थिति है और उससे जनता किस तरह से त्रस्त है उसके बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय श्री मोहन सिंह जी ने वहाँ के बारे में विस्तृत रूप में बता दिया है। लेकिन चूँकि यह मेरा क्षेत्र भी है इसलिये वहाँ के स्थिति के बारे में मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, सीतापुर जिले में दो नदियों का संगम है। एक शारदा और दूसरी घाघरा। ये दोनों मल्लावाँ में जाकर मिलती हैं। ला-लैण्ड की एरिया है। भूमि नीचे हैं और पानी का लेविल ऊपर है, फलस्वरूप प्रतिवर्ष वहाँ पर बाढ़ आती है और बिसवाँपुर और मौहम्मदपुर का इलाका पानी से भर जाता है।

लगभग 10 लाख लोगों की जनसंख्या इसमें डूबती है और स्थिति यह है कि बरसात कम होने के बाद भी पूरे क्षत्र में पानी भरा रहता है। आज भी पानी भरा है। छोटे-छोटे नाले उस पूरे इलाके में निकलकर फैल जाते हैं। उससे जमीन रेतीली होती चली जा रही है। जनता शासन में इस सम्बन्ध में विस्तार से काम हुआ। आज उन नालों की सफाई के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। नालों को गहरा करने के बारे में, जब नाले ऊँचे हो जाते हैं तो उसकी बालू निकाली जाती है, आज उसका काम भी नहीं हो रहा है।

नदी की बालू उसमें आ रही है, जमीन रेतीली बनती चली जा रहा है। जहाँ पानी भरा है, उसके ऊपर चूना आ गया है। वहाँ एक एकड़ जमीन भी ऐसी नहीं होगी जहाँ चूना न आया हो। यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। यह हालत सीतापुर की ही नहीं है, बल्कि बहराइच, लखीमपुर खीरी और बाराबंकी की भी यही स्थिति होती चली जा रही है। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कराकर देखना चाहिये। यह जो 10 लाख की जनसंख्या है, बाढ़ से प्रभावित है और उसके आगे सुल्तानपुर और रायबरेली को आबाद करने के लिये शारदा सहायक नहर निकाल दिया। हजारों एकड़ जमीन शारदा सहायक में बर्बाद हुई, अब वहाँ पर सीपेज है, 10 हजार एकड़ जमीन उससे बर्बाद है, अब हालत यह है कि सीपेज का पानी केवानी नदी में गिराने की बात हो रही है....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मुख्तार अनीस —

उस नदी की कैपेसिटी केवल 500 क्यूबिक है। अगर उस पानी को वहाँ गिरा दिया गया तो स्थिति गम्भीर होगी।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, एक मिनट और।

लखीमपुर से चहराई घाट तक बांध बनाने का प्रस्ताव है। जब तक यह नहीं हो जाता है तब तक एलगिन ब्रिज से महमूदाबाद तक बांध बनाने का काम और ऐराकुल से चहराईघाट तक बाँध बनाने का प्रस्ताव है। इन दोनों कामों को एक साथ शुरू करिये। हमारे यहाँ नदी चौड़ी है...

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें।

श्री मुख्तार अनीस—

हमको आज तक यही नहीं मालूम है कि यह सारा काम कौन कर रहा है, आपका बाढ़ विभाग कौन सा है। इस काम को कौन देख रहा है। आपने आश्वासन दिया कि सीतापुर में बाढ़ विभाग खोल दिया है, लेकिन आज तक यह नहीं मालूम हो पाया कि क्या कहां खुला है, कौन अधिकारी है। आप सुनिश्चित करिये कि कौन काम देख रहा है ?

श्री श्रीनाथ सिंह—

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मा० मोहन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, वह जैसे रस्म अदा होती है, वैसे ही उन्होंने अदा किया है। बजट में अनेकों विशेषतायें हैं, दोनों पक्षों से चर्चा हो चुकी है। मैं जिस अंचल से आता हूं, वह पूर्वी अंचल है, कहा जाता है, जो कि बाढ़ की विभीषिका से आक्रान्त रहता है। उस क्षेत्र में जाने वाली तमाम नदियां, गोमती को छोड़कर हिमालय में आती हैं। हर साल पानी आता है, पानी का प्रेशर इतना हो जाता है कि उससे बांध टूटते रहते हैं, उनकी रक्षा के लिये हर साल प्रयत्न किया जाता है। लेकिन वह जो प्रयत्न किया जाता है, वह पूरा नहीं होता, इसके लिये जब विभाग से बात की गयी तो वह कहते हैं कि धन की कमी है, इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा मा० मन्त्री जी से अपने पूर्ण सूत्रों के द्वारा उस कार्य के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की कृपा करें।

दूसरे जिस तरह से बांध योजना लखनऊ शहर में बनी है, ठीक उसी प्रकार से पूर्वांचल में जौनपुर लिया गया है, इसीलिये भी मैं बजट की सराहना करता हूँ, लेकिन यदि उसको जल्दी करवाने की कृपा करें, तो वहाँ के जन-जीवन को बड़ा लाभ होगा। दूसरे ट्रेनिंग सेण्टर की बात है जिस तरह और डिपार्टमेंट्स में पुलिस के न्याय में व अन्य विभागों में सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, परन्तु ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर भी कुछ दिनों से ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है, जो नये-नये जूनियर, व सहायक इन्जीनियर्स आते हैं, उनको 5-6 माह की ट्रेनिंग दिया जाना आवश्यक है ताकि उन्हें वहाँ की टेक्निकल्टी की जानकारी हो सके।

मान्यवर, साथ ही कहूँगा कि एक योजना जल-गृह की बनाई गई है जिसमें दूसरी नहरों को समायोजित कर दें। जब एक नहर में पानी नहीं रहेगा, तो दूसरी नहर से पानी ले लिया जायेगा। यह भी योजना सराहनीय है। मान्यवर, सिंचाई विभाग में दो स्थानों पर कार्यशालायें खोली गयी हैं, लेकिन उनमें जरूरत का सामान समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, इस ओर यदि ध्यान रक्खा जाय तो कार्यशालायें ठीक ढंग से चल सकेंगी। दूसरे इलाहाबाद व एक अन्य स्थान पर कार्यशालाऐं खोलने पर विचार चल रहे हैं। यदि यह कार्यशाला हमारे बनारस में व प्रदेश में हर जगह यदि खोलने पर विचार किया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा दूसरे मान्यवर, प्रदेश में हमारे यहाँ बनारस में सबसे ज्यादा ट्यूब-वेल लगे हुए हैं। लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ वहाँ पर शारदा सहायक नहर है, उस शारदा सहायक को अभी सिर्फ खोद कर छोड़ दिया गया है, पूछने पर विभाग वालों से पता चला कि जमीन नहीं है और जमीन इसलिये उपलब्ध नहीं हो रही है क्योंकि उसका मुआवजा बहुत कम दे रहे हैं इसलिए कोई अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए माननीय मन्त्री जी से मान्यवर, आपके माध्यम से यह अनुरोध करूँगा कि जमीनों की कीमत सही दिलवाने की कृपा करें ताकि उसके लिये जमीन उपलब्ध हो सके। दूसरे हमारे क्षेत्र में एक रेलवे लाईन जा रही है और यह शारदा कैनाल उस वक्त तक नहीं बन सकेगी, जब तक उस रेलवे पुल का निर्माण नहीं होगा।

म० मन्त्री जी कृपया इस पुल ने निर्माण में जल्दी करवा दें। दूसरे ट्यूबवैल हमारे क्षेत्र में बहुत से खराब पड़े हुए हैं। इस बारे में भी जब विभाग से पूछा गया तो उन्होंने

बताया कि धन की कमी और यंत्रों का उपलब्ध न हो पाना है। मान्यवर, इस ओर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि कृषि एवं पानी का एक दूसरे पर जबर्दस्त गठबंधन है, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी फसल पूरी तरह तैयार हो सकेगी। इसलिए इस ओर जितनी भी सुविधायें हो सकें, उन्हें समय से पहुँचाने की कृपा करें इसी के साथ मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया बोलने के लिये।

***श्री गौरी शंकर मैय्या—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमन् हमारे जनपद के बारे में मा० राम गोविन्द चौधरी जी ने कुछ ही समस्यायें समय कम होने की वजह से रक्खी हैं अब मैं कुछ समस्याओं के बारे में आपके माध्यम से रखूंगा, इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भाषण सिर्फ भाषण के लिए नहीं हैं जो सिर्फ लिखा जाए, इसलिए कृपया लिखने के बजाए हमारी दो चीजों पर गौर फरमाएं, एक बकसर पुल का निर्माण बन्द हो जाने के कारण बक्सर कोइलवा बाँध के निर्माण होने से एक मीटर वहाँ पर पानी उठ करके फैलने के चान्सेज हो गये हैं। आपने जो गाँव की पटाई करायी थी और बाँधा हुआ था वह छोटे पड़ गये हैं। पण्डित काशी नाथ मिश्रा जी बैठे हैं और भोला पाण्डेय भी बैठे हैं, यह लोग जानते हैं कि बलिया बहेरिया सड़क जिस पर कि 400 गांव आते हैं और जो राहत बाढ की हमारे यहां आ रही है, वह सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। मैंने कई बार माननीय मन्त्री जी को इसके बारे में लिखकर भेजा तो उन्होंने चीफ इन्जीनियर को लिखा था। सोंहवा पम्प नहर और पलिया पम्प नहर यह दोनों नहरें पानी देने का काम नहीं कर रही हैं। मैंने इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी को लिखा कि यह दोनो नहरें पैरलेल पानी दे रही हैं परन्तु उसके लिए भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

बड़का खेत, शाहपुर, बभनौली, वसीरपुर कला, नसीरपुर मठ-कोटवा नारायणपुर के बीच से गंगा नदी बहती है। वहाँ गंगा नदी का पानी अस्थिर है। आप भरोली हेड नहर के पास लग कर चले जाइये, उस पर पानी शायद ही मिल सकता है। एक रामपुर पम्प नहर है और एक सागरपाली पम्प नहर है यह दोनों नहरें टोंस नदी से काटी गयी हैं। टोंस नदी के कटान से बचाने के लिये बँधे के निर्माण की आवश्यकता है, इसके पेंचिग की आवश्यकता है। जहाँ आपकी नाव पानी निकालती है और वह जहाँ पर खड़ी रहती है वहाँ पर आप पेंचिग का काम करें जिससे कि नहर बचायी जा सके।

एक कोरडा डाक बँगला है जहाँ पर आपके अधिकारी लोग आकर ठहरते हैं। मेरे ख्याल से मैदान में उसे तरह का कोई डाक बंगला नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र में हो तो मैं नहीं जानता। वहाँ पर कोइलवा बाँध को बाँध देने से वहाँ बिल्डिग के किनारे-किनारे पानी आ गया है। मैंने उसके लिए कहा तो उन्होंने कहा कि इसको बचाने में समय लगेगा। मैं चाहूँगा कि आप बाँध को बाँध कर इसको कटान से बचा सकते हैं।

इसी तरह से ग्राम सभा रामपुर, ग्राम सभा बधेगी, ग्राम सभा गंगहारा, ग्राम सभा बड़का खेत, ग्राम सभा वभनौली, ग्राम सभा शाहपुर, ग्राम सभा वसीरपुर कलां तथा ग्राम सभा नसीरपुर में कटान हो रहा है, वहां पत्थर पड़े हुए हैं उन्हें ठीक करके पीचिंग कराने की आवश्यकता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्त में मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि भारत सरकार की तरफ से तथा जनता पार्टी के समय से एक स्कीम थी जल के बाँध को ऊँचा करने की कि मुहमदाबाद तक उसे बनवायेंगे। परन्तु इन्होंने उसे रुकवा दिया है पता नहीं किस कारण से। ऐसा बाँध वहाँ बनाने की नितान्त आवश्यकता है इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसे ऐसा करा दें। इसके साथ ही मैं मोहनसिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

***श्री भोला पाण्डेय** —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल माननीय मोहन सिंह जी ने अपने मासूम चेहरें की मासूमियत के साथ कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसका मैं विरोध करता हूँ। कल माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि सिंचाई विभाग को नेगलेक्ट किया गया है और उसकी योजना के अनुसार उसको पैसा नहीं मिल पाया है। मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध नहीं करता हूँ बल्कि इस चीज का विरोध करता हूँ। इस बजट से स्पष्ट प्रमाण है कि केन्द्रीय सरकार ने योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश की जनता के हित को देखते हुए काफी पैसा दिया है, इसलिए वह बधाई की पात्र है, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से। इस सब का श्रेय सिंचाई विभाग को जाता है।

श्रीमन्, सिंचाई विभाग खेती योग्य भूमि को पानी पहुँचाने में सहायता करता है और देवी आपत्ति का सामना करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य होता है। सिंचाई की सुविधा अधिक से अधिक हो इस बात की कोशिश की जा रही है, परन्तु जब तक अश्योर्ड्ड इरीगेशन नहीं होती है, तब तक सिंचाई की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगी। नहरें और नलकूप आजादी के बाद बहुत से बने हैं लगभग 25 हजार नलकूप उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद बनाये गये हैं। अगर आप गांवों में चले जायें तो आपको मालूम हो जायेगा कि आधे नलकूप खराब हो गये हैं क्योंकि उनका मेन्टीनेन्स ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है। आप देखें कि बाढ़ विभाग के लिए एक मुख्य अभियन्ता होता है और इसी प्रकार से अन्य डिवीजनों के लिए एक एक मुख्य अभियन्ता होता है, परन्तु नलकूप विभाग के लिए कोई मुख्य अभियन्ता नहीं है। इस कारण इनकी देख रेख ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो भी बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उनको एक दूसरे से लिन्क किया जाय तो सिंचाई की व्यवस्था और ठीक हो सकती है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि जो कमान्ड एरिया है उसको दूसरे विभाग को दे दिया गया है, जिससे दोनों विभाग में कोआरडीनेशन नहीं हो पाता है। और काम को नुकसान होता है। इस विभाग को सिंचाई विभाग की अपने अण्डर लेना चाहिए। बाढ़ विभाग में भ्रष्टाचार की बात बहुत कही जाती है, मान्यवर, जै प्रकाश नगर उ०प्र० के अंतिम छोर पर पड़ता है जहां से मैं चुनकर आता हूँ। मान्यवर, बिहार सरकार ने कोयलर और बक्सर बांध बनवाया है। वह बांध इतना ज्यादा ऊँचा बनवाया है कि उधर का पानी बलिया में आ जाता है। बिहार सरकार से उस बांध को कम करावाया जाय या उसी तरह का बांध यहां पर भी बनवाया जाय जिससे पानी इधर न आने पावे। मान्यवर, बैरिया संसार टोला में पानी आ जाने के कारण हजारों पशु बह गये और दोषी कर्मचारियों को दण्डित नहीं किया गया। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री रेवती रमण सिंह —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[समय 4 बजे अपरान्ह]

यह विभाग योजनाओं को चलाने में ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है। ट्यूबवेलों के बारे में यहां पर कहा गया कि प्रदेश के अन्दर 2200 ट्यूबवेल लगाये जायेंगे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। अभी माननीय सदस्या कह रही थीं कि जनता पार्टी के शासन में सिंचाई के बारे में कोई काम नहीं हुआ है। उस समय 1400 ट्यूबवेल प्रति वर्ष लगाये गये और आज आपके दो-तीन साल के आंकड़े केवल 1 हजार और 1200 ट्यूबवैल ही दिखाते हैं और वह भी नहीं लग पाये। हो हजार ट्यूबवैल इस समय पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति में है कि जो चल नहीं पा रहे हैं धन के अभाव में। एक तरफ तो आपके दो हजार ट्यूबवैल ऐसे पड़े हुए हैं जो कि पिछले दो सालों से नहीं चल पा रहे हैं और दूसरी तरफ आप 2200 ट्यूबवैल नये लगाने की बात कर रहे हैं। यदि आप इसका सर्वेक्षण करायें तो यह देखेंगे कि ट्यूबवैलों की नालियां टूटी हुई पड़ी हैं और जितना रकबा आपने दिखाया कि उतने में आबपासी हो जाती है वह सही नहीं है। 50 प्रतिशत से कम ही वह सिंचाई कर पाते हैं। इसलिये यदि आप इन नालियों को ही ठीक कर दें तो काफी कल्याण हो जायेगा। नहरों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूँगा। नहरों में कब पानी चलेगा इसकी कोई गारन्टी नहीं है। किसान को पता नहीं है कि वह नहर कब पानी दे पायेगी। जो आपकी लिफ्ट केनाल हैं वे बिजली न मिलने के कारण सूखी पड़ी हैं। आपने जो बांध बनाये हैं उनको ऊंचा करने की जरूरत है क्योंकि नहरों की क्षमता बढ़ गई है। गेहूँ और धान की सिंचाई के लिये जितने पानी की जरूरत है वह ये नहरें नहीं दे पाती हैं। बहुत से करोड़ों रुपये के आपके बांध जो हैं वे 5/10 साल से बन्द पड़े हुए हैं। फ्लड के ऊपर हर साल करोड़ों रुपया इस प्रदेश का खर्च होता है। जब बाढ़ आती है तो पता चलता है कि आपने 50 नावें बनवा लीं। मल्लाहों को पैसा नहीं मिल पाता है। ऐसी दशा में आप माचिस, चना और मिट्टी का तेल बांट कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से चीन ने किया है जब तक आप नदियों को गहरा नहीं करेंगे तब तक करोड़ों रुपया खर्च हो जायेगा लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो पायेगा। पहले 5/6 साल में एक बार बाढ़ आती थी लेकिन अब हर दूसरे साल बाढ़ आती है। इस रुपये को बचाने के लिये मेरा आपसे आग्रह है कि जिस तरह से चीन ने ऐसा करके दिखा दिया है उसी तरह से आप भी नदियों को गहरा कर दें, गंगा नदी को ही गहरा कर दें तो उससे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल जायेगा और बाढ़ की समस्या भी मुस्तकिल तौर पर हल हो जायेगी।

***श्री शिव दर्शन —**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत उत्तम कोटि के सिंचाई बजट के सम्बन्ध में मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इस हेतु आपका बहुत आभारी हूँ। मायन्वर, जहाँ पर यह बात आती है कि हमारा सिंचाई का बजट अत्यन्त सशक्त और योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है वहीं पर मैं अपने क्षेत्र जिला रायबरेली के बछरांवा में सिंचाई सुविधाओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वहां पर बरसात के दिनों में भी खेत जहाँ पहले सूखे रहते थे वहाँ पर आज इन ढाई वर्षों के दौरान 57 नहरें खोदी गई हैं और जहाँ के लोग पानी के अभाव से त्रस्त रहते थे वहीं पर आज ऐसे स्थान हैं जहाँ 5 ट्यूबवैल खड़े हैं। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं हैं कि सिंचाई विभाग अपनी योजनाओं को अच्छी तरीके से लागू करते हुए जन साधारण को लाभ पहुँचाने में तत्पर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं अपने क्षेत्र से सम्बद्ध कुछ समस्याओं के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, वहाँ पर 9 झीलें हैं जिनमें हरदुवा झील है जिसका एरिया 150 एकड़ है, नरविला झील है जिसका एरिया 300 एकड़ है। पिलहा झील 500 एकड़, हेसवा झील 600 एकड़, मूगताल झील 800 एकड़, शेर अबालगड़िया झील 600 एकड़, बेड़ासू झील-200 एकड़, सेमरी झील-200 एकड़, खबर झील-600 एकड़, ऐसी बहुत सी झीलें हैं जिनसे मेरे क्षेत्र में बाढ़ आती है। यह झीलें इस तरह से जलप्लावित हो जाती हैं कि किसानों की खेती बरबाद हो जाती है और वे खेती से विमुख हो जाते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा वहां पर जो ड्रेनें खुदी हुई हैं उनको साफ किया जाय विधिवत तरीके से उनको गहरा किया जाय तो यह समस्या दूर हो सकती है। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में शारदा सहायक नहर निकलती है इसके बारे में मैंने पिछले बजट सत्र में भी माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था सीपेज से वहाँ जमीन ऊसर हो गयी है। हमारे यहाँ महरौर और मधूरे गांव पूर्णतया खराब हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता --

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री शिवदर्शन—

मैं चाहूंगा कि इसके लिए कोई कार्यवाही की जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री जमुना प्रसाद --

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मोहन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ और सिंचाई विभाग के बजट का विरोध करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बाराबंकी में शारदा सहायक नहर है इससे हमारे क्षेत्र में मुख्यतया दरियाबाद समानान्तर द्वारा इतना सीपेज होता है कि गांव के गाँव काफी प्रभावित हैं। इन गांवों की फसलें तथा सालभर लाखों एकड़ भूमि पड़ी रहती है। वहां रहने वालों के, किसानों के लिए खाने की समस्या पैदा हो गयी है, जानवरों के चारे की समस्या हो गयी है।

हमारे क्षेत्र में इस समस्या को देखने के लिए केन्द्र सरकार के सिंचाई मुख्य अभियन्ता श्री सी० जी० देसाई आये थे उनके साथ मैं भी गया था। हमारे पार्लियामेंट के मैम्बर श्री रामकिंकर जी भी गये थे। उनके साथ हमने देखा कि समस्या बड़ी भयंकर है लेकिन उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है इस तरह से वहां के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनकी समस्या को कोई देखने वाला नहीं है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री रिजवी साहब ने कहा था कि लगान मुलतवी कर देंगे लेकिन लगान माफ नहीं की गयी। यह दुर्भाग्य की बात है। किसानों की फसल नष्ट हो गयी, उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, बच्चों के पढ़ने का कोई साधन नहीं है उसको कोई देखने वाला नहीं। मैं चाहूँगा कि उनको दरियाबाद समानान्तर शाखा नहर के सीपेज से प्रभावित फसलों का इसको मुआवजा दिया जाय। इसी प्रकार सीतापुर में शारदा सहायक नहर से परेशानी हो रही है।

इसी तरह से कुछ बाढ़ की समस्या है। हमारे यहाँ कल्यानी नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आती है। मैं मांग करूंगा कि कल्याणी नदी को गहरा करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। जब तक आप उसे गहरा सीधा तथा चौड़ा नहीं करेंगे तब तक वहां नदी के किनारे के गांवों का कल्याण नहीं होगा। उस नदी के किनारे

जितने गांव हैं वे पानी में डूब जाते हैं और किसानों के सामने भयंकर समस्या हो जाती है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जमुना प्रसाद—

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मोहन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूँ ।

***श्री जियाराम शुक्ल "विकल साकेती"—**

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मैंने बड़े ध्यान से श्री मोहन सिंह का ओजस्वी भाषण, जो कटौती का प्रस्ताव पेश करते समय दिया उसको सुना और उससे मुझे लगा कि उनका दोहरा व्यक्तित्व है जिस पर मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ :—

कितना अनोखा है कटौती का प्रस्ताव;
सुन्दर संयोग है विचित्र आधा आधा,
क्या माननीय मोहन की उपमा है इन्हें मन मिला कान्हा का,
और तन मिला राधा का ।

तो इस दोहरे व्यक्तित्व से मा० मोहन सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसमें मुझे शंका है ।

मान्यवर, मैं अधिक योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं करूँगा चूँकि समय मिला है और मेरा क्षेत्र जो है वह सभी योजनाओं का प्रदर्शन करेगा । मेरा क्षेत्र कटेहरी, फैजाबाद जिसमें मझई, विझुई, मड़हा नदियों का संगम है, जहाँ नहर निकालने की योजना थी लेकिन उसको रोक दिया गया है । इसलिये मैं चाहता हूँ कि उसमें नलकूप लगायें, जो 50 नलकूप विश्व बैंक के मेरे क्षेत्र में लगाये गये हैं उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, सिंचाई उनसे सस्ती हो रही है जिसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ । परन्तु शिकायत इतनी है कि 10 नलकूपों को लगाने के लिये जिन गांवों को सर्वे किया गया उनको छोड़ दिया गया है, इसलिये उनको भी लगवाया जाय ।

मान्यवर, दूसरी बात नहरें हमारे उत्तरी क्षेत्र में हैं और यदि यह न होती तो फसल सूखे से नष्ट हो जाती, इसलिये उनसे किसानों को बड़ा लाभ है । मान्यवर, मझुई, विसुई और मड़हा, नदियों में जो योजना बनाई गई है उसमें अनुरोध है कि जब इनका नहरीकरण किया जाय तो जहाँ सड़कें हैं वहां पुल अवश्य बनायें जिससे जनता को आने जाने में कठिनाई न हो । मड़हा नदी की योजना अभी कुछ खटाई में है, इसलिये उसमें नहरीकरण योजना चालू की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जियाराम शुक्ल "विकल साकेती"—]

मान्यवर, अन्त में मैं कहूँगा कि जो मंत्री जी कृष्ण के रूप में हैं, उन्होंने अभी मोहन सिंह के बारे में दो लाईनें लिखकर भेजा है जिनको मैं पढ़ना चाहता हूँ :—

नैन तुम्हारे तीन लोक से न्यारे लगते हैं,
घायल कर देते हैं फिर भी प्यारे लगते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ ।

श्री धनी राम वर्मा—

व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने जब लिखकर दिया तो कहा गया कि पार्टी से आना चाहिये, जब पार्टी से दिया तो बुलाया नहीं जा रहा है और ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जिनका पार्टी से लिखकर नहीं आया है ।

श्री अधिष्ठाता—

सभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इसलिये लिखकर आने की बात नहीं है ।

***श्री सरदार सिंह**—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का समय दिया ।

मान्यवर, इस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और हमारे जिले में मंत्री जी गये हैं तो वह जानते हैं कि सबसे ज्यादा वहाँ भ्रष्टाचार है । मान्यवर, लोअर डिवीजन, आगरा के सहायक अभियन्ता, श्री धर्मपाल गर्ग का जिन शिकायतों पर विभाग ने स्थानान्तरण किया, मन्त्री जी जन्माष्टमी के अवसर पर वहाँ गये तो पूरा विभाग एक तरफ और सहायक अभियन्ता ने ऐलान किया कि मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता है ।

माननीय मंत्री जी ने उसका ट्रान्सफर कर दिया और इस तरह से मुख्य अभियन्ता आदि के मुंह पर वहीं तमाचा मारा गया । चूंकि जांच चल रही थी उसको सस्पैंड किया गया, पर वहां के नेता लोग, उसको लेकर यहाँ आये, उससे कहा कि हम तुम्हारा सस्पेन्शन समाप्त करवा देंगे, वह 72 हजार रुपये लेकर यहाँ आया, युवक काँग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसको शराब आदि पिला कर उसका वह झोला जिसमें रुपये थे गायब कर दिया । उसका वह रुपया डूब गया । माननीय मंत्री जी को भी वह मालूम है । मामला हाईकोर्ट में है, चूंकि मंत्री जी के विभाग की तरफ से कोई पैरवी वगैरह नहीं की गयी, उने स्टे मिल गया है और शायद वह ज्वाइन करने वाला है ।

मान्यवर, मेरा जिला न तो पूर्व में आता है और न ही पश्चिम में आता है । वहाँ टेल पर पानी नहीं मिल रहा है । दूसरे वहाँ का पानी खारी है । पीने के पानी की भी समस्या है । इस समस्या को हल करने के लिये न तो कोई नलकूप लगाया गया है । और न ही पानी की कोई और व्यवस्था की गयी है । हर बार फसल सूख जाती है । सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के सभी विधायक इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के लिये कोई व्यवस्था हो । इसलिये मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

***श्री वृद्धि नारायन सिंह** —

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह निश्चय ही प्रदेश की प्रगति का द्योतक है और मैं उसका तहे दिल से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यह सर्व विदित है कि आजादी के बाद से आज तक सिंचाई विभिन्न साधनों को उपलब्ध करा-कर जो इस प्रदेश के किसानों को और जनता को लाभ पहुँचाया गया है वह स्वयं अपने में एक कीर्तिमान है। विपक्ष के एक साथी ने कहा कि हम समय और धन का ठीक उपयोग नहीं करते जिसके कारण भ्रष्टाचार होता है। मैंने पिछले 3 वर्षों में इस बात को बराबर देखा है कि हमारा बजट समय से पास होता है, धन का समय से उपयोग होता है और जो भी हमारी योजनायें हैं उन सब पर

(इस समय 4 बजकर 17 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए)

समय से कार्य चल रहा है। योजनाओं का जिला स्तर पर विकेन्द्रीयकरण किया गया है। हर जिले में, चाहे वह विरोध पक्ष के माननीय सदस्य का क्षेत्र हो, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक का क्षेत्र हो, सिंचाई की आवश्यकतानुसार व्यवस्था की गयी है और जिले-जिले में जनतंत्रीय प्रणाली की व्यवस्था बनायी गयी है। माननीय सिंचाई मंत्री जी के कार्यकाल में इस ओर काफी प्रगति हुई है। प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम का सिंचाई पहला सूत्र है और इस ओर यदि सबसे अधिक कहीं कार्य हुआ है तो वह अपने प्रदेश में ही हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र में नहरों और नलकूपों का जाल बिछाया गया है। कहीं विश्व बैंक का माध्यम से, कहीं अन्य माध्यमों से, सिंचाई के साधन बढ़ाये गये हैं और उसका विस्तार से जिक्र इस विभाग द्वारा जो पुस्तक वितरित हुई है उसमें किया गया है।

हमारे भाई राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने ज्ञानपुर पम्प कैनाल की ओर जो ध्यान आकृष्ट किया, मैं भी उस ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह पम्प कैनाल की योजना 1977 में स्वीकृत हुई थी ताकि क्षेत्र की पेय जल योजना की समस्या को हल किया जा सके। यह योजना शुरू हुई, पर आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी 25 प्रतिशत भी धन उस पर खर्च नहीं हो पाया है। यह लक्ष्य रखा गया था कि यह योजना सन् 85 तक पूरी हो जायेगी, पर अब इसका कार्यकाल बढ़ाकर सन् 89 कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि क्षेत्र की पेय जल की समस्या का वे शीघ्रातिशीघ्र समाधान करें। वहाँ पर कुवों का जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि मई और जून के महीने में वहाँ पर लोगों को तालाबों से जल भरकर पीना पड़ता है, जिससे वहाँ के लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी पैदा हो जाती है और तमाम प्रकार की कठिनाई पैदा हो जाती है। एक और समस्या है, वहाँ छिछवा गाँव है, जो गंगा नदी से तीन तरफ से घिरा हुआ है और आज गंगा नदी के कटान से उसकी सैकड़ों एकड़ जमीन नष्ट हो गई है। मैं चाहूँगा कि उसका सर्वेक्षण कराकर उस गांव को कटाव से बचाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट, प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और माननीय मोहन सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

***श्री अकबाल हुसेन** —

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए मंत्री जी के सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। आपके विभाग का जो नलकूप विभाग है, वह हमारे जनपद गोंडा में इतना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबाल हुसेन—]

निष्क्रय हो गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। गोंडा के बारे में अभी आपके पक्ष के एक माननीय सदस्य ने बताया था कि वहाँ पर 50 प्रतिशत ही काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि आज गोंडा में 30-40 प्रतिशत से ज्यादा नलकूप चालू हालत में नहीं हैं। उसका एकमात्र कारण यह है कि पिछले वर्ष जो वहाँ पर मेन्टीनेन्स खंड था, उसको पिछले वर्ष वहाँ से एबालिश कर दिया गया है और उसको आधा बहराइच में और आधा फैजाबाद में कर दिया गया है।

इस समय गोंडा में 400 नलकूप हैं, लेकिन उनके बारे में कोई कम्पलेंट देता है तो एक महीने में उसकी कहीं सुनवाई होती है। तो जैसा कि वहाँ पर एक वर्ष पहले मेन्टीनेन्स खण्ड था, उसको फिर से ला दिया जाए। हमारे विधान सभा क्षेत्र केसौर, गोंडा, बहराइच और बस्ती में जो सरयू परियोजना है, उससे किसानों का बहुत बड़ा लाभ होगा, जो कि 6 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है। लेकिन उसका काम समयबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है। यदि आप उसको समय पर नहीं बनवायेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि इतने बड़े भूभाग की उससे सिंचाई नहीं हो पायेगी, जिससे प्रदेश के विकास में बाधा पैदा होगी। इस पर आपने काफी रुपया खर्च किया है और इस वर्ष भी आप 5 अरब रुपया विभाग के लिये ले रहे हैं, तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप समय से किसानों को उनकी फसल और भूमि का मुआवजा नहीं देते हैं। इसलिये वे अपनी मिट्टी और खेत को खोदने नहीं देते हैं। आप बिना मुआवजा दिये खेत लेते हैं, जिससे बड़ा नुकसान होता है। आप किसानों को मुआवजा समय पर दिलाने की पूरी कोशिश करें।

पिछले साल आपने यह वायदा किया था और इस साल कहना चाहता हूं, आपके होते हुये भी आपके विभाग में सौतेला व्यवहार है, जो कि न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूँ जनपद गोरखपुर में जितने भी जमींदारी के बाँध थे, नहरें थीं, उनको आपने सिंचाई विभाग में लेकर उनका प्रान्तीयकरण कर लिया है और उनके रखरखाव का काम अपने विभाग के माध्यम से कराना शुरू कर दिया है। लेकिन गोंडा में बलरामपुर राज के सिंचाई की जो नहरें और बांध थे, उनके बारे में आपने पिछली बार लेने का वायदा किया था, लेकिन वह काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह आपने पिछले साल हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो नलकूप थे—आई०आर०डी० में, उसको आपने 31 मार्च 83 तक पूरा करने का वायदा किया था, लेकिन आज भी वह नहीं किया गया है।

आखिर बात यह है कि सरयु परियोजना से राप्ती में पचपेड़वा के पास एक मिनी हायडिल प्लान प्रस्तावित था और उस पर कार्य भी लग गया था। उससे आप कम खर्च में 16 मेगावाट बिजली तैयार कर सकते थे। लेकिन पता नहीं कौन-सा कारण आ गया कि आपने उस मिनी हायडिल प्लान की योजना को ड्राप कर दिया। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पंचपेड़वा में जो सरजू परियोजना मुख्य राप्ती नहर पर मिनी हाइडिल स्कीम थी, उसको जो आपने समाप्त कर दिया है, उसको पुनर्जीवित कर दें और वहाँ पर बाढ़ के नियन्त्रण के लिए व्यवस्था करें। मान्यवर, बाढ़ जब आती है, तब सबको फिक्र होती है और जब बाढ़ खत्म हो जाती है, तो चिन्ता समाप्त हो जाती है। मान्यवर, मैं एक शेर कहकर समाप्त करता हूँ।

साहिल के तमाशायी, हर डूबने वाले पर,
अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते।

अनुदान संख्या 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (क्रमागत)†

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ तथा सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूँ और विरोधी पक्ष के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे विपक्ष और पक्ष के लोगों ने सिंचाई पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रधान राज्य है, इसमें 86 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में रहती है। मान्यवर, हमारी जनप्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ग्रामों के चौमुखी विकास के लिए किसानों के, लघु कृषकों के लिए बराबर प्रयास करती रहती हैं और उनके लिये चिन्तन करती रहती हैं, उसी के तहत हमारे प्रदेश के सिंचाई मंत्री बड़े ईमानदार और कर्मठ और कड़ाई के साथ इस विभाग को देख रहे हैं। यह जरूर है कि थोड़ी सी उनकी कड़ाई करने की वजह से कुछ लोग जो भारी पैमाने पर इस विभाग में भ्रष्टाचार करते चले आ रहे हैं और करना चाहते हैं, उन्हें जरूर परेशानी हो रही है।

इसलिए मैं मान्यवर, ज्यादा समय न लेकर अपने क्षेत्र मंझनपुर की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, किशनपुर पम्प हमारे क्षेत्र में अपूर्ण पड़ा हुआ है। इसके पहले 3 वर्ष पूर्व हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, भारत की प्रधान मंत्री ने यहां की जनता के लिए किशनपुर पम्प का शिलान्यास किया था, वहां पर जो पम्प लगाये गये थे, आज तक वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है और निर्माण कार्य अभी तक सम्पन्न नहीं किया गया है। पम्प और नहर ठीक रूप से नहीं चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में राम गंगा कैनाल और किशनपुर की जो प्रगति रुक गयी है, माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से उसमें हस्तक्षेप करके, जो निर्माण कार्य है, पूर्ण करवाने की कृपा करें। तीसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो इस विभाग के अभियंता से सम्बन्धित है, जो मैं नहीं जानता कि सहायक अभियंता और जो भी अभियंता हैं, उनका कार्यालय कहां पर है, एक वर्ष से इसकी प्रगति दयनीय है, किसानों में असंतोष व्याप्त है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरौली लिफ्ट सिंचाई का एक प्लान प्रार्थना पत्र के साथ इसके संबंध में मैंने आपको दिया था, जिसमें आपने इस योजना के लिए आदेश कर दिया है और प्रमुख अभियंता को कार्यवाही के लिए दे दिया है, अभी तक क्या कार्यवाही की गयी, यह मुझे नहीं मालूम। मान्यवर, विश्व बैंक के द्वारा जो नलकूप लगाये गये, मेरा क्षेत्र उससे बिलकुल उपेक्षित है, कोई भी कार्य नहीं हुआ। इस दिशा में आप विश्व बैंक के द्वारा मेरे क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर नलकूप लगाने का आदेश दें। मान्यवर, डी०पी०ए०पी० स्कीम (सुखोन्मुख) कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 जनपद लिये गये थे, जिसमें से इलाहाबाद भी एक प्रमुख है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद जनपद में मेरा क्षेत्र मंझनपुर को इस योजना के अन्तर्गत कोई भी लाभ नहीं मिला।

मान्यवर, 6 जनपदों में से 4 में राहत कार्य उसी प्रकार है, और मेरे जनपद इलाहाबाद को सुखोन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम से अलग कर दिया गया है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस योजना से इलाहाबाद को न अलग किया जाय। हम लोगों की तरफ माननीय मंत्री जी इस संबंध में केन्द्र से भी निवेदन करें और मंझनपुर की अब प्राथमिकता के आधार पर इस योजना को लाभ पहुँचाया जाय।

(श्री धनीराम वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी केवल दो मिनट में अपनी बात कहें ।

***श्री धनीराम वर्मा—**

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की 86 प्रतिशत जनता देहात में रहती है और उसका मुख्य धंधा खेती है । परन्तु आज़ादी के 35 साल बाद भी सरकार ने सिंचाई की ओर ध्यान नहीं दिया है । 174 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जिस पर खेती की जाती है उसके आधे भाग पर अभी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है । जब तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तब तक यह देश और प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है । इन शब्दों के साथ मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ । हमारे क्षेत्र में सेंगर और यमुना दो नदियाँ हैं । यह बहुत गहराई पर बहती हैं । यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है । इसलिए इस क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाये जायं, और लिफ्ट योजना लगाकर पानी उठाकर खेतों को सींचा जा सके ।

इसी तरह से अरैन बहती है वहां पर भी सिंचाई के साधन नहीं है । उस नदी में लिफ्ट योजना से भी पानी उठाकर सिंचाई की जा सकती है । इसके साथ साथ हमारे यहाँ जल भराव की समस्या है । हमारे क्षेत्र में कन्नो, मन्नो, गहेसर, दखनाई गांवों में जल प्लावन की समस्या है । मैंने विधान सभा में भी पूछा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और नालों की व्यवस्था नहीं की गई । इसी तरह से भारसैन मेरे क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है । यहाँ पर भी जल प्लावन की समस्या है सारी खरीफ की फसल नष्ट हो जाती है । यहाँ पर नाले की व्यवस्था नहीं की गयी है । हमने बार बार लिखा, अधिशासी अभियंता को भी लिखा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई ।

मेरे क्षेत्र में नया का पुरवा, सौदेमऊ में जल-प्लावन होता है और हजारों एकड़ क्षेत्र जल-प्लावित हो जाता है । शासन से बराबर कहने के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । यदि यहाँ पर नाला बनाकर पानी सेंगर नदी में डाल दिया जाता तो पानी निकल जाता और हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि खेती के लिए मिल जाती । इतना ही नहीं हमारे यहाँ दो नाले ऐसे हैं कमारा नाला और पातानाला जिनकी सफाई नहीं की जाती है केवल घास काट दी जाती है और पैसा वसूल कर लिया जाता है सफाई के नाम पर और कुछ नहीं होता है इससे पानी नहीं निकल पाता है और सारा क्षेत्र जल-प्लावित हो जाता है । मान्यवर, इसी के साथ मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि जो खंदियां होती हैं वह करवाई जाती हैं जो लोग खंदियों को करवाते हैं उनके ऊपर तावान नहीं लगाया जाता है और दूसरे लोगों को तावान देना पड़ता है । तो जांच करके यह दिखवायें कि किसने खंदी की ।

किसके खेत में पानी गया और उन्हीं लोगों पर तावान लगाना चाहिए । ऐसे लोग जो खंदी नहीं करते हैं जिनके खेतों में पानी नहीं जाता है उन पर तावान बांध दिया जाता है । इतनी बात कहकर, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मोहन सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का जो पक्ष के हैं और विपक्ष के हैं और जिन्होंने आज की चर्चा में भाग लिया उन सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभारी हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम स्वरूप निम—

मान्यवर, मुझको भी 2 मिनट का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैंने उनको बुलवा लिया है । वह भाषण कर रहे हैं ।

***श्री मोहन सिंह—**

मान्यवर, माननीय सदस्यों की चिंता को देखकर जो सिंचाई के बारे में है, उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का विरोध तो किया लेकिन जो उनका रुख था वह हमारे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में था । जिस रफ्तार से सिंचन क्षमता बढ़ रही है उस हिसाब से अगले 50 वर्ष चाहिए सम्पूर्ण प्रदेश में सिंचन व्यवस्था करने में । तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बाढ़ और सिंचाई दोनों का एक दूसरे से घनिष्ट संबंध है ।

हमारे देश की जो परंपरा थी वह कुछ ऐसी प्राकृतिक ड्रेनेज से जुड़ी थी कि जल निकासी अपने आप हो जाती थी लेकिन प्रकारान्तर में ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती गयी और लोगों में भूमि की भूख बढ़ती गयी तो जो हमारी परंपरा थी तालाबों को खोदने की गड्ढे खोदने की, तालाब बनाने की जो धार्मिक संस्कार था वह खत्म होता गया । पुराने गड्ढों का तालाबों का पानी की निकासी में बड़ा योगदान था । तालाब और गड्ढे पटते जा रहे हैं । उनको गहरा करने की तरफ समाज में कोई रुचि दिखाई नहीं पड़ती है । नीचे का जो भू-गर्भ का जल स्तर है वह ऊँचा होने की वजह से आसमान से जो पानी टपकता है उसको सोखने की भूमि की क्षमता नष्ट होती जा रही है । इसलिए सारा पानी ढालू जगह पर नदी की ही तरफ जाता है । दूसरी तरफ जो वर्षों के बाद पानी जमा करके, तालाबों के जरिये से छोटे छोटे सिंचाई के काम करते थे, वह खत्म हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नदियों और नालों के पानी का जमघट बरसात के दिनों में अधिक बढ़ता चला जा रहा है, इसके लिए कोई वृहद नीति बननी चाहिए ।

वृहद सिंचाई योजनाएं बड़े पैमाने पर बनती हैं, लेकिन हमको पुराने परम्परागत तरीकों को भी नहीं भूलना चाहिए, उन्हें नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, इसलिए सिंचाई विभाग को गड्ढों, तालाबों को गहरा करने के बारे में कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए, चाहे राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम, खाद्यान्न योजना या अन्य किसी कार्यक्रम के तहत इसे प्रारम्भ किया जाना चाहिए, शुरू करना चाहिए । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि योजनायें तो बनी । आपकी तीन बड़ी परियोजनायें इस प्रदेश में चल रही हैं–रामगंगा, शारदा, सहायक और गंडक परियोजना, लेकिन इनका कोई समन्वय नहीं, नहरें आपके विभाग द्वारा घोषित हैं ।

इन इलाकों में विकास परियोजना प्रशासक जो ग्राम्य विकास के मातहत हैं, वह काम करते हैं । इनमें अलग अलग होने से इनमें समन्वय नहीं हो पाता है । तकनीक आपके पास है और फंड इनके पास है । आई० ए० एस० अधिकारी इन तीनों जगहों पर बैठे हुए हैं, उनकी देखरेख करते हैं । विरोधाभास और असमन्वय की स्थिति होने से इन योजनाओं के तहत जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था, जो परिणाम मिलने चाहिए थे, वह नहीं मिले । इसलिए इन परियोजनाओं को जो ग्राम्य विकास विभाग के पास हैं और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह—]

नहरों को जो आपके विभाग के पास हैं, दोनों को एक जगह करना चाहिए। इसे सिंचाई विभाग में मिला लिया जाय।

तीसरी बात, आपने अपनी तरफ से निर्माण विभाग बना दिया, जो आपकी अपनी योजनायें होंगी, उनका निर्माण आप अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन इसके माने यह नहीं कि सेतु निगम ने जो पुल बनाये, उनका पैसा आप अदा न करायें, मैं शिकायत के तौर पर नहीं कहता, सेतु निगम आपका है, सरकार का है, और आपका भी विभाग बना है, उस निगम की यह शिकायत है कि बाहर हम जो काम करते हैं, उसका पैसा समय से मिल जाता है, लेकिन सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जो तमाम छोटे पुल और पुलियां बनायी हैं, अरसे से उस पैसे का पेमेण्ट नहीं हो रहा है, उनका कहना है कि जो काम सार्वजनिक निर्माण विभाग को करना चाहिए, पैसे के अभाव में हम उसको नहीं कर रहे हैं। मैं आप से आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके विभाग का जो फंड है, उसमें से इनके पेमेण्ट की व्यवस्था आप तत्काल करें। चौथी बात, जितने नलकूप हैं उसमें आप की कहीं न कहीं रोजाना शिकायत होती है। 40 फीसदी ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश के अन्दर क्रियाशील नहीं हैं। मोटे तौर पर आप सर्वे करा लें, मेरी बात में कितनी सच्चाई है वह नजर आयेगी।

आप कागज में लिख देंगे कि सिंचाई क्षमता बढ़ गयी और करीब-करीब एक करोड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित बना दी, लेकिन यह कागज में ही हुआ जब आप धरातल पर चलेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं होगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर साल जब खरीफ का मौसम आता है, तो वहाँ सूखे की स्थिति हो जाती है। यदि निजी साधनों से सिंचाई की व्यवस्था वहाँ न की जाती, तो उनकी फसल सूख जाती। तो जहाँ एक तरफ पश्चिम में सूखे की समस्या गम्भीर है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या गम्भीर है, जो अफसोसनाक स्थिति है।

सिंचाई विभाग को नलकूपों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है। खासतौर से बुन्देलखंड के इलाकों में, मथुरा आदि के इलाकों में खारे जल के नाते फसल में जो अपेक्षित व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, वह उपज बढ़ाने में वह नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी जिलों में मथुरा से लेकर के पूरे बुन्देलखंड के इलाकों में ट्यूबवेल का जाल बिछना चाहिए, जहाँ पर उसकी जरूरत है और वहाँ ट्यूबवेल्स सफल भी हैं। इस चीज को देखते हुए कि बुन्देलखंड के अंचल में नलकूपों की संख्या बहुत ही न्यून है और मथुरा जिले में तो बिल्कुल ही नहीं है, यह आपके लिए अफसोसनाक स्थिति है। कम से कम जहाँ नलकूप से सिंचाई हो सकती है, वहाँ पर इसकी व्यवस्था में कोताही नहीं होनी चाहिए।

एक अरसे से पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ को रोकने के लिए करनाली और पंचेश्वर बनाई गयी थी, पांडे जी जो उधर के हैं, उन्होंने भी इस बारे में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि करनाली और पंचेश्वर योजना में क्या प्रगति आज तक हुई है, कितने पैसे का उसमें प्राविधान है ?

केन्द्रीय योजना आयोग से कितनी माँग है उसके बारे में कोई रूपरेखा आपके विभाग की होनी चाहिए और कम से कम मेरा विश्वास है कि जब आप उत्तर देंगे तो इसके बारे में जरूर कहेंगे। आपके विभाग द्वारा जो मोटी पुस्तिका प्रकाशित हुई है उसमें आपने लिखा है कि सभी नदियों का हाइड्रोलाजिकल स्टडी किया गया है। वह क्या है, जो परीक्षण किया गया है उन नदियों की टेन्डेन्सी के बारे में, जल जमाव के बारे में इसकी पूरी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। इसके बारे में दर्शाने की व्यवस्था करें तो अच्छा होगा।

हमने बदनीयती के साथ कटौती का प्रस्ताव नहीं पेश किया है बल्कि सद्भावना के साथ किया है क्योंकि यह प्रदेश हमारा आप सब का है। दलगत भावना से अलग हटकर हमारा आपका सम्मिलित योगदान हो सके और प्रदेश की तरक्की और विकास मिले तो मैं समझूँगा कि विवाद का कुछ हल निकला। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को बल देते हुए अपनी बात का समर्थन करता हूं।

***श्री राम स्वरूप निम—**

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि सहारनपुर में लघु सिंचाई का कार्यालय खोला गया है। 6 महीने से चल रहा है एक अधीक्षण अभियन्ता और सबार्डीनेट स्टाफ 20 लाख रुपया ले रहा है। जब मैंने पूछा आपका काम क्या है तो उन्होंने बताया कि बजट नहीं है। हमारा कोई काम नहीं है। मैं जानना चाहूंगा वह विभाग किसलिए खोला गया है और उसने अब तक क्या कार्य किया है? इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जिस मकान को उनके कार्यालय के लिए लिया गया है उसको जी० डी० दुबे ने अपने नाम एलाट करा लिया है। एक कमरे में आफिस है और बाकी में उन्होंने अपना रेजीडेन्स बना लिया है। पैसा सरकारी खजाने से दिया जा रहा है, क्या इसकी जाँच मन्त्री जी करायेंगे?

उद्योग एवं सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने सिंचाई की कैसे अच्छी व्यवस्था की जाय और जो हमारे सामने समस्यायें हैं चाहे बाढ़ की हो, सूखे की हों, ड्रेनेज की हो, इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाय, इस सम्बन्ध में अपने कीमती सुझाव दिये। आप जानते हैं कि यह सिंचाई विभाग जो काम कर रहा है, जैसा मैंने इस सम्बन्ध में थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के सिंचाई बिभाग का संक्षिप्त विवरण सदन के सामने रखा। आप जानते है कि हमारी प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सिंचाई पहला आइटम है, इससे जाहिर होता है कि सिंचाई का कितना बड़ा महत्व है।

अगर देश से गरीबी मिटानी है, बेकारी मिटानी है, लोगों को भोजन और कपड़ा की व्यवस्था करनी है तो सिंचाई व्यवस्था अच्छी करके खेत की पैदावार बढ़ानी होगी। इस लिए मैंने कहा था कि हमारी जो पंचवर्षीय योजनायें शुरू की गई उसके पहले जो खाद्यान्न उत्पादित होता था आज उससे दो गुना से ज्यादा पैदावार हो रही है। यही कारण है कि हम अधिक पैदावार से लोगों को भोजन दे रहे हैं और इतना ही नहीं दूसरे प्रदेशों को जहाँ अन्न कम होता है उनकी मदद भी करते हैं। माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये और बजट के दौरान माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ बातों की तरफ इशारा किया था। मुझे मौका नहीं मिला था कि उन बातों का हम जबाब दे सकते। लेकिन आज मैं 2-4 बातों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि टेहरी परियोजना में बड़ा विलम्ब हो रहा है और जितना धन व्यय करना चाहिए नहीं हो रहा है, जिससे इसकी लागत बढ़ती जा रही है।

यह सही है कि इतनी बड़ी योजना, हमारे प्रदेश के पास सीमित साधन हैं, हम तो यह देख रहे हैं जो काम अभी करना है, पिछड़े क्षेत्र हैं, बुन्देलखण्ड है, जहाँ पर हमें जल्द मे जल्द सिंचाई की व्यवस्था करनी है, अगर नहीं करते हैं तो हमारे सामने तमाम समस्यायें पैदा होती हैं। ऐसी हालत में हमने प्रयास किया है कि जो क्षेत्र पिछड़े हैं, सिंचाई के साधन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीर बहादुर सिंह—]

नहीं हैं, जल्द से जल्द दिये जा सकते हैं, उन्हें हम प्राथमिकता दें और यही कारण है कि हम बड़ी बड़ी परियोजनाओं को, जहाँ पर हजारों हजार रुपया लगता है, इतना बड़ा प्रदेश है, पैसा उतना ही है, जगह-जगह बाँट कर करना होता है। इसी कारण टिहरी परियोजना पर हम उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। हम यह भी सोचते हैं कि विश्व बैंक है, और कहाँ से हमें धन मिल सकता है ताकि हम बड़ी-बड़ी योजनाओं को समय से पूरा कर सकें।

नलकूप निगम की जो स्थापना की गयी, इसलिए की गयी थी कि हम बैंकों से कन्स्टीट्यूशनल फाइनेंस, पैसा लेकर नलकूप बनायेंगे क्योंकि जितनी सिंचाई की माँग है, विभाग द्वारा जो नलकूप लगते हैं उस माँग को पूरा नहीं कर पाते, और उसी को पूरा करने के लिए नलकूप निगम की स्थापना की गयी थी और यह कहा गया था कि बैंकों या और जहाँ से पैसा मिल सकता है, पैसा लेकर नलकूप लगाये जायें। लेकिन समस्या यह हुई कि जितने धन की आवश्यकता होती थी उतना समय से नहीं मिल पाता है। इसलिए जितनी तेजी से काम करना चाहिए, उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। उसमें जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है।

मशीनों की बात कही गयी थी कि बहुत सी बेकार पड़ी हैं, बड़ी-बडी जो मशीनें राम गंगा में आयी थीं, काफी आयी थीं, वहाँ से जब काम पूरा हो गया तो टिहरी परियोजना, सरयू परियोजना और जो समानान्तर परियोजनायें थीं, उसमें भेजी गयीं इसलिए वे सब बेकार नहीं हैं लेकिन थोड़ी-बहुत ढिलाई जरूर थी और उसी के लिए एक मुख्य अभियन्ता स्तर का सेल बनाया गया है और वह इसको देखेंगे कि जहाँ कोई मशीन खराब, बेकार हो, उसकी उपयोगिता न हो, उसको देखा जाये।

एक बात और कही थी, मुख्य अभियंता जिन्दल के बारे में। तो यह बात सही है कि उनको कम्पलसरी रिटायरमेन्ट कर दिया गया और वह उसके बाद कोर्ट से स्टे ले आये। जब हमने देखा कि क्या हम उनको इसमें रख सकते हैं या नहीं तो जो हमारी न्याय विभाग है, से परामर्श लिया गया, उन्होंने कहा कि अपील मिलने की आशा नहीं है इसलिए उनको रीइन्स्टेट कर दिया जाय, यही कारण था। जानबूझ कर किसी को बचाने की बात नहीं थी। हमने ही इनको निकाला था और हमने ही कार्यवाही की थी, जब उनको रखना ही होता तो निकाला किस लिए जाता। इसलिए इसमें कहीं कोई भ्रम की बात नहीं है, निष्पक्ष बात की गई है।

मुख्तार अनीस साहब ने कहा कि सीतापुर में कोई डिवीजन नहीं रखा गया है। जून में लखीमपुर से सीतापुर में खोल दिया जायेगा।

बलिया में जो सिंचाई के हमारे साधन हैं, माननीय सदस्य बलिया ने बताया, जो हमारी नहरें हैं, शारदा सहायक की और लिफ्ट कैनाल द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है।

ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर नहीं हो रहा है। जो जल जमाव की बात हो रही है उसके लिये सरकार प्रयास कर रही है। जो बाँध बडरिया से लेकर मोहम्मदा साइड में है। गाजीपुर के लोग इसको पसन्द नहीं करते हैं, आन्दोलन करते हैं। इसलिये रुका है। देख रहे हैं कि इसमें क्या होना है। मथुरा के किसी सदस्य ने बात उठाई इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के बारे में। इन्जीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। कहा कि हाई कोर्ट में पैरवी नहीं हो रही है, यह गलत है। हाई कोर्ट में पैरवी के आदेश कर दिये गये हैं।

अग्निहोत्री जी ने बुन्देलखण्ड के बारे में कहा कि योजना नहीं बना रहे हैं। बुन्देलखण्ड के बारे में मीटिंग किया था। हर डिवीजन के बारे में मीटिंग कर रहे हैं। सभी अधिकारीगण बैठते हैं। पांच डिवीजन की मीटिंग कर लिया है। बाकी डिवीजन की भी करेंगे। मैंने बताया कि छोटे छोटे काम हैं, माइनर इरीगेशन आदि के, कई दिक्कतें सामने आती हैं। जो नदियां मध्य प्रदेश से आती हैं, उनमें मध्य प्रदेश तैयार नहीं होता इसी कारण हम काम नहीं कर पाते। जो डैम बनते हैं वह मध्य प्रदेश में बनते हैं। उनके यहां भी मांगे होती हैं, विवाद होते हैं जैसे हमारे यहाँ, तो कोई काम जबरदस्ती तो कर नहीं पायेंगे।

हम सोच रहें हैं कि कौन सा रास्ता निकाला जाय। बहुत से सदस्यों ने सुझाव दिया, समय कम है सबके बारे में तो कहा नहीं जा सकेगा। इतना कहना चाहूँगा कि सरकार का प्रयास है कि जो भी समस्यायें हैं हमारे सामने जल्दी से जल्दी और ठीक प्रकार से हल किया जायेगा। मोहन सिंह जी ने कहा कि पोखरों को, तालाबों को गहरा किया जाय। रूरल इन्जीनियरिंग के द्वारा, और भी ग्रामीण योजनाओं के द्वारा इन तालाबों को गहरा करने की बात हो रही है। बार बार नलकूपों के बारे में कहा जाता है। समस्या यह थी कि एक एक नलकूप आपरेटर दो-दो, तीन-तीन नलकूपों को देखते थे इसलिये वह ठीक से नही देख पाते थे। अब यह व्यवस्था हो गयी है कि एक नलकूप पर एक ही आपरेटर रहेगा और वह उसी गांव का व्यक्ति होगा जिससे गांव के लोग जब चाहें मिल सकते हैं। जितने इन्जीनियर्स हैं चाहे वह ए०ई० हो, जे०ई० हो, एस०ई० हो सभी की जिम्मेदारी निश्चित की गयी है कि इतने नलकूपों की देखभाल करना आवश्यक है। उनको सर्टीफिकेट देना होगा कि उन्होंने इतने नलकूप देखा है, उसके बाद अगर उन नलकूपों में कमी मिलती है सर्वे में तो उस अधिकारी को सजा मिलेगी। वह बक्शा नहीं जायेगा। अब जो नलकूप लगेंगे उनकी नालियाँ पक्की बनायी जा रही हैं। हमने तय किया है कि पी०बी०सी० पाइप लाइन डालेंगे और नालियाँ नहीं बनायेंगे। क्योंकि जो नालियाँ बनी थीं उसमें कभी पानी नहीं निकलता था और ये टूट जाया करती थी फलस्वरूप परेशानियाँ हो जाती थीं।

मान्यवर, तीसरी बात यह भी है कि पी०बी०सी० पाइप लाइन प्रति ट्यूबवेल पर 35 हजार रुपये का खर्चा आता है जबकि नाली पर 45 हजार रुपए का खर्चा आता है जिससे हमारी कौस्ट भी कम होती है और दूसरा 25 से 30 परसेन्ट पानी भी हमारा बचेगा जो सीपेज के कारण वेस्ट हो जाता था। हमने यह भी आदेश कर दिये हैं कि प्रत्येक ट्यूबवेल पर पी०बी०सी० पाइप लाइन लगाई जानी चाहिये तथा जो नालियाँ खराब पड़ी हुई हैं उनकी 30 जून तक मरम्मत हो जानी चाहिये, अगर उसके बाद भी कोई शिकायत आती है तो वह नालियाँ, ट्यूबवेल जिस अधिकारी के क्षेत्र में आता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार मान्यवर, हमने एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बना दिया है जिसके तहत इस प्रकार की शिकायतें भी समाप्त हो जायेंगी।

मान्यवर, हमने एक हजार आपरेटरों को ससपेंड किया और भी आगे कार्यवाही करने जा रहे हैं कि यदि कोई आपरेटर अपने ट्यूबवेल पर नहीं मिलेगा तो पहली बार तो उसको चेतावनी दी जायेगी और दूसरी बार उसके खिलाफ डिसमिसल की कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, हम भी नहीं चाहते हैं कि एक व्यक्ति की वजह से सारा गाँव तबाह हो। सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने वाले को भी बख्शा नहीं जायेगा।

मान्यवर, जहाँ तक सीपेज की बात कही गई है। मान्यवर, एक चीज मैं कहूँगा कि वर्ड बैंक के जरिये जो 23 हजार ट्यूबवेल लगाये जायेंगे वे हमारे पिछड़े क्षेत्र में लगाये जायेंगे जहाँ पर न नहर निकल सकती है और न लिफ्ट केनाल बन सकती है और न जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हों सकते हैं, उन क्षेत्रों में हम इन ट्यूबवेलों को वहाँ लगायेंगे।

[श्री वीर बहादुर सिंह—]

माननीय सदस्यों को इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये और उनकी मंशा के अनुसार ही काम किया जा रहा है।

मान्यवर, यह बात जो बार-बार कही जाती है कि ट्यूबवेल खराब है, पुराने ट्यूबवेल हैं। दो हजार ट्यूबवेलों की बोरिंग हो चुकी है पम्पिंग हाउस नहीं बने, लाइन नहीं बनी और टाइम पर सिंचाई नहीं हो रही है तो इसके लिये हमें 68 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। और यह हमारे पास नहीं है। यह एरियर एक साल से चला आ रहा है। जितनी शिकायतें आती हैं, इसी की वजह से हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हम कोशिश कर रहे है कि यह पूरा हो जाय तो भविष्य में यह जो शिकायतें हैं वो नहीं होगी। सीपेज की शिकायत के बारे में बार-बार कहा जाता है। मैं जानता हूँ कि सीपेज एक बड़ा संकट हो गया है हमारे लिये। और आज इस प्रदेश की 98 हजार एकड़ भूमि सीपेज से डूब जाती है और आज जिससे खेत बरबाद हो रहे हैं इसके लिये आज हम सभी दुखी हैं इसको कैसे दूर किया जाय। जैसे बड़े-बड़े नहरों से सीपेज होता है। इसको पक्का करने के लिये करोड़ों रुपये की आवश्यकता है। इतना सीपेज न हो इसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं। ड्रेन्स बनाये जांय, वहां पेड़ पौधे लगाये जांय और ट्यूबवेल लगाये जाँय ताकि यह समस्या कुछ हद तक हल हो सके। ऐसी बात करने से समस्या हल होने वाली नहीं है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ। विभाग को चुस्त करने के लिये कहा है तथा एकाउन्टस को टीक करने के लिये भी कहा है तथा इसमें काफी परिवर्तन भी किया है। मान्यवर, जो विभाग में लापरवाही से काम करते थे तथा भ्रष्टाचार फैलाते हैं उनको समाप्त करने के लिये हमने कड़े कदम उठाये हैं और मान्यवर, इस समय 365 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी चल रही है। जिनमें से 38 अधिकारियों को निलम्बित किया

[समय 5 बजे अपरान्ह]

गया, 26 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन चल रहा है तथा 44 अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक अधिकरण में मामले चल रहे हैं। 76 अधिकारी आरोपित किये गये हैं। 227 अधिकारियों के विरुद्ध सर्तकता विभाग द्वारा जांच करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त 5 अधिकारियों को सेवा मुक्त, एक अधिकारी की सेवा समाप्त, 2 अधिकारियों को पदावनति 32 अधिकारियों को सेन्सर प्रविष्टि, 22 अधिकारियों को चेतावनी, 8 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई, 2 अधिकारियों की पेंशन में कटौती की गई।

नलकूप संगठन के विरुद्ध जनप्रतिनिधियों द्वारा समय समय पर आरोप लगाये जा रहे हैं। इस ओर भी शासन जागरुक है। अभी हाल ही में 92 अपर अभियन्ता, 103मिस्त्री, 13 अमीन, 1012 नलकूप चालकों को भी दण्डित किया गया हैं। इस प्रकार बड़े पैमाने पर कार्यवाही की गयी है। भविष्य में भी जो नार्म्स बनाये गये हैं, जो लोग उसका पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। एक-एक पैसे का सही ढंग से उपयोग हो रहा है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग के लोग आपके सहयोग से और आपके जो सुझाव आये हैं उन पर अमल करके प्रदेश को अच्छी सिंचाई दे सकें, ऐसा करने का प्रयास करेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

यह देखते हुए कि ट्यूबवेलों के कान्सट्रक्शन का काम काफी बढ़ रहा है वर्ड बैंक वगैरह के जरिये से, तो जो नहरें ऐसी हैं, जो खेतों के आस-पास कमाण्ड एरिया में हैं, लेकिन आपके यहाँ 'नो आबजेक्शन' के लिये 10 साल की अवधि है कि 10 साल तक उन खेतों में पानी न गया हो, तो क्या उस अवधि को घटाकर 5 साल करने की कृपा करेंगे।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है, हम तो कहते हैं कि एक साल भी अगर पानी न गया हो...

(सत्तापक्ष की ओर से मेजों में थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोहन सिंह जी ! क्या आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह—

जी नहीं, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,33,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,14,17,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्राद्यौगिक विश्वविद्यालय तथा संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान/सभा बोर्ड में कार्य करने हेतु निर्वाचन के लिये अभ्यर्थियों के नामों की सूचना

श्री अध्यक्ष —

सदन को अब मैं एक सूचना देना चाहूँगा ।

(क) गढ़वाल विश्वविद्यालय,

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा

(ग) अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, की सभा में कार्य करने के लिये प्रत्येक के वास्ते पांच-पांच सदस्यों,

(घ) उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड के लिये तीन सदस्यों जिनमें एक महिला सदस्या भी होगी,

(ङ) चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्राद्यौगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड के लिये दो सदस्यों तथा

(च) संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम-निर्देशन-पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक 10 मार्च, 1983 को अपरान्ह 4 बजे तक प्राप्त नाम निर्देशन-पत्रों की सम्वीक्षा नियत समय पर की गयी और सब नाम निर्देशन-पत्र वैध पाये गये हैं । इस प्रकार उक्त निकायों में विधिमान्य अध्यर्थियों के नाम निम्नवत् हैं :—

(क) गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा

1. श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी (पौड़ी गढ़वाल)
2. श्री विद्या सागर नौटियाल (टिहरी गढ़वाल)
3. श्री रुद्र प्रताप सिंह (देवरिया)
4. श्री शिव नरायण सिंह नेगी (नैनीताल)
5. श्री बिहारी लाल (नैनीताल)
6. श्री कुंवर सिंह नेगी (चमोली)
7. श्री खुशहाल सिंह रागड़ (गढ़वाल)
8. श्री द्वारिका नाथ धवल (देहरादून)
9. श्री राम सिंह (सहारनपुर)

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा

1. श्रीमती कमला साहनी (बस्ती)
2. श्री मोहन सिंह (देवरिया)
3. श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (बस्ती)
4. श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी (इलाहाबाद)

5 श्री रमाकान्त मिश्र (इलाहाबाद)
6 श्रीमती धनेश्वरी देवी (वाराणसी)
7 श्री राम जनम सिंह (वाराणसी)
8 श्री गोरे लाल शाक्य (इटावा)
9 श्री विश्राम दास (इलाहाबाद)
10 श्री अशोक कुमार बाजपेई (इलाहाबाद)
11 श्री विमल प्रसाद तिवारी (फर्रुखाबाद)
12 श्रीमती सुमन लता (कानपुर)
13 श्री जटा शंकर सिंह (बहराइच)

ग – अवध विश्व विद्यालय (फैजाबाद) की सभा

1 श्री रुद्र प्रताप सिंह (देवरिया)
2 श्री सीताराम निषाद (फैजाबाद)
3 श्री उमेश्वर प्रताप सिंह (गोण्डा)
4 श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद)
5 श्री राम जन्म सिंह (वाराणसी)
6 श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)
7 श्री जैराज गौतम (सुल्तानपुर)
8 श्री धरमपाल (बहराइच)
9 श्री शेर बहादुर (फैजाबाद)
10 श्री जटा शंकर सिंह (बहराइच)
11 श्री मुईद अहमद (सुल्तानपुर)

घ – उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था का प्रशासकीय बोर्ड

1 श्रीमती धनेश्वरी देवी (वाराणसी)
2 श्री रुद्र प्रसाद सिंह (देवरिया)
3 श्री मती किशोरी शुक्ल (गोरखपुर)
4 श्री शिवनरायण सिंह नेगी
5 श्री दीपक कुमार (मु० नगर)
6 श्री रमाकान्त मिश्र (इलाहाबाद)
7 श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी (इलाहाबाद)
8 श्री गोरे लाल शाक्य (इटावा)
9 श्रीमती कमला दरियाबादी (कानपुर)
10 श्री केशोराम (बदायूं)
11 श्रीमती सुमनलता (कानपुर)
12 श्री जीराज सिंह मौर्य (मुरादाबाद)

अवधान सभा

ड चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

1 श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ (बस्ती)
2 श्री अजीत कुमार सिंह (कानपुर)
3 श्री गंगा सागर शंखवार (कानपुर)
4 श्री कुंवर वीरेन्द्र सिंह ढाना (मेरठ)
5 श्री दिवाकर विक्रम सिंह (बस्ती)
6 श्री जसवन्त सिंह विष्ट (अल्मोड़ा)
7 श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (हरदोई)
8 श्री गोरे लाल शाक्य (इटावा)
9 श्री विलायती राम कत्याल (कानपुर)
10 श्रीमती सुमन लता (कानपुर)
11 श्री जटाशंकर सिंह (बहराइच)
12 श्री शंकर सिंह (जालौन)

ढ—संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान

1 श्री श्याम लाल बाजपेयी (बाराबंकी)
2 श्री झग्गड़ सिंह (मेरठ)
3 श्री पन्ने लाल (गोरखपुर)
4 श्री दयाल कृष्ण (मथुरा)
5 श्री मोहन सिंह (देवरिया)
6 श्री दीपक कुमार (मुजफ्फरनगर)
7 श्री कृष्ण कुमार शुक्ल (रायबरेली)
8 श्री गोरे लाल शाक्य (इटावा)
9 डा० कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा)
10 श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी (लखनऊ)
11 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (सीतापुर)
12 श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (हरदोई)

नामों की वापिसी के लिये दिनांक 14 मार्च, 1983 के अपराह्न 4-00 बजे तक का समय नियत है। निकायों में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक अभ्यर्थी हैं, अतः उक्त निकायों में जो अतिरिक्त नाम हैं वे यदि उक्त समय तक वापस न ले लिये गये तो मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 17 मार्च, 1983 को पूर्वाह्न 10-30 बजे तक से अपराह्न 5-00 बजे तक विधान सभा मण्डल पुस्तकाल, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें सर्व श्री गंगा सागर संखवार, देवेन्द्र बहादुर सिंह तथा अजीत कुमार सिंह, उसके आगे श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व

श्री राजेन्द्र सिंह अग्निहोत्री की है आगे श्री सत्य पाल सिंह की भी यही सूचना है। आगे श्री मोती लाल देहलवी व श्री राधेश्याम पटेल तथा आगे श्री कुंवर सिंह नेगी व श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी की है, आगे सर्व श्री मित्र सेन, गोपीनाथ वर्मा, रमआसरे वर्मा, मसरूर जाफरी, खेरुल बशर, तथा परमाई लाल की है और इसके आगे श्री भीखा लाल की है और फिर आगे श्रीहर गोविन्द वर्मा की है तथा आगे श्री सुल्तान सिंह की है और आगे, श्री सन्त बक्श रावत व श्री हरगोविन्द वर्मा की है और आगे सर्वश्री रियासत हुसैन, राम गोविन्द तथा अकबर हुसेन की है और अन्त में श्री पंचानन राय की सूचना है।

मैंने इन सब को देखा है, पहली सूचना जो सर्व श्री गंगा सागर संखवार, देवेन्द्र बहादुर सिंह तथा श्री अजीत कुमार सिंह की है, उसे स्वीकार की है। शेष सूचनायें अस्वीकृत हैं।

श्री रियासत हुसैन—

यहाँ बताने वाला ही नहीं है कि वक्तव्य कब होगा।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

ठीक है, वक्तव्य स्वीकार हो गया है, उत्तर भी आ जायेगा, दिक्कत क्या है ?

***हरिजन तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—**

17 तारीख कर दें :

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, 17 तारीख को वक्तव्य स्वीकार किया गया।

आगरा से लखनऊ आ रही 14 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन को सशस्त्र डाकुओं द्वारा लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा) —

प्राप्त सूचनानुसार मार्च 4 की रात को लगभग 1.55 बजे रात्रि को 7-8 डकैत, जिनके पास देशी तमंचे तथा चाकू थे, एक द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में 14 डाउन आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस में गंजडुंडवारा रेलवे स्टेशन (जनपद एटा) में घुस गये। उन्होंने यात्रियों को हथियार दिखाकर लूटना प्रारम्भ किया। कथनानुसार 14 यात्रियों से 11 हाथ की घड़ियाँ, अन्य सामान व नकद धन लगभग 5,000 रु० लूटा।

2—डकैत होजपाइप काटकर दरियावगंज जो कि कायमगंज (जनपद फर्रुखाबाद) से पहले है, रेलवे स्टेशन से थोड़ा पूर्व ही उतर गये।

3—एक हेड कान्सटेबुल तथा दो कान्सटेबुलों का ट्रेन स्कोर्ट घटना वाले डिब्बे से दो डिब्बे दूर यात्रा कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी रुकी यह बताया जाता है कि पुलिस जन बाहर आये और सूचना मिलते ही डकैतों की तलाश शुरू कर दी। जी० आर० पी० चौकी कायमगंज के प्रभारी उपनिरीक्षक भी इस ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। उप निरीक्षक को घटना की जानकारी चौकी पहुंचने पर हो पायी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

4—स्कोर्ट पार्टी के हेड कान्सटेबुल तथा दो कान्सटेबुलों को, जिनकी लापरवाही बताई जाती है, निलम्बित कर दिया गया है। सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक घटना के तुरन्त बाद ही घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। अपराधियों की तलाश जारी है।

पुलिस की साजिश से ट्रेन के लूटे जाने की बात सही नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, चोरी और डकैती की घटनायें तो रोज हुआ करती हैं लेकिन यह घटना आश्चर्यजनक है और यह इसलिये आश्चर्यजनक है कि रक्षक ही हमारे भक्षक हो रहे हैं और इन भक्षकों को यह सरकार संरक्षण दे रही है।

मान्यवर, आप देखिये कि वक्तव्य के पैराग्राफ 3 में लिखा हुआ है कि जी० आर० पी० चौकी कायमगंज के प्रभारी उपनिरीक्षक भी इसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। एफ० आई० आर० लिखाने वाला गोविन्द नगर का शिव प्रसाद है। उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी उसने पुलिस को दी जब जिस समय डकैत लोग होजपाइप से चढ़कर डकैती करने के लिये घुसने की कोशिश कर रहे थे। जो इंसपेक्टर साहेब यात्रा कर रहे थे वे भी वहाँ पर आ गये, मुकाम पर गये परन्तु किया कुछ नहीं। जब वह शिकायत करने गये तो वे वहाँ पर बैठे मिले। सरकार खुद स्वीकार करती है कि जी. आर. पी. थाने में वे गए तो उन्हें जानकारी मिली। आपने दो कान्सटेबिल को और एक हैड कान्सटेबिल को सस्पेण्ड कर दिया पर उस सब इंस्पेक्टर पर आपकी इतनी कृपा क्यों है? जब प्राग्दर्शन में यह बात साबित हो गयी है कि वे वहाँ पर थे, इसके साथ ही वे वहाँ पर मदद न करके थाने पर पहुंच गये।

श्री रियासत हुसैन—

वहाँ वे हिस्सा लेने के लिए गए थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जब सारे तथ्य सामने आ गये और तथ्यों के सामने आ जाने पर सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रयास नहीं किया, इसका क्या कारण है?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, गाड़ी में वहाँ का स्कोर्ट लगा था। अब उसमें कोई सब इंस्पेक्टर एक यात्री की हैसियत से यात्रा कर रहा था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर. ये सब इंस्पेक्टर उसी हल्के के हैं जब उन्हें पता लगा कि यह हादसा हो रहा है तो उन्हें तत्काल फौरी तौर से कुछ करना चाहिये था लेकिन सरकार ने उनको बिलकुल छोड़ दिया।...

श्री गुलाब सेहरा—

जो जानकारी पता चली, उसके अनुसार वह जिस डिब्बे में था, उसमें और भी यात्री थे, उनको भी पता नहीं चला इसलिये सब इंस्पेक्टर को भी पता चलने का सवाल नहीं उठता है। अगर आप कोई तथ्य दें तो मैं उसकी जाँच करा लूंगा।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, भुक्तभोगियों ने जो रिपोर्ट लिखायी वह क्या है और माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सूचना मिलते ही डकैतों की तलाश शुरू कर दी गयी। जिन लोगों को लूटा गया, उन्होंने गाड़ी रुकने पर कहा कि यह देखो डकैत लूटकर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की, अगर कर्त्तव्य परायणता से काम करते तो डकैत वहीं पर पकड़े जाते और मारे जा सकते थे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट यात्रियों द्वारा लिखायी गई है, वह क्या है ? जो पुलिस कर्मचारी सफर कर रहे थे वह ड्यूटी पर थे कि नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, जो मैंने वक्तव्य दिया है उससे बिलकुल स्पष्ट है कि जिन्होंने अपनी ड्यूटी का संपादन नहीं किया, उनको निलम्बित कर दिया गया। जिस सब इन्सपेक्टर की बात आप कर रहे हैं वह ड्यूटी पर नहीं था। जिन लोगो को स्कोर्ट करना था, उन्हीं की लापरवाही से यह घटना हुइ है। इसीलिये उनको ससपेंड कर दिया गया है। एफ० आई० आर० में लिखा है। यह दो पेज की है, अगर आज्ञा हो तो पढ़ दूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

जो सब इन्सपेक्टर छुट्टी लेकर यात्रा कर रहा था, वह कितने दिनों की छुट्टी पर था, उसकी छुट्टी किस दिन समाप्त होती थी, दूसरी चीज की जानकारी मैं यह चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट है वह इस प्रकार की है कि जो सब इन्सटेक्टर यात्रा कर रहा था, वह डिब्बे से बाहर आया और उसने यात्रियों से कहा कि मेरे पास कोई टार्च वगैरह नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि उसने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया लेकिन उसने डकैतों को पकड़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया। तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस सब इन्सपेक्टर को भी निलम्बित करने का आदेश देंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन् मैंने कहा कि एफ० आई० आर० है, उसमें इसका कहीं पर जिक्र नहीं है।

श्री भोखालाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने दो एक बातों की चिन्ता व्यक्त की मैं भी एक चिन्ता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के पैरा 2 में है कि डकैत हौजपाइप काटकर दरियागंज जो कि कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद से पहले है रेलवे स्टेशन से थोड़ा पूर्व ही उतर गये। मैं ज्यादा टेकनिकल नहीं हूँ। होजपाइप दो डिब्बों के बीच में होता है, कहा गया है कि चलती ट्रेन में हौजपाइप को काटा, तो वह जब चलती गाड़ी में हाउस पाइप को काट सकते थे तो वह चलती गाड़ी में भी उतर सकते थे, तो आप जरा विवेक से काम लें और जो सूचना दी गयी है वह सत्य नहीं है। क्या आप इसकी जांच फिर से करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

इस सत्य को माना गया है कि स्कोर्ट की लापरवाही से यह घटना हुई है। उसकी गम्भीरता को माना गया है। मैंने इसकी गम्भीरता को माना। यह सत्य है कि जो एस्कोर्ट वे दो डिब्बे छोड़कर चल रहे थे उसमें चल रहे थे। इसकी सूचना उनको नहीं मिली।

[श्री गुलाब सेहरा—]

हौज पाइप काटने, उसके बाद उनके भाग जाने यह सब एस्कोर्ट की लापरवाही से हुआ। यदि वे सचेत होते, यदि वे जागरूक होते तो अवश्य ही पकड़ लिये जाते। इसी को मानकर उनको निलम्बित किया गया है।

श्री रेवती रमण सिंह (उर्फ मणि जी)—

मान्यवर, इसमें आप देखें कि जो सब-इन्सपैक्टर थे वे फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। एक सब-इन्सपैक्टर की क्या तनख्वाह होती है। आपने छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। जब गाड़ी रुकेगी तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर कुछ हो-हल्ला मचेगा, लोग बाहर आयेंगे और आये होंगे। उनको बचाने का प्रयास आप क्यों कर रहे हैं। छोटे तीन कर्मचारियों को तो आपने सस्पैंड कर दिया। तो क्या आप जांच में उन लोगों को भी जोड़ेंगे और उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने राजेन्द्र कुमार जी गुप्त के प्रश्न के उत्तर में बताया कि मैंने जाँच मंगवाई है। जैसा उपाध्याय ने कहा उनको वहाँ पर पता नहीं चला, चौकी पर उनको पता चला। मैंने इसीलिये डिटेल में सूचना मंगाई है। यदि उनकी भी उसमें कोई गलती पाई जायेगी तो उनको भी नहीं छोड़ा जायेगा।

***श्री लाल प्रताप सिंह—**

श्रीमन्, यह एक कायदा है कि चाहे कोई सब-इन्सपैक्टर छुट्टी पर भी हो और यदि उनके सामने कोई वाकया हो जाय तो उसे हस्तक्षेप करना चाहिए, उसको इन्टरफियर और परशू करना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं किया ? छुट्टी पर होने के बावजूद भी उनकी ड्यूटी थी, कर्तव्य था। क्या आप इस पर भी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया कि जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार यह बात है कि जिस वक्त ट्रेन में डकैती हो रही थी उन्हें उसका पता नहीं चला। चौकी पर जाकर उनको पता चला मैंने विशेष रूप से जानकारी करायी है अगर उसमें उनकी कोई गलती होगी और उनकी कोई लापरवाही पायी गयी तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

एक जानकारी आप यह दे दें कि हौज पाइप चलती ट्रेन में कोई कैसे काट सकता है ? (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

यह गृह मन्त्री जी जान सकते हैं · · (व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी—

माननीय मंत्री जी आगरे से आते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, वक्तव्य में लिखा है। ··· (व्यवधान) जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वे चलती गाड़ी में भी हौज पाइप काट देते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्री जी की बुद्धि के लिये बधाई। दूसरा सवाल करना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा था कि आज हमारे रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। लेकिन रक्षकों का संरक्षण सरकार कर रही है यह शासन की रिपोर्ट फर्जी है। मैं मंत्री जी के विवेक के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्या मंत्री जी का विवेक यह कहता है कि जिस समय गाड़ी रुकी होगी चाहे वह किसी भी कारण से रुकी हो तो यह एक मनोवैज्ञानिक बात है कि हर आदमी देखने के लिए बाहर आया होगा, चुपचाप कोई बैठा नहीं रहा होगा, वह बाहर आयेंगे तो इस बारे में आपका क्या विवेक कहता है ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मामले की तफतीश कौन कर रहा है ? क्या वही इन्सपैक्टर इसकी तफतीश कर रहा है ? यदि हाँ, तो आपका यह जो बयान है उससे साफ पता चलता है कि उस सब इन्सपैक्टर की इसमें कनाइवेन्स है ? इसकी जांच आप करेंगे ?

श्री गुलाब सुहरा—

मान्यवर, इसकी जाँच डी० वाई० एस० पी० द्वारा हो रही है। जहाँ तक विवेक की बात कही, मैं गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे ही बात सामने आई उसकी जाँच कराई कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह व्यक्ति जानबूझ कर लापरवाही कर रहा हो। जब बात सामने आयेगी तो उसमें बचाने की बात नहीं है। यह डकैती की समस्या गंभीर है। ट्रेनों में अगर लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो लोग यात्रा करना बंद कर देंगे। यह गंभीर बात है। इसके लिए जानकारी माँगी गई है कि प्रभारी अधिकारी झूठमूठ तो नहीं कह रहे हैं। इसकी जानकारी हमने आई० जी० रेलवे से कराई है। इसमें मुझे एक भी बिन्दु मिलेगा कि लापरबाही की तो वह छूटेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, सोमवार को पुनः 11 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 24 मिनट पर सोमवार, 14 मार्च 1983 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
11 मार्च, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 892 पर ।)

तहसील औरैया तथा विधुना में रबी 1386 फ० तथा रबी 1389 फ० में ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों की संख्या तथा क्षति का प्रतिशत ।

ओलावृष्टि से फसलों को हानि का प्रतिशत	रबी 1386 फसली		रबी 1389 फसली	
	तहसील औरैया के ग्राम	तहसील विधुना के ग्राम	तहसील औरैया के ग्राम	तहसील विधुना के ग्राम
1 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक	...	25	61	27
50 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक	48	28	5	22
60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक	25	....	...	1
75 प्रतिशत से अधिक	18	83	3	8
योग	91	136	69	58

लगान में छूट तथा अन्य सहायता

तहसील औरैया

रबी 1386 फ०

में प्रभावित 91 ग्रामों की भू-राजस्व रु० 1,48,395-95 पै० में से रु० 61,846-75 पै० की छूट दी गई तथा शेष मांग रु० 86,549-20 पै० एवं उक्त ग्रामों की तकाबी आदि की वसूली अगली फसल तक के लिए स्थगित रखी गई थी । 16 ग्रामों के 283 प्रभावित व्यक्तियों को रु० 7000/- अहेतुक सहायता मद से वितरित किया गया था ।

रबी 1386 फ०

में ओलावृष्टि से क्षति के कारण 8 ग्रामों की रु० 13,128-25 पै० की भू-राजस्व की छूट का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है तथा 40 प्रभावित व्यक्तियों को रु० 2000/- अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया था ।

तहसील विधुना

रबी 1389 फ०

छूट खतौनी के आधार पर रु० 1,18,779-25 पै० की लगान में छूट दी गई । 138 व्यक्तियों में रु० 3,450 नकद अहेतुक सहायता के रूप में, 1,626 व्यक्तियों को 325-20 कुन्तल गेहूँ तथा 110 व्यक्तियों को रु० 7,300 गृह अनुदान वितरित किया गया ।

रबी 1389 फ०

छूट खतौनी के आधार पर रु० 5,756-07 पै० की छूट का प्रस्ताव विचाराधीन है । दैवी आपदा से फसलों को अधिक हानि नहीं हुई अतः अन्य कोई सहायता नहीं दी गई ।

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 893 पर।)

संलग्नक

तहसील का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	वितरण की अवधि	वितरित धनराशि	
			गृह अनुदान	अहेतक सहायता
1	2	3	4	5
लखीमपुर	लखीमपुर	31-8-81 से 31-3-82	2,24,840-00	39,500-00
	पैला	24-4-81 से 16-3-83	32,850-00	9,400-00
	श्रीनगर	1-5-81 से 22-3-82	62,310-00	8,400-00
निधासन	निधासन	18-9-81 से 12-1-82	22,500-00	32,000-00
धौरहरा	धौरहरा	27-7-71 से 19-3-82	93,340-00	93,650-00
				3,800-00 खाद्यान्न सामिग्री खरीद कर बांटी गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 905 पर)

क्र०सं०	नाम ग्राम	ध्वस्त मकान		वितरित गृह अनुदान
		पूर्ण	आंशिक	
1	2	3	4	5
1	नकहरा	7	11	2600/–
2	कैलहट	1	1	300/–
3	नियामतपुर कलाँ	8	10	5200/–
4	बघेड़ा	—	2	400/–
5	चौधरीपुर	—	7	1400/–
6	मझवाँ करास	—	11	2200/–
7	बसारतपुर	9	40	11600/–
8	पचराव	14	55	16600/–
9	सोनवर्षा	19	25	12600/–
10	मुइनउद्दीनपुर	3	3	1800/–
11	ईश्वरपट्टी	2	7	2200/–
12	तिलगा मु०हासीपुर	13	29	11000/–
13	मेढ़ीया	5	62	14600/–
14	तम्मनपट्टी	8	17	6600/–
15	मगरहां	8	12	5600/–
16	बसन्तपुर	4	12	4000/–
17	पतलुकिया	3	4	2000/–
18	खानपुर	4	76	16800/–
19	पिपराही	1	21	4600/–
20	पसियाही	4	65	14600/–
21	भगिरयापुर	4	65	14600/–
22	धन्नुपुर	2	52	11200/–
23	पूरनपट्टी	—	7	1400/–
24	सेमरा मु० खैरा	10	22	8400/–
25	तिलगा सानी	—	5	1000/–
26	खैरा	—	71	14200/–
27	गोरईयां	—	37	7400/–
28	धमही	—	13	2600/–
29	चकगोरइया	—	1	200/–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
30	कालूपुर	—	2	400/–
31	विसनपुर	—	1	200/–
32	मुकुन्दपुर	—	43	8600/–
33	पाही	—	61	12200/–
34	लालपुर	—	14	2800/–
35	लरछुट	—	33	6600/–
36	बटऊआ	—	56	11200/–
37	रामगढ़ कलां	—	97	19400/–
38	काजीपुर	—	1	200/–
39	उसमानपुर	—	1	200/–
40	सराई टिकउर	—	1	200/–
41	वहरामगंज	—	1	200/–
42	भेड़ी	—	8	1600/–
43	शेरपुर	—	16	3200/–
44	धनईता	7	41	9400/–
45	सराई	1	16	3600/–
46	सद्दूपुर	4	11	3800/–
47	भरपुर उर्फ चुनार	—	19	3800/–
	क—लाल दरवाजा	—	14	2800/–
	ख—घसीयाही टोला	5	13	4600/–
	ग—गोला बाजार	3	3	1800/–
48	ऐबकपुर मोहाना 10अ	1	27	5800/–
49	ऐबकपुर मोहाना	7	36	10000/–
50	सरइया सिकन्दरपुर	1	4	1200/–
51	कजिया	—	4	800/–
52	रैपुरीया	8	4	4000/–
53	पियल्लीपुर	3	—	1200/–
54	जलालपुर माफी	14	20	9600/–
55	चितरहां	10	4	4800/–
56	केशवपुर	3	4	2000/–
57	भवानीपुर	7	8	4400/–
58	धरम्मलपुर	2	7	2200/–
59	चन्दापुर	1	—	400/–

सत्यमेव जयते

1	2	3	4	5
60	शिवपुर	24	14	12400/–
61	रामरायपुर	2	8	2400/–
62	सहसपुरा	2	3	1400/–
63	गांगपुर	37	42	23200/–
64	नियदपुर खुर्द	9	11	5800/–
65	बगही	6	7	3800/–
66	गोविन्दपुर	4	12	4000/–
67	डोमनपुर	2	74	15600/–
68	आ०ला० सुल्तानपुर (टिलहनीया)	—	3	600/–
69	आ०ला० सुल्तानपुर	—	1	200/–
70	सीखड़	—	51	10200/–
71	बगहां	—	93	18600/–
72	प्रेमापुर	—	21	4200/–
73	ऐबकपुर	—	2	400/–
74	कालूपुर	—	9	1800/–
75	हासीपुर	—	65	13000/–
76	कुलहां	—	39	—
77	विदापुर	2	76	—
78	छितकपुर	—	38	—
79	विठ्ठलपुर	—	27	5400/–
80	भुआलपुर	—	4	800/–
81	मढ़िया	—	21	4200/–
82	प्रयागपुर	—	20	4000/–
83	सिल्पी	—	26	5200/–
84	कठेरवा	—	10	2000/–
85	मत्रैया	—	13	2600/–
	सम्पूर्ण योग	294	2004	482700/–

पी०एस०यू०पी०—वि० सभा—20-1-84—835—256